VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

दिसंबर 2023

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद
जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 20 फरवरी, 1 PM | **BHOPAL: 21 फरवरी**

LUCKNOW: 21 फरवरी | **JODHPUR: 8 फरवरी** | **JAIPUR: 8 फरवरी**

ENGLISH MEDIUM
15 FEB | 5 PM

हिन्दी माध्यम
23 FEB | 5 PM

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स
प्रीलिम्स 2023 के लिए मात्र 60 घंटे में

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन ____ 5

1.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम ____ 5

1.1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 ____ 5

1.1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ____ 7

1.1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ____ 8

1.2. भारत में अपराध रिपोर्ट, 2022 ____ 9

1.3. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 ____ 10

1.4. प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 ____ 12

1.5. दूरसंचार अधिनियम, 2023 ____ 14

1.6. अनुच्छेद 370 का निरसन ____ 16

1.7. विधि-निर्माताओं का निष्कासन ____ 18

1.8. राष्ट्रीय कैडेट कोर ____ 21

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 22

1.9.1. लोकायुक्त ____ 22

1.9.2. अमेरिका और भारत में महाभियोग ____ 23

1.9.3. जम्मू-कश्मीर (J&K) से संबंधित दो विधेयकों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली ____ 24

1.9.4. डाकघर विधेयक, 2023 ____ 24

1.9.5. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) योजना ____ 25

1.9.6. ग्राम मानचित्र ____ 25

1.9.7. शुद्धिपत्र ____ 26

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध ____ 27

2.1. भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंध ____ 27

2.2. अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ____ 29

2.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 31

2.3.1. भारत-केन्या संबंध ____ 31

2.3.2. भारत और ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी ____ 31

2.3.3. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भारत ____ 32

2.3.4. सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग ____ 33

2.3.5. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने "प्रोजेक्ट प्रयास" लॉन्च किया ____ 33

2.3.6. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 ____ 34

2.3.7. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (UDHR) की 75वीं वर्षगांठ ____ 34

2.3.8. ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क ____ 35

2.3.9. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के 20 वर्ष पूरे हुए ____ 35

2.3.10. टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ____ 36

3. अर्थव्यवस्था ____ 37

3.1. राज्य वित्त ____ 37

3.2. विशेष आर्थिक क्षेत्र ____ 39

3.3. प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना ____ 41

3.4. भारत में सड़क अवसंरचना ____ 43

3.5. लीड्स रिपोर्ट 2023 ____ 46

3.6. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज (SHG-BL) परियोजना ____ 47

3.7. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) ____ 49

3.8. अंतर्देशीय मात्स्यिकी ____ 51

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 54

3.9.1. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद ____ 54

3.9.2. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया में सुधार ____ 54

3.9.3. भारत सरकार की ऋण सुभेद्यताएं ____ 55

3.9.4. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 ____ 56

3.9.5. भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय किए ____ 56

3.9.6.बाह्य ऋण पर विश्व बैंक की सालाना 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट (IDR), 2023' ____ 57

3.9.7. क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज ____ 57

3.9.8. कृषि फसल बीमा योजनाओं पर रिपोर्ट ____ 58

3.9.9. बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 ____ 59

3.9.10. नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ____ 59

3.9.11. भारत में औद्योगिक गलियारा विकास ____ 60

3.9.12. एम्प्लीफाई 2.0 ____ 61

3.9.13. अराजक-पूंजीवाद ____ 61

4. सुरक्षा ____ 63

4.1. 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी ____ 63

4.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता ____ 65

4.3. समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाना ____ 67

4.4. इंटरपोल ____ 70

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 73

4.5.1. उग्रपंथियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट का दुरुपयोग ____ 73

4.5.2. दक्षिण-पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 ____ 73

4.5.3. हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)- 2023 ____ 74

4.5.4. जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन ____ 74
4.5.5. डिफेंस हेतु ड्रोन ____ 75
4.5.6. आकाश अस्त्र प्रणाली ____ 75
4.5.7. अग्नि-1 ____ 76
4.5.8. विनबैक्स ____ 76
5. पर्यावरण ____ 77
5.1. कॉप 28 ____ 77
5.1.1. कॉप-28 में भारत ____ 79
5.1.2. पहलें ____ 81
5.1.2.1. ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ____ 82
5.1.2.2. हानि और क्षति ____ 83
5.1.2.3. पहला ग्लोबल स्टॉकटेक ____ 84
5.2. भारतीय पारंपरिक पद्धतियां और जलवायु परिवर्तन ____ 85
5.3. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था रोडमैप ____ 86
5.4. ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट-2023 ____ 89
5.5. हिंदू कुश हिमालय ____ 91
5.6. क्लाइमेट इंजीनियरिंग ____ 93
5.7. युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति ____ 95
5.8. भारत में भू-जल ____ 98
5.9. ग्लोबल ड्रॉउट स्नैपशॉट 2023 ____ 100
5.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 103
5.10.1. भारत का आर्कटिक के लिए पहला "शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान" ____ 103
5.10.2. भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त किया 104
5.10.3. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 105
5.10.4. IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की ____ 106
5.10.5. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर रिपोर्ट ____ 107
5.10.6. अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष ____ 107
5.10.7. इम्पेशंस करुप्पुसामी ____ 108
5.10.8. नमदाफा फ्लाइंग स्क्वरल (बिस्वामोयोप्टेरस बिस्वासी) ____ 108
5.10.9. डायल वर्टिकल माइग्रेशन ____ 108
5.10.10. ट्रॉपिकलाइजेशन ____ 108
5.10.11. संधारणीय संवृद्धि के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था 108
5.10.12. स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023' रिपोर्ट ____ 109
5.10.13. ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 रिपोर्ट ____ 110
5.10.14. संपीडित बायोगैस (CBG) के अनिवार्य सम्मिश्रण (Blending) की घोषणा ____ 111
5.10.15. एशियाई विकास बैंक ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत को ऋण दिया ____ 111
5.10.16. मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ____ 112
5.10.17. एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव ____ 113
5.10.18. रैट होल माइनिंग ____ 114
5.10.19. मुल्लापेरियार बांध ____ 114
6. सामाजिक मुद्दे ____ 116
6.1. नई प्रौद्योगिकियां और भारत में जातीय पहचान ____ 116
6.2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम, 2013 ____ 117
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 119
6.3.1. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क ____ 119
6.3.2. जेंडर रिलेटेड किलिंग्स पर रिपोर्ट ____ 120
6.3.3. महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना 121
6.3.4. बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति-एक आकलन' पर रिपोर्ट 121
6.3.5. दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल ____ 122
6.3.6. शुद्धिपत्र ____ 122
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ____ 124
7.1. भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप्स ____ 124
7.2. ई-सिगरेट्स ____ 127
7.3. अंग और ऊतक प्रत्यारोपण ____ 128
7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 130
7.4.1. विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन ____ 130
7.4.2. GPAI शिखर सम्मेलन में "नई दिल्ली घोषणा-पत्र" अपनाया ____ 131
7.4.3. डार्क फाइबर ____ 131
7.4.4. एनवायरनमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम 131
7.4.5. चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल ____ 132
7.4.6. सेलम कॉन्टैक्ट-बाइनरी उपग्रह ____ 132
7.4.7. सब-नेपच्यून ____ 132
7.4.8. धूमकेतु P12/पोंस-ब्रूक्स ____ 132
7.4.9. WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम ____ 133
7.4.10. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ____ 133
7.4.11. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद 133
7.4.12. संयुक्त राज्य अमेरिका ने CRISPR आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी ____ 134

7.4.13. आयुष्मान आरोग्य मंदिर ____ 134
7.4.14. आरोग्य मैत्री ऐड क्यूब ____ 135
7.4.15. एक्टोसाइट ____ 135
7.4.16. पॉम्पे रोग ____ 135
7.4.17. ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स ____ 135
7.4.18. JT-60SA: प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर 135
7.4.19. एन्थ्रोबोट्स ____ 136
7.4.20. 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' योजना ____ 136
7.4.21. क्रुट्रिम ____ 136
8. संस्कृति ____ 138
8.1. गरबा नृत्य ____ 138
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 140
8.2.1. बाली यात्रा ____ 140
8.2.2. भौगोलिक संकेत (GI) टैग ____ 140
8.2.3. बुकर पुरस्कार ____ 141
8.2.4. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ____ 141
8.2.5. इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2023 ____ 141
8.2.6. साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2023 ____ 141
8.2.7. यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, 2023 ____ 142
8.2.8. अर्बिसाइड ____ 142
9. नीतिशास्त्र ____ 143
9.1. श्रम नैतिकता और लंबे कार्य घंटे ____ 143
9.2. नज यानी सौम्य प्रोत्साहन की नैतिकता ____ 145
9.3. व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व ____ 147
9.4. ऑनलाइन गेमिंग में नैतिकता ____ 149
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं ____ 153
10.1. रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग MSME प्रोडेक्टिविटी ____ 153
11. परिशिष्ट ____ 155
11.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) ____ 155

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार हेतु तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी। ये विधेयक अब कानून बन चुके हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ये तीन अधिनियम निम्नलिखित हैं:**
  - **भारतीय दंड संहिता (IPC)[1], 1860** की जगह **भारतीय न्याय संहिता, 2023;**
  - **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)[2], 1973** की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023;** तथा
  - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA)[3], 1872** की जगह **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023**
- **आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए तीन विधेयक पारित किए गए थे।**
  - इन विधेयकों को **पहली बार** संसद के मानसून सत्र के दौरान **अगस्त, 2023 में पेश** किया गया था। उसके बाद उन्हें **गृह मामलों की स्थायी समिति के पास विचार** के लिए भेजा गया था।
  - हालांकि, **पहले के विधेयकों को वापस ले लिया गया** और स्थायी समिति के कुछ सुझावों को शामिल करते हुए **दिसंबर, 2023 में नए विधेयक पेश** किए गए थे।

आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना:** IPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और CrPC को अंग्रेजों ने लागू किया था, इसलिए इसके ज्यादातर प्रावधान उपनिवेशकालीन हैं। इस कारण ये आपराधिक न्यायशास्त्र के मौजूदा नियमों/ मानदंडों के अनुकूल नहीं थे।
  - सामाजिक परिवर्तनों से सामंजस्य बिठाने के लिए एक विकसित और अनुकूलन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए- साक्ष्यों को एकत्र करने, संग्रह करने आदि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना।
- **न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान हेतु और समय पर न्याय प्रदान करने हेतु:** जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और संसाधनों की कमी के कारण अलग-अलग न्यायालयों में **लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित** हैं तथा कई **विचाराधीन कैदी** लंबे समय से जेलों में बंद हैं।
- **दोषसिद्धि दर में वृद्धि हेतु:** आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद कमियों के कारण **लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते हैं।** इन कमियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अपर्याप्त फोरेंसिक जांच,
  - पुलिसिंग संबंधी कमियां,
  - कानून को लागू करने में शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि।
- **अलग-अलग उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों को शामिल करना:** इनमें गिरफ्तारी, अपराध स्वीकारोक्ति, जमानत, मृत्युदंड आदि से संबंधित पहलुओं पर विधि आयोग, मलिमथ समिति (2003) और न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशें शामिल हैं।

1.1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

उद्देश्य

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 को **भारतीय न्याय संहिता, 2023 से प्रतिस्थापित** किया गया है। IPC, देश में दंडनीय अपराधों (Criminal offences) के लिए प्रमुख कानून है।

---

[1] Indian Penal Code

[2] Code of Criminal Procedure

[3] Indian Evidence Act

पृष्ठभूमि

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 से पहले:** भारतीय दाण्डिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम/ कानून शामिल थे।
- **पहला विधि आयोग (1834):** 1834 में **लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले** की अध्यक्षता में **प्रथम भारतीय विधि आयोग** का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य **"कानूनों का आधुनिकीकरण करना और नागरिक समाज को औपनिवेशिक शासन के अधीन"** लाना था।
  - इस आयोग ने **1837 में भारतीय दंड संहिता (IPC)** का एक **मसौदा** तैयार किया था। यह मसौदा **ब्रिटिश कॉमन लॉ** पर आधारित था। इसमें उस समय के भारतीय कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी।
- **1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव:** बाद में किए गए संशोधनों और 1857 के विद्रोह के कारण IPC को कानूनी रूप देने में देरी हुई।
  - हालांकि, **1857 के सैन्य विद्रोह** और **1858 में भारत की शासन व्यवस्था के ब्रिटिश राजशाही के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन** आने के बाद **1860 में IPC को कानूनी रूप दिया गया और यह 1862 में लागू** हो गया।
- **IPC, 1860 के लागू होने के बाद:** पिछले कुछ वर्षों में IPC में **नए अपराधों को शामिल करने, उन धाराओं में संशोधन करने, जो किसी कृत्य को अपराध घोषित करते हैं और दंड की मात्रा में बदलाव करने** के लिए संशोधन किया गया है।
  - गौरतलब है कि विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में **महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड** आदि विषयों पर **IPC में संशोधन करने की सिफारिश** की गई थी।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान

- **सामुदायिक सेवा:** छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है।
- **महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध:** इस संहिता में यह उपबंध किया गया है कि **यदि 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड** दिया जाएगा।
  - इसमें छल-कपट/ धोखे से या झूठे वादे करके **किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध** माना गया है।
- **राजद्रोह (Sedition):** इस संहिता में **राजद्रोह (IPC की धारा 124A)** से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु **दंड का प्रावधान** करता है:
  - **अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों** को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना,
  - **अलगाववादी गतिविधियों** से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या
  - **भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।**
    - इन अपराधों में **शब्दों या संकेतों का आदान-प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग** करना आदि शामिल हो सकते हैं।
- **आतंकवाद:** इस संहिता में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की **एकता, अखंडता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना अथवा भारत या किसी अन्य देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के बीच भय पैदा** करना है।
- **संगठित अपराध:** यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है:
  - निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे- अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा, वित्तीय घोटाला और साइबर अपराध;
  - हिंसा, धमकी या अन्य गैर-कानूनी तरीकों से अपराध करना;
  - भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना; तथा
  - अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध।

क्या आप जानते हैं?

- **भारतीय दंड संहिता (IPC),** 1870 की धारा **124A** में राजद्रोह **(Sedition)** से संबंधित प्रावधान शामिल था।
- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जैसे कि **बाल गंगाधर तिलक (1897 और 1908 में), महात्मा गांधी (1922 में), जवाहरलाल नेहरू (1930 में)** आदि।

- **किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना:** जब **पांच** या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर **नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास/ धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार** पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को-
  - **हत्या** के मामले में **मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से; तथा**
  - **गंभीर चोट** पहुंचाने की स्थिति में **सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने** से दंडित किया जाएगा।

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना है। वहीं लगभग 160 साल पहले बनी IPC को एक औपनिवेशिक सरकार ने तैयार किया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना नहीं, बल्कि दंडित करना था।

1.1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

उद्देश्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित** किया गया है। **CrPC** में भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution) और जमानत (Bail) की प्रक्रिया** संबंधी प्रावधान किए गए थे।

क्या आप जानते हैं?

भारत की जेल सांख्यिकी (Prison Statistics in India) 2022 रिपोर्ट के अनुसार:

- देश में **विचाराधीन कैदियों** की कुल संख्या **4.34 लाख** है।
- विचाराधीन कैदियों की संख्या, जेलों में बंद **कुल कैदियों की संख्या का 75.8 प्रतिशत** है। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक है।
- **11 हजार से अधिक विचाराधीन** कैदी 5 वर्ष से अधिक समय से अलग–अलग जेलों में बंद हैं।

पृष्ठभूमि

- **उत्पत्ति:** CrPC को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन **1861** में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद **1872 और 1882** में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।
  - इसमें **कई संशोधन** किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन **1898, 1923 और 1955** में किए गए थे।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में, इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप **CrPC, 1973** का निर्माण किया गया था।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान

- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जाएगा।
  - यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए **कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
    - **यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है।**
    - **मृत्युदंड व आजीवन कारावास** की सजा वाले अपराधों पर, और
    - ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ **एक से अधिक अपराधों** में कार्यवाही लंबित है।
- **मेडिकल जांच:** इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों, जैसे- बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है।
- **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिनके लिए कम-से-कम **सात वर्ष** के कारावास के दंड का प्रावधान है।
  - यदि किसी राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह दूसरे राज्य की इस सुविधा का इस्तेमाल करेगा।

- **हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप (फिंगरप्रिंट):** यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं।
- **कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा:** यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय-सीमा निर्धारित करती है। जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय-सीमा का निर्धारण करती है।

निष्कर्ष

फॉरेंसिक साइंस को शामिल करने तथा पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से 'त्वरित न्याय' की अवधारणा साकार होगी।

1.1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)

उद्देश्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित** किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी/ सिविल और फौजदारी/ दाण्डिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि

- **उत्पत्ति:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य **साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित** करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है।
    - विगत वर्षों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं। इनमें सबसे हालिया संशोधन वर्ष 2000 में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्यता** प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष 2013 में भी **बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधान जोड़ने** के लिए संशोधन किया गया था।
- **प्राथमिक मुद्दा:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई **प्रौद्योगिकीय उन्नति के अनुरूप नहीं** है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान

- **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा।
    - इसके तहत **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया** गया है, ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा ई-मेल, सर्वर लॉग आदि में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके।
- **दस्तावेजी साक्ष्य:** इसमें कहा गया है कि **लेखों, मानचित्रों और व्यंगात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज** माना जाएगा।
- **मौखिक साक्ष्य:** मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
- **संयुक्त सुनवाई (Joint trials):** संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य, **एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से है।**
    - संयुक्त सुनवाई में, यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा, दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है, तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सुनवाई ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती है, जो भगौड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा।

निष्कर्ष

ये तीनों नए कानून वास्तव में दाण्डिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशीकरण से मुक्त करने और दाण्डिक कार्यवाहियों में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं। नए दाण्डिक कानूनों की नियमित निगरानी और समय-समय पर समीक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क भी दाण्डिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

1.2. भारत में अपराध रिपोर्ट, 2022 (Crime in India 2022 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)[4] ने 2022 के लिए **भारत में अपराध की घटनाओं पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट** जारी की है।

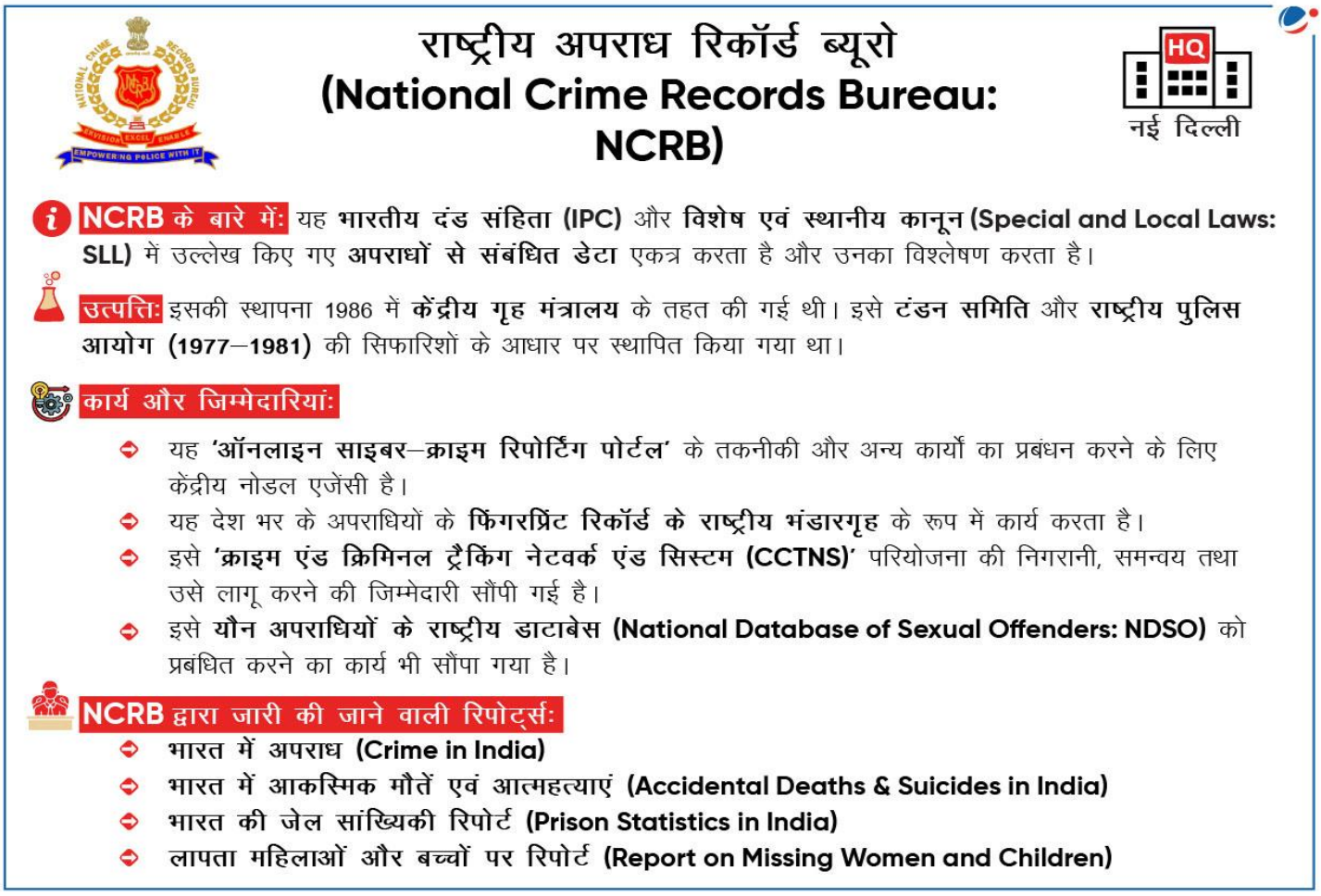

रिपोर्ट के बारे में

- इस रिपोर्ट में देश भर से रिपोर्ट किए गए **अपराध के आंकड़ों का संकलन** होता है। यह रिपोर्ट **दर्ज किए गए अपराधों की संख्या में हुए व्यापक बदलावों का एक विस्तृत संकलन** प्रस्तुत करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों** के अनुसार, **NCRB** अपराध की गणना के लिए **'प्रिंसिपल ऑफेन्स रूल'** का पालन करता है।
    - यदि एक ही FIR के तहत कई अपराध दर्ज किए जाते हैं, तो केवल सबसे जघन्य अपराध यानी अधिकतम सजा के तहत दंडनीय अपराध को ही गणना की इकाई माना जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

श्रेणी	2022 की रिपोर्ट के मुख्य परिणाम	2021 की रिपोर्ट के परिणामों से तुलना	अन्य मुख्य जानकारियां
कुल अपराध	2022 में **58.24 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध** दर्ज किए गए थे।	2021 की तुलना में **4.5%** की गिरावट दर्ज की गई है।	**अपराध की दर: प्रति लाख जनसंख्या** पर दर्ज अपराधों की संख्या **2021 के 445.9 से घटकर 2022 में 422.2** हो गई थी।

[4] National Crime Records Bureau

महिलाओं के खिलाफ अपराध	2022 में महिलाओं के खिलाफ **4.45 लाख** से अधिक अपराध दर्ज किए गए थे।	**4.0% की वृद्धि** दर्ज की गई है।	**प्रमुख श्रेणियां:** महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (**31.4 प्रतिशत**) से संबंधित हैं। इसके बाद महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने, उनका शील भंग करने के इरादे से उन पर हमला करने, बलात्कार करने जैसे अपराध आते हैं। **दर्ज FIR:** महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे अधिक FIR **उत्तर प्रदेश** में और उसके बाद **महाराष्ट्र** में दर्ज की गई थी।
बच्चों के खिलाफ अपराध	**2022 में 1.6 लाख से अधिक मामले** दर्ज किए गए थे।	**8.7% की वृद्धि** दर्ज की गई है।	**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)** के तहत **39.7%** मामले दर्ज किए गए थे।
वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध	2022 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के लगभग **28,000** मामले दर्ज किए गए थे।	**9.3% की वृद्धि** दर्ज की गई है।	**वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध की प्रमुख श्रेणियां:** साधारण चोट (27.3%), चोरी (3,944) और FCR (जालसाजी, छल और धोखाधड़ी)
SCs और STs के खिलाफ अपराध	अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ अपराध में **13%** और अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ अपराध में **14.3%** की वृद्धि हुई है।	**वृद्धि** दर्ज की गई है।	**SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के तहत अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के लगभग **8.2%** मामले दर्ज किए गए थे।
साइबर अपराध	2022 में साइबर अपराध के **65,000** से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।	**24.4% की वृद्धि** दर्ज की गई है।	**साइबर अपराध की श्रेणियां:** इसके तहत दर्ज अधिकांश मामले **साइबर धोखाधड़ी** (64.8%) से संबंधित थे। इसके बाद **जबरन वसूली** (5.5%) और **लैंगिक शोषण** (5.2%) जैसे अपराध आते हैं। **राज्यों में अपराध की दर:** सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले **तेलंगाना (15,297)** में दर्ज किए गए थे। इसके बाद **कर्नाटक और महाराष्ट्र** का स्थान था।
पर्यावरण से संबंधित अपराध	पर्यावरण संबंधी अपराधों के कुल **52,920** मामले दर्ज किए गए थे।	**17.9% की कमी** दर्ज की गई है।	पर्यावरण से संबंधित अपराध के अधिकांश मामले (80%) **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) तथा उसके बाद ध्वनि प्रदूषण** के तहत दर्ज किए गए थे। हालांकि पर्यावरण, वायु, जल और NGT अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी।
राज्य (सरकार) के खिलाफ अपराध	**राज्य (सरकार)** के खिलाफ अपराध के कुल **5,610 मामले** दर्ज किए गए थे।	**8.6% की वृद्धि** दर्ज की गई है।	**78.5%** मामले **लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम** के तहत दर्ज किए गए थे। इसके बाद **17.9% मामले गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम** के तहत दर्ज किए गए थे।

1.3. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023** को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है।

अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

इस अधिनियम ने **निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य का संचालन) अधिनियम, 1991** की जगह ली है।

- **उद्देश्य: यह अधिनियम निम्नलिखित को विनियमित करेगा:**
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)[5] और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs)[6] की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि; तथा
  - चुनाव आयोग के कार्य संचालन की प्रक्रिया।
- **चयन समिति:** CEC और अन्य ECs की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर **राष्ट्रपति** द्वारा की जाएगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
  - **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री,
  - **सदस्य:** प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोक सभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।
- **खोज समिति:** यह समिति CEC और अन्य ECs के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु **पांच व्यक्तियों** के नामों की एक सूची तैयार करेगी।
  - इस समिति की **अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री** द्वारा की जाएगी। इसमें **दो अन्य सदस्य होंगे,** जो केंद्र सरकार में **सचिव स्तर** के रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

> **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ वाद (2023)** में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन **भारत के प्रधान मंत्री, संसद में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश** से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जाएगा।

> इस निर्णय में कहा गया था कि "यह समिति चुनाव आयोग से संबंधित नियुक्तियों के मामले में **राष्ट्रपति को सिफारिशें** करेगी और **सलाह** देगी **जब तक कि संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बना देती।**"

- **CEC और अन्य ECs के लिए पात्रता मानदंड:** यह अधिनियम CEC और अन्य ECs के रूप में नियुक्ति के लिए **निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को निर्दिष्ट करता है-**
  - ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के **सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है,**
  - वह **व्यक्ति ईमानदार** होना चाहिए। साथ ही, **उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान व अनुभव होना चाहिए।**
- **वेतन, पदावधि एवं पुनर्नियुक्ति:**
  - **वेतन:** CEC और अन्य ECs को **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान** वेतन दिया जाएगा।
  - **पदावधि:** CEC और अन्य ECs पद ग्रहण करने की तिथि से **छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
  - **पुनर्नियुक्ति:** CEC और अन्य ECs **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होंगे।
- **पद से हटाना और त्याग-पत्र:** CEC को हटाने की प्रक्रिया **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने** की प्रक्रिया के **समान** ही होगी। इसके अलावा, **CEC की सिफारिश के बिना अन्य ECs को पद से नहीं हटाया** जा सकता।
  - CEC और कोई भी EC **राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा** दे सकते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) के बारे में

- **संविधान के अनुच्छेद 324** के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक **स्वायत्त संवैधानिक** प्राधिकरण है। यह भारत में **संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।**
  - यह देश में **राज्य सभा, लोक सभा, राज्य विधान-मंडल, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का आयोजन और उसका संचालन** करता है।
- **नियुक्तियों हेतु संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 324(2)** के तहत भारत के राष्ट्रपति को CEC और अन्य ECs को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है।
  - अनुच्छेद 324(2) के तहत, भारत के **राष्ट्रपति** को समय-समय पर **CEC के अलावा अन्य ECs की संख्या तय करने की शक्ति** भी प्रदान की गई है।

[5] Chief Election Commissioner

[6] Election Commissioners

अधिनियम से जुड़ी चिंताएं

- **चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:** वर्तमान में चयन समिति में अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार के होते हैं, जो ECI की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।
  - इस अधिनियम में **भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर करने का प्रावधान** किया गया है। इस प्रकार यह **अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को पलटने का प्रयास करता है।
- **चयन समिति में रिक्त पद:** यह अधिनियम चयन समिति की वैधता को बरकरार रखता है, भले ही समिति के गठन के समय कोई पद रिक्त हो या कोई सदस्य एक राजनीतिक दल को छोड़ कर दूसरे दल में शामिल हो गया हो।
  - लोक सभा भंग होने पर लोक सभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त हो सकता है। ऐसे मामले में, चयन समिति में अनन्य रूप से प्रधान मंत्री और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
- **खोज समिति की भूमिका को सीमित करना:** इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि चयन समिति, खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किए बिना CEC/ ECs के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।
  - यह प्रावधान खोज समिति की भूमिका को कम करता है, जो विशेष रूप से सक्षम और योग्य उम्मीदवारों की तलाश के लिए गठित की गई है।
- **पात्रता मानदंड को सीमित करना:** इस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए CEC और ECs के लिए पात्रता मानदंड को सीमित किया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम इन पदों के लिए अन्य योग्य व्यक्तियों को बाहर कर सकता है।
- **CEC और अन्य ECs को पद से हटाने में असमानता:** इस अधिनियम में **CEC और ECs** को पद से हटाने संबंधी असमानता को यथावत बनाए रखा गया है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रावधान:** 1991 के अधिनियम के समान ही इस अधिनियम में भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद या कार्यालय में CEC और ECs की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आगे की राह

- **चयन समिति की संतुलित संरचना:** चुनाव सुधार पर **गोस्वामी समिति (1990) और 255वें विधि आयोग** की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि-
  - CEC और अन्य ECs को चुनने के लिए चयन समिति में **प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश** शामिल होने चाहिए।
- **सेवानिवृत्ति के बाद: गोस्वामी समिति (1990)** ने यह भी सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद CEC और ECs को राज्यपाल के पद सहित सरकार के तहत किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।
- **प्रशासनिक स्वतंत्रता:** गोस्वामी समिति और निर्वाचन आयोग ने आयोग के कामकाज के लिए एक अलग सचिवालय के गठन की भी सिफारिश की है।
- **ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा: 255वें विधि आयोग** की रिपोर्ट के अनुसार, ECs को पद से हटाने की प्रक्रिया को CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 324(5)** में संशोधन किया जाना चाहिए।

चुनावी सुधार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।
वीकली फोकस #58: चुनाव सुधार: प्रभावी लोकतंत्र का एक दृष्टिकोण

1.4. प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 को मंजूरी** दे दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून ने औपनिवेशिक युग के **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867** की जगह ली है।

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 से पहले पारित प्रेस अधिनियमों का संक्षिप्त इतिहास

- **प्रेस सेंसरशिप अधिनियम, 1799:** यह अधिनियम **लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल के दौरान पारित** किया गया था। इसे भारत पर संभावित **फ्रांसीसी आक्रमण** से पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। हालांकि, **1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स** ने इसे वापस ले लिया था।
- **लाइसेंसिंग विनियमन (अध्यादेश), 1823:** यह अधिनियम **कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित** किया गया था। इस अध्यादेश में एक कठोर प्रावधान यह था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस शुरू नहीं कर सकता या उसका उपयोग जारी नहीं रख सकता है। इस अधिनियम के कारण **राममोहन राय को अपने समाचार-पत्र मिरात-उल-अखबार का प्रकाशन बंद** करना पड़ा था।
- **प्रेस अधिनियम, 1835:** यह अधिनियम **गवर्नर जनरल मेटकॉफ के कार्यकाल में लागू** किया गया था। इस अधिनियम में प्रेस के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया था। इस कारण मेटकॉफ को **"भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता"** की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी।
  - इसके परिणामस्वरूप, **1835 और 1857** के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों का तेजी से विकास हुआ था।
- **लाइसेंसिंग अधिनियम, 1857:** इस अधिनियम को **"1857 के विद्रोह"** के कारण लाया गया था। इसमें पहले से **मौजूद "पंजीकरण प्रक्रिया" को आगे बढ़ाया गया तथा "लाइसेंस व्यवस्था" की भी शुरुआत** की गई।

- **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867:** यह अधिनियम **वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के समय पारित** किया गया था। इस अधिनियम में **समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर्स, प्रकाशकों और प्रकाशन के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य** कर दिया गया था।
  - इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य **प्रेस, प्रिंटर्स और पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण** रखना था।

अन्य संशोधन: इस अधिनियम में **1870 और 1983** के बीच कई बार संशोधन किए गए थे। हालांकि, ये संशोधन विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए प्रक्रियात्मक रूप से बोझिल व जटिल रहे।

PRB अधिनियम, 1867 और PRP अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधानों में अंतर

मुख्य प्रावधान	PRB अधिनियम, 1867	PRP अधिनियम, 2023
पत्रिकाओं का पंजीकरण	इसमें **समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान हैं।**	इसमें पत्रिकाओं में **किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल्स शामिल नहीं** हैं। ये किताबें अधिनियम के दायरे से बाहर हैं।
विदेशी पत्रिकाएं	इसमें **विदेशी पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं** है।	**किसी भी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति (Facsimile)* भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही मुद्रित** की जा सकती है। • "प्रतिकृति" का अर्थ है मूल रचना की सटीक कॉपी।
प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा	इसमें यह प्रावधान था कि **मुद्रक/ प्रकाशक का वर्णन करने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट (DM) को दी** जानी चाहिए। DM यह जानकारी **प्रेस रजिस्ट्रार** को भेजेगा। जानकारी की प्राप्ति के बाद रजिस्ट्रार **पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।**	इस अधिनियम में किसी पत्रिका के प्रकाशक को **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त** करने का प्रावधान किया गया है।
प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण	इस अधिनियम में **जिला मजिस्ट्रेट (DM) को प्रिंटिंग प्रेस के संचालन के बारे में जानकारी देना आवश्यक था।**	इस अधिनियम में **प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने** का प्रावधान किया गया है।

दंड/ जुर्माना	इस अधिनियम में कानून के अलग-अलग **उल्लंघनों के लिए कठोर दंड और 6 महीने तक के कारावास की सजा** का उपबंध था।	यह अधिनियम, इस **कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं** करता है। हालांकि, **कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना** लगाने के प्रावधान किए गए हैं, जैसे- **पंजीकरण के बिना पत्रिकाओं को प्रकाशित करने पर जुर्माना लगाया** जा सकता है।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित/ रद्द करना	इसमें **केवल DM ही किसी पत्रिका के प्रकाशन को रद्द करने का आदेश** दे सकता था।	इस अधिनियम में **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/ रद्द करने का अधिकार** दिया गया है। साथ ही, जिस व्यक्ति को **किसी आतंकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधि** के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया हो, उसे **पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

PRP अधिनियम, 2023 के लाभ

- **डिजिटलीकरण:** यह अधिनियम **पत्रिकाओं के स्वामित्व के आवंटन और पंजीकरण प्रक्रिया, दोनों को सरल एवं एक साथ** किए जाने योग्य बनाता है।
- **प्रक्रिया को तीव्र बनाना:** यह अधिनियम **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में सक्षम** बनाता है। ऐसा करने से प्रकाशकों को प्रकाशन शुरू करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  - स्वामित्व के सत्यापन और पंजीकरण दोनों के लिए अब एक ही चरण में आवेदन किया जा सकेगा।
- **गैर-अपराधीकरण:** इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों में से ज्यादातर को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार इस कानून की **औपनिवेशिक विरासत को समाप्त** कर दिया गया है।
- **स्पष्टता प्रदान करता है:** इस अधिनियम में **विविध प्रक्रियाओं/ मामलों में पारदर्शिता/ स्पष्टता को शामिल** किया गया है। जैसे- विदेशी प्रकाशन के प्रतिकृति संस्करण, समाचार-पत्रों के वितरण का सत्यापन, स्वामित्व हस्तांतरण इत्यादि।

निष्कर्ष

PRP अधिनियम, 2023 वर्तमान स्वतंत्र प्रेस के युग और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है। यह अधिनियम विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के जरिए तीव्रता से तथा अधिक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने पर जोर देता है। साथ ही, यह डिजिटल गवर्नेंस का भी प्रावधान करता है।

1.5. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को **138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन** करने के लिए पेश किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- नया अधिनियम **दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को विनियमित** करने पर केंद्रित है। साथ ही, यह **दूरसंचार क्षेत्रक के लिए एक नया कानूनी ढांचा भी प्रदान** करता है।
- इस अधिनियम ने **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885; भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और तारयंत्र संबंधी तार (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950** का स्थान लिया है।
  - इस अधिनियम के माध्यम से **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन** किया गया है।

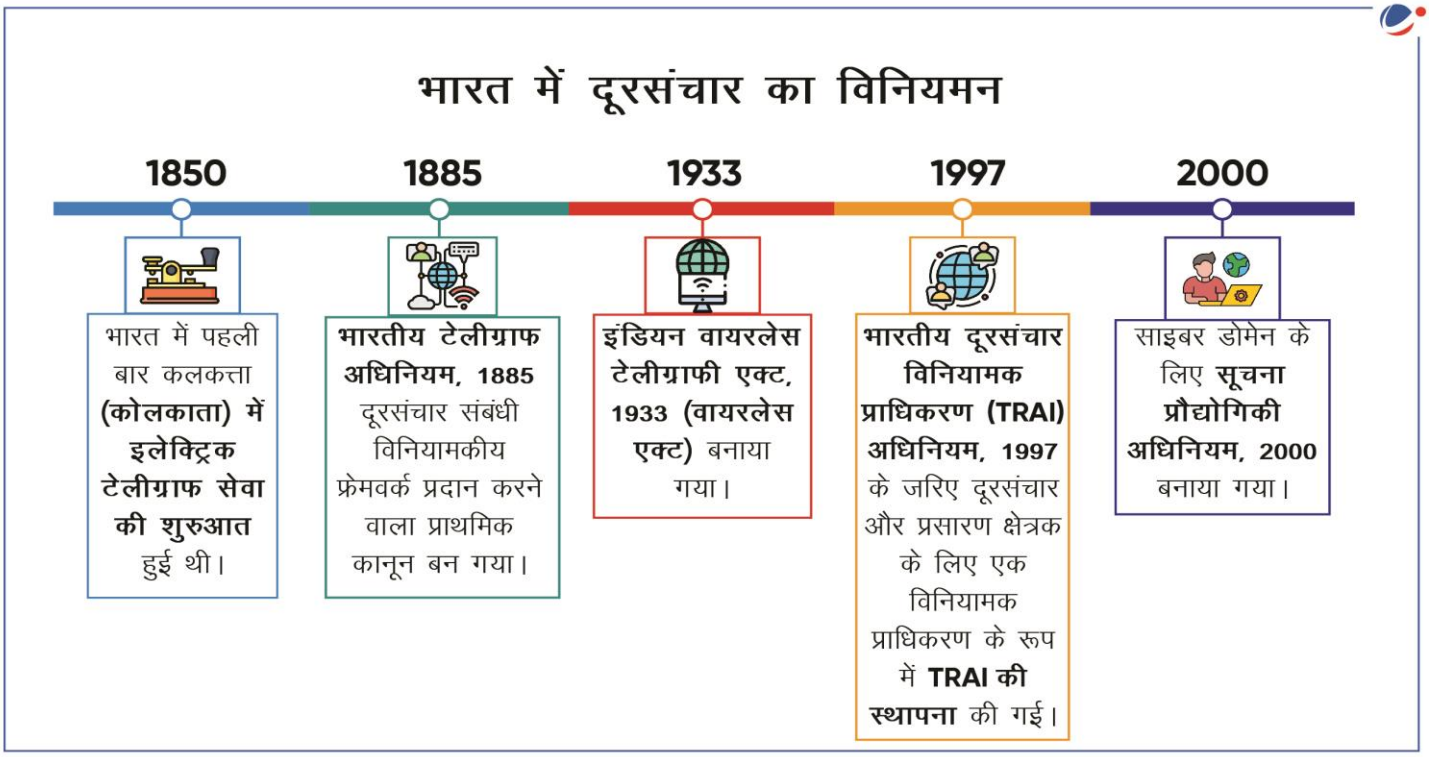

नए अधिनियम में किए गए मुख्य प्रावधान

मुख्य प्रावधान	**दूरसंचार अधिनियम, 2023**
स्पेक्ट्रम का आवंटन	• **स्पेक्ट्रम का आवंटन** नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, **कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित** किया जाएगा। • पहली बार, **सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन** किया जाएगा। यह आवंटन **वैश्विक मानदंडों के अनुरूप** होगा।
TRAI में नियुक्तियां	• यह अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ **पात्रता मानदंडों** को निर्धारित करने हेतु **TRAI अधिनियम में संशोधन** करता है: ○ **अध्यक्ष** के रूप में सेवा करने के लिए कम-से-कम **30 वर्ष का पेशेवर अनुभव** होना चाहिए, और ○ **सदस्यों** के रूप में सेवा करने के लिए कम-से-कम **25 वर्ष का पेशेवर अनुभव** होना चाहिए।
न्याय निर्णयन की प्रक्रिया (Adjudication process)	• सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक **न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति** की जाएगी। अधिकारी संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होगा। • न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर पदनामित **अपील समिति** के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकार के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में इस अपील समिति के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (TDSAT) के समक्ष की जा सकती है।

उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	• केंद्र सरकार **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय** कर सकती है। **उदाहरण के लिए-** विनिर्दिष्ट संदेश (Specified messages) प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति; 'डू नॉट डिस्टर्ब' रजिस्टर तैयार करना; उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना आदि।
राइट-ऑफ-वे	• ऐसी संस्थाएं, जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं, वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति में **राइट-ऑफ-वे** की मांग कर सकती हैं। ○ **राइट-ऑफ-वे** का आशय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है।
अवरोधन (Interception) और तलाशी का अधिकार	• कुछ निश्चित आधारों पर **संदेशों को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक** किया जा सकता है। इन आधारों में **राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों को उकसाए जाने से रोकना** आदि शामिल हैं।
दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति	• नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रख-रखाव या विस्तार करने एवं रेडियो उपकरण रखने के लिए **केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक** है।
OTTs का विनियमन	• इस अधिनियम के तहत **OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित नहीं** किया जाएगा।
अन्य प्रावधान	• **डिजिटल भारत निधि:** इस अधिनियम के तहत **"सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि"** का नाम बदलकर '**डिजिटल भारत निधि**' कर दिया गया है। साथ ही, दूरसंचार क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास के लिए इस निधि के उपयोग की अनुमति दी गई है। • **विश्वस्त स्रोत व्यवस्था:** यह व्यवस्था 2020 में सीमा पर भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्था के तहत शत्रु देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अधिनियम से जुड़ी कुछ चिंताएं:

- **निजता संबंधी मुद्दे:** संदेशों पर पाबंदी और निगरानी की अनुमति देने संबंधी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके कारण डेटा लीक जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
  - इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं के लिए **बायोमेट्रिक सत्यापन** की आवश्यकता आनुपातिक नहीं हो सकती है। परिणामस्वरूप **निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है।
- **परिभाषाओं में स्पष्टता का अभाव:** प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा काफी व्यापक है और इस कारण इनकी सहजता से व्याख्या की जा सकती है। इसकी वजह से इसके दायरे में व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं।
- **प्रत्यायोजित विधान (Delegated legislation):** सरकार केवल एक अधिसूचना के माध्यम से इस **अधिनियम की तीसरी अनुसूची में नए अपराधों को जोड़ सकती है, संशोधित कर सकती है या हटा** सकती है। हालांकि इस प्रावधान पर एक विचार यह भी है कि ऐसे बदलाव केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही होने चाहिए।

निष्कर्ष

यह अधिनियम दूरसंचार क्षेत्रक में मौजूद कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे- स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हुए मुद्दे आदि। दूरसंचार क्षेत्रक की स्थिति को और बेहतर बनाने एवं सेवा प्रदाताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु **बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाया** जाना चाहिए।

1.6. अनुच्छेद 370 का निरसन (Abrogation of Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से **अनुच्छेद 370** को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 2019 में, केंद्र सरकार ने **"अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष दर्जे"** की स्थिति को समाप्त कर दिया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने **'संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019'** जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे।
  - इसका यह अर्थ हुआ कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।
    - इसके साथ ही, **अनुच्छेद 35A भी स्वतः समाप्त** हो गया है।
  - इसके अलावा संसद ने **"जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019"** को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत **जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित दो केंद्र शासित प्रदेशों (UTs)** में विभाजित कर दिया गया- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।
- याचिकाकर्ताओं ने **संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज करते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध ठहराया है।

अनुच्छेद 370: एक ऐतिहासिक परिदृश्य

- **विलय-पत्र (Instrument of Accession: IoA):** अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने IoA पर हस्ताक्षर किए थे। इस विलय-पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे।
- **जम्मू-कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान:** भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। तब **अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा** गया था। **भाग 21 का शीर्षक है- "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध"।**
- **अनुच्छेद 370:**
  - **रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर,** अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी।
  - इसके अलावा, इसमें कहा गया था कि **अनुच्छेद 1,** जो भारत को **'राज्यों का संघ'** घोषित करता है और **अनुच्छेद 370** को छोड़कर, **संविधान का कोई भी भाग जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा।**
  - भारत का **राष्ट्रपति** संविधान के किसी भी प्रावधान को इस राज्य में **'संशोधनों' या 'अपवादों' के साथ ही लागू** कर सकता था। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया था कि ऐसा कोई भी कार्य केवल **'राज्य सरकार के परामर्श से'** ही किया जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 370 को तब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा इस पर सहमति न दे दे।**
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A:** यह **अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न** हुआ था। **अनुच्छेद 35-A** में जम्मू-कश्मीर राज्य के **स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान** किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसका औचित्य

- **कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी।
  - सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय **युवराज करण सिंह (महाराजा हरि सिंह के उत्तराधिकारी) की उद्घोषणा** को प्रमुख आधार माना। इस उद्घोषणा में कहा गया था कि **भारतीय संविधान के प्रावधान ही जम्मू-कश्मीर और भारतीय गणराज्य के बीच संबंधों को नियंत्रित** करेंगे।
  - **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा,** कोर्ट ने **जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3** का भी हवाला दिया। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3 में कहा गया था कि **जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग** है और रहेगा।
- **अनुच्छेद 370 की प्रकृति:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अनुच्छेद 370 संविधान में 'एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान'** था।
  - कोर्ट ने **अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल करने और उसे भाग-21 में जोड़ने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ का सहारा** लिया था। इस आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि यह एक अस्थायी प्रावधान था।
  - कोर्ट ने माना कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का भंग होना **अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित नहीं** कर सकता।
- **राष्ट्रपति की उद्घोषणा की संवैधानिकता:** सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखा है।
  - 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए **अनुच्छेद 367 में संशोधन** किया गया था। साथ ही, यह घोषणा की गई थी कि अनुच्छेद 370(3) में वर्णित **'राज्य की संविधान सभा...' को 'राज्य की विधान सभा' के रूप में पढ़ा जाएगा।**
    - मुख्य मुद्दा यह था कि क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य की शक्तियां संभालने वाले संघ द्वारा ये कार्रवाई की जा सकती थी।
  - कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि **अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति किसी से भी परामर्श करने हेतु बाध्य नहीं था।**

- **राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य में आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति द्वारा बाद में की गई कार्रवाइयों में उचित संबंध होना चाहिए।
    - सुप्रीम कोर्ट ने **एस. आर. बोम्मई** मामले पर दिए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि **'राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं'**।
- **विधान सभा के लिए चुनाव:** शीर्ष अदालत ने **भारत के निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव कराने** का निर्देश दिया है।
    - साथ ही, केंद्र सरकार को जल्द ही **जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को पुनर्बहाल करने का भी निर्देश** दिया है।
- **सत्य और सुलह आयोग:** सुप्रीम कोर्ट ने **जम्मू-कश्मीर में एक सत्य और सुलह आयोग (Truth and Reconciliation Commission:TRC) के गठन** की सिफारिश की है। जैसा कि **दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के बाद के युग** में किया था।
    - TRC 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में **सरकार और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच व उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत** करेगा। साथ ही, यह आयोग जम्मू-कश्मीर में सभी हितधारकों के **मध्य सुलह के मार्गों की भी सिफारिश** करेगा।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रभाव

- **अधिकारों का विस्तार:** भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों के लाभ अब जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- **कोई अलग प्रतीक/ कानून नहीं:** जम्मू-कश्मीर का अब अपना झंडा व संविधान और अपनी दंड संहिता (जिसे रणबीर दंड संहिता कहा जाता है) नहीं है।
- **अनन्य संपत्ति अधिकारों की समाप्ति:** अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से अब केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए नए भूमि कानूनों को अधिसूचित कर सकती है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के भूमि संबंधी विशेष अधिकार समाप्त हो गए हैं।
- **सामाजिक न्याय:** देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष छूट या विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं, वे अब जम्मू-कश्मीर में भी इन समुदायों के लिए उपलब्ध होंगे।
- **स्थानीय शासन:** जम्मू-कश्मीर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने से जम्मू-कश्मीर के स्थानीय शासन को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है।
- **स्थानीय महिला से विवाह करने वाले गैर-स्थानीय पुरुष को लाभ:** अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर की स्थानीय महिलाओं से विवाह करने वाले गैर-स्थानीय पुरुष जम्मू-कश्मीर में अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 370 के निरसन के आदेश को बरकरार रखने के साथ, जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जल्द ही वहां विधान सभा चुनाव कराना जरूरी हो गया है।

1.7. विधि-निर्माताओं का निष्कासन (Expulsion of Lawmakers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **लोक सभा ने अपने एक सदस्य को "अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण (Gratification) स्वीकार" करने के आरोप में सदन से निष्कासित** कर दिया है। इसी तरह, **संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव** ने भी आपराधिक भ्रष्टाचार के आरोप में अपने **एक सदस्य को निष्कासित** किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **लोक सभा से निष्कासन:**
    - लोक सभा ने भ्रष्टाचार और सदन के विशेषाधिकार हनन/ अवमानना के मामले की जांच के लिए **"आचार समिति (Ethics committee)" का गठन** किया था।

- लोक सभा की आचार समिति ने **अपनी रिपोर्ट में सांसद को "अनैतिक आचरण" और "सदन की अवमानना" का दोषी** पाया था।
- सदन में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद सदन में संसद सदस्य के निष्कासन के समर्थन में **लाए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित** कर दिया गया था।

- **अमेरिका में निष्कासन:** संयुक्त राज्य अमेरिका में **आचार समिति की एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी विधि-निर्माता को 'भ्रष्टाचार' और 'अभियान से संबंधित निधि को गलत तरीके से खर्च करने'** का दोषी पाया गया था। इसके बाद सदन ने एक प्रस्ताव पारित करके उसे सदन से निष्कासित कर दिया।

नोट: *लोक सभा की आचार समिति व विधि-निर्माताओं की नैतिकता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया Vision IAS मासिक समसामयिकी के अक्टूबर, 2023 संस्करण में आर्टिकल 9.1 'विधि-निर्माताओं की नैतिकता' देखें।*

भारत में विधि-निर्माताओं का निष्कासन

भारत में किसी सांसद का निष्कासन संवैधानिक और कानूनी (सदन के नियम) आधार पर हो सकता है। जहां **सदन के नियमों** में सांसदों के निलंबन का प्रावधान है, वहीं इन नियमों के जरिए **उन्हें निष्कासित** भी किया जा सकता है।

भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में निष्कासन की प्रक्रिया की तुलना

आधार	भारत में निष्कासन की प्रक्रिया	अमेरिका में निष्कासन की प्रक्रिया
ऐसा आचरण जिसके लिए निष्कासित किया जा सकता है	**विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर तथा सदन की अवमानना/प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की अवहेलना करने पर।**	**अमेरिकी कांग्रेस** यह निर्धारित कर सकती है कि कौन–से आचरण के लिए निष्कासित किया जा सकता है
आवश्यक बहुमत	प्रत्येक सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए **साधारण बहुमत की आवश्यकता** होती है।	प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में दो–तिहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ती है।
एथिक्स कमिटी	निष्कासन के लिए हमेशा एथिक्स कमिटी का **शामिल होना आवश्यक नहीं है।**	इसके लिए **एथिक्स कमिटी की सिफारिश आवश्यक** है।
अयोग्यताएं/निरर्हताएं	अभी तक **कुल 17 सांसदों को निष्कासित** किया गया है। यह बताता है कि निष्कासन अपेक्षाकृत एक **सरल प्रक्रिया** है।	अभी तक **हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के केवल 6 सदस्यों को ही निष्कासित** किया गया है। यह बताता है कि निष्कासन अपेक्षाकृत एक **जटिल प्रक्रिया** है।

- **निष्कासन का संवैधानिक आधार:** संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है।
  - **संसदीय विशेषाधिकार** का आशय, **सांसदों को प्राप्त कुछ कानूनी छूट या उन्मुक्तियों** से है। इन विशेषाधिकारों के तहत सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान दिए गए किसी भी बयान या किए गए कुछ कार्यों के लिए सिविल या आपराधिक दायित्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है।
    - संविधान का **अनुच्छेद 105** संसद के **दोनों सदनों, उनके सदस्यों तथा संसद समितियों** को प्राप्त शक्तियों एवं विशेषाधिकारों से संबंधित है।
    - **अनुच्छेद 194** राज्य विधान-मंडलों, उनके सदस्यों एवं समितियों से संबंधित शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।
  - **सदन की अवमानना को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है-**
    - संसद के किसी भी सदन के काम-काज में बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध पैदा करता है;
    - जो सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध पैदा करता है;
    - जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है।
  - सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं, यह तय करने की शक्ति केवल संसद के पास है। इस संबंध में न्यायालयों को किसी भी तरह की शक्ति नही दी गई है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 122** के प्रावधानों के अनुसार, **न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं** कर सकती है। हालांकि, न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है, उदाहरण के लिए-

- **राजा रामपाल वाद (2007)** में न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह कार्यवाहियां न्यायिक जांच के दायरे में आती हैं।

- **सांसदों के निलंबन एवं निष्कासन का कानूनी आधार:**
  - सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए **सदन का पीठासीन अधिकारी** (लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा सभापति) किसी भी सदस्य को **सदन से बाहर जाने का आदेश** दे सकता है।
  - **अत्यधिक कदाचार** के मामलों में सदन **"सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्तियों से सदन को मुक्त करने हेतु"** किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है।

लोक सभा और राज्य सभा में निलंबन से संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम

लोक सभा में नियम	राज्य सभा में नियम
नियम 373: यदि लोक सभा अध्यक्ष को यह लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है, तो वह उस सदस्य को तत्काल सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है। वह सदस्य उस दिन की शेष बैठक के समय तक सदन से अनुपस्थित रहेगा।	**नियम 255:** यह राज्य सभा के सभापति को अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने की अनुमति देता है।
नियम 374: अध्यक्ष जरूरी समझते हुए उस सदस्य का नाम ले सकता है, जो अध्यक्ष के प्राधिकार की उपेक्षा कर रहा है, या जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस तरह नाम लिए जाने पर अध्यक्ष उस सदस्य को सदन के शेष काल तक सदन से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वह सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा।	**नियम 256:** यह नियम सभापति को अपने प्राधिकार की उपेक्षा करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों का नाम लेने की अनुमति देता है। इसके बाद सदन सदस्य को **सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित** करने का प्रस्ताव अपना सकता है।
***नियम 374A (2001 में लाया गया):** यदि कोई सदस्य लोक सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है या जान बूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करता है, तो लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिए जाने पर वह लोक सभा की पांच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए (जो भी कम हो) स्वतः निलंबित हो जाता है।	**लोक सभा (नियम 374A के तहत) के विपरीत, राज्य सभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती।**

यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि निष्कासन और अयोग्यता एक समान नहीं हैं। भारतीय संविधान **निष्कासन और अयोग्यता** दोनों का प्रावधान करता है। अयोग्यता के तहत संसद का कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि निष्कासन के तहत वह चुनाव लड़ सकता है।

संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - **संविधान का अनुच्छेद 102 निम्नलिखित कुछ शर्तों के तहत सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है-**
    - यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन **कोई लाभ का पद** धारण करता है;
    - यदि वह **मानसिक रूप से विकृत है और अदालत द्वारा ऐसा घोषित** किया गया है;
    - यदि वह **अनुन्मोचित दिवालिया (undischarged insolvent)** है;
    - यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या **उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है** या किसी अन्य देश के प्रति निष्ठावान है; तथा
    - यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्यता के मानदंड-**
  - यदि किसी व्यक्ति को **किसी अपराध के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा** दी जाती है तो वह अयोग्य हो जाएगा।
  - यदि कोई सांसद **चुनावी अपराधों या चुनावों में भ्रष्ट आचरण का दोषी** पाया जाता है।
  - यदि कोई सांसद **निश्चित समय के भीतर अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में असफल** रहा है।
- **दसवीं अनुसूची (52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान का भाग बनाया गया)**
  - संविधान में यह भी उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति **दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है**, तो उसे संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

1.8. राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps: NCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) **विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन** है। 2023 में इस संगठन की **75वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

NCC के बारे में

- NCC का गठन **1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (संसद का अधिनियम क्रमांक XXXI)** के तहत किया गया था।
  - इससे पहले **पंडित एच.एन. कुंजरू** की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में एक **कैडेट संगठन** स्थापित करने की सिफारिश की थी।
- **NCC के उद्देश्य:**
  - जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित, प्रशिक्षित व उत्साहित युवाओं का संगठन तैयार करना;
  - युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना;
  - देश के युवाओं में चरित्र, सैन्य नेतृत्व, अनुशासन, नेतृत्व, पंथनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और नि:स्वार्थ सेवा जैसे आदर्शों का विकास करना आदि।
- यह एक **त्रि-सेवा संगठन** है जिसमें **थल सेना, नौसेना और एयर विंग** शामिल होती है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **NCC निदेशालय:** राज्य स्तर पर **NCC को 17 निदेशालयों** में विभाजित किया गया है। ये निदेशालय एक राज्य या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को कवर करते हैं।
- **NCC के कार्यक्रम की प्रकृति:** स्वैच्छिक।
  - छात्रों पर सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं होता है।
- NCC की अवधि के आधार पर छात्रों को **तीन प्रकार के प्रमाण-पत्र** प्रदान किए जाते हैं।

NCC का योगदान

- **युद्ध के दौरान सहायता:** भारत-चीन युद्ध (1962), भारत-पाक युद्ध (1965 और 1971) और कारगिल युद्ध (1999) के दौरान NCC कैडेट्स ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी।
  - उन्होंने राज्यों में शरणार्थी शिविरों, सैनिकों के परिवारों, अस्पतालों, डाक व टेलीग्राफ विभाग, यातायात नियंत्रण पुलिस, संचार प्रणालियों जैसे विविध संगठनों की सहायता की थी।
- **सामाजिक सेवा:** NCC ने रक्तदान अभियान, पोलियो अभियान, वृक्षारोपण अभियान जैसी सामाजिक सेवा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
  - NCC कैडेट्स ने हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले अखिल भारतीय स्वच्छता और जागरूकता अभियान **'स्वच्छता ही सेवा'** का नेतृत्व किया था। इस अभियान में कचरा मुक्त भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग-अलग प्रभावशाली कार्यक्रम शामिल थे।
- **बचाव और राहत कार्य:** भूकंप, चक्रवात, बाढ़, ट्रेन दुर्घटना जैसी आपदाओं के दौरान NCC कैडेट्स सबसे पहले प्रभावित स्थान पर पहुंचते हैं और पीड़ितों को नि:स्वार्थ सहायता प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, भोपाल गैस त्रासदी (1984) के दौरान NCC कैडेट्स तुरंत हताहतों को बाहर निकालने, दवा देने आदि कार्यों में लग गए थे।
- **अन्य योगदान:**
  - युवाओं में नेतृत्व और अधिकारी जैसे गुणों का विकास करना।
  - देशवासियों के बीच आपसी समझ, विश्वास, मित्रता और शांति को बढ़ावा देना।

NCC बनाम राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

- यद्यपि ये दोनों ही प्रकृति में **स्वैच्छिक** हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर मौजूद हैं।

NCC और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) में अंतर		
मानदंड	**NCC**	**NSS**
मंत्रालय	रक्षा मंत्रालय	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
स्थापना का वर्ष	1948	1969
लक्ष्य	राष्ट्र की सेवा और सैन्य करियर के लिए अनुशासित व नि:स्वार्थ युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना।	सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना।
गठन	इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (संसद का अधिनियम क्रमांक XXXI) के तहत गठित किया गया था।	यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
वर्दी	NCC कैडेट्स के लिए वर्दी अनिवार्य होती है।	NSS स्वयंसेवकों के लिए कोई वर्दी निर्धारित नहीं है।
कौन शामिल हो सकता है?	• **जूनियर डिवीजन/ विंग:** स्कूलों के छात्र (13 वर्ष या उससे अधिक आयु के)। • **सीनियर डिवीजन/ विंग:** कॉलेजों और 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्र।	• 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र। • तकनीकी संस्थान के छात्र, देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के छात्र।

निष्कर्ष

सशक्त युवा किसी राष्ट्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। NCC चरित्र और नि:स्वार्थ सेवा को बढ़ावा देकर, सशक्त युवा को आकार देने और भारत को एक **नए भारत** की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.9.1. लोकायुक्त (Lokayukta)

- महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 पारित कर दिया है।
- इस विधेयक का उद्देश्य **महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 को निरस्त** करना है।
    - उल्लेखनीय है कि भारत में लोकायुक्त का पद सृजित करने वाला **पहला राज्य महाराष्ट्र (1971)** था। इसके बाद **ओडिशा** ने ऐसा किया था।
- लोकायुक्त राज्यों में भ्रष्टाचार से निपटने के लीये गठित एक प्राधिकरण है। यह राज्य स्तर पर कुछ श्रेणियों के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखता है। अर्थात् इसका कार्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ **भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच** करना है।
    - इसकी स्थापना **स्वीडिश संसदीय ओम्बड्समैन** की तर्ज पर की गई है।
- 1966 में, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी।
- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** संघ स्तर पर **लोकपाल** तथा राज्य स्तर पर **लोकायुक्त** के पद का प्रावधान करता है।

नोट: *लोकपाल और लोकायुक्तों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया VisionIAS मासिक समसामयिकी के मार्च, 2023 संस्करण में आर्टिकल 1.5 'लोकपाल का पद' देखें।*

- **लोकायुक्त संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियां/ समस्याएं:**
  - **एकरूपता का अभाव :** लोकायुक्त की संरचना और उनकी क्षमताएं सभी राज्यों में एक समान नहीं हैं।
    - उदाहरण के लिए- राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त दोनों का प्रावधान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश ने केवल लोकायुक्त का प्रावधान किया है।
  - **कुछ लोकायुक्त 2013 के अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं:** कुछ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने लोकायुक्त अधिनियमों को **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के अनुरूप लाने के लिए उनमें संशोधन नहीं किया है।
  - **सीमित अधिकार:** लोकायुक्त किसी अपराधी के खिलाफ केवल सजा का सुझाव दे सकता है, लेकिन सुझावों को स्वीकार करना या उन्हें संशोधित करना राज्य पर निर्भर होता है।

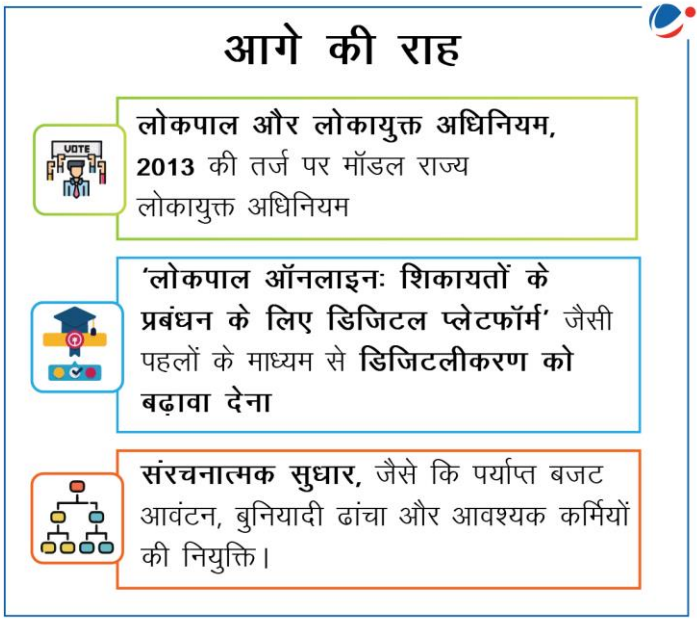

1.9.2. अमेरिका और भारत में महाभियोग (Impeachment in US and India)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्तमान राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है।
- **अमेरिका और भारत में महाभियोग प्रक्रियाओं के बीच तुलना**

विषय	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
किन पर महाभियोग चलाया जा सकता है:	**राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी सिविल अधिकारियों** पर महाभियोग चलाया जा सकता है।	केवल **राष्ट्रपति** पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान के **अनुच्छेद 61** के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
महाभियोग का आधार	राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार।	**संविधान के अतिक्रमण पर**
प्रक्रिया	• **आरोप का प्रस्ताव:** हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य इस हेतु संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। • **मतदान:** संकल्प पारित होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। • **महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी:** संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश।	• **आरोप का संकल्प:** संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग के लिए आरोप लगाने वाला संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कम-से-कम **14 दिन की लिखित सूचना और उस पर सदन के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर** आवश्यक हैं। • **मतदान:** संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम **दो-तिहाई बहुमत** से पारित होना आवश्यक है। ○ जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन में संकल्प पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां संकल्प पर मतदान से पहले आरोपों की जांच की जाती है। वहां राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। इस सदन में भी संकल्प को कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित करना आवश्यक है। • **महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी:** संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी।
परिणाम	• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग संकल्प का पारित होना **अभियोग (Indictment) को**	• दोनों सदनों से महाभियोग संकल्प पारित होने के बाद **राष्ट्रपति को पद से हटाया** जाता है।

	स्वीकार करने जैसा है। इससे राष्ट्रपति पद से नहीं हटता। निचले सदन में महाभियोग की मंजूरी के बाद, **उच्च सदन 'सीनेट' की एक अदालत की तरह बैठक** बुलाई जाती है। • राष्ट्रपति को केवल तभी उसके पद से हटाया जा सकता है, जब सुनवाई के बाद **सीनेट के दो-तिहाई सदस्य महाभियोग के पक्ष में मतदान** करें। • हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने **एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग को मंजूरी** दी थी। हालांकि, इनमें से किसी को भी राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाया गया।	• भारत में अभी तक **किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से पद से नहीं हटाया** गया है।

1.9.3. जम्मू-कश्मीर (J&K) से संबंधित दो विधेयकों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली {Two Bills on Jammu and Kashmir (J&K) Receive President's Assent}

- **जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023**
  - इसके तहत **जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004** में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)** के सदस्यों को नौकरियों एवं व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।
  - यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा अधिसूचित **कमजोर और वंचित वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग** का प्रावधान करता है।
    - इस अधिनियम से **कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा को भी हटा** दिया गया है।
- **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023**
  - यह **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** में संशोधन करेगा।
  - **विधेयक के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र:**
    - इसके तहत **जम्मू-कश्मीर विधान सभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114** कर दी गई है।
    - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्ज़ा में लिए जाने तक विधान सभा की 24 सीटें खाली रहेंगी।
    - इसलिए, वर्तमान विधान सभा में कुल 83 सीट हैं, जिसे संशोधन के जरिए बढ़ाकर 90 किया गया है।
    - इसमें **अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित** की गई हैं।
    - **विधान सभा में उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों का नाम-निर्देशन:**
      - **कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट** किया जाएगा। इनमें से 1 सदस्य **महिला** होगी।
      - **जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से के विस्थापित समुदायों में से 1 सदस्य को नाम-निर्दिष्ट** किया जाएगा।

1.9.4. डाकघर विधेयक, 2023 (Post Office Act, 2023)

- राष्ट्रपति ने डाकघरों को और बेहतर बनाने के लिए **डाकघर विधेयक, 2023** को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है।
- डाकघर विधेयक, 2023 कानून बनने के बाद **भारतीय डाकघर अधिनियम (Indian Post Office Act: IPOA), 1898 का स्थान** लेगा।
  - IPOA, 1898 कानून को **वायसराय लॉर्ड एल्गिन-द्वितीय** के कार्यकाल **(1894-1899)** में बनाया गया था।
- देश को अब डाकघर पर नए अधिनियम की आवश्यकता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि IPOA, 1898 मुख्य रूप से **डाकघर के**

माध्यम से प्रदान की जाने वाली मेल (डाक) सेवाओं को शासित करता है।

- इसके अलावा, **डाकघरों के लिए बेहतर प्रशासन सुनिश्चित** करना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि डाकघर अब डाक सेवाओं के अलावा कई अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इनमें **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बीमा योजनाएं** जैसी सेवाएं शामिल हैं।
  - समय के साथ, डाकघर नागरिक केंद्रित अलग-अलग सेवाओं के वितरण के लिए एक माध्यम के रूप में भी उभरे हैं।

- **विधेयक के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र:**
  - **डाक पार्सल को जब्त करने का प्राधिकार:** यह विधेयक डाक अधिकारियों को कुछ आधारों पर **डाक के माध्यम से भेजी जा रही किसी सामग्री को रोकने, खोलने या जब्त करने का अधिकार** देता है।
    - इन आधारों में **देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल, लोक सुरक्षा** इत्यादि शामिल हैं।
  - **दायित्व से छूट:** नियमों द्वारा तय किसी भी दायित्व को छोड़कर, डाकघरों पर किन्हीं अन्य सेवाओं के संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं होगा।
  - **अन्य:** डाक सेवाओं के **महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त** किया जाएगा।

1.9.5. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) योजना {Fast Track Special Courts (FTSCs) Scheme}

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FTSCs योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- FTSCs योजना एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। इस योजना को **2019** में लॉन्च किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत **न्याय विभाग** करता है।
  - इस योजना में **केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त-पोषण निर्भया फंड** से किया जाता है। ज्ञातव्य है कि निर्भया फंड का उद्देश्य **देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना** है।
- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) **विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें** हैं। ये बलात्कार के साथ-साथ 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।
  - **दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018** FTSCs के गठन का आधार बना है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में **बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडों का प्रावधान** किया गया है।
  - FTSCs **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** से जुड़े हुए हैं।
  - 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **414 विशिष्ट POCSO अदालतों सहित कुल 761 FTSCs** गठित किए गए हैं। इन अदालतों ने **1.95 लाख से अधिक मामलों का निपटान** किया है।
- **FTSCs से जुड़ी चिंताएं:**
  - कर्मचारियों और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना की कमी है;
  - न्यायाधीशों के लिए **विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है;**
  - न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है, आदि।

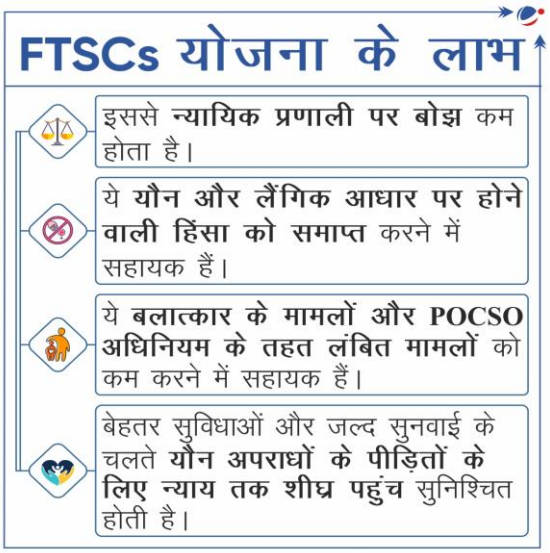

1.9.6. ग्राम मानचित्र (Gram Manchitra)

- **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** ग्राम पंचायतों द्वारा **स्थानिक योजना निर्माण** को सुविधाजनक बनाने के लिए **ग्राम मानचित्र** को बढ़ावा दे रहा है।

- **ग्राम मानचित्र के बारे में:**
  - यह एक **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** एप्लीकेशन है। इसे **MoPR** ने 2019 में लॉन्च किया था।
    - इसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** ने विकसित किया है।
  - यह **भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी** (Geospatial technology) का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना बनाने में मदद करता है।
  - यह अलग-अलग **विकासात्मक कार्यों** के बेहतर ढंग से पर्यवेक्षण के लिए **एकल भू-स्थानिक मंच प्रदान** करता है। साथ ही, **ग्राम पंचायत विकास योजना** के लिए निर्णय समर्थन तंत्र भी उपलब्ध करवाता है।

1.9.7. शुद्धिपत्र (Errata)

अक्टूबर, 2023 की मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 1.2 'राजनीति का अपराधीकरण' में ***"दोषियों के चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध:*** *भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2004 और 2016 में प्रकाशित प्रस्तावित चुनाव सुधारों में इसका उल्लेख किया था"....* तथ्य दिया गया था।

- यहां यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा गंभीर अपराधों के दोषियों के लिए ही इस तरह का प्रतिबंध प्रस्तावित किया गया था।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंध (India-GCC Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)[7] के सदस्य देशों में कैद भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने की सिफारिश** की है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में 8,000 से अधिक भारतीय विदेशी जेलों में कैद हैं। इनमें से विचाराधीन कैदियों सहित 4600 से अधिक खाड़ी देशों की जेलों में बंद हैं।
- हाल ही में, **कतर** की एक अदालत ने **भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मचारियों को मृत्युदंड की सजा** सुनाई है। इन पर **इजरायल** के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।

विदेश में भारत के कानूनी सहायता मिशन के बारे में

- भारतीय कानूनी सहायता मिशन के तहत कानूनी खर्च वहन करने में असमर्थ संकटग्रस्त भारतीयों को **प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान** की जाती है। **इस तरह की प्रारंभिक कानूनी सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - मुकदमा दायर करने या लड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;
  - भाषा से जुड़ी समस्या के लिए अनुवाद संबधी सुविधाएं प्रदान करना;
  - भारतीय मिशन उन सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों का सुझाव दे सकता है, जो मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में सहायता/ परामर्श प्रदान करते हैं।
- मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में केवल कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, **भारतीय मिशन स्वयं कानूनी वाद लड़ने के लिए न्यायालय नहीं** जाता है।
- वकीलों की फीस का भुगतान **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)[8]** से किया जाता है।
  - **ICWF का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाता है-**
    - कानूनी सहायता,
    - भोजन और आवास सहायता,
    - आपातकालीन चिकित्सा देखभाल,
    - फंसे हुए भारतीयों को हवाई वाहनों के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकालना,
    - भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर के परिवहन,
    - प्रवासी भारतीयों / विदेशी नागरिकों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी / वित्तीय सहायता आदि।
  - भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक ICWF से व्यक्तिगत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के **पात्र नहीं** हैं।

भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंध

- **भू-सामरिक:** GCC के सदस्य देशों की **महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों से निकटता** तथा आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में उनकी भूमिका के कारण ये देश भारत के सामरिक हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

GCC के बारे में

- GCC वस्तुतः **खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन** है। ये 6 देश हैं- **सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन।**
- **ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं** हैं।
- GCC की स्थापना **1981 में रियाद, सऊदी अरब** में की गई थी।
- इस संगठन की अधिकारिक भाषा **अरबी** है।

[7] Gulf Cooperation Council

[8] Indian Community Welfare Fund

- **प्रवासी नागरिक:** प्रवासी भारतीयों की सर्वाधिक आबादी खाड़ी देशों में रहती है। यह भारत के कुल अनिवासियों की संख्या का लगभग आधा है।
  - भारत को प्राप्त होने वाले **समग्र विप्रेषण (Remittance) प्रवाह** में दूसरा बड़ा हिस्सा GCC देशों का है।
- **आर्थिक:** GCC वर्तमान में **भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संगठन** है। भारत के **कुल व्यापार का लगभग 16.67 प्रतिशत (छठा भाग) GCC देशों** के साथ होता है। **संयुक्त अरब अमीरात** भारत का **तीसरा** सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, जबकि **सऊदी अरब चौथे** स्थान पर है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपने **तेल आयात** का लगभग **35%** और **गैस** आयात का **70%** हिस्सा GCC देशों से खरीदता है।
- **रक्षा:** भारत ने GCC देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए हैं, उदाहरण के लिए- **कतर के साथ रक्षा समझौता** किया है। इसके अलावा **संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान के साथ खुफिया जानकारी साझा** करने से संबंधित समझौता किया हुआ है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन:** आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को GCC देशों ने स्वीकार किया है। **संयुक्त अरब अमीरात, ओमान** और **बहरीन** ने सुधारों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है।
- **अंतरिक्ष:** भारत द्वारा **सऊदी अरब, ओमान और अन्य GCC देशों** के साथ अंतरिक्ष क्षेत्रक में भी सहयोग किया जा रहा है। इसरो ने PSLV द्वारा **संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनो सैटेलाइट, नायिफ-1 (Nayif-I)** लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट **पर्यावरणीय अंतरिक्ष संबंधी डेटा** एकत्र करेगा।

चुनौतियां

- **क्षेत्रीय संकट:** इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष जैसे मुद्दे विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए- **ईरान-सऊदी अरब प्रतिद्वंद्विता (हाल ही में इसमें सुधार हुआ है), यमन गृह युद्ध, सीरियाई गृहयुद्ध** आदि। इन मुद्दों के कारण उत्पन्न अस्थिरता का भारत के हितों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, अस्थिरता इस क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के समक्ष खतरा भी पैदा कर सकती है।
- **भू-राजनीतिक बाधाएं:** पश्चिम एशियाई देशों के साथ पाकिस्तान के मजबूत रणनीतिक संबंध है। ऐसा मुख्यतः उसकी इस्लामी पहचान और सैन्य संबंधों से प्रेरित है। इससे पाकिस्तान को इस क्षेत्र में भारत की तुलना में एक अनुकूल राजनीतिक अवसर प्राप्त होता है।
- **चीनी प्रभाव:** चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, खाड़ी देशों में उसके द्वारा तेल और गैस क्षेत्रक में पर्याप्त निवेश तथा सफल बाजार प्रवेश ने शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में कर दिया है। यही कारण है कि खाड़ी देश भारत की बजाय चीन की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं।
- **भू-आर्थिक मुद्दे:** तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ "युद्ध की स्थिति" के परिणामस्वरूप खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गिरावट, वेतन में कटौती, छंटनी आदि की समस्या उभर कर सामने आई है। इसके अलावा, नियोजन में प्रवासी समुदाय की बजाय स्वयं के नागरिकों को ज्यादा वरीयता देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

भारत-GCC संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम

- **उच्च-स्तरीय यात्राएं:** राजनयिक संबंधों को बढ़ाने और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु भारत व GCC देशों के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं की परस्पर नियमित उच्च-स्तरीय यात्राएं आयोजित की जानी चाहिए।
- **व्यापार:**
  - हाल ही में, GCC ने भारत के साथ **मुक्त व्यापार समझौता (FTA)**[9] वार्ता फिर से आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इससे पहले **2006 और 2008** में दोनों पक्षों ने एक व्यापार समझौते पर वार्ता आरंभ की थी, हालांकि बाद में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई।
  - प्रस्तावित **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)**[10] **परियोजना** का भारत और GCC देशों के बीच व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- **संस्कृति:** भारत ने अलग-अलग खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **प्रवासी भारतीयों के लिए किए गए प्रयास:** खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित प्रवास के लिए **ई-माइग्रेट** तथा कॉन्सुलर संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए **MADAD/ मदद पोर्टल** आदि की शुरुआत की गई है।

आगे की राह

- **आर्थिक संबंधों में विविधता लाना:** भारत और खाड़ी देशों को अपने संबंधों का तेल व गैस व्यापार के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए। इन्हें अपने संबंधों को प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों तक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना:** दोनों पक्षों को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े साझा मुद्दों यथा- समुद्री सुरक्षा (जैसे- पायरेसी) और आपदा प्रतिक्रिया पर एक साथ काम करके समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क:** भारत और GCC देशों को अपने आपसी संबंधों को प्रगाढ़/ घनिष्ठ करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए तथा लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना चाहिए। इससे भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

---

[9] Free Trade Agreement

[10] India-Middle East-Europe Economic Corridor

2.2. अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन (International Maritime Organisation: IMO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ दो वर्ष के कार्यकाल (2024–25) के लिए फिर से चुना** गया है।

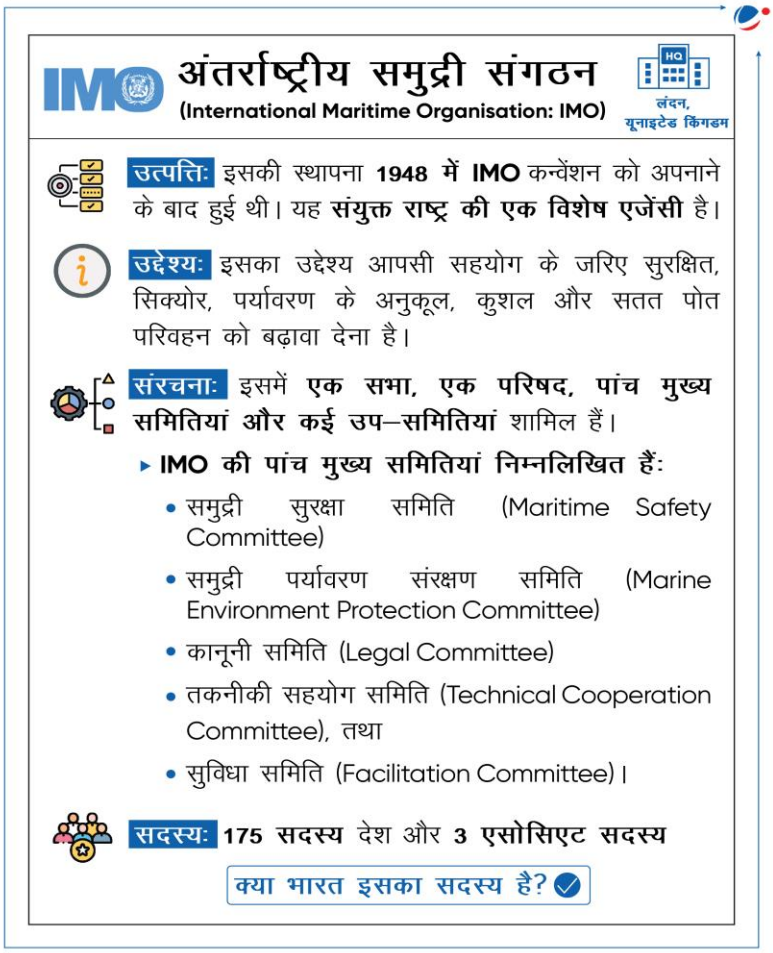

IMO परिषद के बारे में

- यह परिषद IMO का **कार्यकारी निकाय** है। यह IMO के **कार्यों की निगरानी** करती है।
- परिषद में **सदस्य देशों की संख्या 40** है। इसके सदस्यों को **असेंबली द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल** के लिए चुना जाता है।
- **इसके सदस्यों देशों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है:**
  - **श्रेणी (A):** इस श्रेणी में **अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन सेवाएं प्रदान करने** में रुचि रखने वाले देश शामिल हैं।
  - **श्रेणी (B):** इस श्रेणी में **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार** में रुचि रखने वाले देश शामिल हैं।
    - **भारत इस श्रेणी के लिए फिर से चुना** गया है।
  - **श्रेणी (C):** इस श्रेणी में **समुद्री परिवहन या नेविगेशन** में रुचि रखने वाले देश शामिल हैं। ये ऐसे देश होते हैं, जिनके चयन से दुनिया के **सभी महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** होता है।

IMO का महत्त्व

- **पर्यावरण संरक्षण:**
  - **पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण पर रोकथाम:** IMO ने **मार्पोल (MARPOL) कन्वेंशन** के माध्यम से पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और उसे कम करने का प्रयास किया है।
    - इसके अलावा, यह कन्वेंशन पोतों से होने वाले **तेल और रासायनिक प्रदूषण, सीवेज डिस्चार्ज तथा पोत से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट** का निपटान करने से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करता है।
  - **समुद्री जैव विविधता का संरक्षण:** यह संगठन संभावित आक्रामक जलीय जीवों के प्रसार पर रोक लगाकर **समुद्री जैव विविधता का संरक्षण** करता है।
  - **ध्वनि प्रदूषण का समाधान:** यह संगठन **वाणिज्यिक पोत परिवहन से जल के भीतर उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु IMO के दिशा-निर्देशों** का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
  - **जलवायु परिवर्तन का शमन:** IMO **परिवहन क्षेत्रक का ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय विनियामक** है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन के लिए **ऊर्जा-दक्षता उपायों को अपनाया है।**
  - **समुद्र में डंप किए जा रहे अपशिष्ट का निपटान:** IMO ने अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की समुद्र में की जा रही डंपिंग पर **लंदन डंपिंग कन्वेंशन और प्रोटोकॉल** को अपनाया है।

बायोफॉलिंग के बारे में

- बायोफॉलिंग पद जहाजों के **हल (hull) पर जलीय जीवों की प्रजातियों के जमाव** को व्यक्त करता है। इस जमाव के कारण जलीय जीवों की कई आक्रामक प्रजातियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती हैं।
- **बायोफॉलिंग पर IMO की पहलें:**
  - IMO ने **बायोफॉलिंग को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
  - **ग्लोफॉलिंग (GloFouling) पार्टनरशिप प्रोजेक्ट:** GEF (वैश्विक पर्यावरण सुविधा)-UNDP-IMO ने बायोफॉलिंग के समाधान के लिए सहयोग किया है।

    - इस कन्वेंशन के तहत समुद्र की सतह के नीचे भूगर्भीय संरचनाओं में **कार्बन कैप्चर और प्रच्छादन (Sequestration) की प्रक्रिया भी नियंत्रित** की गई है।
- **प्रच्छादन (Sequestration):** कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से अलग करने और संग्रहीत करने का कार्य जिससे वह सुरक्षित रूप से संचित रहे।
- **समुद्री संरक्षा और सुरक्षा:**
    - **व्यापारिक पोतों की संरक्षा और सुरक्षा:** IMO ने **'जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अर्थात् SOLAS कन्वेंशन, 1974'** को अपनाया है।
        - यह कन्वेंशन समुद्र में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **पोत निर्माण, पोत से संबंधित उपकरणों और पोतों की आवाजाही के लिए मानक** निर्धारित करता है।
    - **समुद्री पाइरेसी और सशस्त्र डकैती को रोकना:** IMO समुद्री पाइरेसी व सशस्त्र डकैती से निपटने के लिए सदस्य देशों को उनके राष्ट्रीय या क्षेत्रीय उपाय करने में सहायता प्रदान करता है।
        - उदाहरण के लिए- **पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पाइरेसी और सशस्त्र डकैती पर रोक लगाने के लिए 'जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट'** को अपनाया हुआ है।
    - **सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (SUA) ट्रीटीज:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य पोतों के खिलाफ की गई गैर-कानूनी गतिविधियों पर की गई कार्रवाई को सक्षम बनाना है।
    - **मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी:** IMO अपनी **समुद्री सुरक्षा समिति (MSC)**[11] और **सुविधा समिति (FAL)**[12] के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पोतों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाता है।

IMO के समक्ष चुनौतियां

- **संगठन में सदस्य देशों का असमान प्रभाव:** IMO का मौजूदा वित्त-पोषण तंत्र कई कमजोरियों से ग्रस्त है। इसे न्यायसंगत बनाने के लिए अधिक उत्सर्जन करने वाले राष्ट्रों से अधिक धन तथा कम उत्सर्जन करने वाले राष्ट्रों से कम धन लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
    - असमान वित्त-पोषण के कारण कुछ सदस्य देशों का असमान प्रभाव पड़ता है।
- **उद्योग का अनुपातहीन प्रभाव:** इसके परिणामस्वरूप IMO ऐसे रुख अपनाता है, जो जलवायु परिवर्तन शमन जैसी अन्य समस्याओं पर उद्योग की चिंताओं का समान रूप से समर्थन नहीं करता है।
    - ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, IMO के अंदर समिति स्तर पर सभी परामर्शकारी सदस्यों में से 57 प्रतिशत उद्योग समूहों से संबंधित हैं।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने की क्षमता का अभाव:** IMO के पास पर्याप्त कार्यबल का अभाव है। इसके कारण इसकी प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने की क्षमता कम है।
- **वार्ताओं के दौरान राजनीतिक सहमति का अभाव-**
    - उदाहरण के लिए- अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत जैसे देश **CBDR-RC**[13] सिद्धांत का हवाला देते हैं ताकि GHG का विनियमन भेदभावपूर्ण तरीके से न हो।
- **संगठन का अत्यधिक सीमित विनियामकीय दायरा:** IMO के नीतिगत मिश्रण में आर्थिक साधनों और वैकल्पिक प्रणोदन (Propulsion) प्रौद्योगिकियों जैसे नवीन साधनों का अभाव है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्णित ये सभी चुनौतियां भारत के समक्ष परिषद का सदस्य होने के नाते एक सक्रिय भूमिका निभाने का आधार प्रस्तुत करती हैं। भारत अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) में संगठनात्मक और गवर्नेंस संबंधी सुधार करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, भारत पोतों की सुरक्षित एवं संधारणीय आवाजाही सुनिश्चित करने सहित महासागरों और समुद्रों के संरक्षण एवं उनके संधारणीय उपयोग (SDG-14) को बढ़ावा दे सकता है।

---

[11] Maritime Safety Committee

[12] Facilitation Committee

[13] Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/ साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं

2.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.3.1. भारत-केन्या संबंध (India-Kenya Relations)

- केन्या के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की राजकीय यात्रा की।
- **यात्रा के मुख्य आउटकम्स पर एक नज़र:**
  - अलग-अलग क्षेत्रकों में सहयोग हेतु **पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।**
    - इन क्षेत्रकों में **खेल, शिक्षा, डिजिटल समाधान, ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवा** शामिल हैं।
  - साथ ही, **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री भागीदारी को बढ़ाने के लिए संयुक्त विज़न दस्तावेज** भी जारी किया गया।
    - इससे **पायरेसी, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से निपटने** में मदद मिलेगी।
  - इसके अलावा, भारत ने केन्या को **250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC)** देने की भी घोषणा की है। यह LoC **कृषि क्षेत्रक के आधुनिकीकरण** के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
    - LoC विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर प्रदान किया जाने वाला एक **सॉफ्ट लोन (अनुदान नहीं) है।**
- **द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य पहलू:**
  - **कूटनीतिक:** केन्या **पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC)** में एक मजबूत भागीदार है। भारत ने 2003 में **EAC** के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। **EAC** के अन्य सदस्य हैं: बुरुंडी, डी.आर. कांगो, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान और तंजानिया।
    - साथ ही, यह **'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ'** के रूप में उभरने के भारत के विज़न का हिस्सा भी है।
  - **व्यापार:** वर्तमान में दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का है। **1981 के भारत-केन्या व्यापार समझौते** के तहत, दोनों देशों ने एक-दूसरे को **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)** का दर्जा दिया था।
    - **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के समझौतों के तहत, MFN व्यवस्था इस बात पर जोर देती है कि **देश आम तौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं** कर सकते हैं।
    - दोनों देशों ने 1989 में **DTAA**[14] पर हस्ताक्षर किए थे। इसे 2016 में संशोधित किया गया और यह 2017 में लागू हुआ।
  - **समुद्री सहयोग:** दोनों देश **'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन'** (IORA) के सदस्य हैं।
  - **नागरिकों के स्तर पर संपर्क:**
    - केन्या में भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग रहते हैं। केन्या आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।
    - केन्या के नागरिकों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है:
      - **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)**[15] **कार्यक्रम,**
      - **इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट** आदि।

2.3.2. भारत और ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी (India, Oman Adopt a Vision Document to Expand Ties)

- हाल ही में **ओमान के सुल्तान ने भारत की यात्रा** की थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने **'भविष्य के लिए साझेदारी'** शीर्षक से एक संयुक्त विज़न डॉक्यूमेंट अपनाया।

---

[14] Double Taxation Avoidance Agreement/ दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता

[15] Indian Technical & Economic Cooperation

- इस डॉक्यूमेंट में **'अमृत काल' के अंतर्गत भारत के विकास लक्ष्यों और ओमान के विज़न 2040 के बीच उल्लेखनीय तालमेल** को स्वीकार किया गया है।
- इस विज़न डॉक्यूमेंट में डिजिटल कनेक्टिविटी, चिकित्सा पर्यटन, समुद्री सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी, अंतरिक्ष, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे कुछ क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- **भारत-ओमान संबंध:**
  - **भारत की पश्चिम एशिया नीति** में ओमान का महत्वपूर्ण स्थान है।
    - **2008** से ही ओमान, **भारत का रणनीतिक साझेदार देश** रहा है। ओमान **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) और अरब लीग** जैसे मंचों पर भारत के लिए संवाद की एक **महत्वपूर्ण कड़ी** है। साथ ही, **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)** भी दोनों देशों के लिए सहयोग का एक मंच है।
  - ओमान में **बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय (7 लाख)** रहता है।
  - दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार** 2020-21 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2022-23 में **दोगुने** से अधिक बढ़कर 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।
    - 2022 में **ओमान से कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश था। चीन प्रथम स्थान** पर था।
  - अक्टूबर 2022 में, भारत और ओमान ने **ओमान में रुपे डेबिट कार्ड** लॉन्च किया था।
  - प्रस्तावित **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) अवसंरचना परियोजना** में ओमान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2.3.3. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भारत (India at Colombo Security Conclave)

- **भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की छठी बैठक में भाग लिया**
- कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) **मॉरीशस** में आयोजित हुआ है।
- **बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नज़र:**
  - इस बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में **पारंपरिक, अपारंपरिक और उभरती** हुई नई चुनौतियों से निपटने हेतु **2024 के लिए अलग-अलग गतिविधियों के रोडमैप पर सहमति** व्यक्त की गई।
    - **अपारंपरिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं** ऐसी चुनौतियां हैं, जो **मुख्य रूप से असैन्य स्रोतों से उत्पन्न** होती हैं। उदाहरण के लिए- **जलवायु परिवर्तन, संक्रामक रोग, प्राकृतिक आपदाएं** आदि।
  - **महासागर सूचना सेवा पोर्टल** लॉन्च करने की घोषणा की गई।
    - पोर्टल का उद्देश्य **समुद्र विज्ञान संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान** को सुगम बनाना है।

IOR में अन्य क्षेत्रीय सहयोग तंत्र

- क्षेत्रीय सहयोग के लिए **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IOR-ARC)** स्थापित किया गया है।
- **हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)** का उद्देश्य IOR के तटीय राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल** (बिम्सटेक/ BIMSTEC)।
- **हिंद महासागर आयोग:** भारत इसका **सदस्य नहीं बल्कि पर्यवेक्षक** है।

- **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) के बारे में**
  - इसका गठन **2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह** के रूप में किया गया था।
  - 2021 में **मॉरीशस को चौथे सदस्य के रूप में तथा बांग्लादेश और सेशेल्स को पर्यवेक्षक** के रूप में शामिल किया गया था।

- इसका **स्थायी सचिवालय कोलंबो** में अवस्थित है। यह **गतिविधियों का समन्वय करता है और निर्णयों को लागू** करता है।

- **CSC का महत्त्व**
  - यह **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region: SAGAR/ सागर) पहल तथा 'नेबरहुड फर्स्ट'** नीति के विज़न के अनुरूप है।
  - यह IOR के समीप के समुद्री क्षेत्रों में **समन्वयकारी परिवेश और सहयोगात्मक तंत्र** प्रदान करता है।

2.3.4. सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN Commission for Social Development: UNCoSD)

- संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने **62वें UN CoSD** की तैयारियों की जानकारी देने के लिए सदस्य-देशों के बैठक की अध्यक्षता की। 62वें UN CoSD का आयोजन फरवरी 2024 में होने प्रस्तावित है।
- **UN CoSD के बारे में:**
  - **उत्पत्ति:** CSocD की स्थापना **आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)**[16] द्वारा **1946** में एक सामाजिक आयोग के रूप में की गई थी। वर्ष 1966 में इसका **नाम बदलकर CSocD** कर दिया गया था।
    - ECOSOC, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिए गए अधिकार के तहत, संयुक्त राष्ट्र के **आर्थिक और सामाजिक कार्यों का समन्वय** करता है।
  - **सदस्यता:** इसमें कुल **46** सदस्य शामिल होते हैं, जो समान भौगोलिक वितरण के आधार पर **ECOSOC** द्वारा चुने जाते हैं।
  - **ब्यूरो:** इसके ब्यूरो के **सदस्य आयोग द्वारा चुने जाते** हैं। ब्यूरो में **एक अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष** शामिल होते हैं। ब्यूरो के निर्वाचित अधिकारियों का कार्यकाल दो साल होता है।
  - **प्रमुख भूमिकाएं:**
    - इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के समग्र विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाली सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देना है। ये विशेष रूप से निम्नलिखित लक्ष्यों से संबंधित हैं:
      - **गरीबी उन्मूलन,**
      - **सामाजिक एकता** की दिशा में बढ़ना, और
      - सभी के लिए **पूर्णकालिक रोजगार और गरिमापूर्ण कार्य** के अवसर सुनिश्चित करना।
    - यह 1995 में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन (WSSD)[17] में अपनाए गए **कोपेनहेगन घोषणा-पत्र और प्रोग्राम ऑफ एक्शन** के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
    - प्रत्येक वर्ष, CSocD अपने **काम-काज और चर्चाओं** को निर्देशित करने के लिए एक **प्राथमिक विषय (Priority theme)** और एक **उभरते मुद्दे (Emerging issue)** को अपनाता है।
- 62वें सत्र का विषय (Theme) है- **"सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा** के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और **गरीबी उन्मूलन** के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय** को बढ़ावा देना"।
  - **भारत की सदस्यता: फरवरी 2023** में, भारत ने वर्ष 1975 के बाद पहली बार CoSD के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है।

WSSD के बारे में

- WSSD का आयोजन **1995 में कनाडा के कोपेनहेगन** में किया गया था।
- इस बैठक में सरकारों ने **लोगों को संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रयासों के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर आम सहमति** व्यक्त की।
- इस सामाजिक शिखर सम्मेलन में विकास के उद्देश्यों की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर गरीबी उन्मूलन, पूर्णकालिक रोजगार का लक्ष्य हासिल करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।
- इसके अतिरिक्त **कोपेनहेगन घोषणा-पत्र और प्रोग्राम ऑफ एक्शन** को अपनाया गया, जो सरकारों के बीच नई सर्वसम्मति पर आधारित है।

2.3.5. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने "प्रोजेक्ट प्रयास" लॉन्च किया (IOM Launches Project PRAYAS)

- वर्ष 2023-24 के लिए **प्रोजेक्ट प्रयास विदेश मंत्रालय (MEA)** के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट प्रयास (PRYAS) से आशय है: **प्रमोटिंग रेगुलर अस्सीस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स।**
  - इसका उद्देश्य **इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन** में मदद करना है। यह प्रोजेक्ट **विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और राज्य सरकारों** के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
  - यह परियोजना **सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास मार्गों पर संचार संबंधी सुविधाओं के प्रसार को बढ़ावा** देगी।
    - गौरतलब है कि विदेशों में बड़ी संख्या में **प्रवासी भारतीय समुदाय** रहते हैं। एक डेटा के अनुसार, दिसंबर 2021 में इनकी संख्या 32 मिलियन से अधिक थी। ये दुनिया भर में फैले हुए हैं।
    - इसके अलावा, **भारत दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस (Remittance)** प्राप्त करता है। यहां **रेमिटेंस** से आशय

[16] Economic and Social Council

[17] World Summit for Social Development

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजने से है।

- **विदेशों में भारतीय प्रवासियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है:**
  - नियमित रूप से पारिश्रमिक नहीं मिलने का खतरा बना रहता है।
  - वे प्रायः कैजुअल यानी अनियमित कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं।
  - उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त नहीं होता है।
  - बाजार में कार्य की मांग के अनुरूप उनमें कौशल नहीं होता है।
  - उन्हें खराब परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है।
  - उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है।
  - पारदर्शी न्यायिक प्रणाली तक भी उनकी पहुंच नहीं है आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organisation for Migration: IOM) के बारे में**
  - IOM प्रवासन के क्षेत्र में **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** के अंतर्गत एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।
  - **स्थापना:** इसकी स्थापना **1951** में की गई थी।
  - **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय **जेनेवा** में है।
  - **कार्य:** यह सभी के लाभ के लिए **मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा** देता है।
  - **सदस्य देश:** इसके **175 देश** सदस्य हैं। **भारत** भी इसका सदस्य है।
  - **मुख्य रिपोर्ट्स:** यह **विश्व प्रवासन रिपोर्ट** जारी करता है।

2.3.6. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 (Article 99 of UN Charter)

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **गाजा में आसन्न मानवीय संकट के प्रति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सचेत** किया है। इसके लिए उन्होंने **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99** का इस्तेमाल किया है।
- अनुच्छेद 99 के अनुसार **UN महासचिव किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है, जो उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल** सकता है।
  - इससे पहले **केवल चार अवसरों पर ही** अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर **संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर** किए गए थे।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य **सिद्धांतों को संहिताबद्ध** करता है। इनमें **देशों की संप्रभु समानता** जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं।

2.3.7. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (UDHR) की 75वीं वर्षगांठ (75th Anniversary of UDHR)

- दोनों विश्व युद्धों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (UDHR) को 10 दिसंबर, 1948 को अनुमोदित** किया था।
- **UDHR की मुख्य विशेषताएं:**
  - इस घोषणा-पत्र के अनुसार **'मानव समुदाय के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना की आधारशिला है।'**
  - इस घोषणा-पत्र के अनुसार **"मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं"।** इससे आशय है कि ये अधिकार **सभी लोगों को प्राप्त हैं,** चाहे वे कोई भी हों या जहां भी रहते हों।
  - UDHR, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के साथ मिलकर **"मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र"** का निर्माण करते हैं:
    - **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR), तथा**
    - **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICESCR)।**
  - UDHR में **30 मौलिक अधिकारों को रेखांकित** किया गया है। इन अधिकारों में **निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **नागरिक और राजनीतिक अधिकार:** जीवन, स्वतंत्रता व निजता के अधिकार आदि;

- **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार:** सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास-सुविधा के अधिकार इत्यादि।

- हालांकि, यह कानूनी रूप से **बाध्यकारी संधि नहीं** है, किंतु इसके सिद्धांत **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल** किए गए हैं।

- **भारत और UDHR:** UDHR के **अनुच्छेद 1 में "सभी पुरुषों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है "** को **"सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है"** से बदल दिया गया था।
  - इस बदलाव का श्रेय **भारत की संविधान सभा की सदस्य हंसा मेहता** को दिया जाता है।

2.3.8. ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क (Global Cooperation and Training Framework: GCTF)

- **अमेरिका, भारत और ताइवान** ने एक साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य **GCTF के तहत परिचालन विशेषज्ञता को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा** करना है।
- **GCTF को 2015 में अमेरिका और ताइवान** ने लॉन्च किया था। इसका निर्माण वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए ताइवान की क्षमता और विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था।
  - GCTF के जरिए **दुनिया भर के प्रैक्टिशनर्स लोक स्वास्थ्य, सप्लाई चेन, मानवीय सहायता, डिजिटल हेल्थ और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए विशेषज्ञों से जुड़** सकते हैं।
  - **ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** इसके पूर्ण सदस्य हैं।
  - **भारत GCTF का सदस्य नहीं** है।

2.3.9. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के 20 वर्ष पूरे हुए {20 years of UN Convention Against Corruption (UNCAC)}

- UNCAC पर **9 दिसंबर, 2003 को मेक्सिको** में हस्ताक्षर किए गए थे। यह कन्वेंशन **2005 में लागू** हुआ था।
- **UNCAC के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - यह **भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक कन्वेंशन** है।
  - **पक्षकार: 190** देश। **भारत** भी इसका पक्षकार है।
  - इसमें **भ्रष्टाचार के अलग-अलग रूप** शामिल हैं। इनमें **रिश्वतखोरी, किसी के प्रभाव में आकर कार्य करना, पद का दुरुपयोग और निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की विविध गतिविधियां** शामिल हैं।
  - **इस कन्वेंशन में पांच मुख्य पद्धतियां शामिल हैं:**
    - **रोकथाम संबंधी उपाय:** इसके तहत भ्रष्टाचार से निपटने वाली संस्थाओं की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।
    - **अपराधीकरण और कानून लागू करना:** देशों द्वारा भ्रष्टाचार के कृत्य को अपराध की श्रेणी में शामिल करना और इसकी रोकथाम के लिए कानून लागू करना।
    - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** देश भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक-दूसरे की कानूनी सहायता करने हेतु बाध्य हैं।
    - **एसेट्स की रिकवरी:** एसेट्स को उसके वास्तविक स्वामी को वापस लौटाना।
    - **तकनीकी सहायता** और सूचनाओं का आदान-प्रदान।
  - ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) **कन्वेंशन का संरक्षक है।**
  - UNODC इस **कन्वेंशन के पक्षकार देशों के सम्मेलन के सचिवालय** के रूप में भी कार्य करता है।
    - **"पक्षकारों देशों का सम्मेलन"** इस कन्वेंशन के लिए नीतियां बनाने वाला मुख्य अंग है।
    - इसकी **बैठक हर दो साल** में आयोजित होती है। इस बैठक में **संकल्पों** को अपनाया जाता है। साथ ही, कार्यों को संपन्न करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं।

- **UNCAC की सफलताएं**
  - यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक **व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान** करता है।
  - इसकी **अभिपुष्टि** विश्व के लगभग सभी देशों ने की है।
  - इसका **समीक्षा तंत्र भ्रष्टाचार-रोधी ठोस उपायों** को लागू कर रहा है।
  - इसने **भ्रष्टाचार-रोधी नए संस्थानों** की स्थापना और नई नीतियां बनाने में योगदान दिया है।

2.3.10. टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Tax Inspectors Without Borders: TIWB)

- TIWB ने **सेंट लूसिया** में एक कार्यक्रम शुरू किया है और **भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना** गया है।
    - भारत इस कार्यक्रम के लिए **कर विशेषज्ञ** उपलब्ध कराएगा।
- **TIWB कार्यक्रम के बारे में:**
    - यह **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक संयुक्त पहल** है।
    - यह **विकासशील देश के कर प्रशासन को टैक्स ऑडिट ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण की सुविधा** प्रदान करेगा। इसके लिए यह एक व्यावहारिक **"लर्निंग बाय डूइंग"** अप्रोच का उपयोग करेगा।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **'राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन (A Study of Budget of 2023-24)[18]'** शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम है **'भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता[19]'।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन (Prudent Fiscal Management): 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)** की तुलना में राज्यों के **'सकल राजकोषीय घाटा' अनुपात[20] में गिरावट** आई है। यह अनुपात **2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8%** हो गया। इस गिरावट की मुख्य वजहें हैं- राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व संग्रह में वृद्धि।
- **पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि (Increased Capital Outlay):** बजटीय अनुमान के अनुसार, 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में **42.6% की वृद्धि** होगी। यह GDP के 2.9 प्रतिशत के बराबर है।
  - पूंजीगत परिव्यय के तहत **एसेट्स के सृजन** में व्यय किया जाता है। इस तरह के व्यय का आर्थिक उत्पादन पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।
- **राज्यों की कुल बकाया देनदारियां (ऋण, ब्याज भुगतान) (States' Total Outstanding Liabilities):** राज्यों का **ऋण-GDP अनुपात** मार्च 2023 के अंत तक **कम होकर 27.5%** रह गया। **मार्च 2021 के अंत में यह 31%** था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इस कमी में मुख्य भूमिका निभाई है।
  - हालांकि, रिपोर्ट में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि कई राज्यों की बकाया देनदारियां उनके GSDP[21] की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक रह सकती हैं।
  - केंद्र द्वारा राज्यों को **पूंजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण** की सुविधा देने से राज्यों पर ऋण के ब्याज भुगतान के बोझ को कम करने में मदद मिली है।
- **निवल बाजार उधारी (Net Market Borrowings):** निवल बाजार उधारी पर राज्यों की निर्भरता पहले काफी बढ़ गई थी। यह 2019-20 में GFD[22] का 90 प्रतिशत थी जो घटकर 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार **GFD का 76%** रह गई है।
  - केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि किए जाने से **राज्यों की निवल बाजार उधारी पर निर्भरता में कमी** आयी है।

शब्दावली को जानें

- **सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit)** = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)
  - ऐसी पूंजीगत प्राप्तियां जिनसे ऋण संबंधी कोई देनदारी जुड़ी नहीं होती है उन्हें **गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (Non–debt capital receipts)** कहते हैं। इस तरह की पूंजीगत प्राप्तियां कोई उधारी नहीं होती हैं, इसलिए इनसे कुल ऋण में कोई वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए– दिए गए ऋण की रिकवरी से प्राप्त पूंजी, किसी PSU को बेचने से प्राप्त पैसा आदि।
- **निवल राजकोषीय घाटा (Net Fiscal Deficit):** सकल राजकोषीय घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण को घटाने से **निवल राजकोषीय घाटा** प्राप्त होता है।
- **कर उछाल (Tax buoyancy):** जब GDP में 1 प्रतिशत की वृद्धि होने से कर राजस्व में भी 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो उसे कर उछाल कहा जाता है।

एन. के. सिंह समिति की सिफारिशें

- केंद्र और राज्यों का संयुक्त **"ऋण-GDP अनुपात"** 2023 तक कम करके 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इसमें **केंद्र के लिए 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20% की सीमा** निर्धारित थी।
- समिति ने **'एस्केप क्लॉज'** का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों (राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा संबंधी) में छूट दी जा सकती है।

---

[18] State Finances

[19] Revenue Dynamics and Fiscal Capacity of Indian States

[20] GFD-GDP ratio

[21] Gross State Domestic Product/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

[22] Gross Fiscal Deficit/ सकल राजकोषीय घाटा

- **कर संग्रह में उछाल (Tax Buoyancy): वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के लागू होने से राज्यों के **कर उछाल** में वृद्धि हुई है।
    - GST के लागू होने से अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारीकरण हुआ है। अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण कर-आधार बढ़ाने के लिए जरुरी है।
        - GDP में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि को टैक्स बोयेंसी (**कर उछाल**) कहते हैं। बोयेंसी के 1 होने से आशय है- GDP में अतिरिक्त एक प्रतिशत की वृद्धि से कर राजस्व में भी एक प्रतिशत की वृद्धि होती है। इससे कर-GDP अनुपात में बदलाव नहीं होता है। वहीं, जब टैक्स बोयेंसी एक से अधिक रहती है तो कर संग्रह में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की जाती है।
- **प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure):** इसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं। इसके GDP के 4.5% पर रहने का अनुमान है।

गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोत

- खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों को **लीज पर देना या उनकी बिक्री करना**।
- सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आर्थिक/ सामाजिक सेवाओं (जैसे- सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वानिकी और वन्य जीवन संरक्षण) के बदले वसूला जाने वाला **उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज)।**
- **लॉटरी**
- सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (PSUs) और स्थानीय निकायों जैसी संस्थाओं को दिए गए ऋण से **ब्याज प्राप्तियां।**

राज्य-वित्त से संबंधित चिंताएं

- **गैर-कर राजस्व संग्रह का कम होना:** भारत में पिछले 10 वर्षों से GDP की तुलना में **गैर-कर राजस्व संग्रह का अनुपात** लगभग 1 प्रतिशत रहा है। **सिंगापुर, मिस्र, ईरान जैसे देशों** में यह अनुपात 10% या उससे अधिक है।
- **विकास संबंधी व्यय में कमी**: शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, शहरी विकास, कृषि व संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन में कमी की गई है।
- **पुरानी पेंशन योजना (OPS):** रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कई राज्य सरकारें मौजूदा **NPS**[23] को छोड़कर **OPS** को फिर से अपना रही हैं। इससे राज्यों पर **वित्तीय बोझ बढ़ेगा** तथा विकास को बढ़ावा देने वाले **पूंजीगत व्यय करने की उनकी क्षमता में कमी** आएगी।
    - यदि सभी राज्य सरकारें **NPS** को छोड़कर **OPS** को अपनाती हैं तो उन सबका सामूहिक **राजकोषीय बोझ NPS के मुकाबले 4.5 गुना** तक बढ़ सकता है।
- **अनिश्चित राजकोषीय स्थिति: नॉन-मेरिट गुड्स और सेवाओं, सब्सिडी, ट्रांसफर और गारंटी** के लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त आवंटन से राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर बोझ बढ़ सकता है। साथ ही, **इससे पिछले दो वर्षों में किए गए राजकोषीय सुधारों पर पानी फिर सकता है।**

राज्य वित्त में सुधार हेतु सुझाव

- **गैर-कर राजस्व में वृद्धि: यह वृद्धि निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है:**
    - बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर **उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाकर,**
    - खनन, एसेट्स मुद्रीकरण आदि पर **रॉयल्टी और प्रीमियम** बढ़ाकर।
- **अवैध खनन के कारण राजस्व को होने वाले नुकसान को कम करना :** अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर रोक लगाने के लिए GIS[24] और ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना चाहिए।
- **प्रदर्शन के आधार पर धन अंतरण (फंड ट्रांसफर):** वित्त आयोग को ऐसे राज्यों को फंड ट्रांसफर बढ़ाने की सिफारिश करनी चाहिए जो आर्थिक सुधार करते हैं, विकास संबंधी योजनाओं में अधिक व्यय करते हैं और राजकोष को मजबूत रखते हैं। ये उपाय केंद्र से राज्यों को अधिक फंड ट्रांसफर के लिए शर्तें हो सकती हैं। इससे राज्यों में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यों की राजकोषीय क्षमता (Fiscal Capacity of States)

- राजकोषीय क्षमता से आशय **राज्य सरकार की खुद के स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों के जरिए अपने खर्च को पूरा करने की क्षमता से** है।
    - वर्तमान में, राज्य अपने **राजस्व व्यय का केवल 58 प्रतिशत अपने राजस्व स्रोतों से वित्त-पोषित** करते हैं।
- **राजकोषीय क्षमता को बढ़ाने में योगदान देने वाले कारक:**
    - GSDP में कृषि क्षेत्रक की हिस्सेदारी कम होना (यानी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बढ़ाना)
    - प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना,
    - उच्च शिक्षा स्तर,
    - मुद्रास्फीति की दर कम होना,
    - भ्रष्टाचार कम होना, और
    - शैडो या समानांतर अर्थव्यवस्था का प्रभाव अधिक नहीं होना।

[23] National Pension System/ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

[24] Geographic Information Systems/ भौगोलिक सूचना प्रणाली

- वर्तमान में, राजस्व घाटा अनुदान उन राज्यों को दिया जाता है जिनका राजस्व घाटा केंद्र सरकार द्वारा कर राजस्व अंतरण (ट्रांसफर) के बाद भी अधिक बना रहता है।

- **राजकोषीय क्षमता में वृद्धि:** लोगों तक सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवाओं को निरंतर एवं दक्षतापूर्वक पहुंचाने के लिए तथा भौतिक एवं मानव पूंजी की गुणवत्ता को अपग्रेड करने के लिए राज्यों की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए धन-अंतरण को सुव्यवस्थित करना:** सरकार के वित्तीय संसाधनों के प्रभावी तरीके से उपयोग करने और भुगतान संबंधी दायित्वों के समय पर पूरा करने के लिए दक्ष बैंकिंग व्यवस्था और नकदी प्रबंधन व्यवस्थाएं आवश्यक हैं।
  - बैंकिंग व्यवस्था के साथ सही से सामंजस्य नहीं होने के कारण राजस्व-संग्रह और व्यय करने वाली एजेंसियों (स्वायत्त और वैधानिक संस्थाओं सहित) के अपने-अपने कई खातें मौजूद हैं। इससे नकदी का दक्षतापूर्वक प्रबंधन नहीं हो पा रहा है।
- **जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार उन राज्यों को प्रदर्शन-आधारित आर्थिक प्रोत्साहन दे सकती है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

3.2. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones: SEZs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने **विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 2023** अधिसूचित किए। ये नियम **SEZ अधिनियम, 2005** की **धारा 55 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग** करके अधिसूचित किए गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **SEZs (पांचवां संशोधन) नियम, 2023** के जरिए **SEZ नियम, 2006 में संशोधन** किए गए हैं।
- संशोधित नियम के तहत **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES)[25] वाले SEZ** में **"बिल्ट-अप एरिया" के एक हिस्से को 'नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया'** घोषित किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसे क्षेत्र को जो कर रियायतें मिली हुई थीं, उनका पुनर्भुगतान करना होगा।
  - गौरतलब है कि SEZ में स्थित **प्रॉसेसिंग एरिया में वस्तुओं का उत्पादन या सेवा प्रदान करने संबंधी कार्य** किए जाते हैं। वहीं, **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया में सहायक अवसंरचना उपलब्ध** कराई जाती है।
  - जिन SEZs में **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया घोषित करने के बाद बचा हुआ प्रॉसेसिंग एरिया कुल SEZ एरिया के पचास प्रतिशत से कम या तय क्षेत्र** से कम हो जाता है, उनमें **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया नहीं** बनाया जाएगा।
- IT/ ITES गतिविधियों वाले SEZ के **नॉन-प्रॉसेसिंग एरिया** में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को SEZ यूनिट्स के समान कोई अधिकार या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- **संशोधन का महत्त्व:**
  - यह SEZs में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को आसान यानी उदार बनाएगा,
  - इससे SEZs के **डेवलपर्स और इनमें व्यवसाय करने वाले, दोनों** को फायदा होगा,
  - SEZ में नहीं उपयोग की गई जगह **(नॉन-प्रॉसेसिंग)** का नई कंपनियां और व्यवसायी बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे।

[25] Information Technology Enabled Services

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बारे में

- SEZ **एक प्रकार का शुल्क-मुक्त अधिसूचित क्षेत्र** होता है। व्यापार संबंधी गतिविधियों के संचालन तथा कर एवं प्रशुल्क के मामले में यह एक प्रकार का **"विदेशी क्षेत्र"** माना जाता है। उदाहरण के लिए-
  - SEZ में स्थित यूनिट्स द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (देश में SEZ के बाहर के क्षेत्र) में आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं को भारत में आयात माना जाता है।
- **कोई भी निजी/ सार्वजनिक/ जॉइंट सेक्टर या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियां** SEZ स्थापित कर सकती हैं।
  - गौरतलब है कि भारत के अलावा चीन, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस जैसे **कई देशों ने भी SEZ** स्थापित किए हैं।
- **SEZ अधिनियम, 2005** के लागू हो जाने के बाद **SEZ नियम** अधिसूचित किए गए थे। ये नियम 2006 में लागू हुए थे।
  - SEZ अधिनियम और नियमों ने भारत में SEZ की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक आधारभूत फ्रेमवर्क प्रदान किया है। इनके माध्यम से **व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान** बनाया गया है। साथ ही, अलग-अलग विषयों पर **केंद्र तथा राज्य सरकारों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस** की व्यवस्था की गई है।
- 'SEZ' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के ज़ोन शामिल होते हैं। इनमें निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन (EPZ)[26], फ्री-ज़ोन (FZ), इंडस्ट्रियल एस्टेट्स (IE), मुक्त व्यापार ज़ोन (FTZ)[27], मुक्त बंदरगाह, शहरी उद्यम ज़ोन आदि शामिल हैं।
- भारत में फिलहाल **276 SEZs** कार्यरत हैं।
  - 2022-23 में **SEZs से कुल निर्यात 155.8 बिलियन डॉलर** का रहा। SEZs से **61.6 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात** और **94.2 अरब डॉलर का सेवा निर्यात** हुआ।

चीन और भारत में स्थित SEZs की तुलना

- **आकार: चीन में स्थापित ज्यादातर SEZ बड़े आकार के हैं। ये सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर बने** हैं। भारत में SEZ की स्थापना के लिए चीन के SEZ जितनी जमीन आवंटित नहीं की जाती है।
- **अवस्थिति: चीन के ज्यादातर SEZ तटीय क्षेत्रों और हांगकांग जैसे व्यापार-सुगम स्थानों पर** अवस्थित हैं। इससे **आयात और निर्यात करने में आसानी** होती है। **भारत में SEZ के निर्माण में प्रायः इस तरह की व्यवस्था को ध्यान में नहीं** रखा गया है।
- **श्रम कानून:** चीन के SEZs में विदेशी कंपनियों को भारत की तुलना में कम कड़े श्रम कानूनों का पालन करना पड़ता है।
- **अवसंरचना:** चीन के SEZs भारत की तुलना में नवीनतम दूरसंचार नेटवर्क और परिवहन के नवीनतम साधनों से बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं।

भारत में SEZ से जुड़ी चुनौतियां

- **नीतियों में बदलाव:** 2005 के SEZ कानून के लागू होने के बाद आरंभ में बड़ी संख्या में SEZs स्थापित हुए, लेकिन निरंतर प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण यह गति मंद पड़ गई।
  - सरकार ने 2011-12 में **न्यूनतम वैकल्पिक कर** और **लाभांश वितरण कर** से छूट जैसे प्रोत्साहन समाप्त कर दिए जिसके चलते SEZ की अवधारणा कमजोर पड़ गई।
- **अप्रयुक्त भूमि:** लोक लेखा समिति की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, SEZ के लिए आवंटित की गई जमीन का 52 प्रतिशत हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है।
  - समिति ने पाया कि डेवलपर्स SEZ के विकास के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का आवंटन तो ले रहे थे, परंतु इन जमीनों का छोटा सा हिस्सा ही उन्होंने SEZ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। सार्वजनिक उपयोग के लिए ली गई शेष जमीन को गिरवी रखकर वे मुनाफा कमा रहे थे।
- **सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रभावी नहीं:** वैसे शीघ्र मंजूरी देने के लिए व्यवस्था तो स्थापित की गई है, लेकिन SEZs के कई निर्यातकों ने शिकायत की है कि डॉक्युमेंटेशन और प्रक्रिया संबंधी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं।
- **घरेलू बाजार में बिक्री में समस्याएं:** SEZ के भीतर कार्य करने वाली कंपनियां शुल्क के भुगतान पर ही भारत के घरेलू बाजार में उत्पाद बेच सकती हैं। इससे घरेलू बाजार में उनके उत्पाद की बिक्री प्रभावित होती है।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप नहीं:** WTO के विवाद निपटान पैनल ने 2019 में निर्णय दिया था कि निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली भारत की योजनाएं (SEZ योजना सहित) **"एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स"** के तहत प्रतिबंधित सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं और ये सब्सिडी WTO के मानदंडों का उल्लंघन करती हैं।
  - हालांकि, भारत ने इस फैसले के खिलाफ WTO की अपीलीय संस्था में अपील की है।
- **अन्य समस्याएं:**
  - भूमि अधिग्रहण में समस्याएं आती हैं। भारत के कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किए गए हैं।

[26] Export Processing Zones

[27] Free Trade Zones

- SEZ की कई व्यावसायिक यूनिट्स ने भारत की तुलना में बेहतर वित्तीय लाभ और व्यापार माहौल को देखते हुए आसियान देशों का रुख कर लिया है।
- भारत में ज्यादातर SEZs विकसित राज्यों और शहरी केंद्रों के निकट अवस्थित हैं।

आगे की राह

- **बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशें:**
  - समिति ने अनुकूल व्यवसाय परिवेश बनाकर **प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने** की सिफारिश की है। हाई-स्पीड मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, व्यावसायिक सेवाओं और यूटिलिटी अवसंरचना हेतु वित्त-पोषण करके अनुकूल परिवेश बनाया जा सकता है।
  - SEZs में निर्यात पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बजाय अधिक संख्या में **रोजगार के अवसर पैदा करने** और **आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
  - **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक से संबंधित SEZs के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं बनाने** की आवश्यकता है।
  - SEZ को **अवसंरचना का दर्जा** दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें फंड जुटाने में मदद मिलेगी तथा उन्हें लंबी अवधि के लिए ऋण मिल सकेगा।
  - मध्यस्थता और वाणिज्यिक कोर्ट्स के जरिए **विवाद समाधान को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
  - SEZ **में व्यवसाय चलाने और यहां से निकास** के मामले में डेवलपर्स और किरायेदारों को **प्रक्रिया में छूट** दी जानी चाहिए।
- SEZ में व्यवसाय करने वाली इकाइयों पर निर्यात करने की बाध्यता समाप्त करनी चाहिए तथा **"घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (DTAs)[28]"** में अपने उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री की अनुमति देनी चाहिए।
  - एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने SEZ में **व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट** तैयार किया है। इसमें SEZs में बने **उत्पादों एवं सेवाओं को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए एक उदार फ्रेमवर्क,** व्यावसायिक यूनिट्स के लिए **मंजूरी संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाने** जैसे उपाय किए गए हैं।
  - कोई भी क्षेत्र जो भारत में SEZ या किसी अन्य कस्टम बॉन्डेड ज़ोन के बाहर स्थित है, उसे **DTA के रूप में जाना जाता है।**
- SEZ को आवंटित भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए उपाय करने की जरूरत है। इनमें भूमि उपयोग से संबंधित उदार नियम, औद्योगिक एन्क्लेव विकसित करने के लिए क्षेत्रक-विशेष का चयन जैसी बाध्यता को दूर करना शामिल है।
- SEZ, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे आर्थिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के **मौजूदा मॉडल को व्यावहारिक बनाने की जरूरत है।** साथ ही,औद्योगिक क्लस्टर्स के लिए मास्टर प्लान विकसित किया जाना चाहिए।
- **SEZ नीति के साथ "PLI योजनाओं[29] का एकीकरण** करने से भारतीय अर्थव्यवस्था की औद्योगीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

3.3. प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना (Leveraging Diaspora Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **"माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ: निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना[30]"** शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **वैश्विक रेमिटेंस/ विप्रेषण (Global Remittance):** 2023 में विश्व में रेमिटेंस के रूप में **860 बिलियन डॉलर** भेजे जाने का अनुमान है। यह वर्ष 2022 की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।
- **निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs)[31] को रेमिटेंस:** 2023 में **LMICs** को रेमिटेंस के रूप में 669 बिलियन डॉलर प्राप्त होने का अनुमान है। यह 2022 की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक है।

डेटा बैंक

- **विप्रेषण (Remittance) का सबसे बड़ा स्रोत:** संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब।
- **सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश:** भारत (125 बिलियन अमेरिकी डॉलर), मेक्सिको (67 बिलियन अमेरिकी डॉलर), चीन (50 बिलियन अमेरिकी डॉलर)
- **रेमिटेंस में उच्चतम वृद्धि:** लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश।

[28] Domestic Tariff Areas

[29] Production-Linked Incentive/ उत्पादन-से-सम्बद्ध प्रोत्साहन

[30] Migration and Development Brief: Leveraging Diaspora Finances for Private Capital Mobilization

[31] Low and Middle-income Countries

- **2023 में भी LMICs** में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** और **आधिकारिक विकास सहायता** (ODA)[32] की तुलना में रेमिटेंस **विदेशी स्रोतों से वित्त प्राप्ति का मुख्य स्रोत** बना रहा है।
- 2024 में सभी LMICs में दक्षिण एशिया में रेमिटेंस में सर्वाधिक वृद्धि (89 बिलियन डॉलर) होने का अनुमान है। इस अनुमानित वृद्धि का कारण भारत को अधिक रेमिटेंस प्राप्त होना है।

भारत में रेमिटेंस

- **सर्वाधिक रेमिटेंस:** विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता है। भारत ने 2023 में लगभग **125 बिलियन डॉलर** का रेमिटेंस प्राप्त किया है। हालांकि, भारत की GDP में **रेमिटेंस का हिस्सा मात्र 3.4 प्रतिशत** है।
- **स्रोत देश:** भारत अपनी **कुल रेमिटेंस का 36 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर** से प्राप्त करता है। गौरतलब है कि इन देशों में **उच्च कौशल वाले कई भारतीय प्रवासी** रहते हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में **रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत** है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का स्थान है। भारत में कुल रेमिटेंस का 18 प्रतिशत UAE से आता है।
- **रेमिटेंस में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार में मांग की तुलना में उच्च कौशल वाले लोगों की उपलब्धता हमेशा कम रही है।
  - यूरोप में रोजगार दर में उच्च वृद्धि से स्पष्ट होता है कि कर्मियों को अपने पास रोके रखने के कार्यक्रमों का अधिक लाभ उठाया जा रहा है।
  - उच्च आय वाले देशों में मुद्रास्फीति में कमी आयी है।

विकासशील देशों के लिए रेमिटेंस का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि:** परिवारों को रेमिटेंस प्राप्त होने से बचत में वृद्धि होती है और साथ ही, अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ती है। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है। सरकार इस बढ़े हुए राजस्व का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए कर सकती है।
- **राजकोषीय घाटे का वित्त-पोषण:** जो विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से पूंजी नहीं प्राप्त कर पाते, उनके लिए रेमिटेंस विदेशी स्रोत से पूंजी जुटाने का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा, रेमिटेंस ऐसे विकासशील देशों के भुगतान संतुलन (BoP)[33] को सकारात्मक बनाए रखने में सहायता प्रदान करता हैं।
  - ताजिकिस्तान और टोंगा जैसे देशों में रेमिटेंस स्रोत उनके GDP का क्रमशः 48% और 41% हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार:** विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेते समय भविष्य में प्राप्त होने वाले रेमिटेंस को जमानत (Collateral) के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें कम ब्याज दर पर उधार मिल सकेगा।
- **वित्त का संधारणीय स्रोत:** रेमिटेंस निरंतर प्राप्त होता रहता है। यहां तक कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश को आर्थिक मंदी के चक्र के दौरान भी अपने खर्च जारी रखने या बढ़ाने या कर कटौती करने में मदद करता है। इस तरह यह आर्थिक गिरावट के दौरान भी **"काउंटर-साइक्लिकल" राजकोषीय उपाय** करने के लिए प्रेरित करता है।
  - आर्थिक गिरावट या प्राकृतिक आपदा या देश में राजनीतिक संकट के दौरान प्रवासी अपने परिवारों की मदद के लिए अधिक रेमिटेंस राशि भेजते हैं।
- **देश की साख (Creditworthiness) में सुधार:** रेमिटेंस किसी देश की संप्रभु रेटिंग और ऋण चुकाने की क्षमता में निम्नलिखित तरीकों से सुधार करने में भी मदद कर सकता है:
  - विदेशी मुद्रा के अन्य स्रोतों की तुलना में रेमिटेंस के रूप में अधिक धन प्राप्त होना,
  - **काउंटर-साइक्लिकल** प्रकृति का होना, और
  - लोक वित्त में अप्रत्यक्ष योगदान देना।

रेमिटेंस से जुड़ी चिंताएं

- **प्रतिबंध लगाना:** प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई देशों ने मौद्रिक या कई अन्य तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं।
  - उदाहरण के लिए- प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए इटली, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों ने **यूरोपीय संघ की अपनी-अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी** है।
- **रेमिटेंस भेजने में अधिक खर्च:** बैंकों से रेमिटेंस भेजना काफी महंगा (कुल रेमिटेंस का 12%) पड़ता है। इसके बाद डाकघर (7%), मनी ट्रांसफर ऑपरेटर (5.3%) और मोबाइल ऑपरेटर (4.1%) का स्थान है।
- **अनौपचारिक माध्यमों से रेमिटेंस भेजना:** जब सरकार द्वारा निर्धारित 'आधिकारिक विनिमय दर' और समानांतर या 'अनौपचारिक विनिमय दर' के बीच काफी अंतर होता है, तो कई

क्या आप जानते हैं?

भीम (BHIM) UPI QR के जरिए **सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, नेपाल और भूटान** में सीमा–पार फंड ट्रांसफर की अनुमति है।

[32] Official development assistance

[33] Balance of Payment

प्रवासी अनौपचारिक माध्यमों से रेमिटेंस भेजने का विकल्प चुनते हैं।

- **उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक संवृद्धि:** वैश्विक मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक संवृद्धि की आशंकाओं के कारण 2024 में प्रवासियों की वास्तविक आय में गिरावट आ सकती है। इससे रेमिटेंस भी प्रभावित हो सकता है।
- **अनिवासी जमा (Non-Resident Deposits) में उतार-चढ़ाव होना:** रेमिटेंस के विपरीत, अनिवासी जमा अस्थिर प्रकृति का होता है। इस पर **अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर में बदलाव का काफी प्रभाव** पड़ सकता है। यही कारण है कि इसे लंबी अवधि की विकास परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है।
- **अन्य चिंताएं:**
  - **मानवीय लागत**- प्रवासियों का अपने परिवार से दूर रहना;
  - कर्मियों के पलायन से **कुशल श्रमिकों की कमी** हो जाती है;
  - गैर-कानूनी और अनैतिक गतिविधियों के लिए **धन का शोधन** (Money laundering) किया जा सकता है;
  - रेमिटेंस दूसरे पर **निर्भरता बढ़ाता** है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति/ परिवार काम करने के प्रति उदासीन हो सकता है।

प्रवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष रूप से वित्त जुटाने के तरीके

- **अनिवासी जमा:** NRI जमा किसी अनिवासी भारतीय द्वारा किसी भारतीय बैंक में जमा कराई गई विदेशी मुद्रा है। NRI इन जमा राशियों को ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है।
  - सितंबर, 2023 तक **भारत में अनिवासी भारतीयों की जमा राशि 143 बिलियन डॉलर** थी।
- **डायस्पोरा बॉण्ड:** विदेशी बैंकों में रखे प्रवासी भारतीयों की जमाओं को भारत में लाने के लिए 'डायस्पोरा बॉण्ड' जारी किया जा सकता है।

आगे की राह

- **औपचारिक माध्यमों से रेमिटेंस भेजने को बढ़ावा देना:** आधिकारिक रूट से रेमिटेंस भेजने के लिए प्रवासी सदस्यों को प्रोत्साहन दिए जाने से विदेशी मुद्रा भंडार और बैंकिंग प्रणाली के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में वृद्धि की जा सकती है।
- प्रवासियों के होस्ट देशों के **श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में प्रवासियों** को शामिल करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके द्वारा भेजे जाने वाले रेमिटेंस विकासशील देशों के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- प्रवास करने की लागत कम होने से प्रवासियों की आय और बचत दोनों में सुधार होगा। इससे रेमिटेंस और प्रवासी द्वारा किए जाने वाले निवेश में भी वृद्धि होगी।

3.4. भारत में सड़क अवसंरचना (Road Infrastructure in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में "परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति" ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई गई है।

सड़क परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे

- **परियोजनाओं में देरी:** अलग-अलग कारणों से परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है। इन कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **भूमि अधिग्रहण में देरी**,
  - पेड़ों की कटाई की समस्या,
  - यूटिलिटी सेवाओं के स्थानांतरण (Utility Shifting) की समस्या,
  - बेमौसम बारिश,
  - स्थानीय स्तर पर विरोध-प्रदर्शन,
  - वन से जुड़ी पर्यावरणीय मंजूरी में देरी,
  - कोविड-19 महामारी की वजह से व्यवधान, आदि।
- **वित्त के आवंटन में कमी:** बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं होने के कारण **निजी ठेकेदार** लागत कम करने के लिए **कम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल** करते हैं।
- **रखरखाव के लिए कम बजट:** राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए बजटीय आवंटन इसके वार्षिक बजट के 4 प्रतिशत से भी कम है।
  - नीति आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि भारत को सड़क परिवहन के लिए आवंटित अपने कुल वार्षिक बजट का **10 प्रतिशत सड़कों और राजमार्गों के रखरखाव के लिए खर्च करना चाहिए।** इस प्रकार विकसित देशों के मानदण्डों की ओर बढ़ा जा सकेगा।
    - विकसित देश सड़कों और राजमार्गों के लिए आवंटित कुल बजट का 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा उनके रखरखाव पर व्यय करते हैं।
- **पर्यावरण को नुकसान:** सड़क निर्माण से, विशेष रूप से पहाड़ों और हिमालयी क्षेत्रों में, अक्सर **नदियों/ जलधाराओं के अपवाह में बदलाव** आता है। सड़कों के निर्माण के लिए **वनों की कटाई भी की जाती है**, वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है, **वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि** होती है, **वन्यजीवों के पर्यावास को नुकसान पहुंचता** है, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है आदि।
  - उदाहरण के लिए- चार धाम सड़क परियोजना के कारण वनों का नुकसान हुआ है। एक अनुमान के अनुसार, इस परियोजना के कारण लगभग 508.66 हेक्टेयर वन क्षेत्र को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा और सड़कें बनाने के लिए 33,000-43,000 पेड़ काटे जाएंगे।
- **सुरक्षा:** अधिकतर सड़क-दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं:
  - **खराब सड़क इंजीनियरिंग**,
  - राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे **सर्विस रोड की कमी**,
  - सड़कों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होना,
  - **खराब सड़क अवसंरचना,**
  - **सड़कों पर गड्ढे,**
  - **यातायात नियमों के बारे में जागरूकता की कमी,**

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की स्थापना **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988** के तहत की गई है।
- **NHAI, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख–रखाव, प्रबंधन तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए उपबंध** करने हेतु उत्तरदायी है।

डेटा बैंक

- भारत में **सड़क नेटवर्क** की कुल लंबाई **66.71 लाख कि.मी.** है। यह विश्व में सड़कों का **दूसरा सबसे बड़ा** नेटवर्क है।
- **कुल सड़क नेटवर्क** में राष्ट्रीय राजमार्गों (**NH**) की हिस्सेदारी **लगभग 2 प्रतिशत** है, जबकि कुल यातायात (रोड ट्रैफिक) में इनका योगदान **40%** से अधिक है।
- वित्त वर्ष 2021–22 में **राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति 29 कि.मी. प्रतिदिन थी।**

सड़क परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताएं

वनों और पर्यावासों पर प्रभाव
- पर्यावास हानि व विखंडन
- आक्रामक प्रजातियों का फैलाव
- वन्यजीव गलियारों पर नकारात्मक प्रभाव

तटों और समुद्र पर प्रभाव
- तेल, खनिज और अन्य विषाक्त तत्वों का रिसाव
- प्रवाल भित्तियों को नुकसान
- समुद्री जैव–विविधता के समक्ष खतरा

ताजे जल के स्रोतों पर प्रभाव
- तलछट प्रवाह में बाधा
- बाढ़/ जलमग्न क्षेत्र
- जल के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव
- मछलियों की प्राकृतिक गतिविधियों पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन शमन व अनुकूलन
- वनों की कटाई के कारण संचित कार्बन का वायुमंडल में पहुंचना
- पारिस्थितिकी–तंत्र की कार्यप्रणाली के बाधित होने से अनुकूलन क्षमता पर दुष्प्रभाव

- **सड़क सुरक्षा उपायों की कमी,**
- **राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों और जानवरों का आ जाना** आदि।
  - भारत में **सड़क दुर्घटनाओं पर 2022 की रिपोर्ट** के अनुसार, 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 11.9 प्रतिशत, सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली मृत्यु में 9.4 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- **अन्य मुद्दे:**
  - **राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सर्विस रोड नहीं होने** से आस-पास रहने वाले लोगों को असुविधा होती है। कई बार यह सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है।
  - **कई मौकों पर सरकारी एजेंसियों और सड़क ठेकेदारों के बीच** विवाद उठ खड़े होते हैं। ये विवाद अक्सर परियोजना के निर्देशों का पालन, परियोजना पूरा होने की समय-सीमा, भुगतान से जुड़े मुद्दों और परियोजना स्थल पर किसी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने से जुड़े मामलों में असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं। इससे परियोजनाओं में देरी होने के साथ-साथ इसकी लागत में भी वृद्धि होती है।
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)[34] में **कार्यबल की कमी** के कारण संगठन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आगे की राह

- राजमार्गों के निर्माण में **रीसाइकल्ड सामग्री,** जैसे- फ्लाई ऐश और प्लास्टिक अपशिष्ट **का उपयोग करना चाहिए।** इससे **प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी** आएगी तथा सड़क परिवहन को अधिक दक्ष और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।
- **विवाद समाधान:** लंबित विवादों को तेजी से हल करने और फंसी हुई पूंजी का उपयोग राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए "विवाद से विश्वास" जैसी पहल की मदद ली जा सकती है।
- **वाहनों के प्रकार (दोपहिया, चौपहिया इत्यादि) के बजाय वजन के आधार पर टोल की वसूली:** इससे ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
- **सड़कों पर वन्यजीवों/ मवेशियों को आने से रोकना:** राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशी/ पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए फेंसिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना चाहिए।
- **पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना:** जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावासों पर सड़क निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **सर्विस रोड:** राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सर्विस रोड बनाने के लिए विशेष बजटीय आवंटन किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, स्थानीय बाजारों के विकास के कारण सर्विस रोड के अतिक्रमण को रोकने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता है।

भारत में सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **भारतमाला परियोजना:** इस योजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य हैं:
  - पहले से निर्मित अवसंरचनाओं को उपयोग के लिए अधिक प्रभावी बनाना,
  - मल्टी-मॉडल परिवहन साधनों को एकीकृत करना,
  - **सुचारू आवागमन के लिए अवसंरचना में कमियों को दूर करना,** तथा
  - **राष्ट्रीय राजमार्गों और आर्थिक गलियारों को एकीकृत** करना।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (SARDP-NE)[35]:** इसका उद्देश्य पिछड़े और **दूरदराज के क्षेत्रों,** पड़ोसी देशों से लगे **सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों** तथा **पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों** को न्यूनतम 2-लेन वाले राजमार्ग द्वारा सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- **हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, ट्रांसप्लांटेशन, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति, 2015:** इसका उद्देश्य समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्रक, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों की भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों के दोनों ओर हरियाली को बढ़ावा देना है।
- **"भूमि राशि" - भूमि अधिग्रहण पोर्टल:** इसे भूमि अधिग्रहण अधिसूचना प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- सड़क और राजमार्ग क्षेत्रक में ऑटोमेटिक रूट से **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति दी गई है।

- **सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना:** सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
  - **सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कर दोषों का पता** लगाना;
  - **ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों को ठीक करना**;
  - दुर्घटना होने पर राहत-बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए **पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, गश्ती वाहन और टो-अवे क्रेन की व्यवस्था करना,**
  - मोबाइल फोन आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का विकास करना आदि।

[34] National Highways Authority of India

[35] Special Accelerated Road Development Programme for North-East region

सड़क परियोजनाओं के विकास के अलग-अलग मॉडल्स			
बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (BOT) टोल मॉडल	**BOT एन्युटी मॉडल**	**हाइब्रिड एन्युटी मॉडल**	**इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल**
• इसके तहत निजी कंपनी (सड़क डेवलपर) को एक **निश्चित अवधि** (20- या 25-वर्ष की रियायती अवधि) के लिए किसी परियोजना के वित्त-पोषण, निर्माण और संचालन के लिए रियायतें दी जाती है। • **कंपनी,** सड़क का उपयोग करने वाले **लोगों से उपयोगकर्ता शुल्क या टोल वसूल करके अपने निवेश को वापस प्राप्त करती है।**	• इसके तहत **निजी कंपनी राजमार्ग का निर्माण करती है**, एक **निश्चित अवधि** (15- 25 वर्ष) के लिए इसका संचालन करती है और **इस अवधि के बाद सरकार को सौंप देती है।** • सरकार द्वारा सड़क बनाने वाली कंपनी को **एन्युटी के रूप में पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है** और सरकार टोल वसूल करके राजस्व प्राप्त करती है।	• इस मॉडल में परियोजना लागत का **40 प्रतिशत सरकार** द्वारा निजी कंपनी को निर्माण-सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है, और **शेष 60 प्रतिशत राशि की व्यवस्था कंपनी खुद** करती है। • इस मॉडल के तहत टोल की वसूली सरकार करती है।	• **सरकार सड़क बनाने के लिए निजी कंपनियों को पूरी लागत का भुगतान करती है।** इससे निजी कंपनी पूरी तरह से वित्तीय जोखिम से बच जाती है। • **सड़कों के रखरखाव या टोल संग्रह की जिम्मेदारी सरकार की होती है।**

3.5. लीड्स रिपोर्ट 2023 (Leads Report 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **"अलग-अलग राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS)[36]"** रिपोर्ट 2023 जारी की है।

LEADS (लीड्स) के बारे में

- इसे विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI)** की तर्ज पर **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने **2018** में शुरू किया था।

[36] Logistics Ease Across Different States

- LPI पूरी तरह से धारणा-आधारित (परसेप्शन-बेस्ड) सर्वेक्षणों पर आधारित है। **LEADS में धारणा** (परसेप्शन) **और वस्तुनिष्ठता** (ऑब्जेक्टिविटी), **दोनों तत्वों को शामिल किया गया है।**
    - विश्व बैंक की LPI 2023 रिपोर्ट में **139 देशों में भारत 38वें स्थान पर** है।
- LEADS **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** को उनके **लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की दक्षता के आधार पर रैंक** प्रदान करता है।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख स्तंभ:
    - **वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन (Objective assessment)**
        - लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की नीति और प्रक्रिया में सुधार के लिए **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किया गया समर्थन।**
        - लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने वाले **भौतिक अवसंरचना** का निर्माण।
    - **धारणा मूल्यांकन (Perception Assessment)**
        - लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर,
        - लॉजिस्टिक सेवाएं,
        - परिचालन और विनियामकीय व्यवस्था।

- **LEADS रिपोर्ट 2023 के अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
    - **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई पहलें:**
        - 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी **लॉजिस्टिक नीतियों** को अधिसूचित किया है।
        - 15 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने **लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को उद्योग का दर्जा** दिया है।
    - 2014-15 के बाद से **सड़कों और रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई** लगभग क्रमशः **21% और 9%** बढ़ी है।
    - वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 के बीच **कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की कुल संख्या में 18% और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)[37] में 26% की वृद्धि हुई है।**

3.6. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज (SHG-BL) परियोजना {Self Help Group Bank Linkages (SHG-BL) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, SHG-BL प्रोग्राम के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से नवंबर, 2023 तक SHGs को लगभग **7.68 लाख करोड़ रुपये** का बैंक ऋण दिया जा चुका है।

SHG बैंक लिंकेज (SHG-BL) परियोजना के बारे में

- SHG-BL **बचत आधारित सूक्ष्म-वित्त का एक मॉडल** है। इसकी शुरुआत **1992** में **नाबार्ड (NABARD)[38]** ने की थी।
    - इस कार्यक्रम के तहत, बैंकों को स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए **रियायती ब्याज दर पर ऋण देने व बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत** किया गया था।
        - SHGs पंजीकृत या बिना पंजीकरण वाले लघु **अनौपचारिक समूह** होते हैं। एक SHG में आमतौर पर बहुत कम आय वाले परिवारों से संबंध रखने वाली 15 से 20 महिलाएं सदस्य के रूप में शामिल होती हैं।

[37] Inland Container Depots

[38] National Bank for Agriculture and Rural Development/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

- SHGs अपने सदस्यों से बचत एकत्रित करते हैं और फिर **इस धन का इस्तेमाल जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देने** के लिए करते हैं।

- **SHG-BL के घटक**
  - सदस्यों को प्रशिक्षित करना और बैंक शाखा-प्रबंधकों के साथ समन्वय।
  - ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों का प्रशिक्षण और पदस्थापन।
  - ग्रामीण बैंक शाखाओं में "समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र" **(CBRM)**[39] आरंभ करना।
  - SHGs का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना।

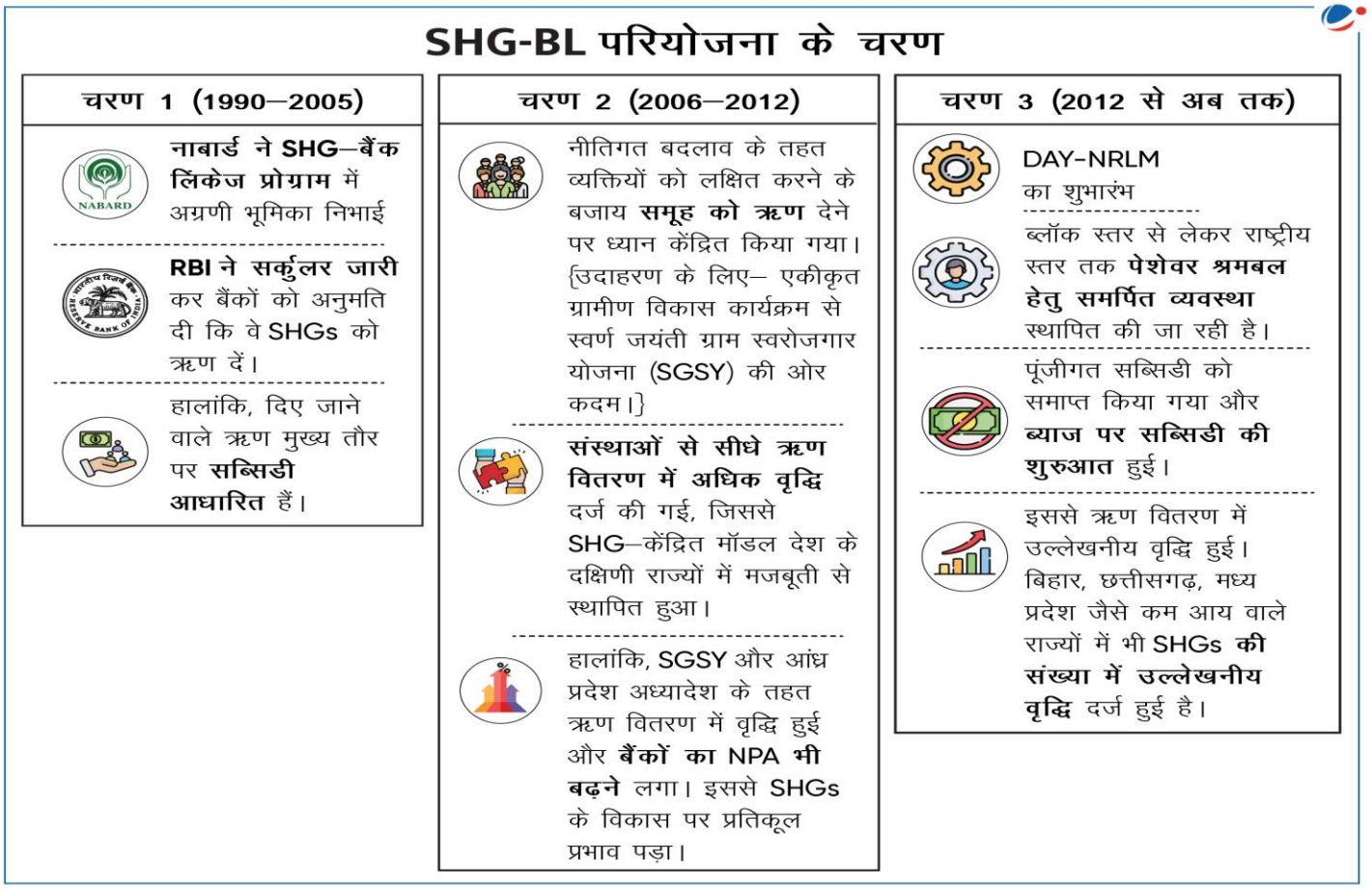

SHG-BL की सफलता में भूमिका निभाने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड द्वारा वार्षिक मास्टर सर्कुलर जारी करना:** इसके जरिए योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रावधानों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाता है।
- **कर्मचारियों और सामुदायिक कैडर्स का नियमित प्रशिक्षण:** यह प्रशिक्षण **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs)**[40] के तहत SHGs के सदस्यों की क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए दिया जाता है।
- **वित्तीय शिक्षा:** ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित **FLCRPs**[41] की सहायता से SHGs के सदस्यों को वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाती है।
- **बैंक सखियां:** वर्तमान में **45,746 बैंक सखियां** ग्रामीण बैंक शाखाओं से जुड़ी हुई हैं। सखियां बैंकों और SHGs के बीच संपर्क की भूमिका निभाती हैं।
- **वेब पोर्टल:** इसे SHG-बैंक लिंकेज में **सूचना में कमियों** को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसमें बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) डेटाबेस से सीधे डेटा शामिल किया गया है।

---

[39] Community Based Repayment Mechanism

[40] State Rural Livelihoods Missions

[41] Financial Literacy Community Resource Persons/ वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों

चुनौतियां

- **क्षमता निर्माण का अभाव:** यह देखा गया है कि यदि SHGs को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया जाता है, तो इनके प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है।
- **प्रति SHG सदस्य के लिए बैंक से कम ऋण मिलना:** हालांकि, SHGs को वितरित कुल ऋण की राशि अधिक है, लेकिन प्रति SHG सदस्य बैंक ऋण की राशि अभी भी काफी कम है।
- **बार-बार ऋण मिलने में परेशानी:** कई SHGs को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण नहीं मिल पाता है। साथ ही, उन्हें दोबारा ऋण प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके चलते ग्रामीणों को सूदखोर साहूकारों तथा सूक्ष्म वित्त जैसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **ऋण चुकाने से जुड़ी चुनौतियां:** समय पर **बैंकों को वापस** ऋण चुकाना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसा खासकर तब देखने को मिलता है, जब SHG सदस्य आर्थिक कठिनाई या प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे होते हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम का क्षेत्रीय प्रसार सब जगह समान नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 52% क्रेडिट-लिंक्ड SHGs देश के दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं।

आगे की राह

- **समुदाय द्वारा निगरानी करना और सहायता उपलब्ध कराना:** SHGs के कार्यों में प्रगति तथा समय पर ऋण चुकाने पर नज़र रखने में समुदाय की सहायता ली जा सकती है।
- **जोखिम को कम करने की रणनीतियां:** SHG सदस्यों के सामने अचानक आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीमा उत्पाद या आकस्मिक निधि जैसी जोखिम शमन रणनीतियां अपनानी चाहिए।
- **ऋण के लिए जमानत (कोलैटरल) रखने का कुछ नया समाधान निकलना:** ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत रखने की समस्या का समाधान करने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। इनमें **समूह गारंटी, सामाजिक समुदाय आधारित जमानत, या सरकार समर्थित योजनाओं के बदले ऋण** जैसे नए तरीके शामिल हैं।
- **लंबी अवधि की सतत योजना:** इसमें SHG सदस्यों द्वारा अपने वित्तीय मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की **क्षमता का निर्माण करना,** बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

Scan the QR code to know more about **Cooperatives.**

Weekly Focus #48: Cooperatives: Prosperity through Cooperation

3.7. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (URBAN)/ PMAY(U)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि PMAY(U) के तहत बनने वाले घरों को तब तक पूरा हुआ नहीं माना जाए, जब तक उनमें बुनियादी सुविधाएं (जैसे- शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली और रसोई) उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

नोट: *इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस डॉक्यूमेंट के अंत में परिशिष्ट देखें।*

"प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी" से जुड़ी चिंताएं/ समस्याएं

- **आवास निर्माण में देरी:** आवास निर्माण के कार्य को पूरा करने में कई बाधाएं उत्पन्न होती/ हुई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - कोविड महामारी की वजह से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के पास वित्त की कमी,
  - **सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव;**
  - **आवास बनाने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने में देरी;**
  - **दुर्गम क्षेत्र;**
  - **निर्माण सामग्री और श्रम की उपलब्धता में समस्या;**
  - **जलवायु संबंधी आपदाएं (बाढ़),**
  - **नवीन प्रौद्योगिकियों** (आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियां) पर ध्यान केंद्रित करने में समय लगना।
    - **उदाहरण के लिए-** मेघालय में 4,554 घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अक्टूबर, 2022 तक केवल 898 घर बनाए गए थे।

PMAY- शहरी: स्मरणीय तथ्य

योजना का प्रकार	उद्देश्य	लाभार्थी	अवधि
यह केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।	सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना	● आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ● निम्न आय वर्ग ● मध्यम आय वर्ग	2015 से 2024 तक

- **बनाए गए घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** बनाए गए घरों में सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली जैसी **बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं देकर केवल घरों को बनाकर ही परियोजना को पूरा मान** लिया जाता है। इसी तरह, कई घर ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहां परिवहन की सुविधा और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल की सुविधा नहीं होती। इससे योजना के मूल उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
  - दिसंबर, 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते लगभग 5.62 लाख आवास इसके लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके।
- **वित्त की कमी:** मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.2 लाख रुपये प्रति आवास तथा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1.3 लाख रुपये प्रति आवास की वित्तीय सहायता दी जाती है। **नया घर बनाने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं** है।
- **इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) घटक के तहत कम संख्या में घरों के निर्माण को मंजूरी** दी गई। इसकी वजहें हैं: घर निर्माण के लिए **भूमि उपलब्ध नहीं होना, झुग्गीवासियों द्वारा नए घर में जाने से मना करना, कानूनी मंजूरी प्राप्त करने में देरी,** पुनर्विकास के लिए झुग्गियों को हटाने में चुनौती।
  - ISSR घटक के तहत झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाता है।
  - 14.35 लाख घरों की मांग की तुलना में केवल 4.33 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी।
- **भ्रष्टाचार:** मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में **धन की अनियमितता, लाभार्थियों के चयन में भ्रष्टाचार,** घरों के निर्माण के लिए खराब गुणवत्ता वाली ईंटों और अन्य निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं।
- **जागरूकता का अभाव:** कई पात्र लाभार्थियों को योजना या इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है। इसकी वजह से योजना का लाभ कई लक्षित लाभार्थी बेहतर तरीके से नहीं उठा पा रहे है।

किफायती आवास के लिए की गई अन्य पहलें:

- **किफायती आवास कोष (Affordable Housing Fund: AFH):** इस कोष का गठन **राष्ट्रीय आवास बैंक** के तहत किया गया है। इसका गठन किफायती आवास की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016:** इसका उद्देश्य घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट परियोजना की बिक्री/ खरीद दक्षता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से हो।
- **मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021:** मॉडल अधिनियम के तहत मकान मालिक और किरायेदार को एक लिखित एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। इस एग्रीमेंट में किराया की रकम, किराया की अवधि एवं अन्य संबंधित शर्तों का उल्लेख होता है।

आगे की राह

- **आउटपुट के बजाय आउटकम पर ध्यान केंद्रित करना:** केंद्र सरकार को घरों के निर्माण कार्य को पूरा करने में तेजी लाने और उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्तर पर नज़र रखना चाहिए। बेहतर आउटकम के लिए संबंधित राज्य (या केंद्र शासित प्रदेश) सरकारों से सहायता ली जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था **"साझेदारी में किफायती आवास" (AHP)**[42] परियोजनाओं के तहत निर्मित आवासों को **जल्दी से सौंपने के मामले में भी** करने की आवश्यकता है।

[42] Affordable Housing in Partnership

- **निगरानी:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को PMAY-शहरी के तहत परियोजनाओं की देखरेख, समीक्षा और निगरानी के लिए शहरी विकास पर **जिला स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति (DLAMC)[43] गठित करने का निर्देश** दिया गया है। इसका अध्यक्ष एक निर्वाचित प्रतिनिधि होगा।
- **समय-सीमा निर्धारित करना:** परियोजनाएं शुरू नहीं होने के कारणों की जांच MoHUA को करनी चाहिए। इसके अलावा, **लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित** की जानी चाहिए। साथ ही, परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में।
- **सोशल ऑडिट:** निधि जारी करने और परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए PMAY-U के तहत लंबित/ चालू परियोजनाओं का जल्द-से-जल्द सोशल ऑडिट करने की आवश्यकता है।
- **गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना:** सरकार को एक **थर्ड-पार्टी गुणवत्ता मूल्यांकन टीम** का गठन करना चाहिए। यह टीम:
  - AHP एवं ISSR घटकों के तहत बनाए गए घरों की गुणवत्ता की परीक्षा करेगी,
  - **गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने** के लिए सिफारिश करेगी, तथा
  - बिल्डिंग कोड तथा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- जिन लाभार्थियों के लिए आवास बनाए जाने हैं उनकी पहचान आवास निर्माण से पहले की जानी चाहिए।
  - परियोजना की शुरुआत से ही **लाभार्थियों को हितधारकों के रूप में शामिल करना चाहिए** और उनके किसी सुझाव का स्वागत किया जाना चाहिए तथा योजना का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे लाभार्थियों की शिकायत का पहले ही समाधान हो जाएगा।
- लोगों को PMAY के लाभों और पात्रता मानदंडों के बारे में बताने के लिए **जन जागरूकता अभियान** चलाया जाना चाहिए।

3.8. अंतर्देशीय मात्स्यिकी (Inland Fisheries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन के मामले में **चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देश** बन गया है। इसके साथ ही, भारत मछली उत्पादन के मामले में **दुनिया के शीर्ष तीन देशों** में शामिल हो गया है।

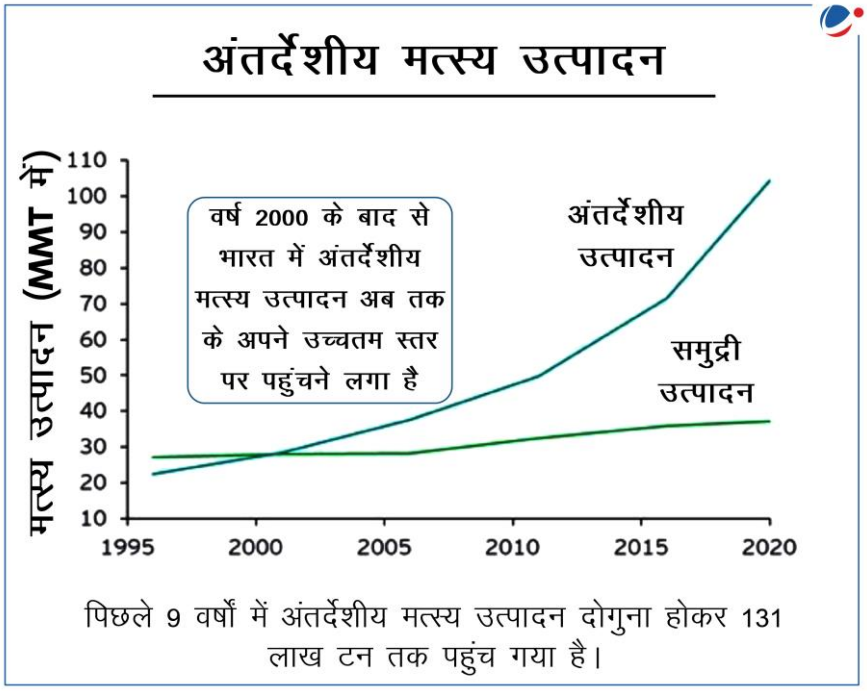

पिछले 9 वर्षों में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन दोगुना होकर 131 लाख टन तक पहुंच गया है।

अंतर्देशीय मात्स्यिकी के बारे में

- देश के भीतर स्थित नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाब जैसे जल निकायों में मछलियों के उत्पादन, प्रबंधन और संरक्षण को "अंतर्देशीय मात्स्यिकी" कहा जाता है।
- **यह मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है:-**
  - **मछली पकड़ना (Capture fisheries):** इसके अंतर्गत मछली पकड़ने के उपकरणों; गियर या जाल आदि की मदद से झीलों, नदियों या तालाबों से प्रत्यक्ष रूप से मछली पकड़ी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें पहले से नदियों या झीलों में मछली नहीं पाली जाती है बल्कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ा जाता है।
  - **मत्स्य-पालन (Culture fisheries):** इसके अंतर्गत जल निकायों में मछली की ब्रीडिंग, चारा प्रबंधन आदि के माध्यम से नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन किया जाता है।

[43] District Level Advisory and Monitoring Committee

- **अंतर्देशीय मात्स्यिकी के प्रकार:**
  - **टैंक और तालाब:** इनमें मत्स्य-पालन गतिविधियों का प्रभुत्व है। इनमें मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं क्योंकि भारत में टैंक और तालाब 2.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूद हैं।
  - **पश्च-जल (Brackish) और लवणीय जलीय-कृषि (Saline Aquaculture):** इनका उपयोग मुख्य रूप से झींगा जलीय-कृषि (Shrimp aquaculture) और 'बंजर भूमि को आर्द्र भूमि में बदलने' के लिए किया जाता है।
  - **शीत-जल मात्स्यिकी (Cold Water Fisherie):** यह हिमालयी राज्यों में ओमेगा-समृद्ध ट्राउट (एक प्रकार की मछली) मात्स्यिकी के लिए अवसर प्रदान करती है।
  - **सजावटी मछली पालन (Ornamental Fisheries):** भारत में ऐसी मछलियों की 195 से अधिक प्रजातियां हैं। इन्हें इनकी सुंदरता (रंग-बिरंगे) और विदेशी मछलियों जैसी खूबियों के लिए पाला व बेचा जाता है।
  - केज कल्चर **छोटे और मध्यम आकार के जलाशयों में मत्स्य-पालन गतिविधियों** को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
  - **नदी मात्स्यिकी:** भारत में नदियों की संख्या काफी अधिक है। रिवर रेंचिंग का उपयोग देशी मत्स्य संसाधनों (प्रजातियों) के संरक्षण और प्राकृतिक उत्पादकता को बहाल करने के लिए किया जा सकता है।

अंतर्देशीय जल में मात्स्यिकी के लाभ

- **पोषण और खाद्य सुरक्षा:** अंतर्देशीय जल में प्राप्त होने वाली मछलियों में प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D प्रचुर मात्रा में होता है। इस तरह ये मछलियां इन पोषक तत्वों के किफायती स्रोत हैं। साथ ही, ये मछलियां आहार विविधता और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं।
- इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि जैसे **आर्थिक लाभ** प्राप्त होते है।
- **पर्यावरण:**
  - मछलियां आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करके तथा जैव विविधता को बनाए रखकर **पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण** करती हैं।
  - मछलियां **बायोरेमेडिएशन में योगदान कर** शहरी या कृषि क्षेत्रकों से अतिरिक्त पोषक तत्वों के रिसाव को रोकने, पर्यावास की पुनर्बहाली तथा **हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन** (HAB)[44] की आशंका को कम करने में भूमिका निभाती हैं।
  - मछलियां **पारिस्थितिक संतुलन** को बनाए रखती हैं क्योंकि जलीय खाद्य-जाल का एक महत्वपूर्ण घटक होने के कारण ये अन्य प्रजातियों को भी लाभ पहुंचाती हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व:**
  - अंतर्देशीय जल मात्स्यिकी के बारे में समुदाय की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां और उनके मजबूत सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान करते हैं।
  - शौक के तौर पर मछली पकड़ने की नियमित गतिविधियों में शामिल होने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।

भारत में अंतर्देशीय मात्स्यिकी से जुड़ी चुनौतियां

- **उत्पादन संबंधी चुनौतियां:** नवीन हैचरी प्रौद्योगिकियां, जल-दक्ष जलीय कृषि पद्धतियां जैसी **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों** को **अपनाने की गति काफी धीमी** है।

[44] Harmful Algal Blooms

- **इस गतिविधि से जुड़े लोगों को सीमित स्तर पर "विस्तार सेवाएं"** प्राप्त होती हैं। इन्हें अपने उत्पादों की मानक कीमत नहीं मिलती, मृदा और जल परीक्षण सुविधाएं भी कम हैं। इससे अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास प्रभावित होता है।

- **आर्थिक चुनौतियां:** इनमें समय पर ऋण नहीं मिलना, दक्ष इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अभाव के चलते उत्पादों का सही मूल्य पता नहीं चल पाना, मछली उत्पादन के बाद उत्पाद बर्बाद होना शामिल हैं।
- **अवसंरचना संबंधी चुनौतियां:** इनमें कोल्ड चेन सुविधाएं अधिक नहीं होना, मछली उत्पादन के बाद के प्रबंधन के लिए अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
- **पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां:**
  - मशीनीकरण के अभाव और पारंपरिक नावों के उपयोग के चलते अक्सर जल प्रदूषण और अनुचित जलीय कृषि प्रबंधन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।
  - जीवों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की बढ़ती मांग के कारण **संधारणीयता** का मुद्दा उभरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिश स्टॉक का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है, तथा अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जा रही हैं। कुछ जगहों पर तो मछलियां नाम मात्र की रह गई हैं।

आगे की राह

- **बिग डेटा, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित आपूर्ति श्रृंखला जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने** से नुकसान को कम किया जा सकता है तथा ट्रेसेब्लिटी में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में मछुआरों, नाव मालिकों और सरकारी संगठनों, सभी को शामिल करते हुए **एक बहु-हितधारक एप्रोच** अपनाने की आवश्यकता है।
- संधारणीय और उत्तरदायी मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने के लिए **"जिम्मेदार मात्स्यिकी हेतु FAO की आचार संहिता[45]"** को अपनाना चाहिए।
- **मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs)[46]** मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के समूह बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त FFPOs उत्पादों और सेवाओं की डिलीवरी, बाजार संपर्क आदि के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में काम कर सकते हैं।
  - FFPO मछुआरों और उनके हितधारकों का एक संघ है। इस संघ के गठन का प्राथमिक उद्देश्य संधारणीय मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना है। ये संघ कानून के तहत पंजीकृत होते हैं।
- **फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, चिलर बॉक्स, आइस फैक्ट्री** जैसी अवसंरचनाओं का विकास करने की आवश्यकता है। इससे लॉजिस्टिक समर्थन में सुधार के साथ-साथ उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

इस दिशा में उठाए गए कदम

- **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत भारत के मात्स्यिकी क्षेत्रक में समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
  - इसमें मछली उत्पादन, जलीय कृषि उत्पादकता, निर्यात आदि बढ़ाने के उद्देश्य से **जलीय कृषि अवसंरचना, कोल्ड स्टोरेज, मछली पर्यटन जैसी गतिविधियों का विकास** शामिल हैं।
- **आनुवंशिकी में सुधार हेतु राष्ट्रीय सुविधा:** इसकी स्थापना PMMSY के तहत की गई है। इसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए किसी एक मछली प्रजाति पर निर्भरता को कम करना और आक्रामक झींगा प्रजातियों की बजाय देशी प्रजातियों के उत्पादन पर बल देना है।
- **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board: NFDB):** इसका गठन केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाने और एकीकृत तरीके से मत्स्य विकास में समन्वय स्थापित करना है।
- **जलीय जीव के रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases: NSPAAD):** इसका लक्ष्य जलीय कृषि में रोग निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF):** इसकी स्थापना मत्स्य क्षेत्रक से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करने के लिए की गई है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा:** अब KCC का लाभ मछुआरों को भी दिया जा रहा है। इसके तहत मछुआरें मत्स्य व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकते हैं।
- **ई-गोपाला ऐप:** इसका उद्देश्य बाजार की जानकारी प्रदान करके और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके जलीय कृषि कार्य में शामिल किसानों की मदद करना है।

[45] FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries

[46] Fish Farmer Producer Organisations

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.9.1. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council: NSAC)

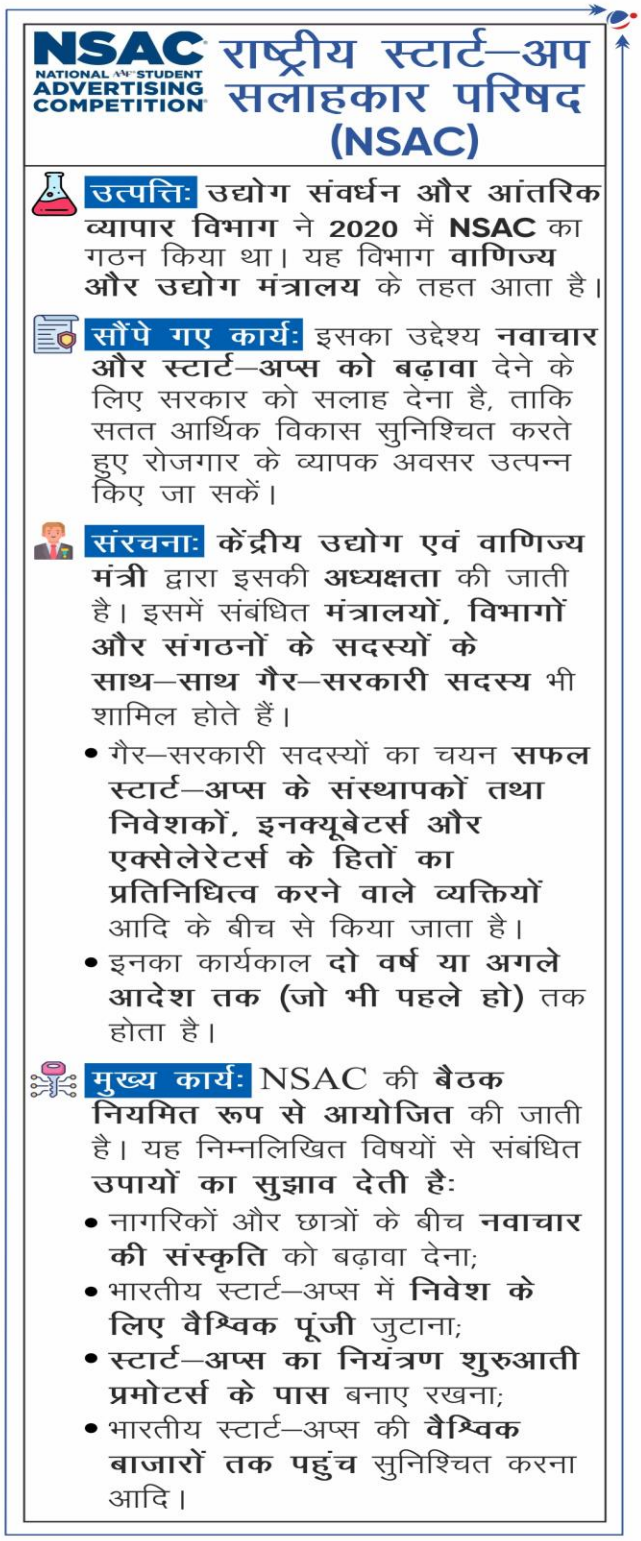

- NSAC का **दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने** पर, केंद्र सरकार ने **गैर-सरकारी सदस्यों** को मनोनीत किया है।
- **NSAC की प्रमुख उपलब्धियां:** NSAC ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को विकसित किया है व इनकी शुरुआत की है-
  - **MAARG**, **नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम**, **NavIC ग्रैंड चैलेंज** को अपनाना, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 आदि।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए **स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम** की शुरुआत की गई है।
- स्टार्ट-अप्स की फंडिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए **स्टार्ट-अप योजना** के तहत 10,000 करोड़ रुपये के साथ **फंड ऑफ फंड्स** का गठन किया गया है।
- स्टार्ट-अप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए **स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना** की शुरुआत की गई है।
- स्टार्ट-अप्स को सलाह देने के लिए **MAARG (यानी मेंटरशिप, एडवाइजरी, रेसिलिएंस एंड ग्रोथ) कार्यक्रम** की शुरुआत की गई है। यह एक **वर्चुअल प्लेटफॉर्म** है।

3.9.2. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया में सुधार (Reforming Sovereign Credit Rating Process)

- हाल ही में, CEA कार्यालय ने सॉवरेन रेटिंग से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा सॉवरेन रेटिंग निर्धारित करने के लिए अपनाई गई अपारदर्शी कार्यप्रणाली** के गंभीर मुद्दे को रेखांकित किया गया है।
- वर्तमान में, भारत को 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों यानी **स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच ने निवेश ग्रेड का दर्जा** दिया हुआ है।
  - रेटिंग एजेंसियां **सॉवरेन रेटिंग देने के लिए अलग-अलग मापदंडों का उपयोग** करती हैं।
    - इन मापदंडों में **संवृद्धि दर, राजनीतिक जोखिम, ऋण का बोझ, विनिमय दर व्यवस्था** आदि शामिल होते हैं।
- **प्रकट की गई प्रमुख चिंताएं**
  - रेटिंग पद्धति **विकासशील देशों को हानि** पहुंचाती है।
    - **फिच** की कार्यप्रणाली **बैंकों के विदेशी स्वामित्व को अधिक महत्त्व** देती है। इससे **विकास में राज्य-संचालित संस्थाओं की भूमिकाओं की अनदेखी** होती है।
  - एजेंसियों द्वारा **इस तरह के आकलन में शामिल किए गए विशेषज्ञों का अपारदर्शी तरीके से चयन** किया जाता है।
  - प्रत्येक मापदंड के लिए **निर्धारित भारांश पर स्पष्टता का अभाव** है।

    - पिछले 15 वर्षों से **भारत की रेटिंग BBB- पर स्थिर** रही है।
- **भारत 2008 में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि 2023 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन गया है। इस व्यापक प्रगति के बावजूद भी भारत की रेटिंग में सुधार नहीं दर्शाया गया है।
    - सब्जेक्टिव आकलन **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुके** होते हैं।
    - देशों की शासन व्यवस्था और संस्थागत गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए **CRAs विश्व बैंक के विश्वव्यापी गवर्नेंस संकेतकों पर अत्यधिक निर्भर** हैं।
- भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) ने **क्रेडिट रेटिंग फर्मों के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क** लागू किया है। यह फ्रेमवर्क **सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999** के तहत लागू किया गया है।
- **भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:**
    - क्रिसिल (CRISIL); CARE; ICRA; एक्यूइट रेटिंग्स; ब्रिकवर्क रेटिंग; इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड।

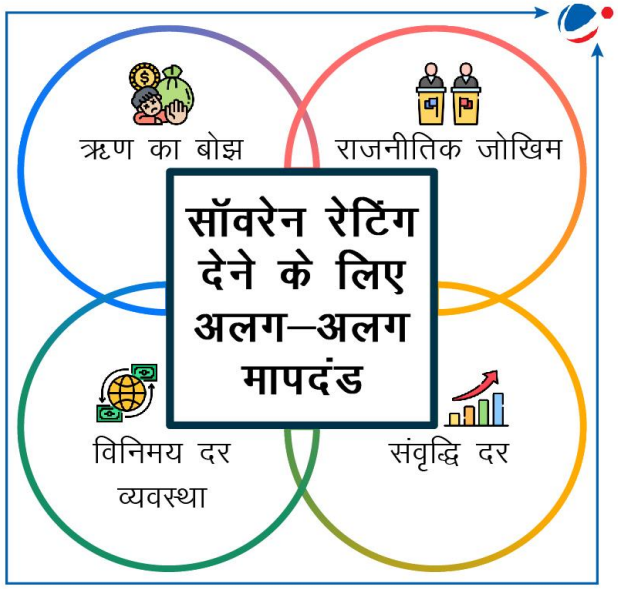

3.9.3. भारत सरकार की ऋण सुभेद्यताएं (Indian Government Debt Vulnerabilities)

- IMF ने अपनी वार्षिक **आर्टिकल IV कंसल्टेशन रिपोर्ट** में भारत को सतर्क किया है।
- हालांकि, सरकारी ऋण संबंधी सुभेद्यताओं पर IMF की चेतावनी पर **भारत ने असहमति व्यक्त की है।**
    - यह रिपोर्ट सदस्य देशों के साथ किए गए समझौते के अनुच्छेदों के तहत **IMF की निगरानी से जुड़े कार्य का हिस्सा** है।
- IMF ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए भारत की **वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को "फ्लोटिंग" से "स्थिर व्यवस्था" में पुनर्वर्गीकृत** किया है।
    - **स्थिर व्यवस्था (Stabilized arrangement):** यह वर्गीकरण तब किया जाता है, जब आधिकारिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप **विनिमय दर 6 महीनों में +/- 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी हो।**
- IMF ने बताया है कि भारत का **सामान्य सरकारी ऋण (General Government Debt: GGD) मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 100 प्रतिशत से अधिक** हो सकता है।
    - **GGD में केंद्र और राज्यों के ऋण** शामिल होते हैं।
    - पिछले साल **भारत का GGD, सकल घरेलू उत्पाद का 80.9%** था।
        - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 **GGD को 2024-25 तक GDP के 60 प्रतिशत तक सीमित करने** का प्रयास करते हैं।
- **IMF के तर्क और भारत सरकार की प्रतिक्रिया:**

विषय	IMF	भारत
सरकारी प्रतिभूतियां	सॉवरेन रिस्क प्रीमियम में अचानक वृद्धि से **बैलेंस शीट पर बोझ** पड़ सकता है और **बैंकों की ऋण देने की रुचि कम** हो सकती है।	यह चिंताजनक स्थिति नहीं है।
असुरक्षित (Unsecured) खुदरा ऋण	**ऋण भुगतान करने की क्षमता पर दबाव बढ़** सकता है और बैलेंस शीट संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है।	डिजिटलीकरण **से एक ओर ऋण में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर ऋण संबंधी जोखिम कम हो रहा** है।
मुद्रास्फीति	उच्च मुद्रास्फीति या संरचनात्मक सुधारों से **सामाजिक असंतोष का खतरा** हो सकता है।	**ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं।**
वित्तीय क्षेत्रक	बाहरी या घरेलू आघात से क्रेडिट संबंधी तनाव पैदा हो सकता है।	एक दशक से **बैंकिंग प्रणालियाँ वर्तमान में अपनी सर्वोत्तम स्थिति** में हैं।

3.9.4. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 (CGST Bill, 2023)

- संसद ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) (CGST) विधेयक, 2023 पारित किया है।
- इसके द्वारा **CGST अधिनियम, 2017 में संशोधन** किया जाएगा। इसका उद्देश्य **GST अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के सदस्यों के लिए योग्यता संबंधी शर्तों में संशोधन** करना है। साथ ही, इसके तहत **GSTAT के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु सीमा को भी बढ़ाया** जाएगा।
- CGST अधिनियम, 2017 **वस्तुओं और सेवाओं के राज्य के भीतर आपूर्ति पर CGST लगाने व उसका संग्रह करने** का प्रावधान करता है।
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को **GST परिषद की सिफारिश पर GSTAT स्थापित करने की भी अनुमति** देता है।
- GSTAT, **वस्तु एवं सेवा कर ढांचे के भीतर दूसरा अपीलीय प्राधिकरण** है। इसका कार्य CGST अधिनियम, 2017 और राज्य GST अधिनियमों के तहत **अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनना है।**

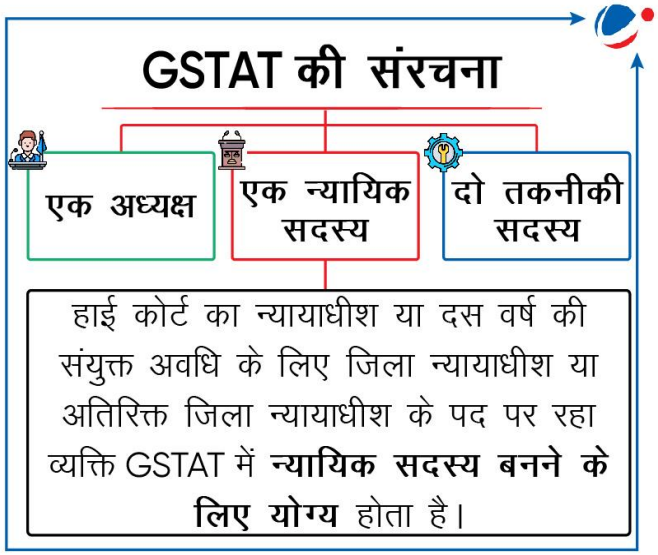

- **विधेयक के तहत किए जाने वाले मुख्य परिवर्तन:**
  - **GSTAT के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव:** यह **कम-से-कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त** करने का प्रावधान करता है। उसे **अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव** होना चाहिए।
    - GSTAT के **सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष** होगी।
  - GSTAT के **अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष** की गई है।

3.9.5. भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय किए (Policy Measures Taken by RBI)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कई विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय किए हैं।
- **कुछ विशिष्ट श्रेणियों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए लेन-देन की सीमा को बढ़ाया गया:**
  - **अस्पतालों** और **शैक्षणिक संस्थानों** को UPI से भुगतान करने की अधिकतम सीमा को **प्रति भुगतान 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये** करने का प्रस्ताव किया गया।
  - अभी **UPI से प्रति भुगतान लेन-देन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये** है। हालांकि, पूंजी बाजार; कलेक्शन (क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण पुनर्भुगतान व EMI); बीमा जैसी कुछ श्रेणियों के लिए **प्रति भुगतान लेन-देन की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये** है।
- **फिनटेक रिपॉजिटरी की स्थापना**
  - इस रिपॉजिटरी का संचालन **रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024 में या उससे पहले शुरू** कर दिया जाएगा।
- **ऋण संबंधी सेवाओं के वेब-एग्रीगेशन (WALP) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क**
  - यह ऋण सेवा प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के संचालन में **पारदर्शिता** बढ़ाएगा।
  - **WALP** एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इस पर विविध **ऋण दाताओं के लोन ऑफर उपलब्ध** होते हैं।
    - इससे **कर्ज चाहने वाले किसी व्यक्ति** के लिए एक ही जगह विविध ऋण दाताओं के ऋण प्रस्ताव उपलब्ध होते हैं। ग्राहक इनमें से आसान शर्तों वाले **बेहतर ऋण प्रस्ताव को चुन** सकते हैं।
  - **UPI के बारे में:**
    - **UPI** एक **त्वरित भुगतान प्रणाली** है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** ने विकसित किया है।
    - लेन-देन की सुरक्षा के लिए UPI में **टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)** प्रक्रिया अपनाई जाती है।
    - **भारत में 40% से अधिक डिजिटल लेन-देन UPI** के माध्यम से किए जाते हैं।
    - हाल ही में, **भारत ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका** के साथ **UPI भुगतान प्रणाली के उपयोग को लेकर समझौता** किया है।

3.9.6.बाह्य ऋण पर विश्व बैंक की सालाना 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट (IDR), 2023' (World Bank's Report on External Debt)

- विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट (IDR), 2023' जारी की है।
- इस रिपोर्ट में **निम्न और मध्यम आय वाले 122 देशों (LMICs) के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण** किया गया है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि:** LMIC द्वारा **सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत (Public and publicly guaranteed: PPG)** ऋण भुगतान (मूलधन + ब्याज) 2022 में **कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
    - ऐसे कुल ऋणों में से **एक-तिहाई से अधिक ऋणों पर परिवर्तनीय ब्याज दरें (Variable interest rates)** लागू होती हैं। इससे इन दरों में **अचानक वृद्धि का जोखिम** उत्पन्न हो जाता है।
  - **ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत:** बढ़ती ब्याज दरों और विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाह्य ऋण को चुकाना कठिन हो सकता है।
    - 2022 में **भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय (GNI) की 2% थी।**
  - **प्राथमिकताओं में कमी:** ऋण चुकाने से **विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पर खर्च में कमी** आ सकती है।
  - **धन का बाहर जाना:** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में **सख्त मौद्रिक नीति** के कारण निवेशकों को **अमेरिकी और यूरोपीय बॉण्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न** मिल रहा है।
    - इससे LMICs से निवल रूप से **127.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की धनराशि विदेशों में अंतरित हुई है।

बाह्य ऋण के बारे में

- **बाह्य ऋण** का तात्पर्य **देश के बाहर किसी स्रोत से उधार लिए गए धन** से है।
- यह **स्थानीय राजस्व में कमी की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत** है।
  - हालांकि, इसका **भुगतान उसी मुद्रा में किया जाना होता है, जिसमें इसे उधार लिया** गया होता है। इससे **विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण ऋण जोखिम बढ़** जाता है।

3.9.7. क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज (Crypto-Asset Intermediaries: MCI)

- वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने "मल्टीफंक्शन क्रिप्टो-एसेट इंटरमीडियरीज (MCIs) के वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।
- MCIs **क्रिप्टो-एसेट इकोसिस्टम का अभिन्न** हिस्सा हैं। क्रिप्टो-एसेट इकोसिस्टम में **क्रिप्टोकरेंसी, नॉन फंजिबल टोकन** इत्यादि शामिल हैं।
  - क्रिप्टो-एसेट मूल्य या अधिकार का डिजिटल रूप है। इसे **ब्लॉकचेन जैसी विकेंद्रीकृत लेजर (बहीखाता) तकनीक** का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर या स्टोर किया जा सकता है।
- MCIs **व्यक्तिगत फर्म या संबद्ध फर्मों के समूह** होते हैं। ये कई तरह की क्रिप्टो-आधारित **सेवाएं और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं तथा अन्य कार्य** करते हैं। ये कार्य मुख्य रूप से **ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन** से संबंधित हैं।
  - ऐसी कुछ फर्म्स (एक्सचेंज) हैं- **बिनेंस, बिटफिनेक्स, कॉइनबेस** इत्यादि।
- MCIs ने कुछ नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। जैसे- कम लागत पर क्रिप्टो-एसेट बाजारों तक पहुंच प्रदान करना; निवेश के अवसरों में विविधता लाना; उधार देने और उधार लेने की सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि।
- **MCIs से जुड़ी चिंताएं:**
  - **बाज़ार से संबंधित जोखिम:** बाजार पर किसी एक MCI का दबदबा, या फिर बाजार की किसी एक MCI पर अधिक

निर्भरता, एसेट्स और देनदारियों के बीच असंतुलन होना (liquidity mismatch) इत्यादि।

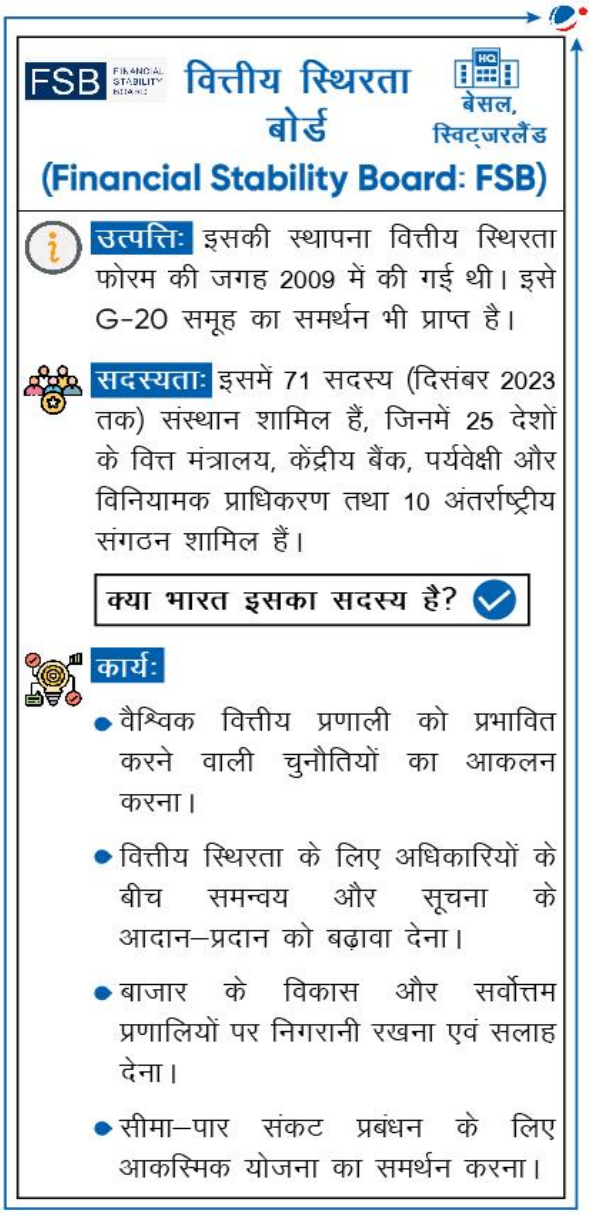

- **प्रौद्योगिकी और परिचालन संबंधी जोखिम:** जैसे- साइबर हमले।
  - MCIs से जुड़े जोखिम **पारंपरिक वित्तीय प्रणाली** के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, इसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
  - उपर्युक्त जोखिमों को दूर करने के लिए MCIs के पास **प्रभावी गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क नहीं हैं।**
- **पारदर्शी नहीं होना:** MCIs के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है। इस कारण इनके **राजस्व के स्रोत का पता नहीं चल पाता है।**

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नज़र:**
  - क्रिप्टो-एसेट्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक **वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क** को अपनाना चाहिए।
  - क्रिप्टो-एसेट्स के मामले में **दूसरे देशों के साथ सहयोग और सूचनाओं को साझा करने** को बढ़ावा देना चाहिए।
  - क्रिप्टो एसेट्स के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने और इसकी **रिपोर्टिंग को अनिवार्य** बनाना चाहिए। साथ ही, पारदर्शिता लाने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए।

3.9.8. कृषि फसल बीमा योजनाओं पर रिपोर्ट (Report on Agriculture Crop Insurance Schemes)

- लोक लेखा समिति (PAC) ने कृषि फसल बीमा योजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- इस **रिपोर्ट में विभिन्न फसल बीमा योजनाओं** पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें **"प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)" और "पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)"** भी शामिल हैं।

- PAC की यह रिपोर्ट कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित **2017 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर आधारित** है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **राज्य सरकारें** प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से की राशि का भुगतान करने में **देरी** करती हैं।
  - **2011 की जनगणना के आधार पर किसानों की कुल संख्या की तुलना में कम किसानों को फसल बीमा कवरेज** प्राप्त था। इसी प्रकार, बिना कर्ज वाले किसानों को न के बराबर बीमा कवरेज प्राप्त था।
  - **बीमा कवरेज में शामिल फसल, बीमा कवरेज वाले फसल क्षेत्र और फसल बीमा करने वाली कंपनियों** के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करने में **देरी** की जाती है।
  - फसल बीमा के दावों के निपटान में देरी होती है। इसके लिए **फसल की उपज से संबंधित डेटा भेजने में देरी, NEFT से संबंधित समस्याएं** आदि मुख्य कारण हैं।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

- वित्तीय मामलों पर संसद की **तीन समितियां** हैं। PAC इन्हीं में से एक है। अन्य दो समितियां हैं; **प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति।**
- **PAC में कुल 22 सदस्य** होते हैं। इनमें **15 सदस्य लोक सभा अध्यक्ष** द्वारा चुने जाते हैं, जबकि **7 अन्य सदस्य राज्य सभा के सभापति** द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य **केवल एक वर्ष** के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- PAC के **अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष** करता है।
- PAC का गठन पहली बार **1921 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों** के तहत किया गया था।

3.9.9. बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 (Basic Animal Husbandry Statistics 2023)

हाल ही में, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने **एनिमल इंटिग्रेटेड सैंपल सर्वे (मार्च 2022 - फरवरी 2023)** के आधार पर **बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023** जारी की।

- बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 में वर्ष 2022-23 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।
- **2018-19 से 2022-23 तक पिछले 5 वर्षों में:**
  - **दूध उत्पादन (श्वेत क्रांति):** दुग्ध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि हुई है। यह 187.75 मिलियन टन से बढ़कर 230.58 मिलियन टन हो गया है।
    - **प्रमुख योगदान:** उत्तर प्रदेश (15.72%), उसके बाद राजस्थान (14.44%)
  - **अंडा उत्पादन (रजत क्रांति):** अंडा उत्पादन में 33.31% की वृद्धि हुई है। संख्या के हिसाब से यह 103.80 अरब से बढ़कर 138.38 अरब हो गया है।
    - **प्रमुख योगदान:** आंध्र प्रदेश (20.13%), उसके बाद तमिलनाडु (15.58%)

क्या आप जानते हैं?

- भारत में **श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन** हैं। इन्हें **पद्म विभूषण** पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उन्होंने **भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व** किया था।

  - **मांस उत्पादन (गुलाबी क्रांति):** इसमें 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2018-19 में 8.11 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2022-23 के दौरान 9.77 मिलियन टन हो गया।
    - **प्रमुख योगदान:** उत्तर प्रदेश (12.20%), उसके बाद पश्चिम बंगाल (11.93%)
  - **ऊन उत्पादन:** ऊन का उत्पादन 40.42 मिलियन कि.ग्रा. से 16.84% घटकर 33.61 मिलियन कि.ग्रा. रह गया है।
    - **प्रमुख योगदान:** राजस्थान (47.98%), उसके बाद जम्मू और कश्मीर (22.55%)

3.9.10. नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल (National Geoscience Data Repository Portal: NGDRP)

केंद्रीय खान मंत्री ने **"नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल (NGDRP)"** शुरू किया है।

- **NGDRP के बारे में:**
  - इसे **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP), 2016** के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है।
  - यह पोर्टल एक ही **डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म पर सभी भू-वैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भू-भौतिकीय और खनिज अन्वेषण संबंधी डेटा सार्वजनिक रूप से** उपलब्ध कराएगा।
    - इसमें **बेसलाइन भू-विज्ञान डेटा** शामिल होगा। साथ ही, इसमें **केंद्र एवं राज्य सरकारों की अलग-अलग एजेंसियों द्वारा एकत्रित खनिज अन्वेषण संबंधी संपूर्ण जानकारी** शामिल होगी।
  - इस पोर्टल के विकास की जिम्मेदारी **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** को दी गई थी।
- **NGDRP पोर्टल का महत्त्व:**
  - यह पोर्टल डेटा तक ओपन एक्सेस प्रदान कर पारदर्शिता बढ़ाएगा तथा सूचना को साझा करने में मदद करेगा। इससे

अति-महत्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक डेटा के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह देश के अधिक हिस्से को **खनिज अन्वेषण के दायरे में** लाएगा। साथ ही, **अन्वेषण में तेजी लाएगा और अन्वेषण को आसान** बनाएगा।
  - यह खनन क्षेत्रक को **निवेश के लिए अधिक आकर्षक क्षेत्रक** बनाने में मदद करेगा।
- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP), 2016 के बारे में:**
  - इस नीति का उद्देश्य **निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर देश में खनिज अन्वेषण कार्यों में तेजी** लाना है।
  - **NMEP के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - पहचाने गए अन्वेषण ब्लॉक्स को अन्वेषण हेतु निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। निजी क्षेत्रों को ये अन्वेषण ब्लॉक्स **राजस्व-साझा** करने की नीति के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।
    - **बेसलाइन भूवैज्ञानिक डेटा को पब्लिक गुड** माना जाएगा।
    - अधिक गहराई में पाए जाने वाले तथा छिपे हुए स्वर्ण, चांदी, तांबे जैसे खनिज भंडार की पहचान के लिए **कम ऊंचाई से और क्लोज स्पेस फ्लाइट** की मदद ली जाएगी। इसके लिए **राष्ट्रीय एयरोजियोफिजिकल मैपिंग कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
(Geological Survey of India)

HQ कोलकाता

उत्पत्ति: इसकी स्थापना **1851** में हुई थी।

मंत्रालय: यह **खान मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।

कार्य:
- राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा संग्रह करना और अपडेट करना,
- खनिज संसाधनों का आकलन करना,
- हवाई और समुद्री सर्वेक्षण करना।

क्षेत्रीय कार्यालय: लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता

3.9.11. भारत में औद्योगिक गलियारा विकास (Industrial Corridor Development in India)

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एक 250 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 11 परियोजनाएं

1	दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
2	अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
3	चेन्नई–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC)
4	विज़ाग–चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC)
5	पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ECEC)
6	हैदराबाद–नागपुर औद्योगिक गलियारा (HNIC)
7	हैदराबाद–वारंगल औद्योगिक गलियारा (HWIC)
8	हैदराबाद–बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (HBIC)
9	बेंगलुरु–मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)
10	कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार
11	दिल्ली–नागपुर औद्योगिक गलियारा (DNIC)

©Vision IAS

- भारत सरकार और ADB ने भारत में **'औद्योगिक गलियारा विकास'** के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 250 मिलियन डॉलर का यह ऋण **नीति-आधारित ऋण** है। इस ऋण का उपयोग **औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम 2 के तहत निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:**
  - **एक वैकल्पिक वित्त-पोषण समाधान का विकास करना:** जैसे कि औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए हरित वित्त;
  - **औद्योगिक कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार** करना तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य पद्धतियों को एकीकृत करना।
- यह ऋण **अक्टूबर 2021 में ADB द्वारा उप-कार्यक्रम 1 के लिए मंजूर 250 मिलियन डॉलर ऋण** पर आधारित है। इसे **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICP)** के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु मंजूरी दी गई थी।
  - ADB एक **बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान** है। इसका उद्देश्य **एशिया एवं प्रशांत को एक समृद्ध, समावेशी, मजबूत तथा संधारणीय विकास वाला क्षेत्र बनाना** है। ADB का मुख्यालय **फिलीपींस की राजधानी मनीला** में है।
- **औद्योगिक गलियारे उद्योग और अवसंरचना के बीच प्रभावी एकीकरण** में सहायक होते हैं। इससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **औद्योगिक गलियारों का महत्त्व**
  - ये **वैश्विक वैल्यू चेन में भारत को एक मजबूत भागीदार** के रूप में स्थापित करते हैं।
  - ये **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के विकास के द्वारा विनिर्माण क्षेत्रक में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बनाते हैं।
  - गलियारे वाले राज्यों में **रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न होते हैं तथा गरीबी उन्मूलन** में योगदान मिलता है।
- **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICP) के बारे में**
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास** करना है। ये शहर दुनिया के **सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा** कर सकेंगे।
  - सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत **11 औद्योगिक गलियारों** के विकास को मंजूरी दी है। इनमें **32 परियोजनाएं** शामिल हैं, जिन्हें **चार चरणों** में पूरा किया जाएगा।
  - इन गलियारों का निर्माण **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट** के माध्यम से किया जाएगा।

3.9.12. एम्प्लीफाई 2.0 (AMPLIFI-2.0)

- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** ने एम्प्लीफाई 2.0 पोर्टल शुरू किया है।
  - **एम्प्लीफाई 2.0 (AMPLIFI-2.0):** असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर-रेडी अर्बन इंडिया (Assessment and Monitoring Platform for Liveable, Inclusive, and Future-Ready Urban India)

इस पोर्टल के बारे में

- इस पोर्टल का लक्ष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों से जुड़ा **प्राथमिक डेटा (Raw Data)** उपलब्ध कराना है। यह **शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और हितधारकों** को डेटा के आधार पर नीतियां बनाने में मदद करेगा। प्राथमिक डेटा (Raw Data) ऐसा डेटा होता है, जिसे **किसी प्रक्रिया के लिए प्रॉसेस नहीं** किया गया होता है।
- वर्तमान में, **225 शहरी स्थानीय निकायों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा** गया है। इस पोर्टल पर **150 शहरों के डेटा उपलब्ध** हैं।
- यह पहल **ओपन डेटा के आधार पर शहरी विकास के लिए नए फ्रेमवर्क्स** बनाने का अवसर प्रदान करती है।

3.9.13. अराजक-पूंजीवाद (Anarcho-Capitalism)

- अराजक-पूंजीवाद **राजनीतिक दर्शन** का एक प्रकार है। यह दर्शन **राज्य (सरकार) की समाप्ति और मुक्त बाजार व्यवस्था में निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित कानून एवं व्यवस्था का समर्थन** करता है।
  - पारंपरिक रूप से, **मुक्त बाजार के समर्थक पुलिस और अदालतों को छोड़कर** अधिकतर वस्तुओं व सेवाओं के प्रबंधन को निजी हाथों में देने का समर्थन करते रहे हैं।

- **अराजक-पूंजीपतियों** का मानना है कि मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाली **निजी कंपनियां सरकार की तुलना में बेहतर पुलिसिंग और कानूनी सेवाएं प्रदान** कर सकती हैं।
- अराजक-पूंजीवाद शब्दावली **मर्रे रोथबर्ड ने प्रस्तुत** की थी।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

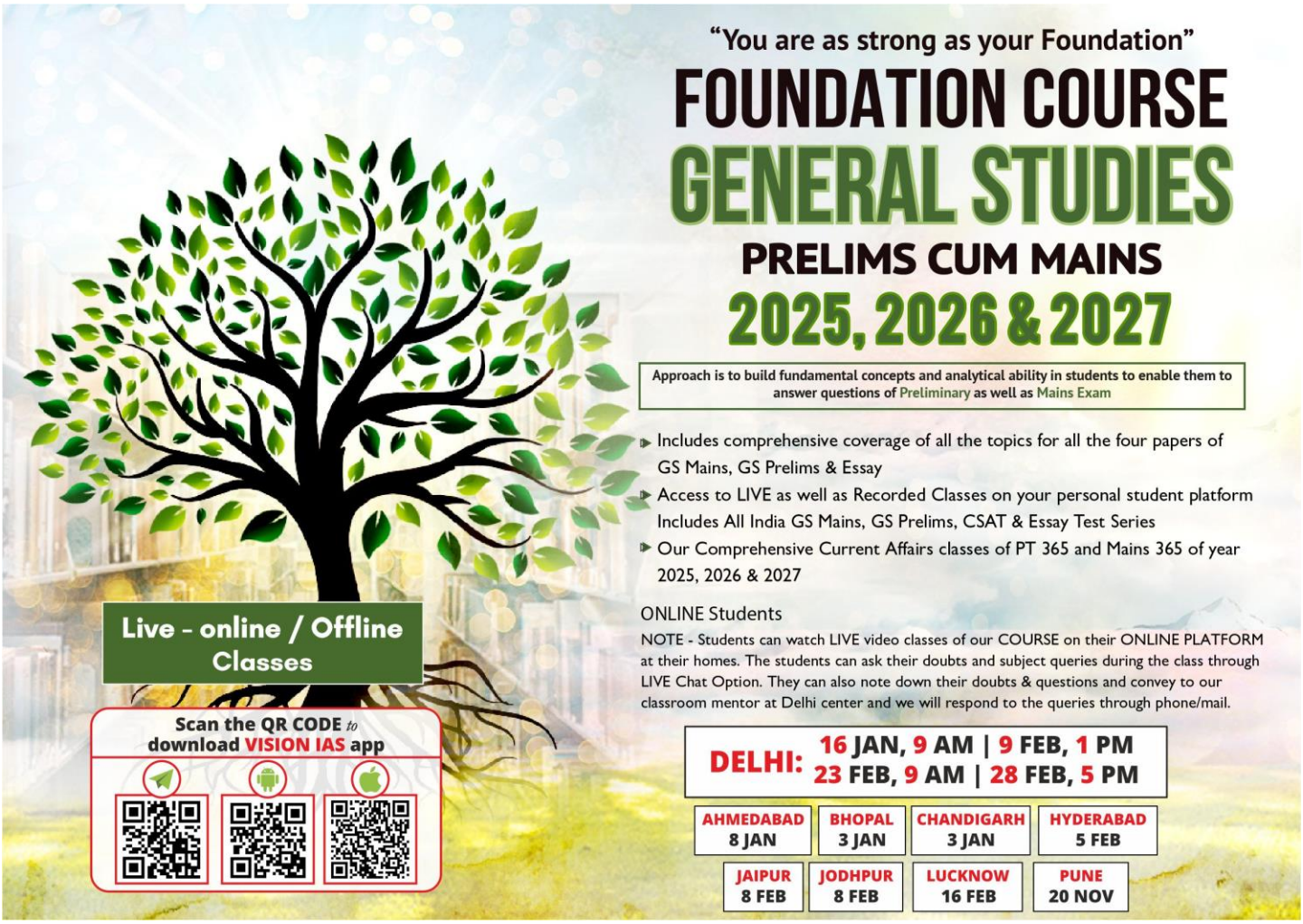

4. सुरक्षा (Security)

4.1. 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी (15th Anniversary of 26/11 Mumbai Attacks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इजरायल ने 26/11 के मुंबई हमलों की 15वीं वर्षगांठ के प्रतीक के तौर पर **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** को आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।

वे कमियां जो 26/11 हमले का कारण बनीं

- **पुलिस से संबंधित कमियां:**
  - आतंकवादी हमलों का सामना करने और बंधकों को बचाने के लिए **मॉक ड्रिल जैसे प्रशिक्षण का अभाव।**
  - पुलिस के लिए **हथियारों और गोला-बारूद की उपलब्धता में कमी।**
  - भारत की समुद्री सुरक्षा कमजोरियां, जैसे **गहरे समुद्र में निगरानी का अभाव और खराब तटीय पुलिसिंग।**
- **खुफिया विभाग की विफलता और सुरक्षा में चूक:**
  - समुद्र मार्ग से आने वाले आतंकवादियों के संबंध में **केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास विशेष जानकारी का अभाव** था।
  - खुफिया अलर्ट को यांत्रिक रूप से संचारित करने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर **खुफिया अलर्ट की प्रोसेसिंग में भ्रम की स्थिति** उत्पन्न हुई।
  - वॉयस-ओवर-इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) सहित **अत्यधिक जटिल अत्याधुनिक संचार का उपयोग** किया गया था, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां इंटरसेप्ट करने में असमर्थ रहीं।
- **हमले के बाद प्रकट हुई कमियां:**
  - मुंबई पुलिस की होटलों सहित निजी परिसरों में लगे **CCTV कैमरों तक पहुंच उपलब्ध नहीं थी।**
  - आतंकवादी हमलों का तत्काल जवाब देने के लिए **प्रशिक्षित अधिकांश फ्लाइंग स्क्वॉड्स आपातकालीन ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं थे।**
  - प्रशिक्षित NSG और मरीन कमांडो को पहुंचने में काफी समय लगा था, क्योंकि **मुंबई में कोई NSG केंद्र नहीं था।**

26/11 के बाद किए गए सुधार

- **समुद्री सुरक्षा में वृद्धि:**
  - **भारतीय तटीय क्षेत्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा को मजबूत** किया गया है और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
    - **भारतीय नौसेना:** 200 नॉटिकल मील (nm) से आगे
    - **भारतीय तटरक्षक बल:** 12 से 200 nm
    - **समुद्री पुलिस:** तट से 12 nm तक
  - **भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा का समग्र प्रभार दिया गया,** जबकि भारतीय तटरक्षक बल को क्षेत्रीय जल की निगरानी और नए समुद्री पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।
  - नौसेना के भीतर एक अलग डिवीजन के रूप में **सागर प्रहरी बल (SPB)** का गठन किया गया है।
  - भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में गश्त और बचाव कार्यों के लिए सरकार ने **फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स (FICs)** को शामिल किया है।
  - **सी विजिल** की शुरुआत की गई है। यह एक **तटीय रक्षा अभ्यास** है। इसे **भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल** द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- **बेहतर समन्वय और प्रतिक्रिया:**
  - **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन** किया गया है। यह देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच एवं मुकदमा चलाने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है।
  - आतंकी हमलों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए **कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, दिल्ली और मुंबई में NSG हब** बनाए गए हैं।
  - एक साझा आतंकवाद रोधी ग्रिड के रूप में **इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)** को मजबूत किया गया है।

- **पश्चिमी देशों से सहयोग:**
  - 2008 के बाद से **संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA और यूनाइटेड किंगडम की MI6** जैसी पश्चिमी एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार हुआ है।
  - वैश्विक स्तर पर भारत के प्रयास के कारण **पाकिस्तान को FATF[47] की ग्रे सूची** में शामिल किया गया है। इससे पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के वित्त-पोषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- **पुलिस का आधुनिकीकरण:** केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सेना व CAPFs पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने में राज्यों की मदद कर रही है।
  - यह कार्य **सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण तथा उन्हें आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, फोरेंसिक सेट-अप** आदि प्रदान करके किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बारे में

- NIA एक **केंद्रीय आतंकवाद रोधी विशेष एजेंसी** है। इसका गठन 26/11 हमले के बाद किया गया था।
- **शक्तियां:**
  - यह राज्यों की विशेष अनुमति के बिना आतंकवाद संबंधी अपराधों की जांच कर सकती है।
  - मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है।
  - इसे भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, NIA की यह शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों द्वारा विनियमित है।
- **NIA निम्नलिखित अधिनियमों के तहत अपने अधिकार-क्षेत्र का उपयोग कर सकता है**
  - परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962,
  - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
  - गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 आदि।
- **2019 में NIA अधिनियम में संशोधन करके निम्नलिखित से संबंधित अनुसूचित अपराध जोड़े गए थे-**
  - मानव तस्करी (IPC की धारा 370 व 370A);
  - जाली मुद्रा से संबंधित अपराध (IPC की धारा 489A से 489E तक);
  - प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री {शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1AA)}; तथा
  - साइबर अपराध (धारा 66F, आईटी अधिनियम 2000)।

भविष्य में उठाए जाने वाले संभावित कदम

- **वैश्विक प्रयास:** भारत को आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना हेतु दबाव बनाते रहना चाहिए।
- FATF, UNCAC, UNODC आदि का उपयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर बैंकों और सरकारों को एक साथ लाकर, आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- देशों द्वारा सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि पर ऐसे कंटेंट के प्रसार पर रोक लगानी चाहिए या उनके खिलाफ चेतावनी जारी की जानी चाहिए व जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। साथ ही सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि के सुरक्षित उपयोग हेतु उपाए करने चाहिए।
- **हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा** क्षेत्र के देशों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। इसके लिए श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों को शामिल करते हुए निगरानी हेतु एक साझा तंत्र निर्मित किया जा सकता है।

[47] Financial Action Task Force/ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

4.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता (Peace and Stability in Northeast Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में स्थिरता लाने के लिए **दो विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर** किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत सरकार और **मणिपुर** सरकार ने **यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)** के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - UNLF का गठन **1964** में हुआ था। UNLF पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सबसे पुराना **मैतेई विद्रोही समूह** है।
  - 1990 में इस समूह ने भारत से मणिपुर की **'मुक्ति'** के लिए **सशस्त्र संघर्ष शुरू करने** का निर्णय लिया था। इसके बाद **मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA)** नामक एक सशस्त्र विंग का गठन किया गया था।
  - आगे चलकर UNLF **दो गुटों** में विभाजित हो गया। इनमें से **कोइरेंग के नेतृत्व वाला गुट सरकार के साथ शांति वार्ता का विरोध** करता है।
- हाल ही में केंद्र सरकार, **असम** सरकार और **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA/ उल्फा)** के प्रतिनिधियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
  - **उल्फा** का गठन **1979** में किया गया था। इसे असम के देशज लोगों के लिए एक **"संप्रभु असम"** की मांग के लिए गठित किया गया था।
    - अपने गठन के बाद से ही इस संगठन ने **कई हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम** दिया है। इन सबके चलते केंद्र सरकार ने **1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन** घोषित कर दिया था।
  - **2011 में उल्फा दो गुटों में विभाजित हो गया था।**
    - इनमें से एक गुट ने **'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' समझौते (2011) पर हस्ताक्षर के बाद सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होने की घोषणा** की थी।
    - **उल्फा (इंडिपेंडेंट)** के नाम से बना **दूसरा गुट शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं** हुआ था।
- पिछले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों के साथ **9 शांति और सीमा संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर** किए गए हैं।

अन्य समझौते

- **असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता (2023):** इसके तहत असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबित सीमा विवाद का पूर्ण समाधान किया गया है।
- **असम-मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता (2022):** इसके तहत असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद से जुड़े कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों पर विवाद का निपटारा किया जा चुका है।
- **आदिवासी शांति समझौता (2022):** इसके तहत असम के 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट (MoS) पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता असम में आदिवासियों और चाय बागान कामगारों के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने से संबंधित है।
- **कार्बी आंगलोंग समझौता (2021):** असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए कार्बी समूहों के साथ समझौता किया गया है।
- **बोडो समझौता (2020):** लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए असम के बोडो समूहों के साथ समझौता किया गया है। ज्ञातव्य है कि बोडो समुदाय अलग बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहा है तथा अपने उद्देश्य की पूर्ती के लिए हिंसा और विद्रोह का सहारा ले रहा है।
- **ब्रू-रियांग समझौता (2020):** यह समझौता 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को हल करने के लिए किया गया है। इसके तहत आंतरिक रूप से विस्थापित 37,000 से अधिक लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है।
- **NLFT (SD) समझौता (2019):** नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT/SD) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट (MoS) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

NER में शांति और स्थिरता के समक्ष चुनौतियां

- **सांस्कृतिक विविधता:** एक अनुमान के अनुसार NER में 247 से अधिक नृजातीय समुदाय और जनजातियां निवास करते/ करती हैं। इनकी अपनी भाषा, रीति-रिवाज एवं परंपराएं हैं।

- इससे जनजातियों के बीच; जनजातियों व देशज गैर-जनजातियों के बीच तथा देशज लोगों व देश के शेष हिस्से के लोगों के मध्य बहिष्करण व अलगाव की भावना विकसित होती है।

NER में शांति स्थापित करने का महत्त्व

NER के **विकास के लिए नए विकल्प** उपलब्ध होंगे जैसे– पर्यटन, व्यापार आदि।	पूर्वोत्तर भारत के **युवाओं को अपना बेहतर भविष्य बनाने** का मौका मिलेगा।	सशस्त्र समूहों व सुरक्षा बलों के बीच **संघर्ष को खत्म किया जा सकेगा।**	**जन–हानि, जबरन वसूली, अपहरण और अन्य हिंसक घटनाओं में कमी आएगी।**	**अन्य विद्रोही समूह शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे।** साथ ही, वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे प्रस्तुत कर सकेंगे।	**पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी।**	आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे **राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा।**

- **विद्रोहात्मक प्रवृत्ति:** आजादी के बाद से ही यह क्षेत्र विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अलग-अलग सशस्त्र समूह और गुट सक्रिय हैं।
- **छिद्रिल (Porous) सीमाएं:** NER **अवैध प्रवासियों की घुसपैठ** के प्रति सुभेद्य है। इससे वहां के आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से असम के भीतर घुसपैठ।
  - छिद्रिल सीमाओं के कारण हथियार व मादक पदार्थों के तस्करों सहित विद्रोही व अपराधी आसानी से सीमा पार कर लेते हैं। **म्यांमार सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश** बन गया है। इस कारण NER से मादक पदार्थों की बहुत अधिक तस्करी हो रही है।
- **क्षेत्रीय संघर्ष:** वर्तमान में कई **अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय राज्यक्षेत्रीय संघर्ष** जारी हैं। उदाहरण के लिए, असम-मिजोरम सीमा विवाद आदि।
- **विद्रोही समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** विद्रोही समूहों के भीतर गुटबाजी और फूट का वार्ता समर्थक तत्वों के साथ वार्ता पर प्रभाव पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए, **नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (NSCN) के मुइवा गुट और खापलांग गुट** की आपसी प्रतिद्वन्द्विता **नागा शांति वार्ता को जटिल** बना रही है।

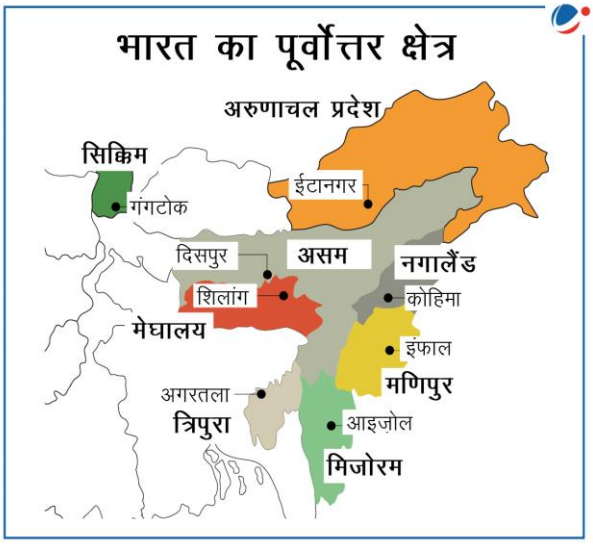

- **बेहतर अवसंरचना की कमी:** NER में भौतिक (जैसे- सड़क मार्ग, जलमार्ग व ऊर्जा) तथा सामाजिक (जैसे- शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाएं) दोनों अवसंरचनाओं की कमी है।

NER में शांति और स्थिरता लाने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- उत्तर-पूर्व के एक बड़े हिस्से से **सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA)** के तहत शामिल अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम किया गया है। उदाहरण के लिए-
  - **असम के 85% क्षेत्र** से AFSPA को हटा लिया गया है।
  - AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र की अधिसूचना **2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से पूरी तरह से वापस** ले ली गई है।
- **उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS):** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है। इसके तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी और पहचाने गए अन्य क्षेत्रकों में अवसंरचना के विकास में सहायता की जाती है।
- **उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास के लिए संशोधित योजना:** इस योजना के तहत गुमराह हुए युवाओं को विद्रोही व लड़ाका समुदायों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन/ PM-DevINE):** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है। इसका उद्देश्य अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त-पोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का तेजी से व समग्र विकास करना है।
- **पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना:** इसमें **आठ** राज्यों को जोड़ने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास, संचालन और रखरखाव (O&M) शामिल है।

- **उत्तर-पूर्व के लिए NITI फोरम:** इसका उद्देश्य NER के विकास के लिए समावेशी और सतत आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना तथा उचित हस्तक्षेप की सिफारिश करना है।
- **एक्ट ईस्ट नीति:** इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ अलग-अलग स्तरों पर व्यापक आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकीकरण को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

- **समग्र दृष्टिकोण:** सरकार को इस क्षेत्र को शेष भारत से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए सड़कों, रेलवे लाइनों जैसी अवसंरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देकर शांति प्रयासों में सहयोग करना चाहिए।
- **क्षेत्रीय औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना:** कृषि प्रसंस्करण, बागवानी, वस्त्र उद्योग जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इन उद्योगों के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में है।
- **शांति वार्ता को जारी रखना:** सरकार को चर्चा के माध्यम से विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता और अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करते रहना चाहिए।
- **संस्कृति को संरक्षित करना:** पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनूठी बोलियों, भाषाओं, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को संरक्षित व बढ़ावा देने से सांस्कृतिक विभेदों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **अवैध प्रवासन को रोकना:** विदेश मंत्रालय को अवैध प्रवासन के मुद्दे के समाधान के लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय करना चाहिए।
    - सरकार को पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ अवैध प्रवासियों की स्वदेश वापसी का मुद्दा शीर्ष स्तर पर उठाना चाहिए।
- **सीमा प्रबंधन:** सीमा-पार से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों, अधिक सुरक्षाकर्मियों और बेहतर अवसंरचना के जरिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए।
- **उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 में संशोधन:** मूल 'संघर्ष-समाधान प्रावधान' को फिर से लागू करने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए परिषद को 'क्षेत्र में दो या दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उस पर केंद्र सरकार को सलाह देने' का प्रावधान किया जाना चजिए।

4.3. समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाना (Securing Maritime Trade Routes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

समुद्री क्षेत्र में घटित हालिया हिंसक घटनाओं ने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **लाल सागर में हूथी हमले: यमन** के हूथी विद्रोही गाजा पर इजरायल की बमबारी के जवाब में **बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य** से होकर गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। यह जलडमरूमध्य **स्वेज नहर (लाल सागर) के दक्षिण** में स्थित है।
    - लाल सागर में **MV केम प्लूटो** नामक जहाज भारत आते समय **ड्रोन हमले** का शिकार हो गया था।
- **अरब सागर में पायरेसी: माल्टा** में पंजीकृत जहाज **MV रुएन का सोमालिया के पास अरब सागर** में अपहरण कर लिया गया था।
    - भारतीय नौसेना ने इस समस्या से निपटने के लिए **"प्रथम प्रतिक्रियादाता"** की भूमिका निभाई थी। भारत ने तुरंत आपातकालीन कदम उठाए और क्षेत्र में निगरानी करने के लिए **नौसेना के समुद्री गश्ती विमानों को तेजी से तैनात** किया।
- इसके अलावा, **पनामा नहर विगत कई दशकों से अपने सबसे शुष्क वर्षा ऋतु** के दौर से गुजर रही है। इस कारण पनामा जलस्तर कम हो गया है तथा **पिछले तीन महीनों में पचास प्रतिशत जहाजों ने पनामा नहर से गुजरना बंद** कर दिया है।

स्वेज नहर	पनामा नहर
• यह **मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर** को जोड़ने वाला एक **कृत्रिम समुद्री जलमार्ग** है। • **लंबाई- 193 किलोमीटर।** • यह **पूर्व और पश्चिम के बीच का सबसे छोटा मार्ग है।** • **व्यापार की मात्रा:** 2020 में **वैश्विक व्यापार का 12%** हिस्सा इसके जरिए संपन्न होता है। यह कुल वैश्विक कंटेनर यातायात का **30% हिस्सा** कवर करता है। • यह दुनिया के अनुमानित **7-10% तेल और 8% तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन** को सक्षम बनाता है। 	• यह एक **80 किलोमीटर लंबी** नहर है। यह **अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर** को आपस में जोड़ती है। • इसके प्रवेश और निकास द्वार पर **लॉक्स कम्पार्टमेंट** की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके लॉक्स जल के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। • पनामा नहर का स्वामित्व **पनामा गणराज्य** के पास है और वह इसका संचालन भी करता है। • **व्यापार की मात्रा:** वैश्विक व्यापार का लगभग 6% हिस्सा इस नहर के जरिए संपन्न होता है। 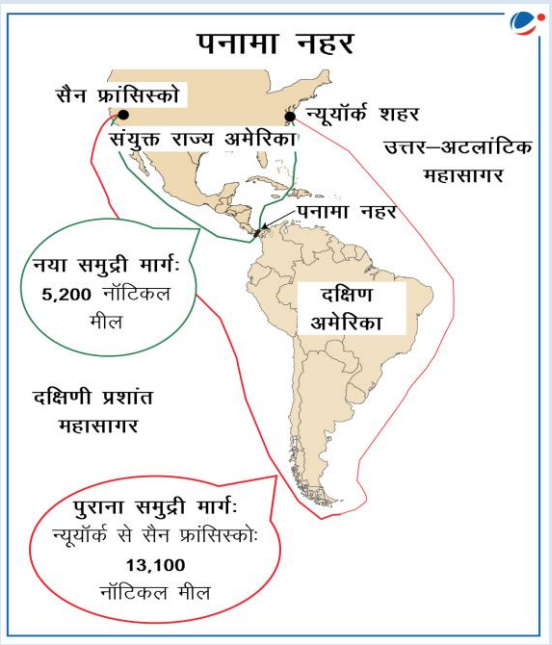

समुद्री मार्गों पर हाल में उत्पन्न खतरों का प्रभाव

- **भू-राजनीतिक तनाव:** हूथी समूहों को **ईरान से मदद** मिलती है और **रूस को ईरान का सहयोगी** माना जाता है। हूथी समूह **पश्चिमी देशों और इजरायल का विरोध** करता है। इनके हमलों से युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ है।
- **मुद्रास्फीति:** समुद्री व्यापार पर उच्च शुल्क (अधिभार, उच्च बीमा आदि) वसूलने और यात्रा में लगने वाले समय में वृद्धि होने से व्यापार की लागत (ईंधन की अधिक खपत और चालक दल के कार्य की लागत) में भी बढ़ोतरी होगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा।
  - उदाहरण के लिए, लाल सागर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण शिपमेंट को केप ऑफ गुड होप से होकर भेजा जा रहा है। इस कारण भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में 10-20% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का 80% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों के व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होकर गुजरने वाले लंबे समुद्री मार्ग का प्रयोग करने से प्रत्येक जहाज के लिए CO_2 उत्सर्जन में 20% से 35% की वृद्धि होगी।
- **भारत पर प्रभाव**
  - **निर्यात पर प्रभाव:** यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापार गंतव्य है। स्वेज नहर यूरोपीय संघ के साथ व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है।
    - उदाहरण के लिए, यूरोप और मध्य-पूर्व को 500,000 टन नए सीजन के बासमती चावल का निर्यात करने की भारत की योजना खतरे में पड़ सकती है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम:** लाल सागर **तेल और गैस शिपमेंट** के लिए एक प्रमुख मार्ग है।
    - वित्त वर्ष 2023 में भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 65% हिस्सा स्वेज नहर से होकर गुजरने की संभावना थी।
  - **राजनयिक संबंध:** भारत ईरान और इजरायल दोनों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखता है। इससे समग्र राजनयिक परिदृश्य निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

समुद्री मार्ग से व्यापार को सुरक्षित बनाने के उपाय

वैश्विक

- **संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर** में समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा के लिए एक **बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन** की घोषणा की है।
  - इसके अंतर्गत अपनाए गए उपायों के तहत अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन **दक्षिणी लाल सागर में संयुक्त गश्ती अभियान का संचालन** करेंगे।

भारत

- **तैनाती:** नौसेना के पास वर्तमान में मर्चेंट शिपिंग पर सशस्त्र डकैती और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए **प्रोजेक्ट 15B एवं 15A श्रेणी के चार स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक** पोत हैं।
- **राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NMDA) परियोजना:** इसमें समुद्री क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले खतरों का रियल टाइम में पता लगाने और उनसे निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया ग्रिड शामिल है।
- **इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR)** सक्रिय रूप से हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। यह संगठन भागीदारी देशों को **अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर बेहतर नजर रखने, संभावित खतरों की पहचान करने और आवश्यक कदम उठाने में समन्वय करने** में मदद करता है।
- भारतीय नौसेना ने नवंबर 2023 में **गिनी की खाड़ी में दूसरे समुद्री डकैती-रोधी गश्ती अभियान** का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

आगे की राह

- **आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण:** यह न केवल लोचशीलता को बढ़ाएगा, बल्कि अधिक अनुकूल वैश्विक व्यापार अवसंरचना के निर्माण में भी योगदान देगा।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से निपटने के लिए रणनीतिक बदलाव:** हूथी विद्रोही जैसे समूहों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का पता लगाना चाहिए। साथ ही, उनके प्रभाव से निपटने हेतु समुद्री सुरक्षा रणनीतियों में आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है।

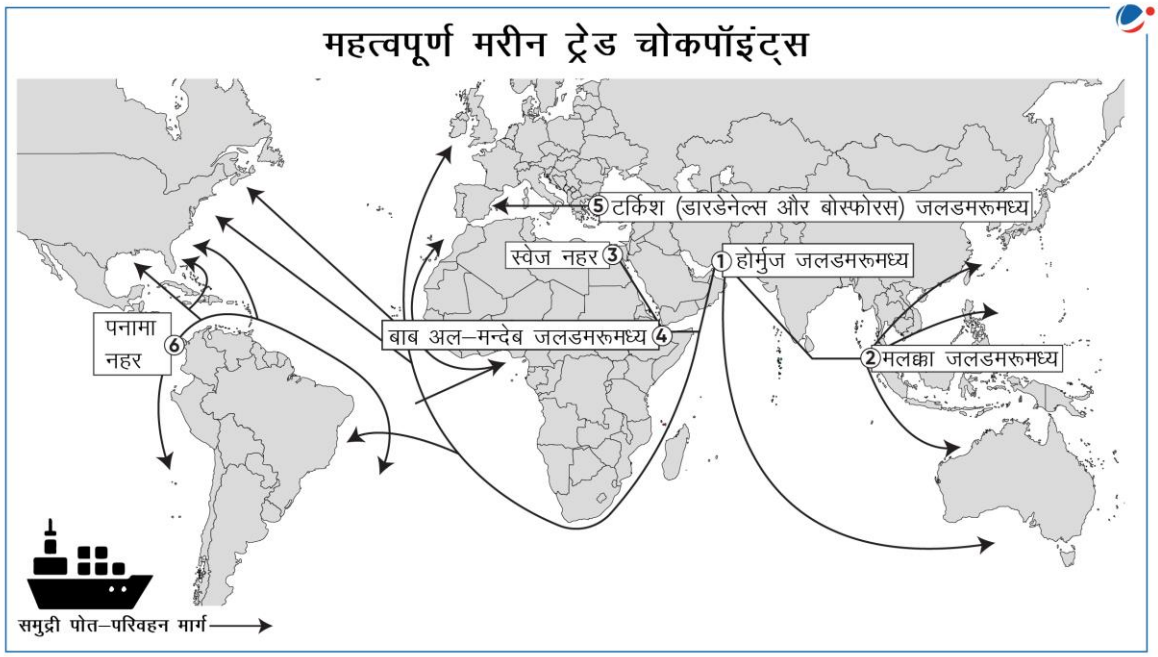

- **वैश्विक सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय समूहों का लक्ष्य क्षेत्रीय समुद्री मार्गों में स्थिरता को बनाए रखना, चोक पॉइंट्स को सुरक्षित बनाना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा विकास मॉडल तैयार करना होना चाहिए।
- **मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका:** एक प्रभावित पक्ष और बड़े व्यापारिक राष्ट्र के रूप में भारत को ईरान और इजरायल सहित मध्य-पूर्व में अलग-अलग देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।
- **राजनयिक संवाद:** संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने और व्यवधान से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

संबंधित सुर्खियां:

मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (MAHASAGAR)

- उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन MHASAGAR का पहला संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्र के समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय वर्चुअल वार्ता है।
  - इसमें **हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देश,** यथा- बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- यह **MHASAGAR** पहल का पहला संस्करण था। इसकी थीम थी- **"सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण (Collective Maritime Approach towards Countering Common Challenges)"।**
- यह सरकार की **सागर/ SAGAR[48] पहल** के अनुरूप है।

यार्ड 12706 (इम्फाल)

- रक्षा मंत्रालय ने **यार्ड 12706 (इम्फाल युद्धपोत)** के क्रेस्ट का अनावरण किया है। इम्फाल, **प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे चार स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा** है।
- यह एक शक्तिशाली और बहु-उपयोगी प्लेटफॉर्म है। यह **सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पोत-रोधी मिसाइलों और टॉरपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों एवं सेंसरों से लैस** है।
- इसे भारतीय नौसेना के **युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो** ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण **मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)** ने किया है।
- **प्रोजेक्ट 15B** पिछले दशक में नौसेना में शामिल किए गए **कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों (प्रोजेक्ट 15A) का अनुवर्ती है।**
  - **आईएनएस विशाखापत्तनम** प्रोजेक्ट 15B का पहला पोत था। इस पोत को **2021 में भारतीय नौसेना** में शामिल किया गया था।

4.4. इंटरपोल (Interpol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑस्ट्रिया के विएना में इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक** संपन्न हुई। इस बैठक में इंटरपोल की **शताब्दी वर्षगांठ** मनाई गई।

91वीं महासभा से संबंधित मुख्य तथ्य

- वियना घोषणा-पत्र **'चैलेंजिंग द राइज ऑफ़ ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम[49]'** जारी किया गया है। इसके तहत **5 प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों** की सूची जारी की गई है।
- भारत ने इस दौरान **अपराध, अपराधियों और अपराध से प्राप्त आय के लिए कोई सुरक्षित शरण उपलब्ध न होने** की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत ने आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने व उन्हें रोकने के लिए **इंटरपोल के जरिए "ठोस कार्रवाई"** किए जाने की भी मांग की।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO- INTERPOL/ इंटरपोल) के बारे में

- इंटरपोल[50] की स्थापना **1923** में की गई थी। इसे **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC)** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **1956** में इंटरपोल का एक आधुनिक संविधान अपनाया गया था। साथ ही, ICPC को इंटरपोल के रूप में पुनर्गठित भी किया गया था।

[48] Security and Growth for all in the Region/ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास

[49] Challenging the rise of transnational organized crime

[50] International Criminal Police Organization / अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन

- **मुख्यालय: ल्योन** (फ्रांस)।
- **महासभा:** यह नीतिगत, वित्तीय तथा अन्य मुख्य विषयों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी बैठक **प्रतिवर्ष** आयोजित की जाती है। इसमें **प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि** शामिल होते हैं।
- **सदस्य: भारत** सहित कुल **196 देश** इसके सदस्य हैं।
    - **भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल** हुआ था।
- **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (National Central Bureau: NCB):** प्रत्येक सदस्य देश में इसका एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) होता है। ये NCBs, इंटरपोल की सभी गतिविधियों का समन्वय करती है।
    - भारत में **केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)**, NCB की भूमिका निभाता है।
- **इंटरपोल के कार्य:** यह अग्रलिखित **चार वैश्विक अपराधों से निपटने** में देशों की मदद करता है। ये अपराध हैं: **आतंकवाद; साइबर अपराध; संगठित अपराध; तथा वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार-रोधी कार्यवाही।**
- **डेटाबेस:** इसके तहत **व्यक्तियों** (नाम, उंगलियों के निशान आदि); **चोरी की गई संपत्तियों** (पासपोर्ट, वाहन, कलाकृतियां आदि); **हथियारों की तस्करी** और **संगठित अपराध नेटवर्क** के बारे में जानकारी वाला डेटाबेस तैयार किया जाता है।
- **नोटिस:** इंटरपोल दुनिया भर में जानकारी के लिए अलर्ट जारी करने और अनुरोध साझा करने में देशों को सक्षम बनाने हेतु नोटिस जारी करता है।

इंटरपोल का मुख्य योगदान

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों के खिलाफ समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए **इंटरपोल वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार रोधी केंद्र (IFCACC)** का गठन किया गया है।
    - 2022 में, इंटरपोल ने सदस्य देशों को साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली **200 मिलियन डॉलर की आपराधिक आय** को जब्त करने में मदद की थी।
- **इंटरपोल के ऑपरेशन:** मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने पर केंद्रित **ऑपरेशन लायनफिश** के तहत भारत में मादक पदार्थों को जब्त किया गया है।
- परिसंपत्तियों की वसूली पर अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने के लिए **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) और इंटरपोल की संयुक्त पहल** की शुरुआत की गई है।
- खेल प्रतिस्पर्धाओं में होने वाली हेराफेरी पर अंकुश लगाने के लिए **इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स (IMFTF)** का गठन किया गया है।
- इंटरपोल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों को नई प्रौद्योगिकियों को समझने और उन्हें अपनाने में सहायता करने हेतु **UNCCT** के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है।
    - **UNCCT: संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी केंद्र।**
- इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने एक संयुक्त अभियान का संचालन किया था। इस अभियान के तहत **वन्यजीव और लकड़ी के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई** की गई थी।
- **इनोवेशन-एज-ए-सर्विस (INaaS)** अपने सदस्य देशों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने हेतु नई अंतर्दृष्टि और रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करने की पेशकश करता है।

इंटरपोल के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **कानूनी और संरचनात्मक सीमाएं:**
    - इंटरपोल का कार्य इसके **सदस्य देशों के स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर** करता है। अलग-अलग देशों में मौजूद कानूनी असमानताओं और जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण इसका कामकाज बाधित होता है।
    - अलग-अलग देशों में डेटा के निजता संबंधी अधिकार और सुरक्षा संबंधी विनियमों के कारण **सूचनाओं के आदान-प्रदान व उनके विश्लेषण में बाधा** पैदा होती है।

- अंतर्राष्ट्रीय **अपराधियों के प्रत्यर्पण में असमर्थता।** यदि कोई वांछित अपराधी किसी देश में छुप गया है, तो इंटरपोल उसकी सूचना देने के लिए **रेड नोटिस** जारी करता है। हालांकि, यह किसी देश को प्रत्यर्पण (Extradite) के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

- **राजनीतिक चुनौतियां:**
  - किसी सदस्य देश में सरकार का विरोध करने पर व्यक्ति पर **राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजन के आरोप** लगते रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए, **स्टॉकहोम सेंटर फॉर फ्रीडम (2017)** की रिपोर्ट में तुर्की के प्राधिकारियों द्वारा उनके आलोचकों और विरोधियों के खिलाफ इंटरपोल तंत्र का दुरुपयोग किए जाने का खुलासा हुआ है।
  - **द्विपक्षीय/ क्षेत्रीय राजनीतिक विवाद** सूचना साझा करने और संयुक्त अभियानों के संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे इंटरपोल की समग्र प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग में उभरते खतरे और रुझान:**
  - मानव तस्करी, पर्यावरणीय अपराध और क्रिप्टो-अपराध जैसे **संगठित अपराध के नए-नए रूप सामने** आ रहे हैं।
  - **डार्क वेब मार्केटप्लेस की गुमनामी और जटिलता** के कारण आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखना अधिक कठिन हो जाता है।
  - **बिग-टेक के उद्भव** और डेटा पर उनके अत्यधिक नियंत्रण से डेटा की निजता सुनिश्चित करते हुए निजी कंपनियों के साथ सहयोग को संतुलित करना मुश्किल हो गया है।

आगे की राह

- **इंटरपोल में सुधार के लिए बहुआयामी और वैश्विक पक्ष समर्थन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।** इसके लिए शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, इंटरपोल की महासभा, गैर-सरकारी संगठनों आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- इंटरपोल की **सदस्यता के लिए बनाए गए मानकों** में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **केवल कानून के शासन को अपनाने वाले लोकतांत्रिक देश ही इंटरपोल के सदस्य बनें।**
- **रेड नोटिस की आवधिक समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना** की जानी चाहिए।
- **सफेदपोश अपराधों[51], जांच प्रक्रियाओं के मानकीकरण, मनी लॉन्ड्रिंग पर मॉडल कानून तैयार** करने आदि को लेकर सदस्य देशों को संवेदनशील बनाना चाहिए।
- **अनुसंधान आयोजित करके, विशेष इकाइयां विकसित करके तथा प्रासंगिक हितधारकों के साथ साझेदारी** करके उभरते खतरों और रुझानों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए, **डेटा की निजता सुनिश्चित करने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग** करना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और विनियम तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए।

इंटरपोल के साथ भारत का जुड़ाव

- **भारत ने 2022 में नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी** की थी। 90वीं महासभा के महत्वपूर्ण परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - इस दौरान **इंटरपोल ने पहली बार वैश्विक अपराध प्रवृत्ति रिपोर्ट** जारी की थी।
  - इसके साथ ही इंटरपोल ने **मेटावर्स** में अपनी उपस्थिति की भी शुरुआत की थी।
- भारत ने 2023 में **'इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स' कार्यक्रम** की भी मेजबानी की थी। इसमें **44 देशों** की भागीदार रही थी।
- इंटरपोल के लिए **वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र** के रूप में उभरने के लिए **CBI एकेडमी 'इंटरपोल वैश्विक एकेडमी नेटवर्क'** में शामिल हो गई है।
- इंटरपोल ने नवंबर 2022 में **नई दिल्ली** में भारत सरकार द्वारा आयोजित **काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग- "नो मनी फॉर टेरर" पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** में भी सहयोग किया था।

[51] White collar crimes

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.5.1. उग्रपंथियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट का दुरुपयोग (Extremism Through Use of New Technologies and Internet)

- भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्यों के साथ एंटी-टेररिज़्म विषय पर बैठकों की मेजबानी की।
- भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) के साथ एक संयुक्त अभ्यास** का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों एवं उग्रवादियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट के उपयोग को रोकने हेतु उपाय करना है।
    - RATS का मुख्यालय **ताशकंद (उज़्बेकिस्तान)** में है। यह **SCO का एक स्थायी निकाय** है। यह **आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद** के खिलाफ सदस्य देशों के **सहयोग को बढ़ावा** देने का कार्य करता है।

- **उग्रपंथियों द्वारा प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का दुरुपयोग:**
    - गैर-राज्य (Non-State) अभिकर्ता **साइबर हमलों** के जरिए **महत्वपूर्ण अवसंरचना को अक्षम** कर देते हैं।
    - ये सीमाओं के पार **मादक पदार्थों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग** करते हैं।
    - **वे ऑनलाइन चरमपंथ के माध्यम से फेक न्यूज बनाने, सदस्यों की भर्ती** करने आदि के लिए **डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम टूल और सॉफ्टवेयर** का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।
    - ये **वर्चुअल मुद्राओं के जरिए मनी ट्रांसफर** कर सकते हैं। इस प्रकार वे मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी आदि में शामिल हो सकते हैं। 2017 में किया गया **'वानाक्राई' रैंसमवेयर हमला** इसका एक उदाहरण है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में

- इसकी स्थापना **2001** में की गई थी।
- **दो स्थायी निकाय:** बीजिंग में **SCO सचिवालय** और ताशकंद में **RATS** की कार्यकारी समिति।
- **SCO सदस्य:** चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।

4.5.2. दक्षिण-पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 (Southeast Asia Opium Survey 2023)

- यह रिपोर्ट **"दक्षिण-पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023: खेती, उत्पादन और प्रभाव (Cultivation, Production, and Implications)[52]"** शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में **दक्षिण-पूर्व एशिया में अफीम पोस्ता** (Opium poppy) की खेती का आकलन किया गया है।
    - **म्यांमार, थाईलैंड और लाओस** में गैर-कानूनी रूप से अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को **गोल्डन ट्रायंगल** कहते हैं।
    - इसी प्रकार, **ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान** में गैर-कानूनी रूप से अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को **गोल्डन क्रिसेंट** कहते हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
- गोल्डन ट्रायंगल से संबंद्ध अफ़ीम अर्थव्यवस्था में 2023 में लगातार वृद्धि देखी गई है।
    - **म्यांमार** अब दुनिया में **अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक** देश बन गया है। ऐसा **अफगानिस्तान** में अफीम के उत्पादन में **कमी** आने की वजह से हुआ है।
    - एक लक्षित आकलन में **सागैंग क्षेत्र** में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती के संकेत मिले हैं। म्यांमार का सागैंग क्षेत्र **भारत-म्यांमार सीमा** पर स्थित है।

[52] Southeast Asia Opium Survey 2023

- **मादक पदार्थों की तस्करी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती कैसे है?**
    - **सीमा पार तस्करी:** भारत में मादक पदार्थों को मुख्यतः **अफगानिस्तान, पाकिस्तान** और **म्यांमार** जैसे पड़ोसी देशों से तस्करी के जरिये लाया जाता है।
    - **संगठित अपराध और हिंसा:** मादक पदार्थों की तस्करी प्रायः संगठित आपराधिक नेटवर्क करते हैं। ये नेटवर्क हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं।

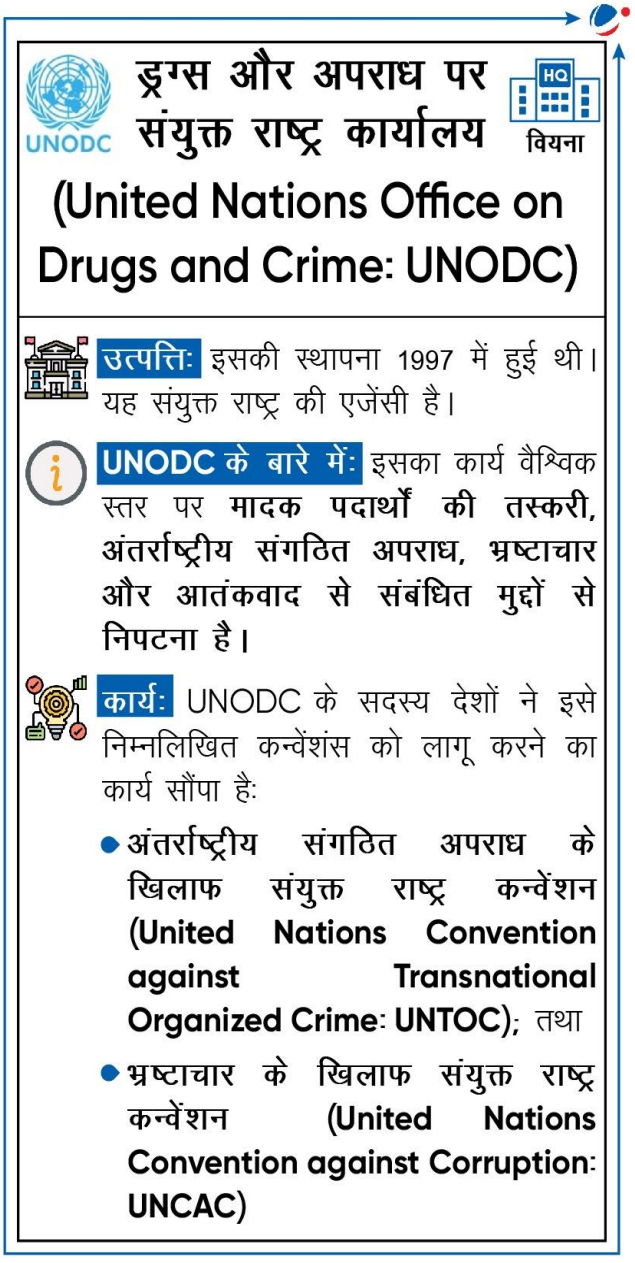

    - **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा:** मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों का **हथियारों की तस्करी तथा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ** के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
    - **भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग:** मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन की औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। इससे वैध आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंच सकता है।
    - **स्वास्थ्य-देखभाल व्यय में वृद्धि होना:** गैर-कानूनी मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी होती है।

4.5.3. हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)-2023 {Indian Ocean Naval Symposium (IONS)}

- IONS **का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी ने थाईलैंड के बैंकॉक** में आयोजित किया। यह भागीदार देशों के **नौसेना अध्यक्षों की संगोष्ठी** थी।
    - इस संगोष्ठी में **कोरिया गणराज्य** की नौसेना को नए **'पर्यवेक्षक'** के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, **IONS संगठन में 34 भागीदार** हो गए हैं। इनमें **25 सदस्य और 09 पर्यवेक्षक** शामिल हैं।
- **IONS के बारे में:**
    - इसका विचार **2008 में भारतीय नौसेना** ने रखा था।
    - यह एक **स्वैच्छिक** पहल है। इसका उद्देश्य **हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितों में सहयोग को बढ़ाना** है।
    - 2022 में, IONS ने **IMEX-22 नाम से समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण** आयोजित किया था।

4.5.4. जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन (Zero Trust Authentication: ZTA)

- केंद्र सरकार ने सभी **अति-महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों में 10,000 यूजर्स** के लिए एक **सुरक्षित ई-मेल प्रणाली** स्थापित की है। केंद्र सरकार ने **यह कदम बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए** उठाया है।
    - **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन (ZTA)** को शामिल करते हुए इस प्रणाली को डिजाइन किया है।
    - NIC केंद्रीय **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अधीन काम करता है।
- **जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन (ZTA) के बारे में**
    - ZTA एक **साइबर-सुरक्षा तकनीक** है। इसका उद्देश्य **सूचना-प्रौद्योगिकी प्रणालियों के समक्ष निरंतर उत्पन्न** हो रहे सुरक्षा जोखिमों का समाधान करना है।
    - इसमें **मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, निरंतर निगरानी, इत्यादि का उपयोग** किया जाता है।
    - यह तकनीक **"नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई"** के सिद्धांत पर काम करती है।

4.5.5. डिफेंस हेतु ड्रोन (Drones for Defense)

- DRDO[53] ने **"ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर"** का सफल परीक्षण किया है।
- यह एक प्रकार का **स्वदेशी उच्च गति वाला फ्लाइंग-विंग युक्त मानव रहित हवाई वाहन (UAV)** है।
  - यह **टेललेस कॉन्फ़िगरेशन वाला फिक्स्ड-विंग** आधारित विमान है। इसके मुख्य विंग्स में पेलोड रखने और ईंधन स्टोर करने की जगह होती है।
  - यह भविष्य में विकसित किए जा सकने वाले **मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों** का एक लघु आकार वाला संस्करण है।
- इसे DRDO के **वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान** ने डिजाइन और विकसित किया है।
- **महत्त्व:**
  - यह ग्राउंड रडार या अवसंरचना या पायलट की आवश्यकता के बिना सर्वेक्षण किए गए निर्देशांकों (Coordinates) के साथ किसी भी **रनवे से टेक-ऑफ और वहां लैंडिंग** कर सकता है। इसके लिए **GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन (GAGAN)** का उपयोग किया जाता है।
  - इस परीक्षण के साथ भारत **फ्लाइंग विंग तकनीक** में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है।
  - इसे **गोपनीय स्टील्थ लड़ाकू ड्रोन** के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- **रक्षा क्षेत्रक को ड्रोन की आवश्यकता क्यों है?**
  - **खुफिया जानकारी एकत्र करने में:** शत्रु की सटीक स्थिति का पता लगाने में, इलाके की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करने में और शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखने में इनका उपयोग किया जा सकता है।
  - **सटीक हमला:** ये ड्रोन सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस होते हैं। इनका दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  - **खोज और बचाव अभियान:** इनका खतरनाक या दुर्गम क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों का पता लगाने और राहत-बचाव अभियान चलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  - इन्हें **आसानी से और तेजी से तैनात** किया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये परिचालन संबंधी लचीलापन प्रदान करते हैं।

ड्रोन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई सरकारी पहलें

- **ड्रोन शक्ति योजना** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ड्रोन उद्योग को संस्थागत बनाना और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है, जहां सभी हितधारक एक साथ काम कर सकें।
- ड्रोन और ड्रोन के घटकों के लिए **उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** शुरू की गई है।
- स्टार्ट-अप्स तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों की मदद के लिए "**भारत की ड्रोन नियमावली, 2021** लागू की गई है।

4.5.6. आकाश अस्त्र प्रणाली (Akash Weapon System: AWS)

- हाल ही में वायु सेना का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति-2023 आयोजित हुआ है। इस दौरान, भारत ने **एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 25 कि.मी. की रेंज पर एक साथ चार हवाई लक्ष्यों को भेदने** का प्रदर्शन किया है। ऐसा करने वाला वह विश्व का **पहला देश** बन गया है।
  - यह परीक्षण **AWS का उपयोग करके सफलतापूर्वक** पूरा किया गया था।
- **AWS के बारे में:**
  - यह **कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली** है। यह सुभेद्य व संवेदनशील क्षेत्रों एवं स्थानों को हवाई हमलों से बचाती है।
  - इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है।
  - यह **ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड पर एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।**
  - यह **इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेज़र्स (ECCM) सुविधाओं** से युक्त है।
  - इसे **भारतीय वायु सेना और थल सेना** में शामिल किया गया है।

[53] Defence Research & Development Organisation/ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

4.5.7. अग्नि-1 (Agni-1)

- ओडिशा के **ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप** से 'अग्नि-1' का ट्रेनिंग लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- अग्नि-1 कम दूरी की **बैलिस्टिक मिसाइल** है। यह **अति-उच्च सटीकता वाली मिसाइल प्रणाली** है।
  - **रेंज क्षमता:** 700 किलोमीटर से अधिक।
  - यह **परमाणु-सक्षम व सड़क से परिवहन योग्य मिसाइल** है।
  - इसे पहली बार **2007 में तैनात** किया गया था।
- **अग्नि-1 से अग्नि-5** तक की मिसाइलों को **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने डिजाइन और विकसित** किया है।

4.5.8. विनबैक्स (VINBAX-2023)

- यह **भारत और वियतनाम** के आर्म्ड फोर्सेज के बीच एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. कॉप 28 (COP28)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, UNFCCC[54] के **"पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र (COP 28)"** संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के **दुबई** में आयोजित हुआ।

COP28 के बारे में

- COP **हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन** है। COP सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाती है।
  - COP बैठकों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य **पेरिस समझौते (2015)** के तहत सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान** (NDCs)[55] की समीक्षा करना है।
- इस दौरान **क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों के सम्मेलन का 18वां सत्र (CMP 18)** और **पेरिस समझौते के पक्षकारों के सम्मेलन का 5वां सत्र (CMA 5)** भी आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन में **"UAE कंसेंसस (UAE Consensus)"** नामक समझौते को भी अपनाया गया है।

COP28 के प्रमुख आउटकम्स

COP28 के प्रमुख स्तंभ	प्रमुख आउटकम्स
उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाना	• **"वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्लेज[56]"** का शुभारंभ किया गया। • COP28 के **"ग्लोबल कूलिंग प्लेज"** के तहत 2050 तक 2022 के स्तर की तुलना में वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रकों में कूलिंग से संबंधित उत्सर्जन को **कम-से-कम 68 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। • **ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन (OGDC) चार्टर** जारी किया गया है।
जलवायु वित्त जुटाना	• जलवायु वित्त के तहत **हरित जलवायु कोष[57], अनुकूलन कोष[58], लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड** और **स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड** के लिए 83.9 बिलियन डॉलर जुटाया गया। • सुभेद्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद के लिए हानि और क्षति कोष[59] का क्रियान्वयन शुरू किया गया। • **वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क घोषणा-पत्र[60]** जारी किया गया।

[54] United Nations Framework Convention on Climate Change/ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन

[55] Nationally Determined Contributions

[56] Global Renewables and Energy Efficiency Pledge

[57] Green Climate Fund

[58] Adaptation Fund

[59] Loss and Damage fund

[60] Declaration on a Global Climate Finance Framework

लोगों, उनके जीवन एवं आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना	• **शर्म अल-शेख एडाप्टेशन एजेंडा (SAA)** पर पहली कार्यान्वयन रिपोर्ट जारी की गई। • **COP28 कृषि, खाद्य और जलवायु पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा-पत्र जारी किया गया।** • **COP28 जलवायु और स्वास्थ्य पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा-पत्र जारी किया गया।** • **COP28 जलवायु राहत, पुनरुद्धार और शांति पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा-पत्र जारी किया गया।** • **ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन-UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलिएंस को अपनाया गया।** ○ यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित **वैश्विक तापमान को सीमित रखने संबंधी लक्ष्य के संदर्भ में दीर्घकालिक अनुकूलन प्रयासों का मार्गदर्शन** करता है। ○ **"ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन या वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य"** पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7.1 के तहत एक सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसका लक्ष्य "जलवायु परिवर्तन के प्रति विश्व की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, सहनशीलता/ रिजिलिएंस को मजबूत करना और सुभेद्यता को कम करना है।"
पूरी समावेशिता के साथ हर पक्ष को शामिल करना	• **COP28 जेंडर-रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप** को लॉन्च किया गया। • COP प्रेसीडेंसी और युवा हितधारकों के बीच मौजूद अंतराल को दूर करने के लिए लिए **युवा जलवायु चैंपियन**[61] की नियुक्ति की जाएगी।

COP28 में जारी की गई प्रमुख रिपोर्ट्स

रिपोर्ट	जारीकर्ता	अन्य जानकारी
जलवायु वित्त पर रिपोर्ट (Report on climate finance)	यह रिपोर्ट **इंडिपेंडेंट हाई-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (IHLEG)** द्वारा जारी की गई। COP-26 प्रेसीडेंसी ने IHLEG का गठन किया था। IHLEG को UNFCCC पेरिस समझौते के लिए **निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत विकल्प तैयार करने और सिफारिशें करने** का अधिकार प्राप्त है।	• वैश्विक जलवायु वित्त के लिए **प्रतिबद्ध राशि पिछले दशक के दौरान बढ़कर तीन गुना से भी अधिक** हो गई है। हालांकि, यह आवश्यक राशि की तुलना में **अभी भी बहुत कम** है। • जलवायु वित्त का प्रवाह **विकसित देशों और चीन में केंद्रित** है और इसका उपयोग **अनुकूलन की बजाय शमन पर अधिक होता है।**
एन आई ऑन मीथेन (An eye on methane Report)	**इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी (IMEO)**	• इस रिपोर्ट के जरिए नीति-निर्माताओं को **मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने और उसकी निगरानी करने के लिए कार्रवाई की एक रूपरेखा** प्रदान की जाती है। इससे वे **मीथेन के शमन के लिए लक्षित और महत्वाकांक्षी उपायों की योजना** बनाने में सक्षम हो पाते हैं।

COP28 के बाद मौजूद मुद्दे

- **वैश्विक कार्बन बाज़ार संबंधी नियम:** देशों के मध्य वैश्विक कार्बन बाज़ार संबंधी नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है।
  - इस संबंध में USA द्वारा प्रस्तावित नियम/ विनियम को यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
- **गैर-कोयला जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना:** COP28 में पेट्रोलियम और गैस जैसे अन्य जीवाश्म ईंधन की अनदेखी करते हुए केवल कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर बल दिया गया है।
- **सीमित जलवायु वित्त:**
  - COP28 सम्मेलन विकासशील देशों की ऋण संकट के कारण **घटती राजकोषीय क्षमता का विश्वसनीय समाधान प्रदान करने में भी विफल** रहा।
  - **जलवायु वित्त का वर्तमान स्तर** अनुकूलन हेतु वित्त की कमी[62] को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

---

61 Youth Climate Champion

62 Adaptation finance gap

- **कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज:** COP28 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) जैसी समुद्री जियो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों को (समुद्री पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की अनदेखी करते हुए) बढ़ावा दिया गया है।
- **ग्रीनवाशिंग:** COP28 के दौरान ऑयल एंड गैस के प्रभाव एवं ग्रीनवाशिंग के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गईं हैं।

ग्रीनवाशिंग: प्रभावी जलवायु कार्रवाई के समक्ष प्रमुख बाधा

- यह बताया गया कि **COP28 में पंजीकृत कई डेलिगेट्स आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों,** जैसे- पेट्रोकेमिकल, खनन और बीफ प्रोडक्शन आदि से जुड़े हुए हैं।
- दुनिया भर में कंपनियों और सरकारों की ओर से 'नेट-जीरो' प्रतिबद्धताओं में वृद्धि के साथ-साथ शमन से जुड़े टारगेट्स की संख्या बढ़ रही है। उत्सर्जन में कटौती संबंधी दावों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए एक **उपयुक्त मानदंड एवं सुसंगत मानकों का अभाव है। इसके चलते भ्रामक जानकारी और असत्यापित दावों (ग्रीनवाशिंग) के आधार पर** गतिविधियों को जलवायु-अनुकूल के रूप में दर्शाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।
  - **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के संदर्भ में प्रगति और विकास के संबंध में जानबूझकर गलत तथ्य पेश करने को ग्रीनवाशिंग कहते हैं।** इससे विश्व को और अधिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, ऐसी कंपनियों या संस्थाओं के इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के बावजूद पुरस्कृत भी किया जाता है।

आगे की राह

- **जलवायु वित्त के स्तर को बढ़ाना:** विकासशील देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए अनुकूलन एवं ट्रांजिशन संबंधी लागत को वित्त-पोषित किया जाना चाहिए।
  - विकसित देशों को जलवायु शमन संबंधी कार्रवाई का समर्थन करने की दिशा में 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता है।
- **आउटकम्स पर ठोस कदम उठाना:** देशों को राष्ट्रीय नीतियों और निवेशों के माध्यम से **"UAE कंसेंसस (UAE Consensus)"** के आउटकम्स में प्रगति करने की आवश्यकता है।
- **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary principle) का पालन करना:** कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) जैसी जियो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों को लागू करने की योजना बनाते समय इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
- **क्षमता-निर्माण:**
  - वैश्विक पर्यावरण सुविधा[63] की तरह एक वित्तीय तंत्र की जरुरत है।
  - INDCs को प्राप्त करने और अपडेट करने के लिए क्षमता निर्माण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है।

5.1.1. कॉप-28 में भारत (INDIA AT COP 28)

भारतीय प्रधान मंत्री ने COP-28 सम्मेलन में **ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया** और विकासशील देशों को जल्द-से-जल्द जलवायु वित्त उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

COP-28 में भारत की भूमिका

भूमिका	विवरण
लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT 2.0) को संयुक्त रूप से शुरू किया गया	• **LeadIT 2.0 निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:** ○ समावेशी और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन; ○ निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण; ○ विकसित देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; आदि। • LeadIT के प्रथम चरण की शुरुआत 2019 में **भारत** और **स्वीडन** ने **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन** में की थी।
COP-28 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ "ग्रीन	• ग्रीन क्रेडिट पहल का मुख्य उद्देश्य समुदाय, निजी उद्योग और व्यक्तियों द्वारा **स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाइयों (जैसे- वनीकरण, जल संरक्षण) को प्रोत्साहन** प्रदान करना है।

[63] Global Environment Facility

क्रेडिट प्रोग्राम" की संयुक्त रूप से मेजबानी की	
भारत ने COP-28 में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया	• MAC का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर **मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, पुनरुद्धार और वृक्षारोपण में वृद्धि संबंधी प्रयासों में तेजी लाना** है। • इसकी शुरुआत COP 27 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया द्वारा की गई थी। भारत भी इसका सदस्य है।
COP-28 में भारत ने अपनी उपलब्धियों को बताया	• भारत ने सफलतापूर्वक **वर्ष 2005 से 2019 के बीच अपनी GDP के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता (Emission intensity) को 33 प्रतिशत तक कम किया** है। • भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40 प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। गौरतलब है भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित वर्ष 2030 से **नौ साल पहले ही हासिल कर लिया** है। • **वर्ष 2017 और 2023 के बीच भारत ने लगभग 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी** है, जिसमें से **लगभग 80 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से संबंधित** है।

भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस (GRCA) को शुरू किया गया	• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)[64] ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव (MRCTI) के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पज (MoCP) पर हस्ताक्षर किए।
	• इस साझेदारी से **GRCA की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त** हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि वर्तमान रिवर सिटी अलायंस (RCA) में **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क सहित अलग-अलग देशों के 267 शहरों[65] ने सदस्यता** प्राप्त की है।
	• **भारत के RCA की तर्ज पर गठित GRCA की सचिवीय भूमिका निम्नलिखित संस्थाओं को सौंपी गई है:**
	  ○ जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) के तहत **NMCG**; तथा
	  ○ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के तहत **राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (NIUA)**
	• NMCG ने 2021 में RCA को गठित किया था। यह **MoJS और MoHUA की एक संयुक्त पहल** है। इसका उद्देश्य **नदी के किनारे बसे शहरों को जोड़ने और नदी केंद्रित संधारणीय विकास पर ध्यान** केंद्रित करना है।

COP-28 से जुड़ी हुई भारत की चिंताएं

- **स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी COP-28 घोषणा-पत्र[66] पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार:** इस घोषणा-पत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों के चलते होने वाले ग्रीनहाउस गैस (GHG) के उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया गया है।
  - इस घोषणा-पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्रक में कूलिंग के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उपयोग पर अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है। भारत ने इस संदर्भ में यह चिंता व्यक्त की है कि इसके चलते **चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती** है।
- **समानता और न्याय:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में "समानता और न्याय" की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसमें भारत ने कहा है कि विकसित देशों को वैश्विक जलवायु कार्रवाई की कमान संभालनी चाहिए।
- **कोयले के उपयोग में चरणबद्ध कटौती:** भारत ने दोहराया कि **कटौती केवल कोयले के मामले में ही नहीं, बल्कि सभी जीवाश्म ईंधनों के लिए होनी चाहिए,** क्योंकि भारत तापीय ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है।
  - इसके चलते, भारत ने केवल कोयले के उपयोग में चरणबद्ध कटौती पर केन्द्रित **ग्रीन क्लाइमेट प्लेज** पर **हस्ताक्षर करने से इनकार** कर दिया है।

आगे की राह

- **ग्लोबल साउथ के मुद्दे को महत्त्व देना:** जलवायु वार्ताओं में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए समानता और जलवायु न्याय (Climate justice) के सिद्धांतों को अपनाने पर बल देना चाहिए।

---

[64] National Mission for Clean Ganga

[65] Global river-cities/ वैश्विक स्तर पर नदी के किनारे बसे शहर

[66] COP28 Declaration on Climate and Health

- **जलवायु कार्रवाई के माध्यम से नेतृत्व करना:** पंचामित्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु कार्रवाई संबंधी प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।
- **संधारणीय खपत:** विकसित देशों को संधारणीय जीवन शैली को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि भारत के "LiFE अभियान" में बताया गया है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, COP28 में भारत की सक्रिय भागीदारी भारत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में एक सक्रिय और प्रभावशाली प्रतिभागी के रूप में स्थापित करती है। यह भारत के सहयोगात्मक, नवोन्वेषी और स्थानीय समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

5.1.2. पहलें (Initiatives)

पहल	लॉन्च किया गया	विशेषताएं
वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल (Global Green Credit Initiative: GGCI)	भारत द्वारा	• GGCI आपसी **संवाद, सहयोग तथा नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान-प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच** के रूप में कार्य करेगी।
हानि और क्षति (Loss and Damage: L&D) कोष	• पहली बार COP27 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। • COP28 के दौरान इसे शुरू कर दिया गया है।	• **जलवायु परिवर्तन के ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों** को हानि और क्षति (L&D) कहा जाता है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। इन जोखिमों में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स, प्रजातियों की विलुप्ति, फसलों की खराब उपज आदि शामिल हैं। • **L&D कोष** का उद्देश्य ऐसे देशों को मुआवजा देना है, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना कर रहे हैं।
ग्लोबल स्टॉकटेक		COP-28 में पहले **ग्लोबल स्टॉकटेक को अपनाया गया।**
वैश्विक नवीकरणीय एवं ऊर्जा दक्षता प्लेज (Global Renewables and Energy Efficiency Pledge)	COP28 के दौरान 118 देशों ने इस संकल्प पर हस्ताक्षर किए	• **वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** को बढ़ाकर कम-से-कम **तीन गुना** अर्थात् 11,000 गीगावाट करना है। • 2030 तक **वैश्विक ऊर्जा दक्षता में सुधार की औसत वार्षिक दर** को दोगुना, अर्थात् 4% से अधिक करना। • अनअबेटेड कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना।
ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (OGDC)	दुनिया के 40% से अधिक तेल उत्पादन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार विश्व की 50 कंपनियों ने OGDC हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है	• OGDC **वैश्विक उद्योगों के लिए एक चार्टर** है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई में तेजी लाना है। साथ ही, तेल और गैस क्षेत्रकों में इसे प्रभावी तरीके से लागू कर उच्च-स्तरीय प्रभाव उत्पन्न करना है।
अफ्रीका हरित औद्योगीकरण पहल (Africa Green Industrialisation Initiative: AGII)	अफ्रीकी नेताओं ने COP-28 में AGII की शुरुआत की है	• AGII का लक्ष्य अफ्रीका में उद्योगों के हरित विकास में तेजी लाना है। साथ ही, वित्त एवं निवेश के अवसरों को आकर्षक बनाना है।
G7 क्लाइमेट क्लब	**जर्मनी और चिली के नेतृत्व में शुरू किया गया।** इस क्लब में केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड सहित 36 देश शामिल हैं।	• यह **क्लाइमेट एंबिशियस देशों का खुला, सहकारी और समावेशी फोरम** है जिसका उद्देश्य पेरिस समझौते और उसके तहत लिए गए निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करना है। • इस क्लब का मुख्य लक्ष्य **उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन** पर विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा **जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना एवं सदी के मध्य तक या उसके आसपास वैश्विक नेट-जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य** को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करना है।

5.1.2.1. ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव (Global Green Credit Initiative: GGCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

COP-28 के दौरान भारत ने UAE के साथ "ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम" पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम की संयुक्त रूप से मेजबानी की। इस प्रोग्राम में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव (GGCI) की शुरुआत की गई।

GGCI के बारे में

- GGCI आपसी **संवाद, सहयोग तथा नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान-प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच** के रूप में कार्य करेगी।
- इसमें पारंपरिक कार्बन क्रेडिट के विपरीत समुदाय, निजी उद्योग और व्यक्तियों द्वारा **स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाइयों** (जैसे- वनीकरण, जल संरक्षण) को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **विज्ञान:** वैश्विक तकनीकी जानकारी और अनुभवों को साझा करना।
  - **नीति:** ग्रीन क्रेडिट संबंधी नीतिगत साधनों को आकार देना।
  - **सहायक कार्यान्वयन (प्रैक्टिस कॉम्पोनेन्ट):** एक साझी मूल्य श्रृंखला बनाना।
    - यह पहल समुदायों, स्वयं-सहायता समूहों आदि को कंपनियों/ कॉर्पोरेट्स और अन्य हितधारकों से जोड़ेगी। ये सभी एक **मार्केटप्लेस के माध्यम से GGCI में भाग** ले सकते हैं।
- **इस पहल के मुख्य लाभ:**
  - ज्ञान साझाकरण,
  - नवोन्मेषी समाधान,
  - सामूहिक कार्रवाई, और
  - भागीदार देश पर्यावरणीय समाधान प्रदान करने में वैश्विक नेतृत्व करने का दावा कर सकते हैं।
- **GGCI की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:**
  - **'ग्रीन क्रेडिट' सिस्टम:** यह पर्यावरणीय संधारणीयता की दिशा में पूरी तरह से डिजिटल एवं व्यापार योग्य साधन है।
  - **ग्रीन क्रेडिट पोर्टल:** यह विश्व की भावी नीतियों को तय करने के क्रम में वृक्षारोपण और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का डॉक्यूमेंटेशन करने वाली एक रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा।
  - GGCI, **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** के सिद्धांतों के अनुरूप है।

निष्कर्ष

निःसंदेह GGCI से पर्यावरण संबंधी सकारात्मक कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में वैश्विक सहभागिता, सहयोग एवं साझेदारी को सहूलियत प्रदान होगी। यह जलवायु परिवर्तन, संधारणीयता के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)

- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियमावली, 2023 के माध्यम से अधिसूचित** किया है।
- यह **बाजार-आधारित एक अभिनव तंत्र है।** इसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्रक के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विविध क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाइयों को **प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया** है।
- शुरुआती चरण में, GCP में दो प्रमुख गतिविधियों **जल संरक्षण और वनीकरण** पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।
- **शासी संरचना (Governance Structure):**
  - संचालन समिति,
  - प्रशासक के रूप में, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE)[67], तथा
  - तकनीकी समितियां।

[67] Indian Council of Forestry Research and Education

5.1.2.2. हानि और क्षति (Loss and Damage: L&D)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दुबई में आयोजित हुए COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर हानि और क्षति कोष[68] को अमल में लाया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए इस कोष का गठन किया गया है।

हानि और क्षति (L&D) के बारे में

- ये **जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले वे नकारात्मक प्रभाव हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है।** इनके द्वारा **होने वाली क्षति स्थायी होती** है।
- **हानि और क्षति (L&D) कोष के बारे में:**
  - यह एक तरह का मुआवजा है। यह मुआवजा जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक तौर पर जिम्मेदार समृद्ध औद्योगिक देशों द्वारा उन गरीब देशों को दिया जाएगा, जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है और जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित हैं।
  - इसे **विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित** किया जाएगा। हालांकि, **इसका प्रबंधन एक स्वतंत्र सचिवालय** करेगा।
  - **संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान** आदि सहित कई देशों ने इस कोष में धनराशि देने की बात कही है।
  - इस कोष के गठन की घोषणा सर्वप्रथम 2022 में **शर्म अल-शेख (मिस्र) में आयोजित COP-27** के दौरान की गई थी।
- **इस कोष के संबंध में भारत का रुख:**
  - भारत इस **फंड का प्रबल समर्थक रहा** है। भारत ने इसे अमल में लाने के निर्णय का स्वागत किया है।
  - भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो **विकासशील देशों के लिए भी L&D कोष गठित करने** एवं इसे केवल लघु द्वीपीय और अल्प विकसित देशों तक सीमित नहीं रखने का समर्थन करता रहा है।

L&D कोष की आवश्यकता क्यों है?

- **हानि और क्षति को कम करना:** ताजे जल, भूमि और महासागर पारिस्थितिक तंत्र सहित सभी पारिस्थितिक तंत्र और उनकी सेवाओं की अपरिवर्तनीय क्षति को अगर रोका तो नहीं जा सकता है तो कम-से-कम इसे सीमित करने का प्रयास तो करना ही चाहिए।
- **L&D के प्रभाव से मानव जाति की रक्षा करना:** L&D से खाद्य असुरक्षा, कुपोषण का खतरा और आजीविका को नुकसान पहुंचता है।
- **जलवायु जनित सामाजिक-आर्थिक नकारात्मक प्रभावों का समाधान करना:** इनमें मानव मृत्यु दर और रोगों की संख्या में वृद्धि; असमानता और गरीबी की दर में वृद्धि; सूखे और गर्मी के कारण जल एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम आदि शामिल हैं।
- **अस्तित्व संबंधी खतरे को रोकना:** समुद्र के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से, वर्तमान समुद्र स्तर के बराबर वाले या निचले इलाकों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, उदाहरण के लिए- लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS)।
- **जलवायु न्याय सुनिश्चित करना:** L&D के प्रभाव का सबसे ज्यादा सामना करने वाले क्षेत्रों (उदाहरण के लिए- SIDS, अफ्रीका) में कार्बन फुटप्रिंट का स्तर सबसे कम है।
  - इसलिए, ऐसे सुभेद्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना विकसित एवं औद्योगिकीकृत देशों की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

L&D के मुआवजे से जुड़ी हुई चुनौतियां

- **कॉमन परिभाषा का अभाव:** L&D गतिविधियों के वर्गीकरण के संबंध में **देशों के बीच एक सहमत परिभाषा का अभाव** है।
- **डेटा उपलब्धता:** L&D पर व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करने, रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए **डेटा की उपलब्धता तथा इससे जुड़ी प्रक्रियाएं काफी निम्न स्तर** की हैं।
- **निम्न स्तर की तकनीकी क्षमता:** विशेष रूप से विकासशील देशों के पास **वैज्ञानिक रूप से आदर्श L&D के लिए सीमित तकनीकी क्षमताएं** हैं।
- **अप्रत्यक्ष L&D के पैमाने को निर्धारित करने में कठिनाई:** गैर-आर्थिक नुकसान के पैमाने को मापना मुश्किल होता है, जैसे- परिवार के सदस्यों को खोना, संस्कृतियों और जीवन जीने के तरीकों का लुप्त होना आदि।

[68] Loss and Damage fund

आगे की राह

- **वैश्विक सर्वसम्मति**: पारस्परिक रूप से L&D की एक सुसंगत परिभाषा तय करने के लिए **"COP28 UAE कंसेंसस"** पर सभी पक्षकारों को वैश्विक सर्वसम्मति का मार्ग तलाश करना चाहिए।
- **लचीलापन:** जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति सहनशीलता के निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- बाढ़ के प्रति सुरक्षा को मजबूत करना; जलवायु के अनुकूल अवसंरचनाओं का विकास करना; वित्तीय या सामाजिक सहायता (जैसे बीमा सुरक्षा) के दायरे का विस्तार करना आदि।
- **शमन और अनुकूलन कार्रवाइयां:** विकासशील और विकसित, दोनों देशों के लिए L&D को रोकना और कम करना आवश्यक है।
- **जलवायु नीति में L&D को शामिल करना:** जलवायु कार्रवाई संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में L&D की अवधारणा को शामिल करना चाहिए।

L&D के लिए वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM)

- **2013 में वारसा (पोलैंड)** में आयोजित **COP-19** के दौरान L&D के लिए WIM की स्थापना की गई थी। इसका **उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित L&D का समाधान** करना था।
- **WIM के कार्य:**
  - व्यापक जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों के संबंध में **ज्ञान और समझ बढ़ाना।**
  - L&D के समाधान हेतु वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के साथ-साथ **कार्रवाई तथा सहायता में वृद्धि** करना।

5.1.2.3. पहला ग्लोबल स्टॉकटेक {First Global Stocktake (GST)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल स्टॉकटेक एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सभी **पक्षकार देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अपनी सामूहिक प्रगति का आकलन** करते हैं।

ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) के तहत पेरिस समझौते के सभी पक्षकारों से 8 कदमों का पालन करने का आह्वान किया गया है:

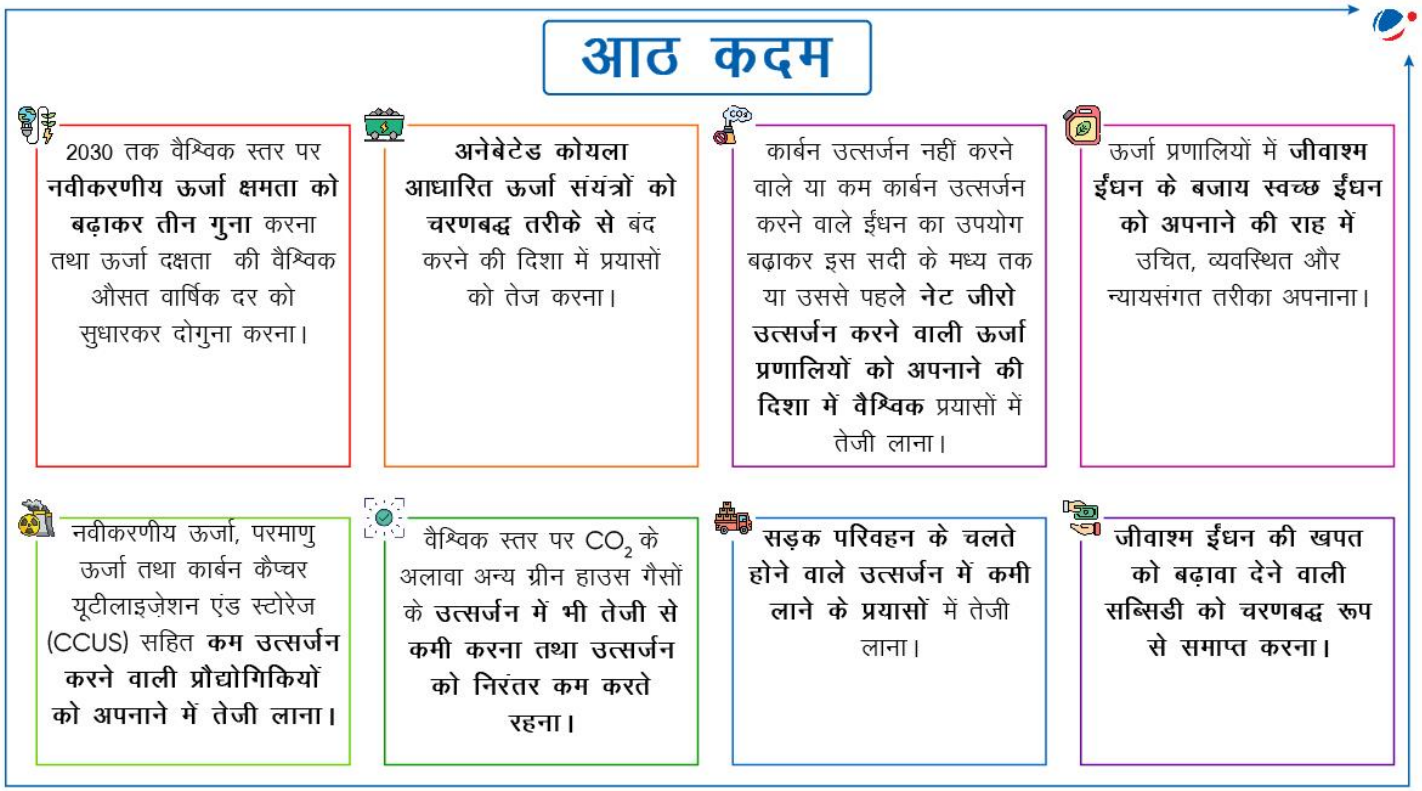

5.2. भारतीय पारंपरिक पद्धतियां और जलवायु परिवर्तन (Indian Traditional Practices & Climate Change)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को देखते हुए अब यह धारणा जोर पकड़ रही है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में पारंपरिक पद्धतियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम बनाने में भारतीय पारंपरिक पद्धतियों की भूमिका

- **कृषि:**
  - **प्राकृतिक खेती:** उदाहरण के लिए, **जीरो-बजट प्राकृतिक खेती**। यह पारंपरिक भारतीय पद्धतियों से प्रेरित रसायन-मुक्त कृषि की एक विधि है।
    - यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और खेती में जल के उपयोग को कम करके **जलवायु परिवर्तन को सहने में किसानों की क्षमता** को बढ़ाती है।
  - **विविध फसली प्रणालियां**: जैसे- कर्नाटक के शुष्क भूमि क्षेत्रों में **अक्कड़ी सालू** (Akkadi Saalu) पद्धति से कृषि की जाती है।
    - ऐसी पद्धतियां हरित क्रांति की एकल फसल उत्पादन पद्धति का एक विकल्प प्रदान करती हैं।
  - **विशिष्ट कृषि पद्धतियां:** उदाहरण के लिए- केरल में **कुट्टनाड कल्याणम खेती** की पद्धति में समुद्र जलस्तर से नीचे के क्षेत्रों में धान की खेती, **अपतानी जनजाति** (अरुणाचल प्रदेश) द्वारा **धान की खेती के साथ मत्स्य पालन।**
    - इस तरह की पद्धतियां जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रभावों (जैसे- तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री जल के प्रवेश को करना) के साथ अनुकूलन में मदद कर सकती हैं।
  - **सिंचाई:** उदाहरण के लिए- **मेघालय की बांस आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली** में स्थानीय रूप से निर्मित बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से इन पाइपों के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद बारहमासी झरनों के जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है।

शब्दावली को जानें

➢ **पारंपरिक** ज्ञान का आशय देशज और स्थानीय समुदायों द्वारा पीढ़ियों से विकसित ज्ञान, प्रथाओं एवं विश्वास से है।

- **स्थापत्य कला और आवासन:** चरम मौसम वाले और आपदा-प्रवण क्षेत्रों की **पारंपरिक स्थापत्य कला** द्वारा वर्तमान जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम क्षमता से हमें कई सीख मिलती है, जैसे -
  - हिमाचल प्रदेश की **काष्ठकुणी शैली की संरचनाएं या घर।**
  - कश्मीर घाटी की घर निर्माण की **धज्जी-देवारी और ताक (Dhajji-Dewari and Taq) प्रणाली।**
  - कच्छ क्षेत्र में **भूंगा शैली में निर्मित घर**
- **पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां:** जलवायु परिवर्तन के कारण रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे समय में **आयुर्वेद** जैसी चिकित्सा पद्धतियां प्रिवेंटिव चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद कर सकती हैं।
- **भारत में पवित्र उपवन (Sacred Grooves):**
  - ये **धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व के अत्यंत संवेदनशील पवित्र स्थल होते** हैं, जहां परम्परागत कानून उनके दोहन पर रोक लगाते हैं।
    - उदाहरण के लिए- उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में 133 पवित्र उपवन हैं।
  - ये **पारंपरिक फसल किस्मों और औषधीय पादपों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते** हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं।
- **आस्था आधारित स्व-स्थाने (In situ) संरक्षण:** इनके आस-पास रहने वाले समुदाय मछली, कछुआ, हिरण, ब्लैक बक (काले हिरण), मोर और पक्षियों जैसी एनडेंजर्ड पशु प्रजातियों की रक्षा करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- राजस्थान का **बिश्नोई समुदाय ब्लैकबक (काले हिरण) को पवित्र** मानता है।
- **वर्षा के जल का संचयन करने वाली पारंपरिक पद्धति** सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करती है।

भारत में जल-संचयन की पारंपरिक संरचनाएं

- **झालरा:** राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में आयताकार सीढ़ीदार कुओं को झालरा कहा जाता है।
- **तालाब:** ऐसे जलाशय जिसमें घरेलू उपयोग और पेयजल के लिए पानी का संचय किया जाता है, उदाहरण के लिए- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पोखर तालाब, उदयपुर की झीलें आदि।
- **बावड़ियां:** ये अलग प्रकार के सीढ़ीदार कुएं होते हैं। ये प्राचीन काल में कभी राजस्थान के शहरों में जल भंडारण के प्राचीन नेटवर्क का हिस्सा थे।
- **टांका:** यह राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा जल संचयन की एक पारंपरिक तकनीक है।
- **अहार पाइन:** यह दक्षिण बिहार की बाढ़ जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली है।
- **जोहड़:** इसके तहत राजस्थान के मिट्टी के छोटे-छोटे तटबंध बना कर वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित किया जाता है।
- **जिंग्स:** ये लद्दाख में पाए जाने वाले छोटे आकार के तालाब होते हैं, जिनमें ग्लेशियर से पिघल कर आया जल इकट्ठा होता है।
- **जाबो:** यह नागालैंड में प्रचलित हैं। इसके तहत जल संरक्षण के साथ-साथ वानिकी, कृषि और पशुपालन को भी अपनाया जाता है।
- **एरी (टैंक):** तमिलनाडु की एरी (टैंक) प्रणाली भारत की सबसे प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों में से एक है।
- **बावली:** ऐसी जल संचयन संरचनाओं से हर कोई जल भर सकता है।

पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने से संबंधित समस्याएं

- **खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा:** पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से कृषि उत्पादकता में गिरावट होने का जोखिम है।
- **वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव:** कुछ पारंपरिक पद्धतियों (उदाहरण के लिए- जीरो बजट प्राकृतिक खेती, पारंपरिक चिकित्सा) की प्रभावशीलता के मामले में पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव है।
- **लुप्तप्राय पारंपरिक पद्धतियां:** पारंपरिक पद्धतियों को संजोए रखने में भी लापरवाही देखी जाती है। इसके अलावा, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से इनके संरक्षण पर नकारात्मक असर पड़ा है।
- **भारत के पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियों का दुरुपयोग:** इसमें विदेशी कंपनियों को गलत तरीके से भारतीय पारंपरिक ज्ञान के लिए पेटेंट प्रदान किया जाना भी शामिल है। उदाहरण के लिए- हल्दी, नीम आदि के उपचारात्मक गुणों पर पेटेंट।

निष्कर्ष

सामुदायिक भागीदारी, सहभागितापूर्ण प्रयास, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण और उपयुक्त पारंपरिक पद्धतियों की जानकारी के माध्यम से भारत के पारंपरिक ज्ञान एवं प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही, पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीतियों में शामिल करने पर भी बल देने की आवश्यकता है।

पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने हेतु भारत की पहलें

- **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)** में शास्त्रीय/ पारंपरिक पुस्तकों में वर्णित चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित भारत का समृद्ध पारंपरिक ज्ञान शामिल है।
  - इसका उद्देश्य विश्व भर के पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुचित उपयोग को रोकना और उसकी रक्षा करना है।
- **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)** का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जो किसानों को बाह्य इनपुट की खरीद पर निर्भरता से छुटकारा दिलाता है।
- **जनजातीय अनुसंधान संस्थान:** इसका कार्य औषधीय पादपों, कृषि प्रणाली आदि के बारे में जनजातियों की स्वदेशी पद्धतियों पर अनुसंधान करना और उनका दस्तावेज़ीकरण करना है।
- **स्वस्तिक/ SWASTIIK (सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेजबेस)** सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के संदर्भ में काफी लाभदायक हो सकता है।

5.3. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था रोडमैप (National Circular Economy Roadmap for Reduction of Plastic Waste in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था रोडमैप"** जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस दस्तावेज को **भारत और ऑस्ट्रेलिया** के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों ने आपसी **सहयोग से तैयार** किया है।

- यह शोध कार्य 2020 में घोषित की गई **भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी**[69] का हिस्सा था।
- **इस दस्तावेज का उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्रक के संबंध में,**
  - **दोनों देशों के बीच अनुसंधान और उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना,** एवं
  - भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए आपस में मिलकर **एक रोडमैप का विकास करना।**

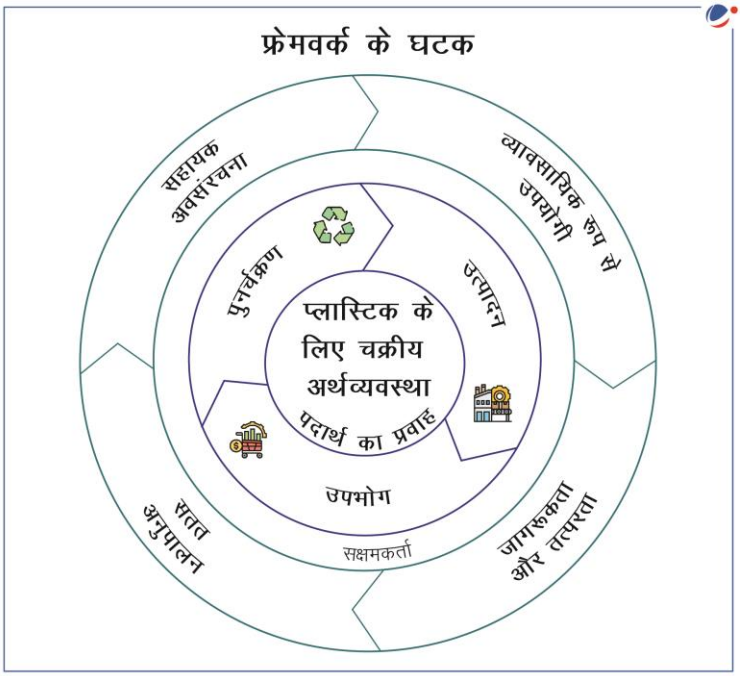

चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular economy) क्या है?

- चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी उत्पादन और उपभोग का एक संधारणीय मॉडल है। इसके अंतर्गत मौजूदा वस्तुओं और उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना (Sharing), पट्टे पर देना (Leasing), पुन: उपयोग करना (Reuse), मरम्मत करना (Repairing), नवीनीकरण करना (Refurbishing) और पुनर्चक्रण (Recycling) करना शामिल होता है। इस प्रकार, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में मुख्य रूप से **"उत्पादों के जीवन चक्र को बढ़ाया"** जाता है।
- जब किसी उत्पाद की **उपयोग की अवधि समाप्त** होती है, तो उसमें उपयोग किए गए **पदार्थों या संसाधनों** को यथासंभव पुनर्चक्रण के जरिए **अर्थव्यवस्था में बनाए रखा जाता** है।
  - इन्हें बार-बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे उनका **अतिरिक्त मूल्य वर्धन** होता है।
  - यह मॉडल **पारंपरिक रैखिक आर्थिक मॉडल**[70] से अलग है। ध्यातव्य है कि रैखिक आर्थिक मॉडल **टेक-मेक-कन्ज्यूम-थ्रो** पैटर्न पर आधारित है।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप के बारे में

इसमें प्लास्टिक के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के निर्माण हेतु **सात घटकों (इन्फोग्राफिक देखें)** का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

घटक	सुझाए गए कदम
उत्पादन (Production)	• ऐसे उत्पाद का डिजाइन करना जिसे आसानी से और कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रित किया जा सके, जिसके पुनर्चक्रण से कम-से-कम प्रदूषण उत्पन्न हो, जिससे अपशिष्ट सृजन को कम किया जा सके, जिसमें न्यूनतम एडिटिव्स का उपयोग हो, आदि।
उपभोग (Consumption)	• **सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करना,** लंबी उपयोग अवधि वाले उत्पादों का चयन करना, प्लास्टिक उत्पादों का पुन: उपयोग करना, पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों को खरीदना, आदि।
पुनर्चक्रण (Recycling)	• प्लास्टिक को सामग्री के रूप में कई बार उपयोग करने और लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने के लिए **क्लोज्ड-लूप रीसाइक्लिंग और केमिकल अपसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों** को बढ़ावा दिया जाना, आदि।
वाणिज्यिक व्यवहार्यता (Commercial viability)	• सर्कुलर इकोनॉमी आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा उच्च गुणवत्ता वाले द्वितीयक अथवा उपयोग किए जा चुके पदार्थों के लिए बाजार विकसित किया जाए, आदि।
जागरूकता एवं तैयारी (Awareness and readiness)	• **स्कूलों, विश्वविद्यालयों** आदि के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। • अपशिष्ट प्रबंधन को **पाठ्यक्रम** का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
सहायक अवसंरचना (Supportive infrastructure)	• ऐसे प्लास्टिक उत्पाद जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है उनके संग्रहण, उन्हें अलग-अलग करने, उन्हें ट्रैक करने तथा उनकी गुणवत्ता एवं महत्त्व के आकलन के लिए आवश्यक **पुनर्चक्रण और डिजिटल अवसंरचना** में निवेश किया जाना चाहिए।
सुसंगत अनुपालन (Consistent compliance)	• राज्य सरकारों द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, उनके पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करने से संबंधित **लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।** साथ ही, **इस संबंध में हासिल प्रगति की निगरानी भी करनी चाहिए।**

[69] India-Australia Comprehensive Strategic Partnership

[70] Linear economic model

भारत में प्लास्टिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था रोडमैप की आवश्यकता क्यों है?

- **प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या की व्यापकता और जटिलता:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर दिन लगभग **26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट** उत्पन्न होता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के अलावा किसी भी देश से अधिक है।
  - कई पहलों को लागू किए जाने के बावजूद, भारत **'टेक-मेक-वेस्ट' की विशेषता वाले रैखिक उद्योग** की चुनौती का सामना कर रहा है।
- **आर्थिक लाभ:** चक्रीय अर्थव्यवस्था निर्माण और विनिर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक के लिए नए द्वितीयक बाजार का सृजन कर सकती है। साथ ही, यह वैकल्पिक और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के लिए नए प्राथमिक बाजार का भी सृजन कर सकती है।
- **पारिस्थितिकी लाभ:** चक्रीय अर्थव्यवस्था के कारण लैंडफिल क्षेत्र में डाले जाने वाले सूखे अपशिष्ट की मात्रा में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण स्वच्छ होगा, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा और खाद्य श्रृंखला में माइक्रोप्लास्टिक के प्रवेश में कमी आएगी।
- **व्यवहार में बदलाव लाना:** चक्रीय अर्थव्यवस्था से, **"उपयोग करो और फेंक दो (Use and Throw)"** के चलन के स्थान पर संसाधनों के चक्रीय उपयोग की संस्कृति को अपनाने में सहयोग मिल सकता है। यह बदलाव भावी पीढ़ियों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने के साथ-साथ संसाधनों को महत्त्व देने और पर्यावरण की देखभाल करने के लिए प्रेरित करेगा।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताएं:** चक्रीय अर्थव्यवस्था से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- **प्रस्तावित प्लास्टिक संधि के अनुरूप:** इससे वैश्विक प्लास्टिक समझौते से संबंधित अनिवार्यताओं को पूरा करने में सरकार और उद्योग संघों को मदद मिल सकती है।
  - यह उम्मीद है कि वैश्विक प्लास्टिक समझौता 2024 तक लागू हो जाएगा।
- **LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के अनुरूप:** इसकी शुरुआत पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए **भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन** के रूप में की गई है।
  - इसका प्रमुख घटक **संधारणीय उपभोग और उत्पादन** है।

प्लास्टिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने के समक्ष वर्तमान में मौजूद चुनौतियां

- **अनौपचारिक क्षेत्रक:** कचरा बीनने वाले अपंजीकृत कर्मियों के प्रभुत्व वाला अनौपचारिक क्षेत्रक प्लास्टिक अपशिष्ट की मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, यह चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बाधा भी उत्पन्न करता है।
- **मौजूदा नीतियों के लिए अनुपालन तंत्र:** औद्योगिक स्तर पर, अनुपालन की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को समय-समय पर ऑडिट और निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करने वाले कई नियम बनाए गए हैं। हालांकि, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में अनेक समस्याएं मौजूद हैं।
- **नीतियों में निहित खामियां:** उदाहरण के लिए- EPR नियमों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को डिजाइन करने और कम-से-कम अपशिष्ट की मात्रा उत्पन्न करने संबंधी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है।
  - मौजूदा EPR के तहत मुख्यतः लघु प्लास्टिक प्रोसेसर और विनिर्माताओं को लक्षित किया गया है, जबकि इनकी गतिविधियां अत्यधिक बिखरी हुई और अनौपचारिक होती हैं। दूसरी ओर, पॉलिमर विनिर्माताओं को प्रभावी रूप से लक्षित नहीं किया गया है। पॉलिमर विनिर्माताओं की संख्या कम है और ये मुख्यतः बड़ी कंपनियां हैं।

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उठाए गए कदम

- 2016 में प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी अपशिष्ट के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड के मालिकों पर अनिवार्य रूप से **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)**[71] लागू किया गया।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021** के तहत 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता वाली एवं उच्च मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने की क्षमता वाली **सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं** को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- दिसंबर, 2022 से **120 माइक्रोन से कम मोटाई** वाले प्लास्टिक के कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, बिक्री, उपयोग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम **हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग के कारण फैलने वाले प्लास्टिक के कचरे को रोकने के लिए** उठाया गया है।

- **लागत:** प्लास्टिक के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य विकल्पों की कीमत तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है।
- **विनियामकीय बाधाएं:** द्वितीयक कच्चे माल के लिए प्लास्टिक की वस्तुओं के पुनर्चक्रण के विकल्पों को सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकियों को विनियमन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इसके लिए विशाल अवसंरचना और निवेश की भी आवश्यकता होती है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत में विभिन्न प्रकार के पॉलिमर के लिए प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियां अभी भी चुनौती बनी हुई हैं।
  - उदाहरण के लिए- भारत में पॉलीथीन टैरीपिथालेट (PET) पुनर्चक्रण दर अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

[71] Extended Producer Responsibility

- **जानकारी और जागरूकता:** संग्रहित अपशिष्टों के पृथक्करण के महत्त्व और इसके परिणामों के बारे में घरेलू स्तर पर लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। साथ ही, इन्हें जागरूक करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता है। इसलिए ऐसे प्राथमिक अपशिष्ट सृजनकर्ता इस प्रणाली से पूर्णतः बाहर रह जाते हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने हेतु समग्र रणनीति

- **एक एकल एवं स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना और कार्यान्वयन योजना बनाना:** चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सभी पहलों और सूचनाओं को शामिल करने वाली एक व्यावहारिक नीतिगत रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन की योजना भी बनाई जानी चाहिए।
- **इस क्षेत्रक को औपचारिक बनाना: अनौपचारिक क्षेत्रकों** की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें **औपचारिक अर्थव्यवस्था** में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, इनके लिए सरकारी सेवाओं और लाभों की उपलब्धता को सुगम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्रक में उन्हें अपने स्वयं के व्यावसायिक उद्यम विकसित करने में भी सहायता प्रदान करनी होगी।
- **सभी हितधारकों की पहचान करना और उन्हें शामिल करना:** पेट्रोकेमिकल उद्योग, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), अनौपचारिक सहकारी समितियों, विनियामकों आदि सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **कार्य-योजनाओं के डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को समर्थन देने हेतु एक तंत्र का निर्माण:** नगरपालिका और पंचायत स्तरों पर इसके विकेंद्रीकरण एवं कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से स्थानीय कौशल, नेटवर्क और स्थानीय फीडबैक का लाभ उठाया जा सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला के साथ सीखने की प्रवृत्ति को एकीकृत करना:** बेहतर परिणाम के लिए राज्य-स्तरीय डेटा संग्रह, निगरानी और मूल्यांकन के साथ-साथ सार्वजनिक रिपोर्टिंग में उच्च पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** ऐसी तिथियां निर्धारित की जानी चाहिए जिसके बाद कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादों के विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही, इन उत्पादों के विनिर्माताओं को वैकल्पिक उत्पादों और व्यवसायों को अपनाने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करना:** इसे द्वितीयक प्लास्टिक अपशिष्ट-आधारित उत्पादों और व्यवसायों को प्राथमिकता देने वाली सार्वजनिक खरीद नीतियों तथा राजकोषीय और कर संबंधी प्रोत्साहनों के माध्यम से समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी से संबंधित निवेश:** डिजिटल अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाले उपकरणों में निवेश किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- प्लास्टिक अपशिष्ट की पहचान या प्रबंधन के लिए वाहनों की GPS आधारित ट्रैकिंग या इमेज रेकॉगनिशन टूल में निवेश किया जाना चाहिए। इससे सर्कुलर प्लास्टिक अपशिष्ट वैल्यू चेन के निर्माण में मदद मिलेगी।

5.4. ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट-2023 (Global Cooling Watch Report-2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "कीपिंग इट चिल: हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स व्हाईल कटिंग एमिशन्स[72]" शीर्षक से **ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट-2023** जारी की गई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में **कूल कोएलिशन (Cool Coalition)** ने जारी की है।

कूल कोएलिशन (Cool Coalition) के बारे में

- **UNEP** ने SDG एजेंडा 2030 और पेरिस समझौते के बीच **तालमेल बिठाने हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन** को आरंभ किया था।
- यह भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो सभी को दक्ष व जलवायु-अनुकूल शीतलन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंडिया),** कूल कोएलिशन नेटवर्क का भागीदार है।

रिपोर्ट के बारे में

- **इस रिपोर्ट में**:
  - वैश्विक स्तर पर स्पेस कूलिंग, कोल्ड चेन एवं रेफ्रिजरेशन और परिवहन जैसे क्षेत्रकों में **कूलिंग प्रक्रियाओं से होने वाले कुल उत्सर्जन का आकलन** किया गया है, और
  - कूलिंग प्रक्रियाओं को **निवल-शून्य उत्सर्जन बनाने के तरीके** और नीतिगत उपायों का सुझाव दिया गया है, जिससे वर्ष 2050 तक **कूलिंग संबंधी संधारणीय पद्धतियों को अपनाना संभव हो सके।**
- यह रिपोर्ट **ग्लोबल कूलिंग प्लेज** का समर्थन करने के लिए जारी की गई है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज COP28 के मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात और कूल कोएलिशन की एक संयुक्त पहल है।

[72] Keeping it Chill: How to meet cooling demands while cutting emissions

- **ग्लोबल कूलिंग प्लेज** का लक्ष्य सामूहिक वैश्विक टार्गेट्स के माध्यम से,
  - वर्ष 2050 तक कूलिंग प्रक्रियाओं से होने वाले उत्सर्जन को 68% तक कम करना,
  - 2030 तक कूलिंग की संधारणीय पद्धतियों की उपलब्धता को बढ़ाना, और
  - वैश्विक स्तर पर नए एयर कंडीशनर की औसत दक्षता में 50% की वृद्धि करना है।
  - **गौरतलब है कि भारत ने अभी तक इस प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **कूलिंग जलवायु परिवर्तन पर दोहरे बोझ के रूप में:** कूलिंग करने वाले उपकरण के उपयोग से एक तरफ विद्युत की मांग में वृद्धि होती है तो वहीं दूसरी तरफ उनसे उत्पन्न होने वाले रेफ्रिजरेंट गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है।
- **कूलिंग की बढ़ती मांग:** कूलिंग के संबंध में मौजूदा रुझान को देखते हुए, वैश्विक स्तर पर कूलिंग उपकरणों की स्थापित क्षमता **वर्तमान स्तर से बढ़कर 2050 तक तीन गुनी हो जाएगी।**
  - विकासशील देशों में कूलिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समग्र रूप से 2050 में लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त कूलिंग क्षमता (Cooling capacity) की आवश्यकता होगी।
- **कूलिंग हेतु मांग के प्रमुख कारक:** इसमें जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, आय में वृद्धि, शहरीकरण और कूलिंग सुविधाओं की उपलब्धता को सुगम बनाने वाली नीतियां आदि शामिल हैं।
  - 2022 में वैश्विक स्तर पर कूलिंग से संबंधित GHG उत्सर्जन के लगभग 82% के लिए G20 देश जिम्मेदार थे।
- **कूलिंग क्षेत्रक से उत्सर्जन में वृद्धि:** कूलिंग उपकरणों से 2050 में वैश्विक उत्सर्जन के स्तर में लगभग 10% वृद्धि की संभावना है। इसके चलते 2050 में 6.1 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त उत्सर्जन होगा।
  - यह कई देशों में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के मौजूदा प्रयासों के समक्ष बड़ी बाधा पैदा करेगा।
- **समाधान के रूप में संधारणीय कूलिंग:** कूलिंग की मांग में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले कई एवं गंभीर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए संधारणीय कूलिंग के विकल्प को अपनाने की आवश्यकता है। इन विकल्पों के चलते **कूलिंग से 2050 में होने वाले संभावित उत्सर्जन को कम-से-कम 60% तक कम किया जा सकता है।**
  - संधारणीय कूलिंग में उन प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों का उपयोग शामिल है जो लोगों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए सुलभ, किफायती एवं स्केलेबल होने के मानदंडों को पूरा करें।

रिपोर्ट में दिए गए मुख्य सुझाव

रिपोर्ट में **संधारणीय कूलिंग के तीन प्रमुख उपाय बताए गए हैं:**

- **पैसिव कूलिंग उपायों को लागू करना:** इसके तहत इमारतों तथा कोल्ड चेन में कूलिंग की मांग को कम करने और अत्यधिक ऊष्मा की समस्या का समाधान करने के उपाय किए जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **भवन ऊर्जा संहिता**[73] में पैसिव उपाय जैसे कि बेहतर इन्सुलेशन, परावर्तक बाह्य आवरण, सूर्य के प्रकाश से बचाव, नेचुरल वेंटिलेशन आदि शामिल हैं।
- **ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना:** इसमें कूलिंग करने वाले उपकरणों के लिए **उच्च ऊर्जा दक्षता मानक** और मानदंड निर्धारित किया जाना शामिल है।
  - कूलिंग करने वाले उत्पादों की दक्षता बढ़ाने हेतु उत्पादों के लिए **मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैण्डर्स (MEPS) लेबलिंग** और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करने की क्षमता वाले रेफ्रिजरेंट के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने हेतु विनियम बनाने की आवश्यकता है।

- **रेफ्रिजरेंट के उपयोग में तेजी से कमी करना: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के तहत** निर्धारित गति से अधिक तीव्र गति से **क्लाइमेट-वार्मिंग हेतु उत्तरदायी हाइड्रो फ्लोरो कार्बन (HFC) रेफ्रिजरेंट के उपयोग में कमी लाना चाहिए।**

[73] Building energy codes

- किगाली संशोधन के तहत, पक्षकारों को **HFCs के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।** यद्यपि HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग **में काफी वृद्धि करती हैं।**

- **अन्य उपाय:**
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और इलेक्ट्रिक ग्रिड को डीकार्बोनाइज (वि-कार्बनीकरण) करना।**
  - **जलवायु और ऊर्जा से जुड़े कानूनों में कूलिंग के विषय को भी शामिल करना:** इसमें वार्षिक स्तर पर कूलिंग से होने वाले GHG उत्सर्जन की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना चाहिए।
  - **कूलिंग बॉण्ड** का उपयोग संधारणीय कूलिंग परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु किया जा सकता है।

संधारणीय कूलिंग की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान:** इसकी शुरुआत **2019** में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा की गई थी।
  - इसका लक्ष्य 2037-38 तक सभी क्षेत्रकों में कूलिंग की मांग को 20% से 25% तक और 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट की मांग को 25% से 30% तक कम करना है।
  - राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र के रूप में 'कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों' को शामिल किया गया है।
- **ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), 2017:** यह **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 100 kVA या उससे अधिक लोड वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा-दक्षता मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
- इलेक्ट्रिक गीजर, रंगीन टीवी, रूम एयर कंडीशनर, LED लैंप आदि उपकरणों की ऊर्जा खपत के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए **BEE स्टार लेबलिंग कार्यक्रम** शुरू किया गया है।
- **ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग:** इस संबंध में ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (गृह/ GRIHA), इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) और लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिजाइन (LEED) आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

5.5. हिंदू कुश हिमालय (Hindu Kush Himalayas: HKH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने **"बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेसिलिएंस इन द हिंदू कुश हिमालय[74]"** नामक पहल की शुरुआत की है।

इस पहल के बारे में

- इसका उद्देश्य हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली समस्याओं का समाधान करना है।
- इसमें बड़े पैमाने पर अवसंरचनाओं के विकास के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद करने हेतु जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन जैसे अत्याधुनिक उपायों को बताया गया है। इन उपायों में **बीमा और जोखिम हस्तांतरण (Risk transfer)** आदि शामिल हैं।
- यह भूटान और नेपाल (सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र) को जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी।

हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र के बारे में:

- HKH लगभग 4.3 मिलियन वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है (इन्फोग्राफिक देखें)। इसका विस्तार **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान** में है।
- यहां **विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां,** जैसे- **माउंट एवरेस्ट** और **कंचनजंगा** अवस्थित हैं।
- HKH क्षेत्र को पृथ्वी का **तीसरा ध्रुव या एशिया का वाटर टावर** भी कहा जाता है, क्योंकि यहां ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे बड़ा हिम का भंडार है।

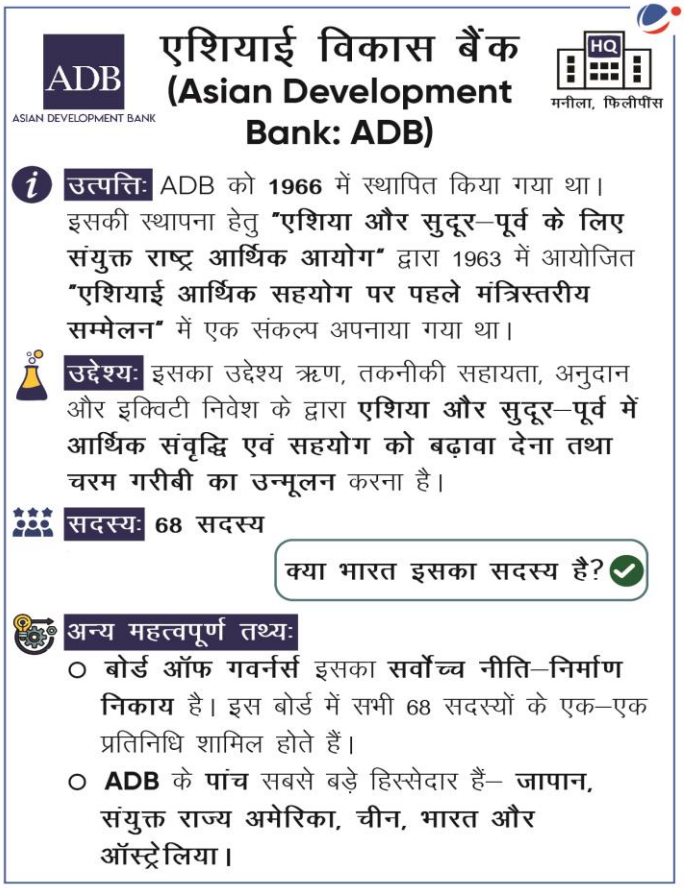

[74] Building Adaptation and Resilience in the Hindu Kush Himalayas Initiative

- HKH क्षेत्र एक नवीन वलित एवं लगातार उत्थान करने वाले पर्वतों का क्षेत्र है। इसलिए यह क्षेत्र अलग-अलग आपदाओं जैसे कि भूकंप तथा भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

इस क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु संबंधी जोखिम:

- **जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं,** जैसे- हिमनदीय झील के तटबंधों का टूटना, फ़्लैश फ्लड आदि की **तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि** हुई है। इन आपदाओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- **हिमावरण में कमी और हिमनदों के तेजी से पिघलने** के चलते नदियों में जल की मात्रा कम हो रही है, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।
    - एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार, यदि ग्लोबल वार्मिंग में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2100 तक हिमालय के कुछ हिस्सों में लगभग 75% हिमनद पिघल जाएंगे।
- जल्द ही पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों और कुछ समय बाद नदी घाटियों में रहने वाले लोगों की **आजीविका प्रभावित होगी।**
    - वर्ष 1985 से 2014 तक HKH क्षेत्र में आपदाओं के कारण कुल 45 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। यह दुनिया के अन्य किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में हुए नुकसान से कहीं अधिक है।

- **जैव विविधता का ह्रास:** पर्वतों में रहने वाली वन्य प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनमें से कुछ की आबादी में काफी कमी होने की आशंका भी है।

हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु किए गए अन्य वैश्विक पहल

- **एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र या इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD):** यह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कार्य करने वाला एक **अंतर-सरकारी ज्ञान और शिक्षण केंद्र** है। यह काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।
- **हिमालयन एडेप्टेशन नेटवर्क:** यह IUCN द्वारा सिक्किम में शुरू की गयी एक वेब-आधारित नेटवर्क पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में रहने वाले समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष मौजूद जोखिम को कम करने के लिए लैंडस्केप एप्रोच पर आधारित जलवायु अनुकूल रणनीतियां बनाना है।

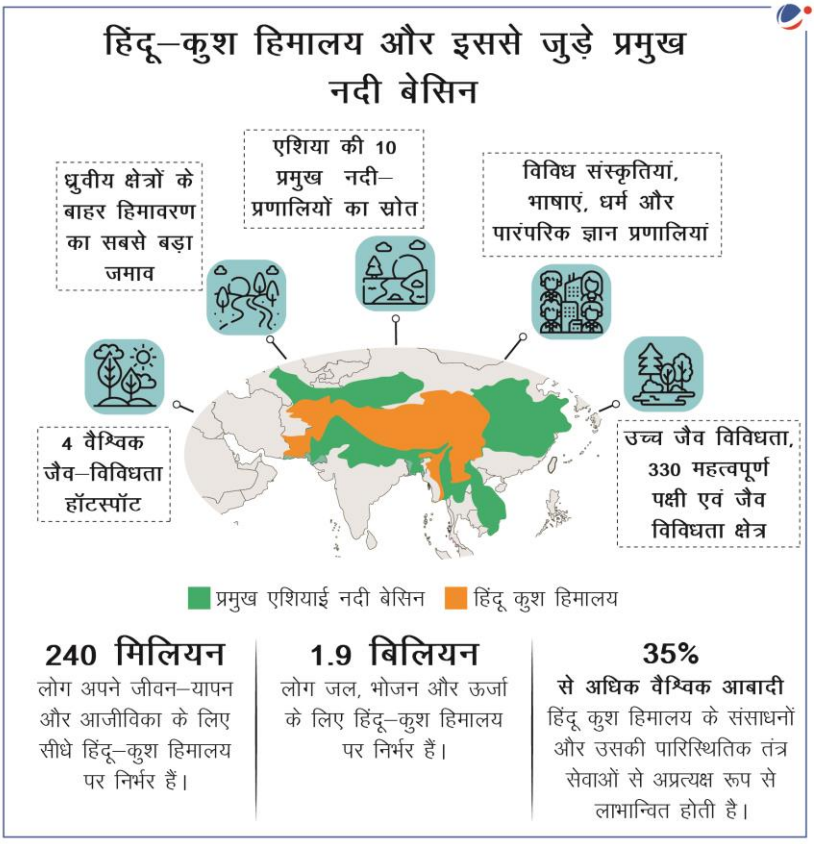

- **लिविंग हिमालय इनिशिएटिव:** इसे **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा** पूर्वी हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था।

भारत द्वारा की गई पहलें

- **हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)[75]:** इसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)[76] के तहत हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की दशाओं का निरंतर आकलन करने के लिए शुरू किया गया है।
- **सिक्योर** {सिक्योरिंग लाइवलीहुड, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम्स (SECURE)} **हिमालय परियोजना:** इसे भारत के **MoEF&CC** और **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम (GWP) के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)[77] द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है।

5.6. क्लाइमेट इंजीनियरिंग (Climate Engineering)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, यूनेस्को (UNESCO) ने "**क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़ी नैतिकता[78]**" पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है।

क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में

- क्लाइमेट इंजीनियरिंग या जियो इंजीनियरिंग का उद्देश्य ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के बजाय **जलवायु प्रणाली में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करके ग्लोबल वार्मिंग का समाधान करना है।**
- क्लाइमेट इंजीनियरिंग में **जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मूल कारण का समाधान न करते हुए** जलवायु परिवर्तन की दर को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं।
- **इसे निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है**:
  - **कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना (CDR):** इसके तहत वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है।
  - **सौर विकिरण में बदलाव (Solar Radiation Modification: SRM):** इसके तहत अधिक-से-अधिक अवरक्त विकिरण के अंतरिक्ष में विलीन होने को संभव बनाया जाता है या सूर्य के प्रकाश को परावर्तित किया जाता है।
    - SRM को **सोलर जियो-इंजीनियरिंग** भी कहा जाता है।
- **क्लाइमेट इंजीनियरिंग का महत्त्व:**
  - **प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नकल:** इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु क्लाइमेट इंजीनियरिंग की उपयुक्तता बढ़ती है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन के लिए अधिक समय**: इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने के लिए हमें और अधिक समय मिल सकता है।
  - **क्षेत्रीय कार्यान्वयन:** इसमें शामिल कुछ तकनीकों की किफायती प्रकृति के कारण इनका निर्माण क्षेत्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है।
  - **जलवायु संबंधी नीतियों में मौजूद अंतराल की भरपाई:** इनसे **जलवायु परिवर्तन में कमी लाने वाली नीतियों के तहत निर्धारित लक्ष्यों** को हासिल करने में सहयोग मिलेगा। इससे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में **आवश्यक कटौती** करने के लक्ष्य में पीछे रहने की भरपाई की जा सकेगी।

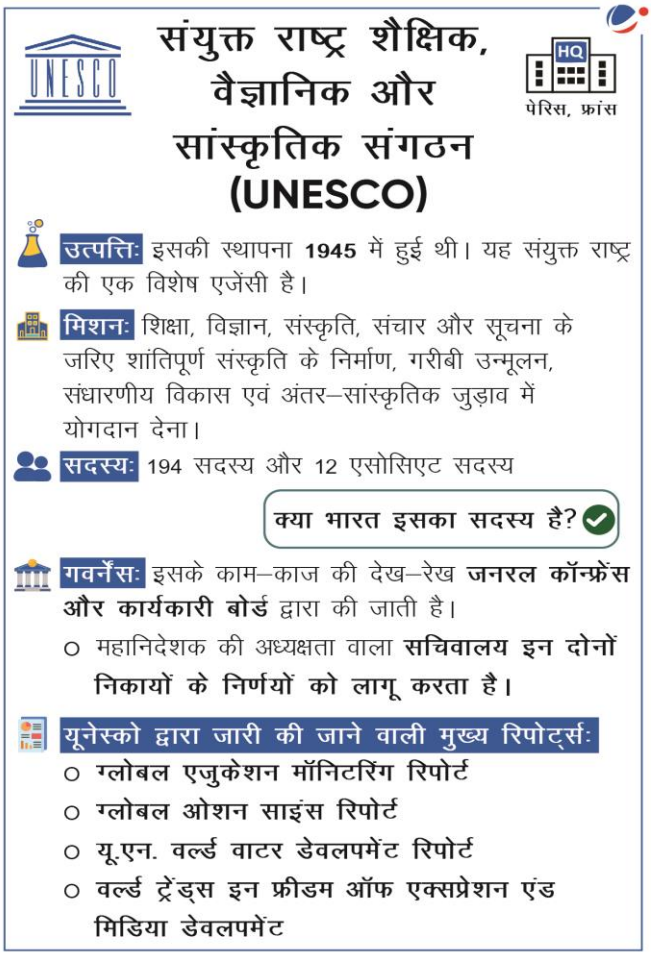

  - **जलवायु संबंधी नीतियों में मौजूद अंतराल की भरपाई:** इनसे **जलवायु परिवर्तन में कमी लाने वाली नीतियों के तहत निर्धारित लक्ष्यों** को हासिल करने में सहयोग मिलेगा। इससे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में **आवश्यक कटौती** करने के लक्ष्य में पीछे रहने की भरपाई की जा सकेगी।

क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़े संभावित जोखिम

- **पर्यावरणीय जोखिम**: वर्तमान में क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़े व्यवहारिक परिणामों के बारे में जानकारी का अभाव है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देने के मामले में इन तकनीकों पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यह:

[75] National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem

[76] National Action Plan on Climate Change

[77] Global Environment Facility

[78] Ethics of climate engineering

- दीर्घकालिक रूप में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की **स्वाभाविक/ प्राकृतिक क्षमता को नुकसान पहुंचा** सकती है;
- ओजोन परत, वर्षा, फसल उत्पादन और महासागरीय अम्लीकरण पर **प्रतिकूल प्रभाव** डाल सकती है; और
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भरता पैदा कर सकती है। साथ ही, इन तकनीकों का उपयोग शुरू करने और बाद में उनका उपयोग बंद करने से **टर्मिनेशन शॉक (Termination Shock)** पैदा हो सकता है, जिससे गर्मी में तेजी से वृद्धि, जल चक्र में व्यवधान और जैव विविधता को नुकसान होगा।

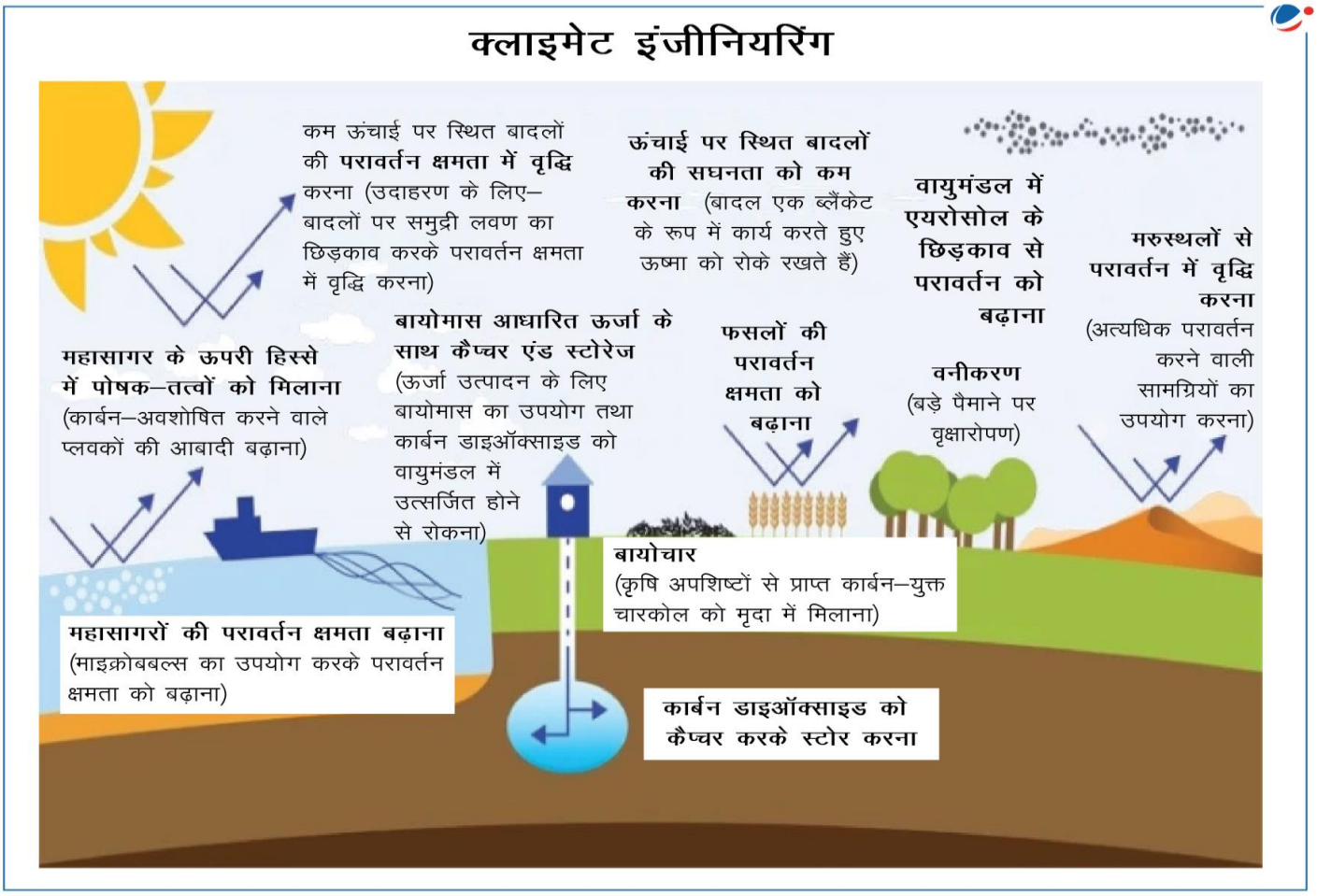

- **आर्थिक जोखिम**: इस तकनीक से जुड़े उपकरणों या साधनों को बनाना और उन्हें उपयोग में लाने की लागत काफी अधिक है।
  - इसके अलावा, ऐसी तकनीक के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ में बड़ी संख्या में पेटेंट दाखिल किए जा रहे हैं, जिससे **वैश्विक असमानताएं बढ़ सकती हैं।**
- **नैतिक मुद्दे:**
  - **जवाबदेही निर्धारण करने में कठिनाई (Organized irresponsibility):**
    - पर्यावरणीय जोखिमों से जुड़ी **अनिश्चितताओं और उससे संबद्ध प्रभावों** को देखते हुए किसी एक संस्था को विशेष रूप से

क्लाइमेट इंजीनियरिंग के लिए भारत में की गई पहलें

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)** में जियो-इंजीनियरिंग से जुड़े एक सक्रिय **क्लाइमेट मॉडलिंग रिसर्च** कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रहा है।
- जियो-इंजीनियरिंग के प्रभावों को समझने के लिए DST द्वारा **प्रमुख शोध एवं विकास कार्यक्रम (MRDP)**[79] शुरू किया गया है।
- **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान**[80] सोलर जियो-इंजीनियरिंग सिमुलेशन का प्रदर्शन करने के लिए '**पृथ्वी प्रणाली मॉडल**[81]' का विकास कर रहा है।

[79] Major Research and Development Program

[80] Indian Institute of Tropical Meteorology

[81] Earth system model

उत्तरदायी एवं दोषी ठहराना कठिन हो जाता है।
    - इसके अलावा, इन तकनीकों से जुड़ी प्रगति, व्यवहारिकता, जोखिम और लाभों के बारे में **जानकारी का अभाव** है।
  - **न्यायोचित साझाकरण:**
    - यह तकनीक कुछ ही **देशों, कंपनियों एवं शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित की** जा रही है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इससे दूर रखा गया है।
    - वैश्विक रूप से जोखिमों को समान रूप से साझा करना भी व्यवहार्य नहीं है। यदि ऐसा करने का निर्णय लिया जाता है तो क्षतिपूर्ति के लिए नैतिक सहमति लेने में भी प्रक्रियात्मक समस्याएं आएंगी।
  - **नैतिक जोखिम:** इस तकनीक के सफल कार्यान्वयन से नैतिक रूप से अवांछनीय परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि यह जलवायु संकट से निपटने में पारिस्थितिकी रूप से हितैषी नजरिए को महत्त्व देने के बजाए एक आसान उपाय प्रदान करता है।
- **अन्य मुद्दे:**
  - क्लाइमेट इंजीनियरिंग के प्रभावों की **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति** के चलते कई देशों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।
  - किसी देश के पास जलवायु में बदलाव लाने वाली तकनीक होने से वह भविष्य में इसका दुरुपयोग किसी अन्य देश के विरुद्ध कर सकता है।

क्लाइमेट इंजीनियरिंग से जुड़े जोखिमों को कम-से-कम करने से संबंधित आगे की राह

क्लाइमेट इंजीनियरिंग के संबंध में शोध और गवर्नेंस के लिए यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

- **गवर्नेंस**: इस तकनीक के संबंध में निर्णय लेते समय "मौजूदा एवं भावी पीढ़ी" तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को पूरा महत्त्व दिया जाना चाहिए।
  - ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से होने नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी देश की होती है। इसलिए देशों को **इस तरह की तकनीकों को विनियमित करने वाला सक्षम कानून बनाने चाहिए।**
- **भागीदारी और समावेशन**: इससे संबंधित नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में **हाशिए पर रहने वाले समूह, महिलाएं, युवा, देशज लोग** और **नागरिक समाज** जैसे हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - **क्षेत्रीय गतिविधियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - **वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान:** तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए **देशों के मध्य खुले सहयोग** एवं जलवायु कार्रवाइयों की **निरंतर निगरानी** को बढ़ावा देना चाहिए।
    - **राजनीतिक और आर्थिक हितों** को लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- **क्षमता को मजबूत करना:** यूनेस्को को जलवायु कार्रवाई के संबंध में **संस्थागत, तकनीकी और नैतिक क्षमताओं को मजबूत करने** में सदस्य देशों की सहायता करनी चाहिए।
  - **कारोबार और उद्योग को अपने कार्यों में नैतिक मूल्यों,** अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्रकों के साथ निकटता से सहयोग करना चाहिए।
- **शिक्षा, जागरूकता और पक्ष-समर्थन:** जलवायु कार्रवाई से संबंधित नैतिक पहलुओं को प्रासंगिक शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

क्लाइमेट इंजीनियरिंग द्वारा प्राकृतिक जलवायु प्रणाली में बदलाव किया जाता है। इसलिए इस तकनीक के संबंध में जलवायु से संबंधित मौजूदा जोखिम में वृद्धि और नए जोखिम उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए इन तकनीकों के प्रभावों और इनके नैतिक पहलुओं को व्यापक रूप से समझते हुए, इन्हें अपनाना आवश्यक होगा।

5.7. युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति (Environmental Cost of War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कई विशेषज्ञों ने रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित पर्यावरणीय क्षति तथा प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति या युद्ध के कारण होने वाले पर्यावरण संबंधी नुकसान के बारे में

- **इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार, वैश्विक स्तर पर केवल कुछ ही देश संघर्ष से मुक्त रहे हैं।**
  - तुलनात्मक रूप से **शांतिपूर्ण देशों में भी, सुरक्षा बलों पर काफी मात्रा में संसाधन खर्च किए जाते हैं।**

- हालांकि, **युद्ध के दौरान** पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, उसका अत्यधिक दोहन किया जाता है तथा उसे जानबूझकर व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई जाती है।

- **युद्धों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव एवं उसकी व्यापकता** निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है:
  - **संघर्ष की प्रकृति और समयावधि,**
  - **युद्ध में सर्वाधिक उपयोग किए गए हथियारों के प्रकार,**
  - **संघर्ष की चपेट में आए इलाकों का क्षेत्रफल,** आदि।

चरण	संबद्ध पर्यावरणीय क्षति
तैयारी (युद्ध से पहले)	• **संसाधनों का दोहन**: सैन्य बलों को तैयार करने में धातु, जल और ऊर्जा सहित विशाल संसाधनों की खपत होती है। इस संबंध में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांश रूप से पेट्रोल/ डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों से ही होती है। • **ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन:** सेना की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की अधिकांश पूर्ति **जीवाश्म ईंधन से होती है।** ○ उदाहरण के लिए- **ब्रिटिश सैन्य** गतिविधियां, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरे उत्सर्जन में लगभग 50% के लिए उत्तरदायी हैं। • **संरक्षण प्रयासों के लिए खतरा:** इसमें अत्यधिक सैन्य व्यय और सैन्य अड्डों, टेस्टिंग, प्रशिक्षण आदि के लिए जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उपयोग किया जाना शामिल है।
युद्ध के दौरान	• **प्रदूषण:** विस्फोटक हथियारों द्वारा हवा में उड़ने वाले मलबे से वायु और मृदा प्रदूषण होता है। क्षतिग्रस्त जहाजों, पनडुब्बियों के कारण समुद्र में तेल का रिसाव होता है। • **निर्वनीकरण:** इसके लिए युद्ध में इस्तेमाल होने वाले **सफेद फॉस्फोरस युक्त हथियार और** संरक्षित क्षेत्रों पर बमबारी करना आदि जिम्मेदार हैं। ○ उदाहरण के लिए**- वियतनाम युद्ध** के दौरान अमेरिकी सेना ने वियतनाम के वर्षावनों में अपने शत्रुओं को अधिक आसानी से देखने के लिए वर्षावनों को नष्ट कर दिया था। • **आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का खतरा:** युद्ध के कारण पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ **प्रजातियों की भी काफी क्षति होती** है। इससे ऐसे क्षेत्रों में **आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की संभावना बनी रहती है।**
युद्ध के पश्चात्	• **विकिरण:** परमाणु हथियारों का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् **हिरोशिमा और नागासाकी** में देखा गया था। • **वन्यजीव से जुड़े अपराध**: इससे हंटिंग और अवैध शिकार में वृद्धि होती है। साथ ही, संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों की आसान उपलब्धता के चलते भी वन्यजीव से जुड़े अपराधों में वृद्धि होती है। • **संरक्षण संबंधी प्रयासों पर प्रभाव:** इस दौरान शोधकर्ताओं को संरक्षित क्षेत्रों में आने-जाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, युद्ध में शामिल देश पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत परियोजनाओं के लिए बजट की राशि में कटौती भी कर सकते हैं। • **पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में गिरावट:** जैव विविधता और मृदा के पोषक तत्वों की अपार क्षति के चलते पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में गिरावट होती है। • **अन्य मुद्दे:** निर्वनीकरण, लोगों का जबरन विस्थापन तथा संबंधित संसाधनों का दोहन युद्ध के पर्यावरणीय फुटप्रिंट को और बढ़ा देते हैं।

प्रमुख पहलें: युद्ध के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सशस्त्र संघर्षों के दौरान जिम्मेदार आचरण को प्रोत्साहित करने वाले पहलों एवं सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जेनेवा कन्वेंशन (Geneva Convention):** इसमें प्राकृतिक पर्यावरण को व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले युद्ध के तरीकों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987)**: **"अवर कॉमन फ्यूचर"** रिपोर्ट में संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
  - इस रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी बल दिया गया है कि **सशस्त्र संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता संधारणीय विकास में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं।**
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन (1972):** इसके तहत सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन[82](1992 रियो सम्मेलन) के सिद्धांत:**
  - **सिद्धांत 24:** इसमें कहा गया है कि सशस्त्र संघर्ष संधारणीय विकास के लिए मौलिक रूप से हानिकारक होते हैं और युद्ध के दौरान देशों से पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने का आग्रह भी किया गया है।
  - **सिद्धांत 25:** इसमें कहा गया है कि शांति और संधारणीय विकास, दोनों परस्पर संबद्ध एवं अविभाज्य हैं।
- **रोम संविधि (Rome Statute) का आर्टिकल 12:** यह सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरणीय क्षति के संदर्भ में देशों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है।

[82] UN Conference on Environment and Development

- **युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस[83]:** यह संघर्षों के दौरान पर्यावरण के दोहन को रोकने के महत्त्व को उजागर करता है।
- **सशस्त्र संघर्षों के संबंध में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सिद्धांतों का मसौदा:** इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग[84] द्वारा अपनाया गया है। ये सिद्धांत सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- **यू. एन. कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री ऑर एनी अदर होस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक (ENMOD)[85]:** इसका उद्देश्य पर्यावरण में बदलाव करने वाली तकनीकों के सैन्य या शत्रुतापूर्ण उपयोग को रोकना है।

युद्ध के कारण होने वाले पर्यावरण संबंधी नुकसान से जुड़ी चुनौतियां

- **सीमित ज्ञान:** हालांकि कई युद्ध जैव विविधता हॉट स्पॉट के भीतर भी हुए हैं, फिर भी युद्ध के कारण होने वाले पर्यावरण संबंधी नुकसान के बारे में समझ एवं जागरूकता कम ही है।
- **नुकसान के स्तर के निर्धारण में कठिनाई:** युद्ध के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति का आकलन करना काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए सैन्य गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में तथ्यों को रिकॉर्ड न करना और पर्यावरणीय क्षति की निगरानी करने वाली प्रणालियों में पड़ने वाला व्यवधान जिम्मेदार है।
- **पेरिस जलवायु समझौते से बाहर:** पेरिस जलवायु समझौते में हथियारों और सेना की गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है। इसके कारण इन्हें जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल को रिपोर्ट करने से छूट मिली हुई है।
- **संघर्ष के बाद प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धा:** संघर्ष या युद्ध के समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण करने संबंधी प्रयासों में पर्यावरणीय क्षति का पुनरुद्धार करने के बजाय आवासन, अवसंरचना और अन्य सेवाओं को बहाल करने को प्राथमिकता दी जाती है।
- **दुष्चक्र:** युद्ध से कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप संसाधनों में कमी और जलवायु संबंधी जोखिमों में वृद्धि होती है।
    - इससे एक चक्र का निर्माण होता है। इसमें **संसाधनों की कमी और बढ़ते जोखिमों के चलते संघर्षों में वृद्धि होती है, जिससे** युद्ध के कारण पर्यावरणीय क्षति में और वृद्धि होती है, एवं यह **चक्र चलता ही रहता है।**

पर्यावरण पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए आगे की राह

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (UN Framework on Climate Change):** इसके तहत उत्सर्जन के मामले में सैन्य संघर्ष के लिए बाध्यकारी वैश्विक समझौतों का निर्माण किया जाना चाहिए।
    - इसमें **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान"** के **सिद्धांत** के आधार पर उत्तरदायी पक्षकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- **संघर्ष के पश्चात् ग्रीन रिकवरी:** युद्ध या संघर्ष के बाद जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की क्षति और प्रदूषण संबंधी मुद्दों को महत्त्व देते हुए हरित एवं संधारणीय पुनरुद्धार को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **सैन्य प्रशिक्षण:** सशस्त्र बलों के सदस्यों को उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करना चाहिए। साथ ही, उन्हें मानवीय सहायता, आपदा राहत सहित जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों में पर्यवरण अनुकूल रणनीतियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **सेना को डीकार्बोनाइज करना:** डीकार्बोनाइज करने से तात्पर्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाले उपायों को अपनाने से है। इनमें शामिल हैं:
    - पेट्रोलियम-ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना,
    - ऊर्जा की आपूर्ति हेतु सौर पैनल्स को स्थापित करना,
    - आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले उत्सर्जन में कटौती करना, आदि।
        - यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने **जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता रणनीति[86]** बनाई है।
        - **स्विट्जरलैंड** ने 2050 तक अपनी सेना को **कार्बन-न्यूट्रल आर्मी** बनाने का लक्ष्य रखा है।

निष्कर्ष

इस संबंध में **संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून** ने यह कहा है कि, **"युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के चलते पर्यावरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अक्सर प्रभावित होता रहा है"।** इसलिए मौजूदा और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित धरती को बनाए रखने के लिए, सशस्त्र संघर्षों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति की अनदेखी करना अब बंद करना होगा।

---

[83] International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict

[84] International Law Commission

[85] UN Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

[86] Climate Change and Sustainability Strategy

5.8. भारत में भू-जल (Ground Water in India)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2023 के लिए देश की **"सक्रिय भू-जल संसाधन आकलन रिपोर्ट[87]"** जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह आकलन **केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB)[88] और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (UTs)** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। विभिन्न हितधारकों द्वारा इसका उपयोग उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए किया जा सकता है।
- इस तरह का संयुक्त मूल्यांकन वर्ष 1980 के बाद से किया जा रहा है। वर्ष 2022 से, **यह मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

संकेतक (Indicator)	मुख्य विशेषताएं
देश में कुल वार्षिक भू-जल (GW) पुनर्भरण	• देश में कुल वार्षिक भू-जल (GW) पुनर्भरण वर्ष 2022 में 437.6 बिलियन घन मीटर (bcm) था। वर्तमान में यह **बढ़कर 449.08 बिलियन घन मीटर (bcm)** हो गया है। • **प्रमुख रूप से** पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में **वृद्धि** देखी गई है।
'अति दोहित इकाइयां ('Over-exploited' units): ये ऐसी इकाइयां हैं जो वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भू-जल पुनर्भरण से अधिक भू-जल के निष्कासन को दर्शाती हैं।	• विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 6553 आकलन इकाइयों में से **736 इकाइयों (11.23%)** को 'अति दोहित' इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2022 में 1006 इकाइयों की तुलना में यह **14.2% कम है।** • यह देश के **कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 17% है।** • **'अति दोहित' इकाइयां अधिकतर केंद्रित हैं:** ○ **पश्चिमोत्तर भाग:** इनमें **पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग** शामिल हैं। इस क्षेत्र में **भू-जल का अविवेकपूर्ण तरीके से निष्कासन किया गया** है। इसके कारण यहां भू-जल का अत्यधिक दोहन हुआ है। ○ **पश्चिमी भाग: राजस्थान और गुजरात** के कुछ भागों में भी अत्यधिक दोहन हुआ है, जहां शुष्क जलवायु के कारण भू-जल पहले से ही कम है। ○ **दक्षिणी भाग:** इसमें **कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग** शामिल हैं। इस क्षेत्र में कठोर चट्टानी संरचना होने के कारण **प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीय जलभृत (Crystalline aquifers) पाए जाते** हैं। इसलिए यहां भू-जल की उपलब्धता कम है। • *नोट: उथली गहराई पर संधियों, विवरों और दरारों में पाई जाने वाली जलभृतियों को क्रिस्टलीय जलभृत कहा जाता है।*
'क्रिटिकल' इकाइयां ('Critical' unit): ऐसी इकाइयां जहां भू-जल का निष्कासन 90-100% के बीच है।	• **199 (3.04%)** आकलन इकाइयां 'क्रिटिकल' हैं। • इनमें देश के **कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 3%** हिस्सा शामिल है।
"सेमी क्रिटिकल" इकाइयां ("Semi-critical" units): ऐसी इकाइयां जहां भू-जल का निष्कासन 70-90% के बीच है।	• **698 (10.65%)** आकलन इकाइयां **"सेमी क्रिटिकल" हैं।** • इनमें देश के **कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 12%** हिस्सा शामिल है।
'सुरक्षित' इकाइयां ('Safe' units) ऐसी इकाइयां जहां भू-जल का निष्कासन 70% से कम है।	• **4793 (73.14%)** आकलन इकाइयों को 'सुरक्षित' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हैं। वर्ष 2022 में 4780 इकाइयों (67.4%) की तुलना में इनमें वृद्धि हुई हैं। • इनमें देश के **कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 66% हिस्सा शामिल** है।

[87] Dynamic Ground Water Resource Assessment Report

[88] Central Ground Water Board

- **कुल वार्षिक भू-जल (GW) पुनर्भरण में सुधार का कारण**
  - इन परिवर्तनों का कारण मुख्यतः **'अन्य स्रोतों' से पुनर्भरण में हुए परिवर्तनों** को माना जा रहा है।
  - **अन्य स्रोतों से पुनर्भरण में शामिल हैं:**
    - नहर, सतही जल सिंचाई, भू-जल सिंचाई, टैंकों और तालाबों तथा कमान क्षेत्रों (Command areas) और गैर-कमान क्षेत्रों (Non-command areas) में जल का संरक्षण करने वाली संरचनाओं से पुनर्भरण में सुधार हुआ है।
  - **पुनर्भरणीय भू-जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है।** यह कुल वार्षिक भू-जल पुनर्भरण में लगभग **60%** का योगदान देती है।

भारत में भू-जल की स्थिति

- भारत **विश्व में भू-जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता** है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक भू-जल का उपयोग करता है।
- हालिया आकलन से आशाएं जगी हैं, लेकिन CGWB द्वारा निगरानी किए गए 60% से अधिक कुओं के जलस्तर में **पिछले एक दशक में गिरावट** जारी है।
- **यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी–इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी** (UNU-EHS)[89] ने **'इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023'** प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में सिंधु-गंगा के मैदान के** कुछ क्षेत्र **पहले ही भू-जल की कमी के अपने चरम बिंदु (Tipping Point) को पार** कर चुके हैं।
  - इसके अलावा, ऐसा अनुमान है कि संपूर्ण उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में **वर्ष 2025 तक भू-जल उपलब्धता गंभीर रूप से कम** रहेगी।
  - पंजाब में **78%** कुओं का अत्यधिक दोहन किया गया है।

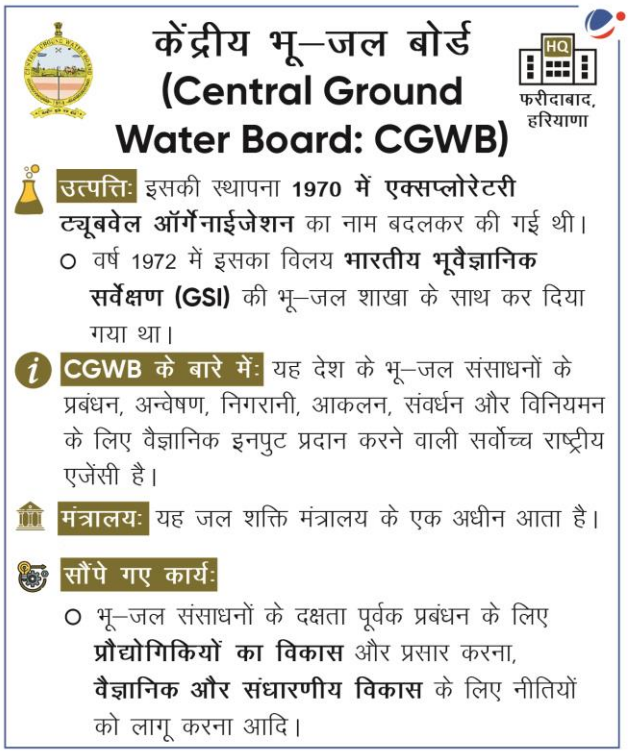

भारत में भू-जल में समग्र गिरावट के कारण

- **भू-जल का अत्यधिक निष्कासन:** हरित क्रांति के कारण कृषि के लिए भू-जल की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। विगत 50 वर्षों में, नलकूपों (Borewells) की संख्या 1 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन हो गई है।
- **जलवायु संबंधी कारक:** जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी वर्षा में दीर्घकालिक कमी देखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप भू-जल के पुनर्भरण स्तर में कमी हो रही है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण आंशिक रूप से भू-जल में गिरावट हो रही है।
- **नीतिगत कारक:** भू-जल की कमी से प्रभावित कई राज्य सिंचाई हेतु भू-जल के निष्कासन के लिए निःशुल्क या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली (सौर पंप सहित) प्रदान करते हैं।
  - इसके अलावा, नियमों के सख्त न होने के कारण भू-जल से सिंचित क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। साथ ही, अतिरिक्त कुओं का भी निर्माण किया जा रहा है।
- **सिंचाई के तरीके:** भारत में सिंचाई संबंधी दक्षताएं न्यूनतम स्तर पर हैं। भारत में परंपरागत फ़्लड इरिगेशन (बाढ़ सिंचाई) से **वाष्पोउत्सर्जन (Evapotranspiration)** के जरिए **अत्यधिक मात्रा में जल ह्रास** होता है।
- **अन्य कारक:** अन्य कारकों में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और उद्योगों में वृद्धि आदि के कारण असाधारण रूप से भू-जल की अत्यधिक मांग बनाम सीमित आपूर्ति शामिल हैं।

भू-जल आकलन और प्रबंधन के संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलें

- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)[90]:** मुख्य जलभृतों के मानचित्रण, चिह्नीकरण और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के निर्माण के माध्यम से संसाधनों की संधारणीयता सुनिश्चित करना इसके उद्देश्य हैं।

---

[89] United Nations University – Institute for Environment and Human Security

[90] National Aquifer Mapping & Management Programme

- **जल क्रांति अभियान:** इसे जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करते हुए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के जरिए देश में जल संरक्षण एवं प्रबंधन पहलों को मजबूत करना है।
- **अटल भूजल योजना:** इसे वर्ष 2020 से कार्यान्वित किया गया है। इसमें सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए देश के सात राज्यों के कुछ हिस्सों में चिन्हित किए गए जल संकट वाले क्षेत्रों में भू-जल प्रबंधन में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)-हर खेत को पानी:** इसके तहत आकलन इकाइयों में भू-जल से सिंचाई क्षमता के निर्माण की योजना बनाई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आकलन इकाइयों में भविष्य में भू-जल वृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।
- **जल शक्ति अभियान:** इसमें जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन, परंपरागत और समकालीन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, जल का पुनर्चक्रण और पुनः पूर्ति, वाटरशेड विकास इत्यादि शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर प्लान:** केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा **"भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020"** तैयार किया गया है। इसके तहत देश के भू-जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए लगभग **11 मिलियन वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं** के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।
    - जल शक्ति मंत्रालय ने **सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक** भी भेजा है, **ताकि वे भू-जल वृद्धि के विनियमन के लिए उपयुक्त कानून** बना सकें। इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

भू-जल प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव

- **भविष्य में भू-जल की उपलब्धता का अनुमान लगाना:** जलवायु में परिवर्तन और जल निकासी प्रतिरूप के आधार पर हम ग्राउंड वाटर मॉडलिंग का उपयोग कर सकते हैं। इससे भू-जल संसाधनों के भविष्य की उपलब्धता का अनुमान लगाने में सहायता मिल सकती है।
- **जल गहन वाली फसलों की खेती से बचना:** उदाहरण के लिए- गुजरात में, किसान अधिक जल का उपयोग करने वाली फसलों, जैसे- कपास और गेहूं की खेती न करके अनार और जीरा जैसी फसलों की खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं। ये फसलें न केवल कम जल का उपयोग करती हैं, बल्कि इनकी कीमत भी अच्छी मिलती है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** भू-जल संरक्षण लाखों लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस तरह के प्रयास में समुदायों को केंद्र में रखा जाना चाहिए। समुदाय वैज्ञानिक सुझावों में अपने परंपरागत ज्ञान को शामिल करके भू-जल प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं।
- **नीतिगत स्तर के उपाय:** कृषि विद्युत कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन से अलग करने जैसी नीतियां और कृषि विद्युत उपलब्धता के लिए एक निश्चित समय जैसे उपाय किए जाने चाहिए।
    - **मिहिर शाह समिति** ने सुधारात्मक उपायों, जैसे- ड्रिलिंग की गहराई निर्धारित करना, कुओं के बीच की दूरी इत्यादि की सिफारिश की है।
- **शासन का पुनर्गठन: मिहिर शाह समिति** ने यह सिफारिश की है कि केंद्रीय जल आयोग और CGWB का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि एक नया **राष्ट्रीय जल आयोग** गठित किया जा सके। इसमें यह तर्क दिया गया कि **एक एकीकृत संस्था भू-जल और सतही जल के सामूहिक प्रबंधन में सहायता करेगी।**
- **मांग पक्ष से संबंधित उपाय करना:** खेत तालाबों और चेक-डैम द्वारा सतही जल संचयन, जल दक्षता वाली सिंचाई प्रणालियों का प्रयोग करना इत्यादि। उदाहरण के लिए- अधिक दक्ष ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाना।

5.9. ग्लोबल ड्रॉउट स्नैपशॉट 2023 (Global Drought Snapshot 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

UNCCD[91] की रिपोर्ट '**ग्लोबल ड्रॉउट स्नैपशॉट 2023'** के अनुसार, भारत सहित कम-से-कम 23 देशों ने 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय या उप-राष्ट्रीय स्तर पर सूखे की आपात स्थिति घोषित की है।

[91] United Nations Convention to Combat Desertification/ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय

सूखा क्या है?

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जब किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा उसके दीर्घकालीन औसत के 25% तक या उससे कम होती है, तब मौसम संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
    - वर्षा की कमी के आधार पर इसे **मध्यम और गंभीर सूखे** में वर्गीकृत किया गया है।
    - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किए गए "जलवायु खतरे एवं सुभेद्यता एटलस[92]" के अनुसार, **87% जिले तथा 93% जनसंख्या मध्यम सूखे से लेकर गंभीर सूखे के प्रति सुभेद्य हैं।**
        - 27% जिले और 32% जनसंख्या सूखे के प्रति **अत्यधिक सुभेद्य** है।

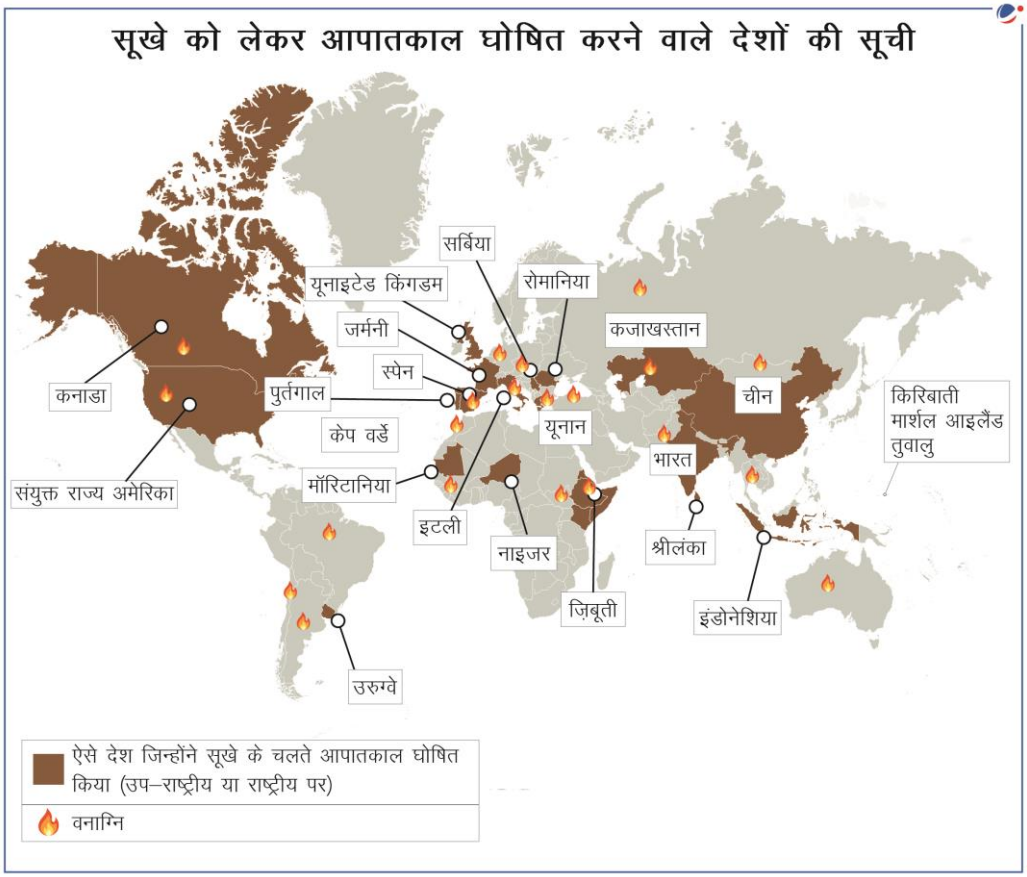

रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए सूखे के वर्तमान प्रभाव

- **वैश्विक प्रभाव:** UNCCD के 101 पक्षकार देशों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर, **दुनिया में 1.84 बिलियन लोग सूखे से प्रभावित** हैं। इनमें से 4.7 प्रतिशत गंभीर या अति गंभीर सूखे से प्रभावित हैं।
- **महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई आपदाओं की वजह से पुरुषों की तुलना में **महिलाओं और बच्चों की मृत्यु होने की संभावना 14 गुना अधिक** होती है।
    - आपदाएं महिलाओं के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से खतरे में डालने के साथ-साथ उनके लिए अन्य सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न करती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:** दिसंबर 2022 के अंत तक चलने वाले सूखे ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। इस सूखे ने यहां की लगभग 23 मिलियन जनसंख्या की **खाद्य सुरक्षा को संकट** में डाल दिया था।
- **जबरन प्रवासन को प्रेरित करता है:** वर्ष 2022 में आपदाओं के कारण 32.6 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इनमें से 98 प्रतिशत लोगों को मौसम संबंधी खतरों, जैसे- तूफान, बाढ़ और सूखे के कारण विस्थापित होना पड़ा।
- **प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए- जल की कमी के कारण जलविद्युत संयंत्र उचित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जलविद्युत प्रभावित हो सकता है।

[92] Climate Hazards and Vulnerability Atlas

- **वनों पर प्रभाव:** सामान्य मौसम के वर्षों की तुलना में सूखे के दौरान वनोन्मूलन में 7.6% की वृद्धि देखी गई।

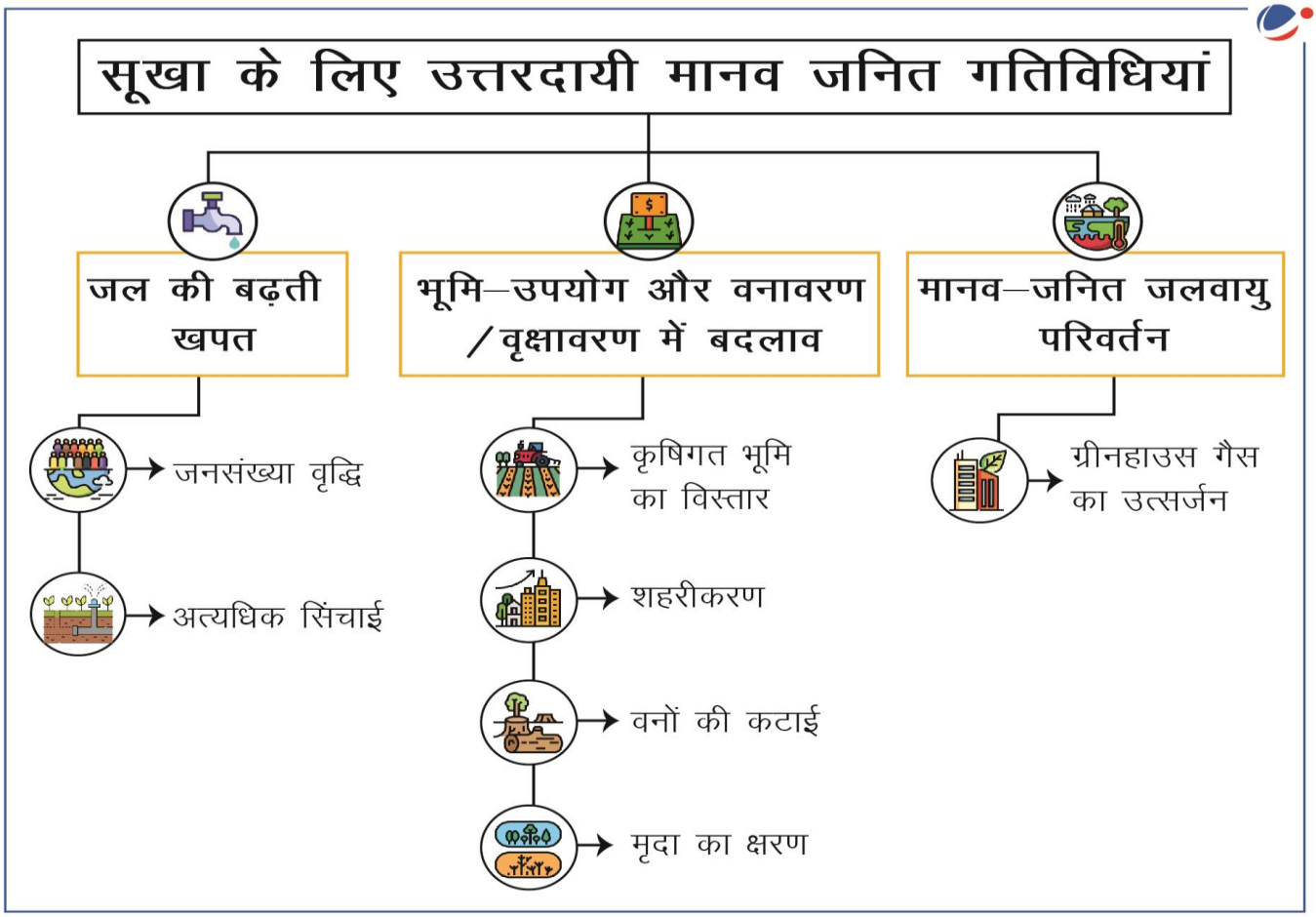

- **कृषि पर प्रभाव:** पिछले तीन दशकों में भूमि क्षरण के कारण सिंचित और वर्षा सिंचित फसलों की वैश्विक उत्पादकता (प्रत्येक वर्ष 0.4%) में कमी आई है।
- **हिमालय के ग्लेशियरों पर प्रभाव:** पिछले 40 वर्षों में ग्लेशियरों के द्रव्यमान में अत्यधिक कमी आई है। साथ ही, इसमें तेजी से ह्रास हो रहा है। वर्ष 2022 में, असाधारण रूप से गर्म और शुष्क मौसमी दशाओं ने अधिकतर ग्लेशियरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है।

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

- **सतत विकास:** इससे जनसंख्या का सूखे के प्रति जोखिम जीवाश्म-ईंधन आधारित विकास की तुलना में **70%** तक कम हो जाएगा।
- **सूखे से संबंधित हानियों का बीमा कवरेज:** वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर आपदा से संबंधित हानियों में से लगभग 45% का बीमा किया गया था। वहीं 1980-2018 की अवधि में आपदा से संबंधित हानियों में से लगभग 40% का ही बीमा किया गया था। इसे आने वाले समय में और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
- **वर्षा जल संचयन:** शहरी क्षेत्रों में औसत रूप से केवल 15% वर्षा जल भूमि में प्रवेश करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50% वर्षा जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह वर्षा जल का संचय करने और फिर सूखे के समय में इसका पुन: उपयोग करने का एक दक्ष विकल्प प्रदान करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की भूमिका:** गरीबी और असमानता को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे खाद्य असुरक्षा तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण से होने वाले क्षेत्रीय सामाजिक पतन से बचा जा सकता है।
- **प्रकृति आधारित समाधान:** प्रकृति-आधारित समाधान **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 25% तक कम** कर सकते हैं।

वैश्विक पहलें

- **"30x30" लक्ष्य:** 195 राष्ट्रों ने जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत **2030 तक पृथ्वी की कम-से-कम 30% भूमि और जल** की रक्षा तथा पुनर्बहाली के लिए सहमति जताई है।
- **सभी के लिए अग्रिम चेतावनी:** संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2027 तक पूरे विश्व को अग्रिम चेतावनी प्रणालियों के तहत लाने का लक्ष्य घोषित किया है।

- **इंटरनेशनल ड्रॉउट रेसिलिएंस एलायंस (IDRA):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक मंच है। इसे वर्ष 2022 में UNFCCC के COP-27 लीडर्स समिट में लॉन्च किया गया था।
- **पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक:** इसका लक्ष्य 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है।

भारत द्वारा की गई पहलें

- **सूखे के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश:** अग्रिम चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण इत्यादि उपायों की सिफारिश करता है।
- **सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 (2020 में संशोधित):** इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। यह **सूखे की निगरानी/ निर्धारण में आधुनिक तकनीक का उपयोग** करता है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) / केंद्रीय क्षेत्रक (CS) योजनाएं**, जैसे- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

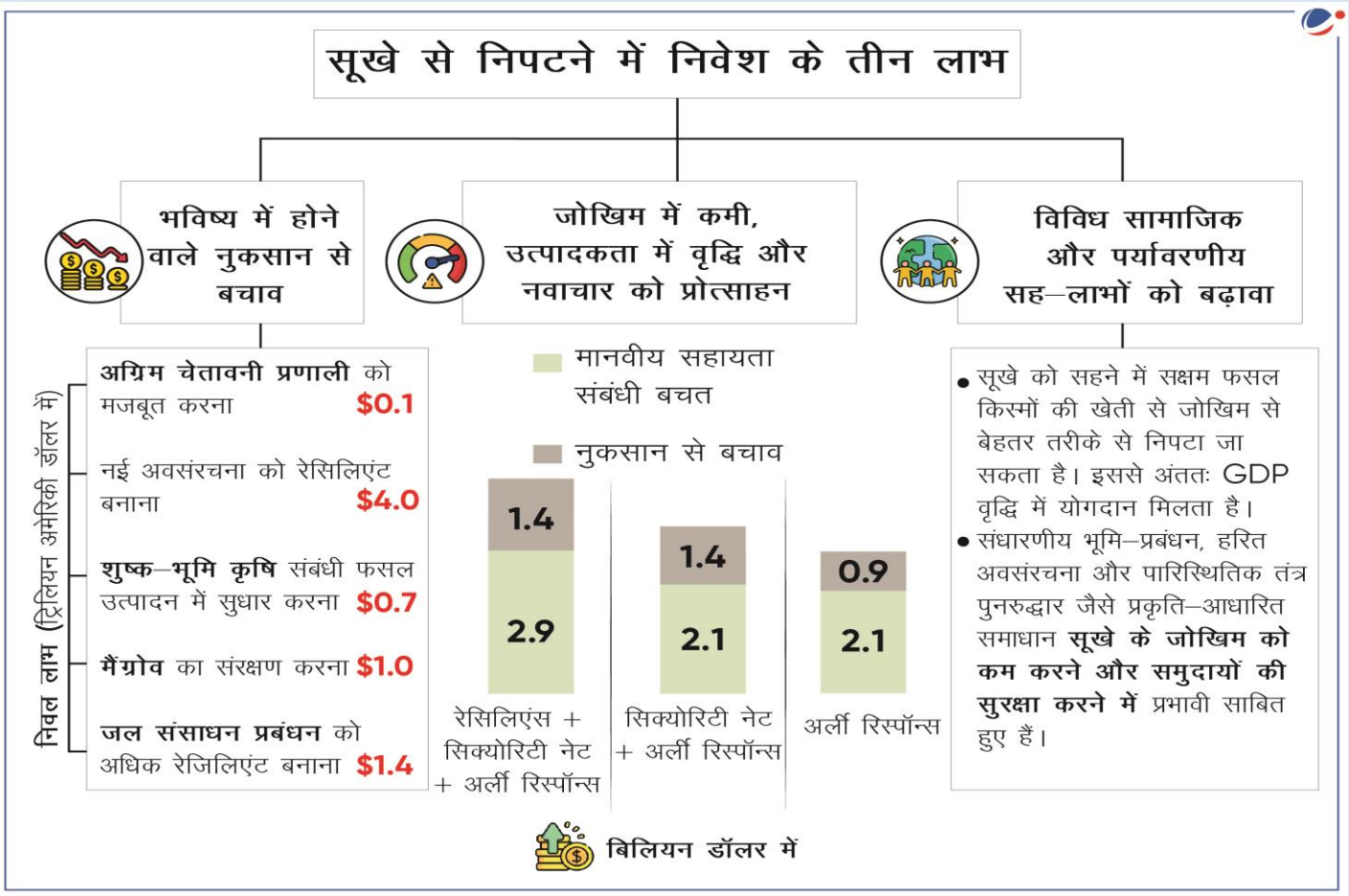

5.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.10.1. भारत का आर्कटिक के लिए पहला "शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान" (India's Maiden Winter Arctic Expedition)

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **आर्कटिक के लिए पहला "शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान"** शुरू किया।
- पृथ्वी के दोनों ध्रुवों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान **"पोलर एंड क्रायोस्फीयर (PACER) योजना"** के तहत संचालित किए जाते हैं। ये अभियान **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** के माध्यम से आयोजित होते हैं। NCPOR **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के तहत एक संस्था है।
  - गौरतलब है कि 2008 से भारत आर्कटिक में **हिमाद्रि** नामक रिसर्च बेस का परिचालन कर रहा है। यह बेस **नॉर्वे के स्वालबार्ड** में स्थित है।
    - हिमाद्री में वैज्ञानिक ज्यादातर **गर्मियों (अप्रैल से अक्टूबर)** के दौरान शोध कार्य करते हैं।

- **शीतकालीन अभियान (नवंबर से मार्च) का महत्त्व:**
  - ध्रुव पर रात्रि के समय शोधकर्ताओं को **अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने का अवसर** मिलता है।
    - शीतकाल के दौरान उत्तरी ध्रुव में रातों के दौरान लगभग **24 घंटे तक सूर्योदय नहीं** होता है। साथ ही, **तापमान भी शून्य से नीचे (-15 डिग्री सेल्सियस तक)** चला जाता है।
  - ये अभियान आर्कटिक क्षेत्र के बारे में हमारी **समझ को बढ़ाने** में सहायता करते हैं। विशेष रूप से **जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष के मौसम, पारिस्थितिकी-तंत्र के अनुरूप ढलने आदि के बारे में समझ** बढ़ती है।
  - गौरतलब है कि **अंतरिक्ष का मौसम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून सहित मौसम और जलवायु को प्रभावित** करता है।
  - आर्कटिक में **लंबी अवधि तक शोध कार्यों में लगे कुछ चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल** हो गया है।
  - प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में **वायुमंडलीय और अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान, स्थलीय पारिस्थितिकी, खगोल-भौतिकी** आदि शामिल हैं।
- **आर्कटिक में अनुसंधान के समक्ष मुख्य चुनौतियां:**
  - **अंटार्कटिका** में विविध गतिविधियों के नियंत्रण के लिए **अंटार्कटिक संधि** लागू है। वहीं, **आर्कटिक के विभिन्न क्षेत्र अलग-अलग देशों के क्षेत्राधिकार** में आते हैं।
  - इस क्षेत्र में पहुंच सीमित है।
  - यहां की जलवायु अधिक कठोर है।
  - यहां कई महीनों तक अंधेरा ही रहता है।

5.10.2. भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त किया (India Surpassed Montreal Protocol Targets)

- MOEF&CC और UNDP की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने **35% HCFCs (हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन) को चरण-बद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य** को प्राप्त कर लिया है। भारत ने **2020 की बेसलाइन की तुलना में कुल 44% की कमी** हासिल की है और **HCFC 141b को भी समाप्त** कर दिया है।
  - HCFC को **नए शीतलन उपकरणों के उत्पादन में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग** किया जाता है।
  - HCFC 141b का **ठोस पॉलीयूरीथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट** के रूप में उपयोग किया जाता है।
- भारत नए उपकरणों के निर्माण में **HCFC के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल (2030) से पहले (दिसंबर 2024 तक) पूरी तरह से समाप्त** कर देगा।
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) के बारे में:**
  - यह एक **वैश्विक पर्यावरणीय संधि** है। यह **ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों (Ozone Depleting Substances: ODS) के उत्पादन और उपयोग को समाप्त** करने पर केंद्रित है।
  - इसे **'ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन'** के तहत लागू किया गया था। इस **'कन्वेंशन' पर 1985** में हस्ताक्षर किए गए थे।
  - 2016 में, **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs) के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन** को अपनाया गया था।
    - गौरतलब है कि HFCs को **CFCs और HCFCs के ऐसे विकल्प** के रूप में अपनाया गया था, जो ओज़ोन परत के लिए क्षयकारी नहीं होते हैं। हालांकि, इनकी **ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक** होती है।

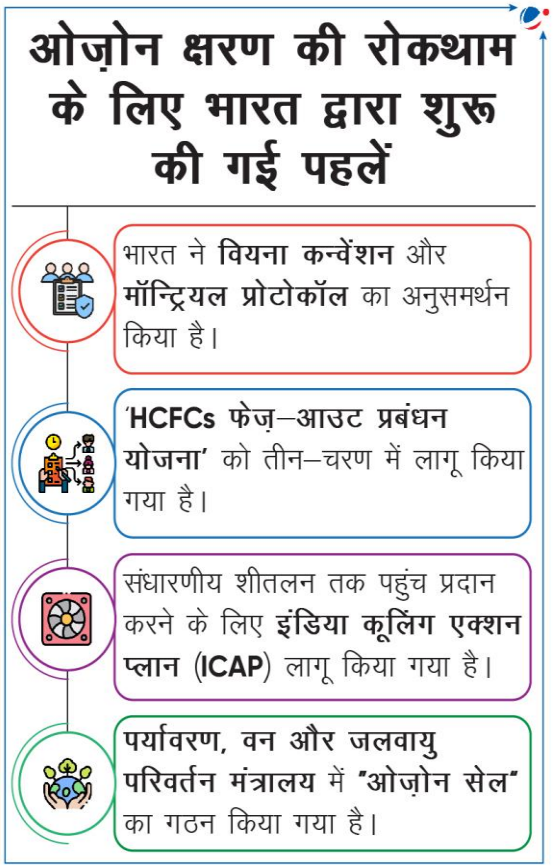

ओज़ोन और ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों (ODSs) के बारे में:

- **समतापमंडलीय ओज़ोन (गुड ओज़ोन)** पृथ्वी की सतह से **10-40 कि.मी.** ऊपर पाई जाती है। यह **सूर्य की पराबैंगनी (UV) विकिरण** से पृथ्वी की रक्षा करती है।
    - ODS मानव निर्मित रसायन हैं। इनमें **क्लोरीन और ब्रोमीन** मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए: **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स (CFCs), HCFCs, टेट्राक्लोराइड** आदि कुछ मुख्य ODSs हैं।
    - ODSs **समताप मंडल में पहुंचने के बाद उत्प्रेरक अभिक्रियाओं से गुजरते हैं।** ये **समतापमंडलीय ओज़ोन को नष्ट** करने लगते हैं।
- **क्षोभमंडल में बनने वाली ओज़ोन हानिकारक** होती है, इसलिए इसे **'बैड ओज़ोन'** कहा जाता है।

5.10.3. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) ने एक वर्ष पूरा किया (Kmgbf Completes One Year)

- KMGBF को **जैव विविधता अभिसमय (CBD) के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन (CoP-15)** में अपनाया गया था।
    - इसे **आईची जैव विविधता लक्ष्यों** की जगह लागू किया गया था। आईची लक्ष्यों की निर्धारित अवधि **2011-2020** थी।
    - यह कानूनी तौर पर **गैर-बाध्यकारी प्रकृति** का है।
- **KMGBF के मुख्य बिंदु**
    - इसमें **2050 के लिए निम्नलिखित चार व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:**
        - मानव-प्रेरित कारकों से प्रजातियों की विलुप्ति की रोकथाम;
        - जैव-विविधता का संधारणीय उपयोग;
        - लाभ का न्यायसंगत वितरण;
        - प्रति वर्ष 700 बिलियन डॉलर के जैव विविधता वित्त अंतराल को समाप्त करना।
    - **इसने 2030 के लिए 23 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**
        - भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल के 30% हिस्से का संरक्षण करना,
        - निम्नीकृत हो चुके पारिस्थितिकी-तंत्र के 30% हिस्से की पुनर्स्थापना करना,
        - नीतियों में जैव विविधता का एकीकरण करना,
        - आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को आधा करना आदि।
    - **वित्त-पोषण:** इसे **ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) फंड** से वित्त-पोषित किया जा रहा है। यह **ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (GEF)** द्वारा स्थापित एक **विशेष ट्रस्ट फंड** है।
        - GEF की स्थापना **रियो अर्थ समिट (1992)** के दौरान की गई थी। **विश्व बैंक GEF के ट्रस्टी** के रूप में कार्य करता है।
    - **निगरानी और रिपोर्टिंग:** देशों को **संकेतकों के एक निर्धारित सेट पर हर 5 साल या उससे कम समय में रिपोर्ट** करनी होगी। साथ ही, **इन संकेतकों में हासिल की गई प्रगति की निगरानी** भी करनी होगी।
- **KMGBF द्वारा की गई प्रगति:** इसके चलते **राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) पर संधि** को अपनाया गया। इस संधि का उद्देश्य **राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और उसके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा** देना है।

5.10.4. IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की (Updated Red List by IUCN)

- IUCN[93] ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की।
- **अपडेटेड रेड लिस्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - लगभग **44,000 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा** है। यह संख्या **पिछले वर्ष से की तुलना में 2000 अधिक** है।
  - **सैगा (Saiga) हिरण** को क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेन्ड की श्रेणी में रखा गया है। हिरण की यह प्रजाति पिछले हिमयुग से अस्तित्वमान है।
  - इसमें यह तथ्य दर्ज किया गया है कि **ताजे जल की 25% मछलियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा** है। साथ ही, **ताजे जल की कम-से-कम 17% संकटग्रस्त मछली प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित** हैं।
    - इस संस्करण में पहली बार **ताजे जल में पाई जाने वाली मछलियों का वैश्विक आकलन** शामिल किया गया है।
  - इस सूची में **केरल की चार ताजे जल की भूमिगत मछली प्रजातियों (सतह के नीचे जल निकायों में पाई जाती हैं) को शामिल किया गया है:**
    - **एंडेंजर्ड:** शाहजी कैटफ़िश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफ़िश, पैंजियो भुजिया तथा
    - **वल्नरेबल:** गॉलम स्नेकहेड।
- **रेड लिस्ट के बारे में:**
  - यह **विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण संकेतक** है।
  - यह सूची प्रजातियों के **प्रसार-क्षेत्र, उनकी आबादी, पर्यावास व पारिस्थितिकी, उपयोग, व्यापार, खतरों तथा संरक्षण प्रयासों** के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
  - **श्रेणियां (जोखिम का घटता क्रम):** एक्सिंटेक्ट, एक्सिंटेक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेन्ड, लीस्ट कंसर्न और अपर्याप्त डेटा।
- **प्रजातियों के समक्ष जोखिम को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले मानदंड:**
  - आबादी में कमी;
  - सीमित भौगोलिक सीमा;
  - छोटी और घटती आबादी;
  - बहुत छोटा या सीमित पर्यावास;
  - विलुप्त होने के जोखिम का मात्रात्मक विश्लेषण आदि।

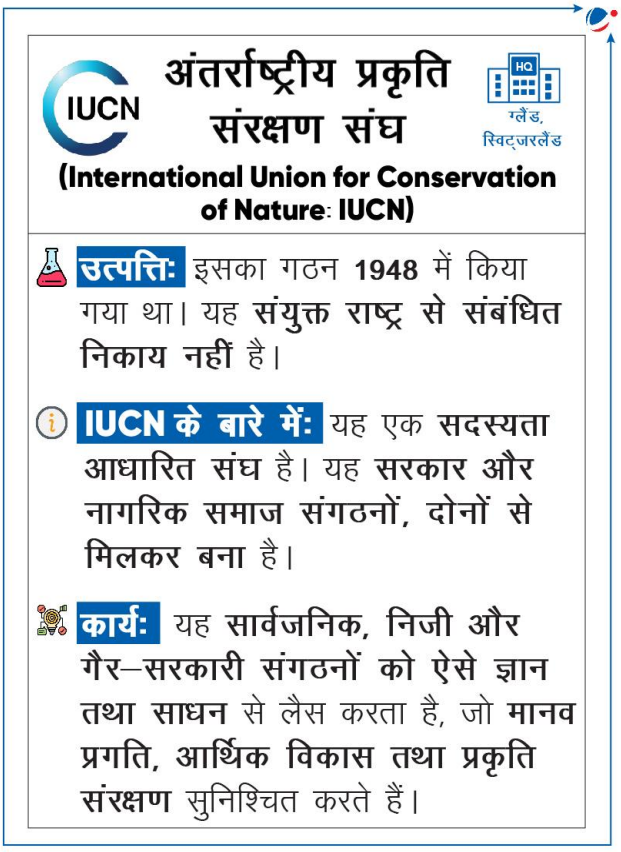

[93] International Union for Conservation of Nature/ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ

5.10.5. प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर रिपोर्ट (Report On Conservation Of Migratory Species)

- "जलवायु परिवर्तन और प्रवासी प्रजातियां: प्रभावों, संरक्षण कार्यों, संकेतकों एवं पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं की समीक्षा[94]" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई।
- यह रिपोर्ट **वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)** ने जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाएं:** प्रवासी प्रजातियां समाज को आवश्यक पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए-
    - **हिरण** उन लंबी घास व अन्य वनस्पतियों को खाकर घासफूस को कम करता हैं, जो **वनाग्नि का खतरा बढ़ा** सकती हैं।
    - प्रवासी प्रजातियां किसी पारिस्थितिकी-तंत्र में **परागण, बीजों के फैलाव, पोषक-तत्व चक्रण के साथ-साथ कीट और रोग नियंत्रण** में भी मदद करती हैं।
  - **जलवायु परिवर्तन से प्रवासी प्रजातियों को खतरा:** इनमें पर्यावास को नुकसान, पारिस्थितिकी-तंत्र की कार्य-प्रणाली में व्यापक स्तर पर बदलाव इत्यादि शामिल हैं।
    - **प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले दुष्प्रभावों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
      - प्रवासी प्रजातियों के प्रवास क्षेत्र का ध्रुवों की ओर विस्तार होना,
      - प्रवास के समय में परिवर्तन होना,
      - प्रजनन दर में कमी आना,
      - उत्तरजीविता कम होना इत्यादि।
- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - **प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन शमन/ अनुकूलन रणनीतियों में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के उपायों** को शामिल किया जाना चाहिए।
  - प्रवासी प्रजातियों के लिए **संरक्षित क्षेत्रों का प्रभावी नेटवर्क तैयार** करना चाहिए। इनमें परस्पर संबद्ध और एक-दूसरे से जुड़े प्रवास मार्गों का नेटवर्क सुनिश्चित करना तथा प्रवास के दौरान सुरक्षित विश्राम स्थलों का निर्माण शामिल है।
  - **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा** देना चाहिए। इससे साझा संसाधनों के संरक्षण और पुनर्बहाली में मदद मिलेगी।
  - संरक्षण कार्यों के लिए **नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग** करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना जो **रियल टाइम आधार पर प्रजातियों की आवाजाही को ट्रैक कर सकती हों या उनकी भावी प्रवास-गतिविधियों का मॉडल** तैयार कर सके।

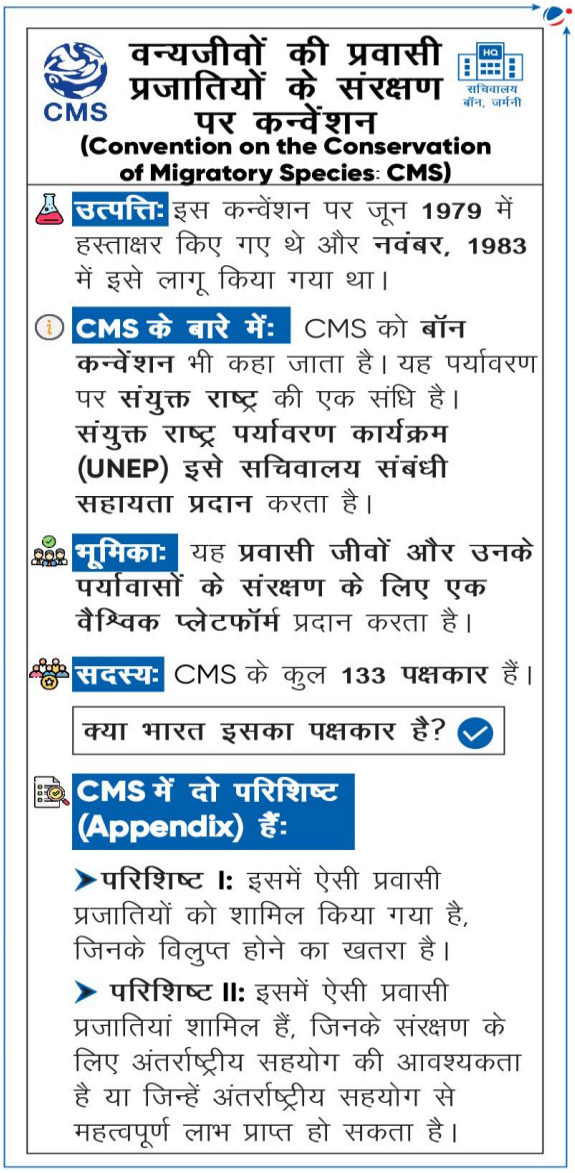

5.10.6. अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष (International Year Of Camelids)

- **संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष** के रूप में मनाने का फैसला किया है।
- **कैमलिड्स के बारे में:**
  - एक समूह के रूप में कैमलिड्स में **अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊँट (दो कूबड़ वाला ऊँट), ड्रोमेडरीज़, गुआनाकोस, लामा, विकुनास** आदि शामिल होते हैं।
  - ये **शाकाहारी** होते हैं। वे मुख्य रूप से घास खाते हैं, लेकिन घास पर पूर्णतया निर्भर नहीं होते हैं।

[94] Climate Change & Migratory species: a review of impacts, conservation actions, indicators and ecosystem services

- कैमलिड्स **एंडीज उच्च भूमि तथा अफ्रीका और एशिया के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- ये अत्यधिक चरम जलवायु परिस्थितियों में भी लोगों को जीवित रहने के लिए **ऊन और पौष्टिक भोजन** प्रदान कर सकते हैं।

5.10.7. इम्पेशंस करुप्पुसामी (Impatiens Karuppusamy)

- हाल ही में, **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI)** के वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति **इम्पेशंस करुप्पुसामी** की खोज की है।
- इसकी खोज **तमिलनाडु के कलक्कड़-मुंडनतुरै टाइगर रिज़र्व** में की गई है।
- इस प्रजाति का नाम मधुरा कॉलेज (तमिलनाडु) के जीव विज्ञानी **डॉ. एस.करुप्पुसामी के नाम पर** रखा गया है। उन्होंने दक्षिण भारत के **आवृतबीजी (Angiosperms) पादपों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान** दिया है।
- **नई प्रजाति की विशेषता:** यह प्रजाति **इम्पेशंस बिकॉर्निस** से मिलती-जुलती है। हालांकि, यह **छोटी पत्तियों, छह से आठ फूलों, छोटे पुष्पदण्ड और लघु आकार के फूलों** जैसी विशेषताओं की वजह से उससे थोड़ा अलग है।
- **वितरण:** यह प्रजाति **उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका और चीन** में व्यापक रूप से पाई जाती है। हालांकि, यह आशंका भी प्रकट की गई है कि **जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्रजाति विलुप्त** भी हो सकती है।

5.10.8. नमदाफा फ्लाइंग स्क्वरल (बिस्वामोयोप्टेरस बिस्वासी) {Namdapha Flying Squirrel (Biswamoyopterus Biswasi)}

- नमदाफा फ्लाइंग स्क्वरल यानी उड़ने वाली गिलहरी **अरुणाचल प्रदेश** में फिर से देखी गई है। गौरतलब है कि इसे **पिछले 42 साल से नहीं देखा** गया था।
- **नमदाफा फ्लाइंग स्क्वरल के बारे में:**
  - यह एक **रात्रिचर** जीव है। यह **पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक** (Endemic) स्तनपायी है।
  - **IUCN स्थिति:** क्रिटिकली एंडेजर्ड।
  - **प्राप्ति क्षेत्र:** यह गिलहरी केवल **अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान** में पाई जाती है।
  - **पर्यावास:** ये शुष्क पर्णपाती पर्वतीय वनों में मिलती हैं। ये विशेष रूप से ऐसे वनों में धाराओं के किनारे के वृक्षों पर देखी जाती हैं।
  - **खतरे:** अवैध शिकार और पर्यावास को नुकसान।
  - इन्हें **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II** में शामिल किया गया है।
- नमदाफा टाइगर रिज़र्व में **सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन और अल्पाइन बायोम** मिलते हैं।

5.10.9. डायल वर्टिकल माइग्रेशन (Diel Vertical Migration: DVM)

- डायल वर्टिकल माइग्रेशन (DVM) खुले समुद्र की सतह और गहराई के बीच **समुद्री जीवों के रोजाना एक-साथ ऊपर-नीचे आने-जाने (Synchronised movement)** को कहा जाता है।
- इस प्रक्रिया में **स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जन्तु प्लवक (zooplankton) शिकारियों से बचने के लिए रात के अंधेरे में आहार हेतु समुद्री गहराई से ऊपर सतह** पर आ जाते हैं।
  - सूर्योदय से पहले ये जीव **फिर से गहरे समुद्र में लौट** जाते हैं।
- DVM **कार्बन पृथक्करण** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - गौरतलब है कि जन्तु प्लवक **कार्बन का उपभोग** करते हैं। बाद में समुद्री जीव इन्हीं जन्तु प्लवकों को **अपना आहार बनाकर** समुद्र की सतह से पर्याप्त मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं।
  - जब ये जीव गहरे पानी में वापस लौटते हैं, तो ये **अपने साथ कार्बन भी ले जाते** हैं।

5.10.10. ट्रॉपिकलाइजेशन (Tropicalisation)

- एक अध्ययन के अनुसार **जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियां विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर** प्रवास करते हुए समशीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच रही हैं। इसकी वजह से **समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या अधिक होने से स्थानिक प्रजातियां कम हो रही हैं।**
  - समुद्री जीवों के इस **व्यापक विस्थापन को ट्रॉपिकलाइजेशन** कहा गया है।
- **भूमध्य सागर** में उष्णकटिबंधीय प्रजातियों की वृद्धि के कारण इसे अब **ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट** माना जा रहा है।
- **ट्रॉपिकलाइजेशन के साथ-साथ बोरियलाइजेशन** और **मरुस्थलीकरण** भी मिलकर बायोटा (जीव समूह) के वैश्विक वितरण में परिवर्तन ला रहे हैं। इसके अलावा, पारिस्थितिक समुदायों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं।
  - बोरियलाइजेशन से आशय **समशीतोष्ण क्षेत्र की प्रजातियों (स्थलीय और समुद्री) का आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों में विस्तार** से है।

5.10.11. संधारणीय संवृद्धि के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था (Global Finance Architecture For Sustainable Growth)

- नीति आयोग ने "वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और संधारणीय संवृद्धि एजेंडा" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट में **'संधारणीय संवृद्धि के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने'** की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- **वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने की जरूरत क्यों है?**

- **विखंडित वैश्विक वित्तीय संरचना:** वर्तमान वैश्विक वित्त प्रणाली के कारण विकसित और विकासशील क्षेत्रों के बीच **इकोनॉमिक रिकवरी में असमानता** को बढ़ावा मिल रहा है।
  - वर्तमान वैश्विक ऋण संरचना अनौपचारिक और अप्रभावी बनी हुई है। साथ ही, निम्न आय वाले अनेक देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं या ऋण संकट के करीब हैं।
- **वित्त की आवश्यकता:** हरित विकास का वित्त-पोषण करने के लिए अगले दशक में लगभग **3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता होगी।
  - निजी संसाधनों का समुचित आवंटन नहीं किया जा रहा है।

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - **बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs): बहुपक्षीय विकास बैंकों में संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि-**
    - बेहतर तरीके से पूंजी जुटाई जा सके,
    - परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन हो सके, और
    - संधारणीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके।
  - **बहुपक्षीय ऋणदाता क्लब का गठन:** ऋण की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **अलग-अलग ऋणदाताओं का एक क्लब बनाने** की जरूरत है। इससे दिए गए **ऋण का पारदर्शी तरीके से प्रबंधन** किया जा सकेगा।
  - **फ्लेक्सिबिलिटी मिशन:** यह **ग्लोबल साउथ** के देशों के लिए आवश्यक है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन और नवाचारी उपाय करने हेतु साधन प्राप्त होंगे।
  - पूंजी प्रवाह को बनाए रखने के लिए **द्विपक्षीय स्वैप लाइनों (BSLs)** के दायरे का विस्तार करना चाहिए। साथ ही, **IMF के आकस्मिक फंड्स के तहत दिए जाने वाले ऋणों की शर्तों को अनुकूल** बनाना चाहिए।
    - साथ ही, **विशेष आहरण अधिकारों (SDRs) के आवंटन को नियम आधारित** बनाना चाहिए, जिसमें विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित हो।
  - **अन्य दीर्घकालिक समाधान:**
    - रेजिलिएंट फंड का गठन करना,
    - चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना,
    - संयुक्त तकनीकी विकास को बढ़ावा देना,
    - हरित ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजीशन पार्टनरशिप को बढ़ावा देना आदि।

5.10.12. स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023' रिपोर्ट (State Of Finance For Nature 2023 Report)

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 'स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023' रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट **प्रकृति आधारित समाधान (NbS) के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त प्रवाह के बारे में** जानकारी प्रदान करती है। NbS का उपयोग **जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों से निपटने** में किया जाता है।
  - इस रिपोर्ट में पहली बार **सार्वजनिक और निजी, दोनों संस्थाओं द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किए जाने वाले वैश्विक खर्च का अनुमान** लगाया गया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **NbS में वर्तमान वित्त प्रवाह:** वर्तमान में यह **लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है। यह 2030 तक NbS के लिए आवश्यक वित्त का केवल **एक तिहाई** ही है।
  - **प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला (Nature-negative) वित्त:** ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह **प्रति वर्ष लगभग 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
    - प्रकृति पर संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए किए जाने वाले वित्त-पोषण को **'नेचर नेगेटिव' या 'प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला' वित्त** कहा जाता है। उदाहरण के लिए- **जीवाश्म ईंधन सब्सिडी।**
  - **भविष्य के लिए आवश्यक निवेश: रियो अभिसमय के लक्ष्यों** की प्राप्ति के लिए NbS में वित्त प्रवाह में वृद्धि करना जरूरी है। इस वित्त प्रवाह को **मौजूदा स्तर से लगभग तीन गुना बढ़ाकर 2030 तक 542 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष** करने की आवश्यकता है।

प्रकृति आधारित समाधान (NbS) के बारे में

- NbS वस्तुतः **प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकी-तंत्रों की रक्षा करने, उनका संधारणीय प्रबंधन करने तथा उन्हें पुनर्स्थापित** करने के लिए की जाने वाली कार्रवाईयां हैं। ये प्रभावी और अनुकूल तरीके से **सामाजिक चुनौतियों से निपटने** में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, ये **लोगों और प्रकृति के लिए लाभकारी** भी हैं।
- **NbS के उदाहरण इस प्रकार हैं:**
  - **पुनर्वनीकरण और वनरोपण,**
  - **आर्द्रभूमि की पुनर्बहाली,**
  - **हरित अवसंरचना आदि।**

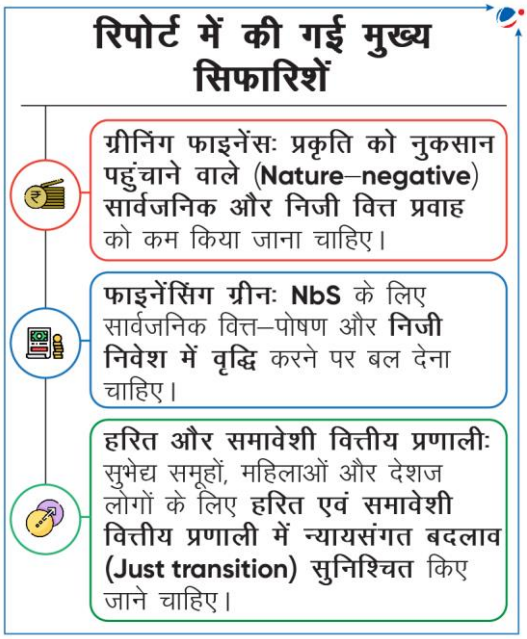

संबंधित सुर्ख़ियां

ENACT साझेदारी

- हाल ही में **छह नए देश** और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** ENACT (एन्हान्सिंग नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सीलेरेटेड) साझेदारी में सम्मिलित हुए।
- **ENACT साझेदारी के बारे में:**
  - इसे **2022 में मिस्र के शर्म अल-शेख** में आयोजित COP-27 के दौरान **IUCN के सहयोग** से जर्मनी और मिस्र द्वारा शुरू किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) के जरिए** जलवायु परिवर्तन, भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण तथा जैव विविधता के नुकसान की भरपाई करने के लिए **वैश्विक प्रयासों का समन्वय** करना है।

5.10.13. ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 रिपोर्ट (Global Climate 2011-2020 Report)

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 रिपोर्ट' जारी की।
- WMO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है। इसकी स्थापना **1950** में हुई थी।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **2011-2020** का दशक **भूमि और महासागर,** दोनों के लिए दर्ज किया गया **अब तक का सबसे गर्म दशक** रहा है।
  - **उत्तर-पश्चिम भारत, पाकिस्तान, चीन तथा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट** पर इस दशक में **अधिक वर्षा** दर्ज की गई थी।
  - **महासागरों की 60% से अधिक सतह पर समुद्री हीट वेव्स (Marine Heat Waves: MHW) दर्ज** की गई थी।
    - **MHW** एक **चरम मौसमी परिघटना** है। यह तब घटित होती है, जब समुद्र के **किसी विशेष क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान कम-से-कम पांच दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक** बढ़ जाता है।

  - वैश्विक स्तर पर **ग्लेशियर प्रति वर्ष औसतन 1 मीटर तक संकुचित** हो गए हैं।
    - **अंटार्कटिका की बर्फ की चादर** (Ice sheet) में 2001-2010 के दशक की तुलना में 2011-20 में **लगभग 75% अधिक बर्फ की क्षति** हुई है।
  - समुद्र के जलस्तर में **4.5 मि.मी./ वर्ष की वार्षिक दर** से वृद्धि दर्ज की गई है।
  - **मानव गतिविधियों पर मुख्य प्रभाव:**
    - पिछले दशक में दर्ज किए गए **सभी आपदा-जन्य विस्थापनों में से 94% विस्थापन मौसमी परिघटनाओं के कारण** हुए थे।

- **खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ खतरे का सामना** कर रहे हैं। इससे **2030 तक सतत विकास लक्ष्य (SDG)-2 को प्राप्त करने में चुनौतियां** पैदा हो रही हैं।
- खाद्य सुरक्षा के ये चार स्तंभ हैं: **खाद्य तक पहुँच, खाद्य उपलब्धता, खाद्य उपयोग तथा स्थिरता।**

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - **कार्रवाई में तालमेल** स्थापित करने के लिए **विज्ञान-नीति-समाज** के बीच संपर्क को मजबूत करना चाहिए।
  - **कार्रवाई के लिए एक फ्रेमवर्क** विकसित किया जाना चाहिए (इन्फोग्राफिक देखिए)।
    - यह फ्रेमवर्क निर्णय-कर्ताओं को **न्यायसंगत ट्रांजिशन के लिए तालमेल वाली कार्रवाई की पहचान** करने में मदद करेगा।

5.10.14. संपीडित बायोगैस (CBG) के अनिवार्य सम्मिश्रण (Blending) की घोषणा (Compressed Bio-Gas Blending Obligation)

- **केंद्र सरकार ने सिटी गैस वितरण (CGD) क्षेत्रक के CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) सेग्मेंट्स में संपीडित बायोगैस (CBG) के अनिवार्य सम्मिश्रण (Blending) की घोषणा की**
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने **चरण-वार CBG सम्मिश्रण दायित्व (CBO)** की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **CBG के उत्पादन और खपत को बढ़ावा** देना है।
- CBO एक तरह का दायित्व है। इसके तहत **पारंपरिक ईंधन और CBG जैसे वैकल्पिक ईंधन को अलग-अलग प्रतिशत में मिश्रित** किया जाता है। इसका समग्र उद्देश्य पेट्रोलियम के उपयोग को धीरे-धीरे कम करना है।
  - यह पहल लगभग **37500 करोड़ रुपये के निवेश को प्रोत्साहित** करेगी। साथ ही, **2028-29 तक 750 CBG परियोजनाओं की स्थापना** में मदद भी करेगी।
- **CBO के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:**
  - CGD क्षेत्रक में **CBG की मांग को बढ़ावा** देना,
  - तरलीकृत प्राकृतिक गैस **(LNG) के आयात को कम** करना,
  - **विदेशी मुद्रा की बचत** करना,
  - **चक्रीय अर्थव्यवस्था** (Circular economy) को बढ़ावा देना और
  - **नेट जीरो उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना।
- **CBO रोडमैप**
  - CBO वित्त वर्ष **2024-2025** तक **स्वैच्छिक** होगा। **अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व** की शुरुआत **वित्त वर्ष 2025-26** से होगी।
  - **वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28** के लिए CBO को कुल CNG/ PNG खपत का क्रमशः **1%, 3% और 4%** रखा जाएगा। **2028-29** से CBO **5%** होगा।
  - **सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी** सम्मिश्रण मानकों की निगरानी और उन्हें लागू करेगी।
- CBG एक **ऊर्जा-समृद्ध गैस** है। यह **कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, गन्ने की प्रेस मड, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास के अवायवीय अपघटन (Anaerobic decomposition) से उत्पादित** होती है।
  - **CBG में निम्नलिखित गैसें शामिल हैं:**
    - मीथेन (लगभग 90%),
    - कार्बन डाइऑक्साइड, और
    - कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड व अमोनिया।

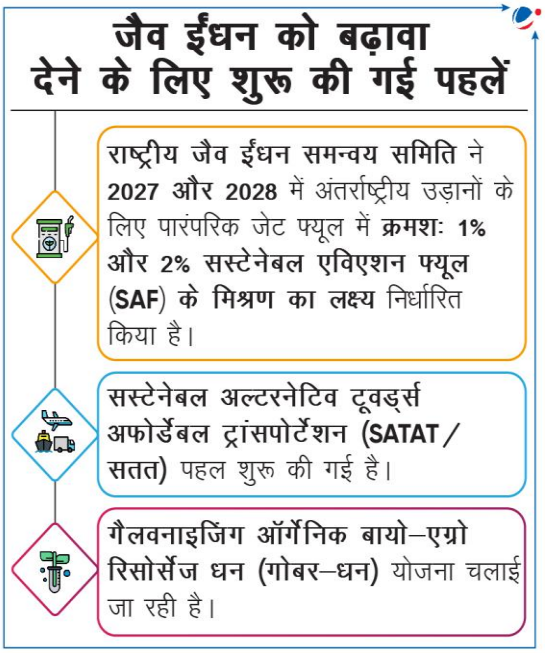

5.10.15. एशियाई विकास बैंक ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत को ऋण दिया (Loan to India for Msw Management by ADB)

- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
- ADB की इस पहल का उद्देश्य **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) प्रबंधन** को बेहतर करना है। SBM-U 2.0 का लक्ष्य **2026 तक सभी शहरों को कचरा-मुक्त** (Garbage-free) बनाना है।
  - ADB की इस पहल को **8 राज्यों के 100 शहरों में** शुरू किया जाएगा। इस पहल में **क्लाइमेट रेसिलिएंस और सामाजिक समावेशन** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा (इन्फोग्राफिक देखिए)।
    - **क्लाइमेट रेसिलिएंस:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने या प्रतिरोध करने की क्षमता।

- **भारत में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) के बारे में**
  - MSW में व्यावसायिक और आवासीय परिसरों के **ठोस या अर्ध-ठोस अपशिष्ट** शामिल हैं। इनमें **उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट** भी शामिल हैं। हालांकि, इनमें नगरपालिका क्षेत्र के **औद्योगिक केंद्रों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट शामिल नहीं** हैं।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में **भारत में 1.6 लाख टन प्रति दिन (TPD) ठोस अपशिष्ट** उत्पन्न हुआ था। इसमें से **95.4% अपशिष्ट एकत्र किया गया था, लेकिन केवल 50% अपशिष्ट का ही उपचार** किया गया था।
  - MSW का प्रबंधन **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की जिम्मेदारी** है।
- **भारत में MSW प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं:**
  - प्रारंभ में, **शहरीकरण के दौरान MSW प्रबंधन को शहरीकरण के एक घटक के रूप में** शामिल नहीं किया गया था।
  - **जहां से अपशिष्ट एकत्र किया जाता है,** वहीं पर अलग-अलग प्रकार के **अपशिष्ट को अलग-अलग इकट्ठा करने के नियम का गंभीरता से पालन नहीं** किया जाता है।
  - **ULBs के पास अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धन की कमी** है।

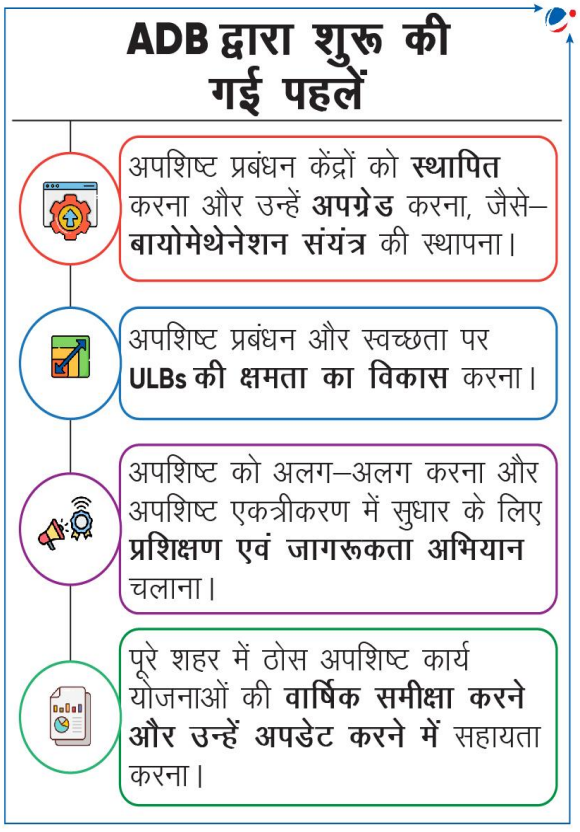

- **MSW प्रबंधन के लिए आरंभ की गई मुख्य पहलें:**
  - **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** अधिसूचित किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के अलावा **ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित करने** के लिए विस्तार से मानदंड दिए गए हैं।
  - **वेस्ट टू वेल्थ मिशन** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करना, सामग्रियों की रीसाइक्लिंग करना और अपशिष्ट से उपयोगी संसाधन** प्राप्त करना है।
  - SBM-U 2.0 में **स्रोत पर ही 100% अपशिष्ट को अलग-अलग करने और घर-घर जाकर अपशिष्ट इकठ्ठा करने** की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

5.10.16. मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स (Multi-Hazard Early Warning Systems: MHEWS)

- "ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, 2023" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई।
- यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन** ने संयुक्त रूप से जारी की है।
- मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MHEWS) खतरनाक घटनाओं के घटित होने से पहले ही **आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों, व्यवसायों आदि को सक्षम** बनाता है।
  - **MHEWS के चार स्तंभ हैं:**
    - आपदा जोखिम का ज्ञान,
    - पर्यवेक्षण और निगरानी,
    - संचार, तथा
    - प्रतिक्रिया की तैयारी।
  - इस रिपोर्ट में **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के तहत निर्धारित लक्ष्य (टारगेट-g) की तुलना में MHEWS की वर्तमान वैश्विक स्थिति का आकलन** किया गया है।
    - **टारगेट-g:** MHEWS की उपलब्धता व उस तक पहुंच में पर्याप्त वृद्धि करना।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - 101 देशों ने MHEWS से लैस होने की सूचना दी है। इनमें से **95 देशों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति लागू** की है।
  - **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल** ने आधिकारिक स्रोतों से जनता तक समय पर सूचना पहुंचाने में मदद की है।
  - **अल्प विकसित देशों (LDCs) और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों** में 400 मिलियन से अधिक आबादी की **बाढ़, सूखे आदि के लिए बेहतर पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणालियों तक पहुंच है।**
- **चुनौतियां:**
  - **विश्व का केवल आधा हिस्सा ही अग्रिम चेतावनी प्रणाली के दायरे में** है।

- आपदा व खतरनाक घटनाओं के **अचानक से घटित हो जाने तथा उनकी बढ़ती जटिलता और गंभीरता** के कारण MHEWS की क्षमताओं को चुनौती मिल रही है।
- भारत में, **आपदा जोखिम से संबंधित ज्ञान और प्रबंधन, चेतावनी प्रणाली, प्रसार व संचार तंत्र** आदि पर्याप्त नहीं हैं।
  - हालांकि, भारत के पास **तैयारी, प्रतिक्रिया, डिटेक्शन, निगरानी तथा पूर्वानुमान संबंधी क्षमताएं** मौजूद हैं।

5.10.17. एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव (Ennore Oil Spill)

- चक्रवात मिचौंग के कारण आई बाढ़ के बाद चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ।
- भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार, **चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी** से तेल का रिसाव हुआ था। अब यह रिसाव समुद्र में **20 वर्ग किलोमीटर** तक फैल गया है।
- तेल रिसाव (Oil Spill) से आशय **तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसकर आस-पास के पर्यावरण, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में फैलने** से है।
- **तेल का रिसाव निम्नलिखित कारणों से होता है:**
  - कर्मियों की गलती की वजह से उपकरणों का टूटना;
  - तेल को गैर-कानूनी रूप से डंप कर देना,
  - चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आदि।
- **तेल-रिसाव के प्रभाव**
  - यह **स्तनधारी जीवों के फर की ऊष्मा-रोधी क्षमता को नष्ट** कर देता है। साथ ही, यह **पक्षियों के पंखों के जलरोधी गुणों को भी प्रभावित** करता है। इससे उन्हें उड़ने में परेशानी होती है।
  - सांस के माध्यम से तेल शरीर के अंदर जाने के कारण **डॉल्फिन और व्हेल की प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रजनन क्षमता** प्रभावित होती है।
  - इसके कारण आसपास के लोगों को **स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना** करना पड़ता है। इनमें **हृदय संबंधी बीमारी होना, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना, तेज गंध के कारण सिरदर्द होना, त्वचा में जलन होना** आदि शामिल हैं।
  - इससे **सूर्य के प्रकाश के समुद्री जल के भीतर पहुंचने में बाधा** उत्पन्न होती है। इससे **पादप-प्लवक (Phytoplankton) की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया** प्रभावित होती है।
  - यह **मैंग्रोव वनों को नुकसान** पहुंचाता है। इस कारण वे **समुद्री तटों की चक्रवाती पवनों या लहरों से रक्षा नहीं** कर पाते हैं।

- **तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए भारत में विकसित जैव-उपचार तकनीकें:**
  - **आयलजैपर:** इसे **'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI)'** ने विकसित किया है। यह पर्यावरण-हितैषी तकनीक है। इसमें **क्रूड ऑयल और तैलीय गाद (Sludge) के हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अपघटन करने वाले बैक्टीरिया का उपयोग** किया जाता है। ये बैक्टीरिया इन्हें **हानिरहित CO2 और जल में परिवर्तित** कर देते हैं।
  - **ऑयलीवोरस-S:** इसे **TERI और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह एक अतिरिक्त **बैक्टीरियल स्ट्रेन वाला माइक्रोब** है। यह गुण इसे **उच्च-सल्फर सांद्रता वाली तैलीय गाद और क्रूड ऑयल के खिलाफ अधिक सक्षम** बनाता है।

5.10.18. रैट होल माइनिंग (Rat Hole Mining Method)

- उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए "रैट होल माइनिंग" विधि का उपयोग किया गया।
- सिल्क्यारा टनल के ढह चुके हिस्से में **10 से 12 मीटर गहराई तक शेष बचे मलबे में सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग हेतु रैट होल माइनिंग का उपयोग** किया गया था। यह टनल उत्तराखंड में **चार धाम मार्ग परियोजना** का हिस्सा है।
- रैट होल माइनिंग में **जमीन में संकीर्ण सुरंग बनाई जाती है**। ये सुरंगें आम तौर पर इतनी कम चौड़ाई की होती हैं कि केवल एक **व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर** सकता है। इन सुरंगों को **कोयले जैसे खनिजों को निकालने** के लिए बनाया जाता है।
  - देश में **सबसे ज्यादा रैट होल माइनिंग मेघालय** में होती है। इसका कारण यह है कि **वहां पाए जाने वाले कोयले का संस्तर पतला** होता है।
  - एक बार सुरंग खोदे जाने के बाद कोयला निकालने वाले रस्सी या बांस की सीढ़ियों के सहारे सुरंग के अंदर कोयले तक पहुंचते हैं।
  - फिर गैंती, फावड़ा और टोकरियों जैसे **साधारण उपकरणों** का उपयोग करके मैनुअल तरीके से कोयले को बाहर निकालते हैं।

रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध की वर्तमान स्थिति

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2014 में रैट होल माइनिंग पर **प्रतिबंध** लगा दिया था। NGT ने इस विधि को **अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित** बताया था।
- हालांकि, **2019 में सुप्रीम कोर्ट** ने कहा था कि अगर इस विधि के माध्यम से कोयले का खनन **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा खनिज रियायत नियम, 1960** के तहत किया जाता है, तो **NGT का प्रतिबंध लागू नहीं** होगा।

- हालांकि, **रैट होल माइनिंग को लेकर कई तरह से चिंताएं** प्रकट की जाती रही हैं। **इनमें कुछ मुख्य चिंताएं निम्नलिखित हैं:**
  - **मृदा अपरदन**: **रैट होल्स के जरिए कोयला निकालने** से वनस्पति नष्ट होती है। इससे मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है।
  - **जल प्रदूषण:** खनन क्षेत्रों में जल स्रोत के प्रदूषकों द्वारा दूषित होने तथा इन माइंस से जल का व्यर्थ अपवाह होने की रिपोर्ट की जाती रही है।
  - **खराब वेंटिलेशन:** इसकी वजह से **रैट होल में कोयला निकालने वालों** की मौत के कई मामले दर्ज किए गए हैं।
  - **रैट-होल माइनिंग में बच्चों से कोयला निकलवाना:** इस खतरनाक माइनिंग में बाल श्रमिकों का उपयोग एक गंभीर मुद्दा रहा है।

5.10.19. मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar Dam)

- सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया को मुल्लापेरियार बांध के पास केरल की मेगा पार्किंग परियोजना का आकलन करने का आदेश दिया।
- सर्वे ऑफ इंडिया यह निर्धारित करेगा कि क्या मेगा पार्किंग परियोजना **पेरियार झील लीज़ समझौते (1886)** के तहत आने वाले क्षेत्र का अतिक्रमण करती है।
- **मुल्लापेरियार बांध के बारे में:**
  - इस बांध का निर्माण **1887-1895 के दौरान** किया गया था। इसके **स्वामित्व, संचालन और रखरखाव** की जिम्मेदारी **तमिलनाडु** सरकार की थी।
  - यह बांध **पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित** है। पेरियार नदी **तमिलनाडु से निकलकर केरल** में बहती है।
    - यह बांध **पेरियार टाइगर रिज़र्व के भीतर** अवस्थित है।
- **विवाद के बारे में:**
  - इस बांध का निर्माण **999 वर्षों की लीज़** पर किया गया था। यह निर्माण कार्य **पेरियार झील लीज़ समझौते (1886) के बाद शुरू** किया गया था।
    - इस **समझौते पर त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव (ब्रिटिश शासन के दौरान) ने हस्ताक्षर** किए थे।
  - इससे पहले, **केरल सरकार ने दावा** किया था कि यह बांध असुरक्षित है और नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र (Downstream) में रहने वाले लोगों के लिए खतरा है। केरल सरकार ने एक **नए बांध के निर्माण पर भी जोर** दिया था।
  - वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार उपर्युक्त तथ्यों को अस्वीकार करती रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वह बांध की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के बाद ही इसका उपयोग कर रही है।
- **बांध एवं बांधों की सुरक्षा का महत्त्व:**
  - बांध **किसी देश की समग्र जल सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।

- **भारत** दुनिया में **बांधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान** पर है। इनमें से **कई बांध बहुत अधिक पुराने और भूकंपीय रूप से असुरक्षित** हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है।
- असुरक्षित बांधों के कारण **निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ और विस्थापन का खतरा** पैदा हो जाता है।

- **सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में:**
  - सर्वे ऑफ इंडिया देश का **सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन** है।
    - इसकी **स्थापना 1767** में की गई थी।
  - यह **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन** कार्य करता है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

Lakshya

PRELIMS MENTORING PROGRAM 2024

UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए एक रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम

2 फरवरी 2024

समयावधि: 3 माह

- निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक अनुभवी एवं योग्य मेंटर्स की टीम
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, CSAT और करेंट अफेयर्स के रिवीजन हेतु एक सुनियोजित योजना
- तैयारी के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, जैसे– विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), क्विक रिवीजन मॉड्यूल (QRMs), और PT–365 का बेहतर तरीके से उपयोग
- रिसर्च पर आधारित व विषयवार स्ट्रैटजी डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अधिकतम अंक दिलाने वाले विषयों और टॉपिक्स पर विशेष ध्यान
- तैयारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन एवं सुधार
- तैयारी से संबंधित सलाह और प्रेरणा हेतु टॉपर्स एवं ब्यूरोक्रैट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. नई प्रौद्योगिकियां और भारत में जातीय पहचान (Emerging Technology and Caste Identities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जाति के आधार पर भेदभाव तथा तकनीकी कार्यबल में वंचित जातीय समूहों का कम प्रतिनिधित्व होने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

भारत में सामाजिक पहचान और जाति की भूमिका

- **सामाजिक पहचान:** सामाजिक पहचान का अर्थ **लोगों के उस पक्ष से है जो उन्हें समूह ("हम") से जोड़ते हैं।** यह एक प्रकार का **स्व-वर्गीकरण** है। यह वर्गीकरण (जैसे- जाति, जेंडर, नृजातीयता आदि) जिस सामाजिक समूह में हम जन्म लेते हैं उससे तय होता है।
- **जाति-प्रथा:** यह सामाजिक-धार्मिक मानदंड और सामाजिक पदानुक्रम (जातिगत व्यवस्था) के आधार पर सामाजिक विभाजन है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवारों के जरिए आगे जारी रहती है।
- **जातिगत विषमताएं:** वंचित जातीय समूहों को **"अवसर की असमानता"** और **"परिणाम यानी आउटकम की असमानता"** के स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
    - जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी' के एक अध्ययन में पाया गया है कि **लगभग 27% आधुनिक भारतीय परिवार अभी भी अस्पृश्यता जैसे भेदभाव में विश्वास रखते हैं।**

नई प्रौद्योगिकियां और जाति-आधारित असमानताएं

नई-नई प्रौद्योगिकियों ने सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके तथा शैक्षिक और उद्यमिता के अवसर प्रदान करके **जाति-आधारित असमानताओं को कुछ हद कम किया है।**

हालांकि, इसने ऑनलाइन उत्पीड़न, एल्गोरिदम में संभावित पूर्वाग्रह और हेट-स्पीच को बढ़ावा देकर **समस्याओं को अधिक जटिल** भी बनाया है। यह देश में प्रौद्योगिकी को अपनाने और जाति-आधारित व्यवस्था के बीच एक जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है।

- **उच्च-जातीय समूहों का प्रभुत्व:** लोकनीति और CSDS द्वारा किए गए 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य कम सक्रिय हैं।
    - ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक शोध रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सोशल मीडिया पर जातिगत पहचान को नए रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, सोशल मीडिया पर जातिगत मानदंडों के उल्लंघन में भी वृद्धि हुई है।
- **डिजिटल डिवाइड:** भारत में वंचित जातीय समूहों तथा अन्य जातीय समूहों के बीच डिजिटल दुनिया में **दो स्तरों पर डिजिटल असमानता या विभाजन मौजूद** है- **प्रथम-स्तरीय विभाजन** (डिजिटल डिवाइस है या नहीं) और **द्वितीय-स्तरीय विभाजन** (डिजिटल कौशल होना)।
    - इस तरह का डिजिटल विभाजन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में मौजूदा असमानता को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक प्रगति को बाधित करता है।
- **एल्गोरिदम पूर्वाग्रह:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों को प्रायः पुराने डेटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है। ऐसे में इसके निर्णय जाति-आधारित पूर्वाग्रहों से प्रेरित हो सकते हैं और उसे बढ़ावा देने वाले भी हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- भविष्य में **AI आधारित पुलिस प्रणाली** जातिगत भेदभाव और वंचित समुदायों को अपराधी मान लेने की पुरानी मानसिकता से ग्रसित हो सकती है।
- **कार्यबल में प्रतिनिधित्व:** प्रौद्योगिकी आधारित कार्यबल में वंचित जातीय समूहों का कम प्रतिनिधित्व है। इससे जाति-आधारित असमानताओं का पता चलता है।
- **सामाजिक कलंक और भेदभाव:** हेट-स्पीच, अपमानजनक टिप्पणियां और किसी जाति विशेष के सदस्यों को लक्षित करने वाला ऑनलाइन उत्पीड़न सामाजिक कलंक को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। साथ ही, यह मौजूदा पूर्वाग्रहों को और अधिक बढ़ावा देता है।

यह सच है कि नई प्रौद्योगिकियों ने कुछ क्षेत्रों में जातिगत असमानताओं को बढ़ावा दिया है, फिर भी, इन प्रौद्योगिकियों को केवल समस्या मान लेना भी सही नहीं है, क्योंकि **ये समाधान का हिस्सा भी रही हैं।**

जातिगत असमानताओं को दूर करने में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग

- **डिजिटल समावेशन:** वंचित समूहों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित किफायती और सुलभ प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करके डिजिटल उपयोग के स्तर पर मौजूद असमानता को कम करने की पहल की जानी चाहिए।
  - इससे वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
- **राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे सूचना नेटवर्क का उपयोग, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और वंचित समूहों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- **संसाधनों तक पहुंच:** किफायती प्रौद्योगिकी वंचित समूहों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- **वित्तीय संसाधनों के कई स्रोत उपलब्ध होना:** नई प्रौद्योगिकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और उद्यमशीलता से संबंधित प्रयासों के लिए जरुरी वित्तीय संसाधनों के कई विकल्प प्रदान करती है।
- **सामाजिक जागरूकता:** जाति-आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने, समावेशिता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल संचार चैनलों का उपयोग किया जा सकता है।
- **सामुदायिक सशक्तीकरण:** डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग सूचना, संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करके वंचित समुदायों को सशक्त बना सकता है।
  - उदाहरण के लिए- **अत्याचार के मामलों में AI से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का उपयोग** करके केस दर्ज नहीं होने की शिकायत को दूर किया जा सकता है। एक साधारण मोबाइल ऐप अत्याचार की घटनाओं के मामले को दर्ज कर सकता है और एक ही समय में सभी सरकारी मशीनरी तक इसकी जानकारी पहुंचा सकता है।

आगे की राह: प्रौद्योगिकी के स्तर पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की सोच

हमें नई प्रौद्योगिकियों के भीतर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जातिविहीन समाज की सोच को एकीकृत करने की जरूरत है। साथ ही, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए AI और मेटावर्स जैसी प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित पहलुओं को अपनाया जा सकता है:

- **जातिगत पूर्वाग्रह की पहचान करना:** प्रौद्योगिकी का विकास करने वालों को संभावित जातिगत पूर्वाग्रहों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही, एल्गोरिदम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए डेटासेट में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश करने की जरूरत है।
- **निष्पक्षता मैट्रिक्स और मानक विकसित करना:** जातिगत पूर्वाग्रह को समाप्त करके सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और जातिगत भेदभाव रहित निष्पक्षता से संबंधित मैट्रिक्स और मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** नई प्रौद्योगिकियों की डिजाइन, विकास और उसे अपनाने की प्रक्रिया में SC और ST जैसे कमजोर समुदायों के तकनीकी डेवलपर्स को नेतृत्व की भूमिका के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- **वंचित समुदायों का सार्थक समर्थन:** समावेशी AI प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त और उचित मात्रा में वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना आवश्यक है।
- **AI में जातिवाद का उन्मूलन:** नई प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाति-विरोधी नैतिक दिशा-निर्देश विकसित किए जाने चाहिए।

उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित नैतिकता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #80: उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित नैतिकता: अत्यधिक संभावना, अत्यधिक जिम्मेदारी

6.2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम, 2013 {Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) (POSH) Act, 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

POSH अधिनियम यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम, 2013 के लागू हुए **10 वर्ष** हो गए हैं।

POSH अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम **विशाखा वाद (1997) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश** के अनुरूप है। इस कानून का उद्देश्य **लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त कार्यदशा सुनिश्चित करके "कार्यस्थल पर महिलाओं के समानता का अधिकार" सुनिश्चित** करना है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- इस निर्णय में, भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त **"समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार"** के आधार पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी दिशा-निर्देश** जारी किए गए थे।
- **इन दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:**
  - लैंगिक उत्पीड़न की **परिभाषा**,
  - व्यक्ति के स्थान पर **संस्था पर जवाबदेही** सौंपना,
  - लैंगिक उत्पीड़न की **रोकथाम** को प्राथमिकता देना,
  - शिकायत निवारण के लिए एक **अभिनव समाधान** का प्रावधान करना।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **परिभाषाएं:**
  - **पीड़ित महिला (Aggrieved Woman):** इसमें वे सभी पीड़ित महिलाएं शामिल हैं जो नियमित, अस्थायी, तदर्थ रूप में या दैनिक मजदूरी (दिहाड़ी) पर कार्य करती हैं तथा कार्यस्थलों पर जाती हैं। इनमें छात्राएं भी शामिल हैं।
  - **कार्यस्थल:** इसमें सरकारी संगठन, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), घर, निजी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, फार्म आदि शामिल हैं।
  - **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न:** इसमें कई प्रकार के अवांछित कृत्य शामिल हैं। जैसे-
    - **शारीरिक संपर्क** और यौन प्रस्ताव,
    - **सेक्सुअल फेवर** की मांग या अनुरोध करना,
    - **महिला कर्मी पर अभद्र या कामुक टिप्पणियां** करना,
    - महिला कर्मी को अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना, आदि।
- **नियोक्ताओं का उत्तरदायित्व:**
  - इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं और **जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित करना।
  - प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक **वार्षिक रिपोर्ट** तैयार करना।
- **शिकायत निवारण समितियां:** सभी शिकायत निवारण समितियों में कम से कम **50 प्रतिशत** सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
  - **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee: ICC):** नियोक्ताओं के लिए यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर ICC का गठन करना आवश्यक है।
    - इस समिति का अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से **वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कोई महिला** होंगी।
  - **स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee: LCC):** राज्यों को प्रत्येक जिले में **LCC का गठन करना होगा।** यह समिति:
    - **10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों** से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करेगी, या
    - नियोक्ताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत दर्ज करेगी।
- **शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:** कोई भी पीड़ित महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिखित शिकायत घटना की तारीख से **3 माह के भीतर** दर्ज करा सकती है। यह अवधि और 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
- **दंड:** यदि कोई नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में विफल रहता है या कानून के किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो उस पर **50,000 रुपये तक का जुर्माना** लगाया जा सकता है। अपराध दोहराने पर जुर्माने की राशि में वृद्धि की जा सकती है।

POSH अधिनियम की उपलब्धियां/ परिणाम

- **लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्टिंग में वृद्धि: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, **2014 से 2017 तक दर्ज मामलों की संख्या में 54 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- **महिला सशक्तीकरण:** इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण से महिलाओं के लिए **सुरक्षित और अधिक अनुकूल कार्यस्थल माहौल** बनाने में मदद मिली है। इससे उन्हें अपने **अधिकारों का बेहतर उपयोग करने की सुविधा** प्राप्त हुई है।
- **नियोक्ताओं की जवाबदेही में वृद्धि:** इस अधिनियम को लागू करने में नियोक्ताओं की भूमिका पर अधिक बल दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य माहौल तैयार करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है।
- **जागरूकता में वृद्धि:** POSH अधिनियम पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **"एक हैंडबुक और प्रशिक्षण मॉड्यूल"** जारी किया है। ऐसी पहलों से महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिली है।

अधिनियम के कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियां

- **ICC का गठन नहीं करना: सुप्रीम कोर्ट** के अनुसार, देश के कई राष्ट्रीय खेल महासंघों ने अभी तक **ICC** का गठन नहीं किया है।
  - इसके अतिरिक्त, मई 2023 में, **सुप्रीम कोर्ट** ने आंतरिक शिकायत समिति द्वारा POSH अधिनियम को लागू करने में **गंभीर कमियों और अनियमितताओं का उल्लेख** किया था।
- **निगरानी का अभाव:** सरकार ने 2019 में संसद को सूचित किया था कि वह कार्यस्थलों पर **महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं** रखती है।

वैश्विक मानदंड

- **महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CEDAW)**
  - इसे 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। **भारत ने इसका अनुमोदन किया हुआ है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने घरेलू कामगारों (डोमेस्टिक वर्कर्स) के अधिकारों को मान्यता दी है। इसके तहत उन्हें सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान की गई है।

- **सभी महिलाओं द्वारा कानून का उपयोग नहीं कर पाना:** अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्य करने करने वाली महिला कामगार इस कानून का उपयोग नहीं कर पाती हैं। गौरतलब है कि भारत की लगभग 80% कामगार महिला अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं।
- **मामलों की कम रिपोर्टिंग:** रोजगार खोने का भय, ठोस सबूत की आवश्यकता जैसे कारणों से अभी भी यौन उत्पीड़न की सभी घटनाओं की शिकायत दर्ज नहीं हो पाती है।
- **कानून में स्पष्टता का अभाव:** यौन उत्पीड़न के मामले की शिकायत किसके पास दर्ज कराई जाए, इसके बारे में जागरूकता का अभाव है। साथ ही, इस तरह के मामलों में पूछताछ की कार्यवाही कैसे की जाए, इस पर भी स्पष्टता का अभाव है आदि।

आगे की राह

- **कानून लागू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:**
  - सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि ने **आंतरिक शिकायत समितियों** का गठन किया है अथवा नहीं, इसे सत्यापित करने के लिए **समय सीमा की भीतर निरीक्षण** करना चाहिए।
  - नियोक्ताओं को अपने यहां गठित **समिति का विवरण** अपनी वेबसाइट्स पर डालनी चाहिए।
  - अधिकारियों/ नियोक्ताओं को अपने यहां गठित समिति के सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए **नियमित रूप से ओरिएंटेशन कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित करने चाहिए।
- **तकनीक की मदद लेना:** रिपोर्टिंग और शिकायत के निवारण में गोपनीयता बरतने, साक्ष्य को सुरक्षित रूप से दर्ज करने के मामले में तकनीकी समाधानों की मदद ली चाहिए।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

6.3.1. ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (Global Initiative of Academic Networks: GIAN)

- केंद्र सरकार ने **GIAN कार्यक्रम के चौथे चरण** को लागू करने को मंजूरी दी है।
- **GIAN कार्यक्रम के बारे में:**
  - **कार्यक्रम की शुरुआत:** इस कार्यक्रम को 2015 में केंद्रीय **शिक्षा मंत्रालय ने** शुरू किया था। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी के सहयोग वाला एक संयुक्त शिक्षण कार्यक्रम है।
  - **कार्यक्रम के उद्देश्य:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों** को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का लाभ उठाने** के लिए प्रोत्साहित करना है।
  - **पात्रता:** इसके लिए ऐसे सभी सरकारी (राज्य या केंद्र) **उच्चतर शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय** पात्र हैं-
    - जो **नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 200 में** शामिल हैं, तथा
    - जिन्हें **कम-से-कम NAAC 'A' ग्रेड (3.0 और ऊपर) प्राप्त हुआ है।**
  - **लाभ:** यह कार्यक्रम **भारत के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों** और **केंद्रीय विश्वविद्यालयों को विश्व के फैकल्टी से जोड़ता** है।
  - **प्रस्तावित पाठ्यक्रम:** विदेशी फैकल्टी की सेवा लेने वाले संस्थान मंजूरी प्राप्त करने के बाद पाठ्यक्रम (कोर्स) शुरू कर सकते हैं।
    - पाठ्यक्रम प्रस्तावों में (ट्यूटोरियल/ प्रैक्टिकल को छोड़कर) निम्नलिखित शामिल हैं:
      - **12-14 घंटे का व्याख्यान/पाठन** (5 दिन की अवधि के लिए)
      - **24-28 घंटे का व्याख्यान** (10 दिन की अवधि के लिए)

- **10 दिनों से अधिक लेकिन 2 महीने से कम अवधि तक के पाठ्यक्रम** बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के शुरू करने की अनुमति है।
- **वित्त-पोषण:** प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए **8000 डॉलर** (5-दिन की अवधि के लिए) और **12000 डॉलर** (10-दिन की अवधि के लिए) तक की सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है:
  - विदेशी फैकल्टी के लिए यात्रा और मानदेय,
  - होस्ट फैकल्टी और स्थानीय समन्वयक के लिए मानदेय,
  - वीडियो रिकॉर्डिंग और त्वरित/ आकस्मिक व्यय।

○ **राष्ट्रीय समन्वयक: IIT खड़गपुर** इस कार्यक्रम के लिए नोडल संस्थान और राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

6.3.2. जेंडर रिलेटेड किलिंग्स पर रिपोर्ट (Report On Gender-Related Killings)

- "जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स (फेमिसाइड/ फेमिनीसाइड)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट **मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)[95] तथा यू.एन. विमेन** ने संयुक्त रूप से जारी की है।

○ **फेमिसाइड (Femicide):** जब **लैंगिक कारकों के आधार पर किसी महिला की इरादतन हत्या** की जाती है, तो उसे **फेमीसाइड** कहा जाता है। **इन कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - महिलाओं पर पुरुषों के हक और विशेषाधिकार वाली सोच,
  - पुरुषों के पक्ष में सामाजिक मानदंड,
  - महिला पर पुरुष के नियंत्रण और वर्चस्व का दावा करने की प्रवृत्ति आदि।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  ○ 2022 में दुनिया भर में लगभग 88,900 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई थी।
  ○ हत्या की गई **कुल महिलाओं में से लगभग 55% की हत्या** उनके परिवार वालों ने ही की थी।
  ○ भारत में दहेज, जादू-टोने के आरोप और लैंगिक कारणों से की जाने वाली **हत्याओं में पिछले एक दशक में धीरे-धीरे कमी दर्ज** की गई है।
- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  ○ व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर सामाजिक मानदंडों में सुधार किया जाना चाहिए;
  ○ पीड़िता को सहायता और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए;
  ○ साक्ष्य के आधार पर व व्यापक तरीके से इस तरह की घटनाओं की रोकथाम की कोशिश की जानी चाहिए।

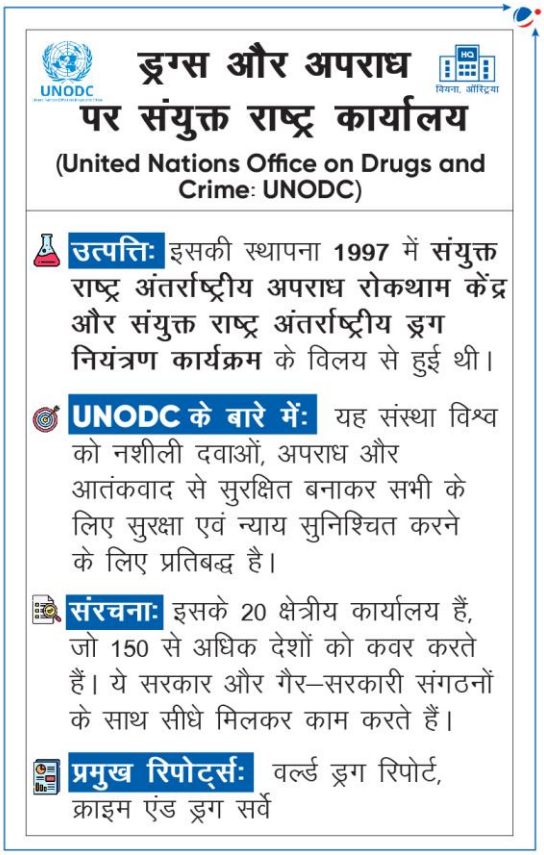

[95] United Nations Office on Drugs and Crime

- **भारत में फेमिसाइड को रोकने के लिए किए गए उपाय:**
  - **सती (निवारण) अधिनियम, 1987** लागू किया गया है,
  - **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** लागू किया गया है,
  - **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** का कार्यान्वयन किया गया है,
  - **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** लागू किया गया है,
  - फेमिसाइड को रोकने और आरोपी को सजा देने के लिए **भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान** किए गए हैं। इनमें **धारा 376 (बलात्कार), धारा 304-B (दहेज हत्या)** इत्यादि शामिल हैं।

6.3.3. महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना (Scheme For Providing Drones To Women)

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी दी**
- इस योजना का लक्ष्य **2023-24 से 2025-2026** तक की अवधि के दौरान **15,000 चयनित महिला SHGs को ड्रोन प्रदान** करना है। वे इसे **कृषि में उपयोग** के लिए किसानों को किराये पर दे सकेंगे।
  - गौरतलब है कि SHGs **समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के 15-25 सदस्यों** के समूह होते हैं। ये सदस्य अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - योजना के तहत **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, महिला SHGs और बड़ी उर्वरक कंपनियों (LFCs)** के संसाधनों व प्रयासों के समन्वय द्वारा **समग्र उपाय करने को मंजूरी** दी गई है।
  - **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और LFCs** द्वारा SHGs की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की एक सुयोग्य सदस्य को **15 दिवसीय प्रशिक्षण** के लिए चुना जाएगा।
  - LFCs ड्रोन आपूर्ति करने वाली कंपनियों और SHGs के बीच सेतु के रूप में कार्य करेंगी। साथ ही, कंपनियां SHGs की मदद लेकर **ड्रोन के जरिये नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा** देंगी।
- **योजना का महत्त्व:**
  - यह योजना महिला SHGs को **कम-से-कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष** की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता करेगी।
  - कृषि में बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा** देगी।
  - यह **फसल की उपज को बढ़ाएगी।**
  - किसानों के लाभ के लिए ड्रोन के उपयोग को वहनीय बनाएगी।

6.3.4. बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति-एक आकलन' पर रिपोर्ट (Report On 'National Policy On Child Labour')

- संसदीय स्थायी समिति ने "बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति-एक आकलन" शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **रिपोर्ट में की गई मुख्य टिप्पणियां:**
  - **सतत विकास लक्ष्य-8.7** में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बहुत अधिक प्रयास** करने होंगे। इसके लिए बाल श्रम से संबंधित नीतियों और कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी।
    - सतत विकास लक्ष्य-8.7 के तहत **2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन** करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **देश के अलग-अलग कानूनों में "बालक" की परिभाषा अलग-अलग है।**
  - **बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत **6 से 14 वर्ष की आयु** के व्यक्तियों को **"बालक"** माना गया है।
  - **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में 18 वर्ष से कम आयु** के व्यक्तियों को "बालक" माना गया है।
- **बाल श्रम और बाल तस्करी के दो मुख्य क्षेत्र या हॉटस्पॉट:**
  - जिन क्षेत्रों में **बांग्लादेश** से आए प्रवासी रह रहे हैं, और
  - **असम के आदिवासी क्षेत्र।**

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - अलग-अलग कानूनों में बालकों की अलग-अलग परिभाषा को समाप्त करके कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करना चाहिए।
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने **कार्य या श्रम करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित** की है। हालांकि, हल्के काम के लिए न्यूनतम आयु **13 वर्ष** निर्धारित की गई है।
  - बाल श्रम करवाने वाले लोगों पर **जुर्माने की राशि को तीन या चार गुना बढ़ाने** की बजाए कुछ और उपाय करने चाहिए। इनमें संस्थाओं का लाइसेंस रद्द करना, उनकी संपत्ति की कुर्की करना जैसी **कुछ कठोर सजाएं** देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
  - ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाले या भीख मांगने वाले **बच्चों के बारे में रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को सौंपी** जानी चाहिए।

6.3.5. दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (Anganwadi Protocol for Divyang Children)

- **केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर **राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम** शुरू किया है।
- यह प्रोटोकॉल, **पोषण अभियान** के तहत **दिव्यांगजनों** की समावेशी देखभाल के लिए बनाया गया एक **सामाजिक मॉडल** है। **यह मॉडल चरण-वार तरीके से लागू किया जा रहा है:**
  - दिव्यांगता के आरंभिक लक्षणों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग,
  - दिव्यांगों को सामुदायिक आयोजनों में शामिल करना और उनके परिवारों को सशक्त बनाना,
  - आशा (ASHA) / ANM (ऑक्सीलियरी नर्स मिडवाइफ) और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की टीम के माध्यम से रेफरल सहायता प्रदान करना।
- यह प्रोटोकॉल, **बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2022** के अनुरूप है।

6.3.6. शुद्धिपत्र (Errata)

- नवम्बर 2023 की मासिक समसामयिकी के **आर्टिकल 6.5 'भारत में सरोगेसी'** में यह त्रुटिपूर्ण उल्लेखित हो गया था कि,
  - सुप्रीम कोर्ट ने MRKH सिंड्रोम से पीड़ित महिला को डोनर के अंडाणु का उपयोग करके सरोगेसी कराने की अनुमति देने हेतु सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के नियम 7 पर रोक लगा दी है।
    - सरोगेसी अधिनियम के नियम 7 ने सरोगेसी के लिए डोनर अंडाणु के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
  - **सही जानकारी इस प्रकार है:**
    - सुप्रीम कोर्ट ने MRKH सिंड्रोम से पीड़ित महिला को डोनर के अंडाणु का उपयोग करके सरोगेसी कराने की अनुमति देने के लिए सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के **नियम 7** के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
    - **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023** के जरिए 2023 में संशोधित **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** के **नियम 7** के तहत इस हेतु डोनर के अंडाणु और शुक्राणु के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **अक्टूबर, 2023 मासिक समसामयिकी** के **आर्टिकल 6.8 "बाल यौन शोषण सामग्री"** में यह त्रुटिपूर्ण उल्लेखित हो गया था कि:

- “NCRB को केवल एक ही वर्ष 2020 में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) से OCSAE की लगभग 2.7 लाख रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं।”

- **सही जानकारी** यह है कि *“NCRB को अकेले 2020 में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) से OCSAE की लगभग 27 लाख रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।”*

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप्स (Space Tech Start-ups in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सीड फंड योजना के तहत, **इन-स्पेस (In-Space)**[96] द्वारा **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** का उपयोग करके **शहरी विकास और आपदा प्रबंधन क्षेत्रक** में समाधान विकसित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स को सहायता दी जाएगी।

सीड फंड योजना के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मार्च 2023 में IN-Space द्वारा सीड फंड योजना की घोषणा** की गई थी।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **नवीन अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने** के लिए **अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़े स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करना** है। ताकि भारत और दुनिया भर में आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

डेटा बैंक

- वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के **360 बिलियन अमेरिकी डॉलर में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत** है।
- भारत में अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़ी अर्थव्यवस्था के **48 प्रतिशत CAGR** (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ते हुए अगले पांच वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाने की संभावना है।
- **DPIIT स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल** के अनुसार, **भारत में अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़े स्टार्ट-अप्स की संख्या 2014 में 1** थी, जो बढ़कर 2023 में **189** हो गई।

- **स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करना:** यह फंडिंग, मेंटरशिप, प्रशिक्षण और नेटवर्क जैसी सुविधाओं तक स्टार्ट-अप्स की पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- **कवर किए गए क्षेत्रक:** IN-Space द्वारा समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रकों के लिए विशेष अवसरों की घोषणा की जाएगी।
- **आदर्श आवेदनकर्ता:** आदर्श आवेदनकर्ता के पास व्यवसाय की एक स्पष्ट योजना, सुपरिभाषित लक्षित बाजार और विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति होनी चाहिए।

अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़े भारत के प्रमुख स्टार्ट-अप्स

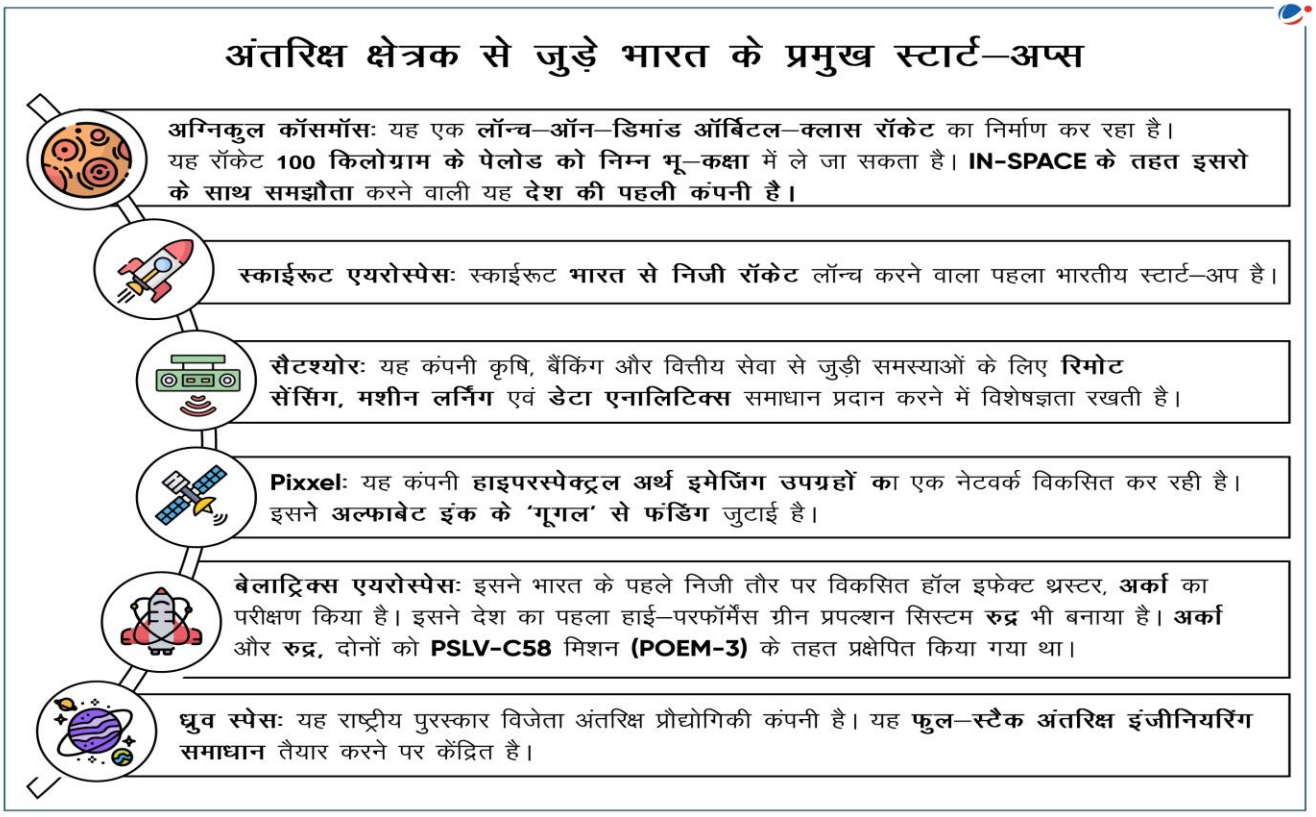

[96] Indian National Space Promotion and Authorisation Centre/ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र

- **स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता शर्तें:**
  - आवेदन करने वाले **स्टार्ट-अप्स** को DPIIT के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही, उन्हें अपने उत्पाद या सेवाओं में **प्रौद्योगिकी का मौलिक रूप में प्रयोग** करना चाहिए।
  - स्टार्ट-अप्स में **न्यूनतम 80% हिस्सेदारी भारतीयों** की होनी चाहिए तथा कंपनी ने फंड जुटाने संबंधी गतिविधियां पूर्ण कर ली हों।
    - हालांकि, वेंचर कैपिटलिस्ट से निवेश प्राप्त करने की अनुमति है।
  - आवेदन के समय स्टार्ट-अप में **प्रमोटर्स और एंजेल निवेशकों का निवेश कम-से-कम उनके ग्रांटेड रिक्वेस्ट के अनुरूप** होना चाहिए।
  - आवेदन करने वाले स्टार्ट-अप ने किसी अन्य केंद्रीय/ राज्य योजना के तहत **50 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त नहीं की** हो।
    - हालांकि, इसमें प्रतियोगिता से पुरस्कार राशि, प्रतिष्ठान की स्थापना में रियायत, प्रयोगशालाओं तक पहुंच या प्रोटोटाइप सुविधा तक पहुंच शामिल नहीं है।
- **स्टार्ट-अप्स को फंडिंग**
  - इसके तहत **1 करोड़ रुपये** तक का अनुदान तीन या इससे अधिक किस्तों में दिया जाएगा। इसकी पहली किस्त में 40% तक का अनुदान दिया जा सकता है।
  - प्रदान किए गए अनुदान का पूरा व्यय **तीन वर्ष की अवधि के भीतर** किया जाना चाहिए।
  - इस कार्यक्रम के तहत यदि किसी IPR का सृजन होता है तो इसका स्वामित्व स्टार्ट-अप के पास होगा।

भारत में स्पेस-टेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है?

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** स्पेस-एक्स, ब्लू ओरिजिन, एरियनस्पेस जैसी विदेशी निजी कंपनियां **अंतरिक्ष मिशनों की लागत और इसके टर्नअराउंड समय में कटौती** करके वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में युगांतकारी परिवर्तन लाईं हैं।
  - हालांकि, भारत की अंतरिक्ष-आधारित निजी कंपनियां मुख्य रूप से **सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के रूप में ही काम** करती रही हैं।
  - **वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के समान अवसर** प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्रक में **एंड-टू-एंड गतिविधियां संचालित करने** की अनुमति प्रदान की है।
- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों का दोहन:** वर्तमान में इसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - नवोन्मेषी स्टार्ट-अप्स हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के संसाधनों का पूरक बन सकते हैं।
- **आयात पर निर्भरता को कम करना:** सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में **भारत** का आयात व्यय इसके निर्यात से होने वाली आय से बारह गुना अधिक है।
  - भारत द्वारा की गई प्रमुख आयातित वस्तुओं में **इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग घटक,** उच्च ऊर्जा वाले **कार्बन फाइबर, अंतरिक्ष में कार्य करने योग्य सौर सेल, डिटेक्टर, ऑप्टिक्स और पावर एम्पलीफायर** शामिल होते हैं।
- **इसरो को सहायक गतिविधियों से मुक्त करना:** स्टार्ट-अप की भागीदारी से इसरो को अनुसंधान और विकास, अंतरग्रहीय अन्वेषण और रणनीतिक प्रक्षेपण जैसे **मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने** का अवसर मिलेगा।
- **अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक लाभ:** यह **कृषि, आपदा प्रबंधन** तथा **संचार** जैसे क्षेत्रकों में मौजूद गंभीर चुनौतियों का अभिनव समाधान ढूंढकर, निजी क्षेत्रक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** भारत के अंतरिक्ष-तकनीकी आधारित निजी कंपनियों और अमेरिका जैसे साझेदार देशों के बीच सहयोग से, चीन को प्रति-संतुलित करने में भारत को मदद मिलेगी।
  - भारतीय अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्ट-अप भारत को अंतरिक्ष क्षेत्रक में चीन के प्रभाव को रणनीतिक रूप से कम करने में सक्षम बना सकते हैं।

अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **प्रमुख संगठन**
  - **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN SPACe):** यह अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत कार्यरत एक स्वायत्त एजेंसी है।
    - इसका कार्य भारत में गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPEs)[97] की अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को **विनियमित करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना** और उनका **पर्यवेक्षण करना** है।
    - यह NGPEs को DoS की सुविधाओं का उपयोग करने की भी अनुमति दे सकता है।

[97] Non-Governmental Private Entities

- **एंट्रिक्स को-ऑपरेशन लिमिटेड (ACL):** ACL, **इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा** है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। यह **अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष आधारित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती** है।
- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** यह DoS के तहत सूचीबद्ध **अनुसूची 'A'** श्रेणी की कंपनी है। इसकी स्थापना इसरो की **व्यावसायिक गतिविधियों** को संचालित करने के लिए **2019** में की गई थी।
  - यह भारतीय उद्योगों को **अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित अंतरिक्ष गतिविधियों** को अपनाने में सक्षम बनाती है। साथ ही, यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के **व्यावसायिक उपयोग** को भी बढ़ावा देती है।
- **भारतीय अंतरिक्ष संघ (Indian Space Association: ISpA):** इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। **ISpA** एक शीर्ष **गैर-लाभकारी औद्योगिक निकाय** है। इसे भारत में **निजी अंतरिक्ष उद्योगों के विकास** के लिए स्थापित किया गया है।
  - अग्रणी घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसका उद्देश्य **वैश्विक स्तर पर सहयोग** को बढ़ावा देना, **देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश आकर्षित करना** है।

- **अन्य पहलें:**
  - **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में **गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs)** की **एंड-टू-एंड भागीदारी** की सुविधा प्रदान करती है।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** उपग्रहों के प्रक्षेपण और संचालन के लिए **सरकारी मार्ग (Government route) के तहत** अंतरिक्ष क्षेत्रक में FDI की अनुमति दी गई है। **DoS और DPIIT** अंतरिक्ष क्षेत्रक की **FDI नीति से जुड़े दिशा-निर्देशों की समीक्षा** करने की प्रक्रिया में हैं। इसका उद्देश्य अधिक संसाधनों को आकर्षित करना है।
  - **कर लाभ:** उपग्रह प्रक्षेपण को GST से छूट दी गई है।
  - **अटल इनोवेशन मिशन (AIM):**
    - **ATL स्पेस चैलेंज:** AIM ने इसरो और CBSE के सहयोग से **अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्पेस चैलेंज** की शुरुआत की है।
    - यह **देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए खुला है।** इसे चार व्यापक चैलेंज थीम्स के साथ प्रस्तुत किया गया था- **एक्सप्लोर स्पेस, रीच स्पेस, इनहैबिट स्पेस** और **लीवरेज स्पेस।**
    - **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) स्कीम:** AIM के तहत पूरे भारत में स्पेस-टेक और संबंधित उद्योगों में काम करने वाले 15 से अधिक स्टार्ट-अप्स का समर्थन किया गया है। इन स्टार्ट-अप्स के फोकस क्षेत्र हैं- UAV, ड्रोन और निगरानी उपकरण, एयरो टेक, एयर टैक्सी, अंतरिक्ष मलबे पर नज़र रखना और निगरानी सेवा, अंतरिक्ष शिक्षा आदि।
    - **ANIC-ARISE कार्यक्रम:** यह अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय स्टार्ट-अप्स एवं MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसके तहत स्पेस-टेक स्टार्टअप्स को भी सहायता की पेशकश की जा रही है।
  - **मार्गदर्शन (Mentoring): इसरो के सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों** की सूची IN-SPACe डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (IDP) पर प्रकाशित की जाती है। NGEs विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सीधे इन सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं।

भारत में अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में चुनौतियां

- **उद्योगों की जोखिमपूर्ण प्रकृति:** बाजार में स्थिरता की अनुपस्थिति और लंबी इनक्यूबेशन अवधि के कारण निजी क्षेत्रक सावधानी बरतते हैं।
- **फंडिंग में मौजूद बाधाएं:** अपर्याप्त फंडिंग, **विशेष रूप से बाद के चरणों में,** एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करती है। स्वदेशी सामग्रियों की कमी और आयात पर अधिक निर्भरता से **लागत में वृद्धि होती है** और **उत्पादन प्रक्रिया में भी देरी होती है।**
- **अस्थिर व्यवसाय मॉडल:** स्टार्ट-अप्स द्वारा सबसे कम लागत वाले विकल्पों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के कारण छिपे हुए खर्चों और भविष्य के प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह प्रवृत्ति ऐसे व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देती है, जो लंबे समय तक कारगर नहीं रह सकता।
- **सीमित प्रतिभा पूल:** कुशल पेशेवरों की कमी मौजूदा चुनौतियों को और अधिक बढ़ा देती है।

भारत में स्पेस-टेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए आगे का राह

- **अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित विधेयक पारित करना:** ऐसा विधेयक कानून बनने के बाद उद्योगों के लिए स्पष्टता, फोकस और प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- **वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देना:** फंडिंग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए **सॉफ्ट फंड और अतिरिक्त प्रोत्साहन** (जैसे- अधिक कर प्रोत्साहन तथा कर छूट) प्रदान करना चाहिए।
- **सुरक्षित बाजार पहुंच:** सुसंगत पद्धतियों का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए एक समर्पित अध्ययन आयोजित करना चाहिए।
  - बाजार में मांग को बढ़ावा देने के लिए निजी स्टार्ट-अप्स के लिए सरकारी अनुबंधों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।
  - विशेषज्ञता और बाजार तक पहुंच के लिए स्टार्ट-अप्स, इसरो और विदेशी कंपनियों के बीच साझेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना:** भारतीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम का विकास करने और उसे बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर की गई पहलों का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** बेहतर प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। सिस्टम इंजीनियरिंग में कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है।
    - इसके अलावा, अंतर्निर्भरता में मौजूद अंतराल को पाटते हुए, अंतरिक्ष क्षेत्रक को एकीकृत प्रणाली के रूप में संगठित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए, अंतरिक्ष उद्योग की बदलती जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। भारत तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करना चाहता है। इसके लिए, अंतरिक्ष क्षेत्रक की बदलती जरूरतों को पूरा करने तथा अंतरिक्ष तकनीक आधारित स्टार्ट-अप्स में नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.2. ई-सिगरेट्स (E-Cigarettes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें **ई-सिगरेट** का सेवन करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

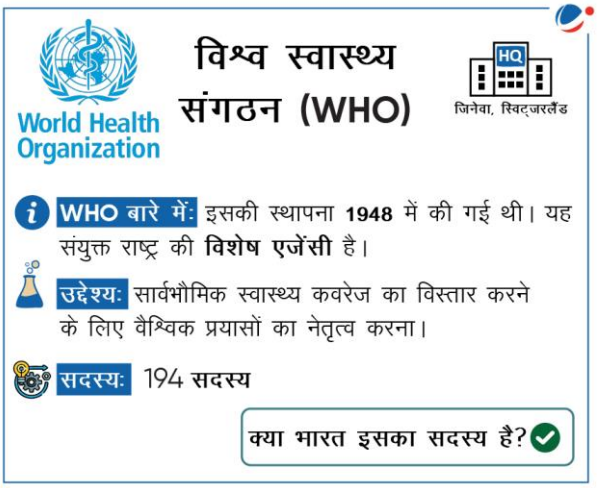

अन्य संबंधित तथ्य

- **WHO की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - वयस्कों की तुलना में **13-15 वर्ष के बच्चे अधिक मात्रा** में ई-सिगरेट का सेवन कर रहे हैं।
    - 2017-2022 के दौरान, **16-19 साल के किशोरों के बीच ई-सिगरेट के सेवन** की दर लगभग **दोगुनी** हो गई है।

ई-सिगरेट के बारे में

- **भारत** सरकार ने **"इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक) अधिनियम (PECA)[98], 2019** पारित किया है। यह कानून ई-सिगरेट के **उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक** लगाता है।
- इस अधिनियम की धारा 3 के तहत **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई-सिगरेट** को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार-
    - यह एक उपकरण होता है, जिसमें **तरल पदार्थ गर्म होकर एयरोसॉल** उत्पन्न करता है। इस एयरोसॉल को उपयोगकर्ता **श्वास द्वारा ग्रहण** करता है। ये ई-तरल पदार्थ **निकोटीन युक्त या निकोटीन रहित** हो सकते हैं।
    - इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का आदि शामिल होते हैं।
    - हालांकि, इसमें **ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त कोई भी उत्पाद शामिल नहीं** होते हैं।
- इसे कभी-कभी "मॉड्स", "वेप पेन", "वेप्स", "टैंक सिस्टम", और "इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS)" भी कहा जाता है।
- **ई-सिगरेट कैसे कार्य करता है: ई-सिगरेट में एक तरल पदार्थ होता है।** यह **तरल पदार्थ एक कॉइल की मदद से गर्म हो कर एयरोसॉल** उत्पन्न करता है। इस एयरोसॉल को उपयोगकर्ता **श्वास द्वारा ग्रहण** करता है। इसमें आमतौर पर निकोटीन, फ्लेवर्स और अन्य रसायन होते हैं।

ई-सिगरेट से जुड़े मुद्दे

- **स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम:** ई-सिगरेट के एयरोसॉल में आम तौर पर निकोटीन और अन्य मादक पदार्थ होते हैं। जो उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। गैर-उपयोगकर्ता सेकेंड-हैंड एरोसोल के संपर्क में आते हैं।

[98] Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act

- इनके उपयोग से **हृदय रोग और फेफड़ों के विकार का खतरा** बढ़ सकता है।
- गर्भवती महिलाओं के निकोटिन के संपर्क में आने से भ्रूण के मस्तिष्क का विकास बाधित हो सकता है।

- **लागू करने से जुड़े मुद्दे:** 2019 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद, यह **तंबाकू की दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध** है।
- **यह युवाओं में नशे की लत को बढ़ाता है:** ई-सिगरेट में **आकर्षक फ्लेवर्स** होते हैं और इसका **डिजाइन भी आकर्षक** होता है। ये युवा पीढ़ी को निकोटीन की लत की ओर आकर्षित करते हैं।
- **विनियमन का अभाव:** लगभग 88 देशों में ई-सिगरेट खरीदने की कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। साथ ही 74 देशों में इन हानिकारक उत्पादों पर कोई विनियम भी लागू नहीं हैं।
- **प्रभावी मार्केटिंग:** सोशल मीडिया और प्रभावशाली लोगों के जरिए ई-सिगरेट की मार्केटिंग करके इसे बच्चों तक पहुंचाया जाता है।
- **धूम्रपान छोड़ने में सहायक के रूप में प्रस्तुत करना:** इसे धूम्रपान छोड़ने में मदद करने वाले उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई तथ्यात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

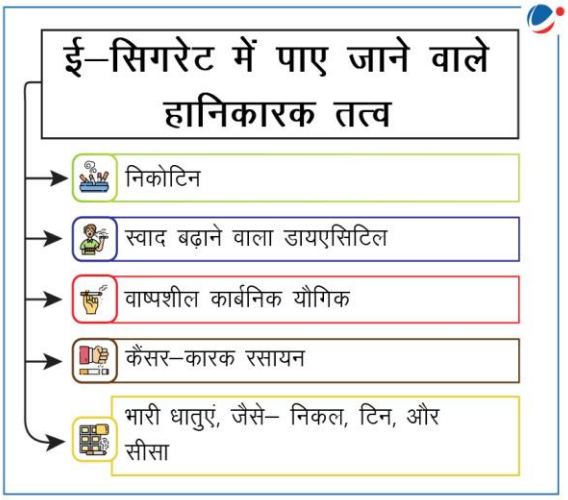

सुझाए गए उपाय

- **WHO के द्वारा:**
  - **उपभोक्ता उत्पाद के रूप में न बेचा जाए:** सरकारों को एक उपभोक्ता उत्पाद के रूप में **ई-सिगरेट बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।**
  - **पहुंच पर नियंत्रण रखना:** जो सरकारें ई-सिगरेट का उपयोग धूम्रपान की लत को समाप्त करने की रणनीति के रूप में कर रही हैं, उन्हें ई-सिगरेट तक लोगों की पहुंच को नियंत्रित करना चाहिए।
- **अन्य उपाय**
  - ई-सिगरेट की अवैध बिक्री को रोकने के लिए **अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना चाहिए।** साथ ही स्थानीय विक्रेताओं और ऑनलाइन विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
  - **जागरूकता बढ़ाना:** उदाहरण के लिए, भारत का हालिया पब्लिक नोटिस प्रतिबंधित उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ **PECA 2019** के प्रावधानों के बारे में लोगों को बताने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष

तंबाकू उद्योग के हानिकारक प्रभाव और भ्रामक मार्केटिंग को देखते हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करना आवश्यक है।

7.3. अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (Organ and Tissue Transplantation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)[99] ने इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ **"कैश-फॉर-किडनी रैकेट"** के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।

अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के बारे में

- प्रत्यारोपण एक शल्य प्रक्रिया है जिसके तहत किसी अंग, ऊतक या कोशिकाओं के समूह को **दानकर्ता के शरीर से निकालकर** प्राप्तकर्ता के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। साथ ही, इसमें एक ही व्यक्ति के शरीर में किसी अंग को एक स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित करना भी शामिल है।
- **अंग प्रत्यारोपण:** सामान्यतः किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय, आंत आदि का अंग प्रत्यारोपण होता है।

[99] National Organ and Tissue Transplantation Organisation

- **ऊतक प्रत्यारोपण:** इसमें कॉर्निया (आंख), त्वचा, हड्डी, हृदय वाल्व और रक्त वाहिकाएं आदि का प्रत्यारोपण किया जाता है।
    - **एक ही व्यक्ति के शरीर में** एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतकों के **प्रत्यारोपण** को **ऑटोग्राफ्ट** कहा जाता है, उदाहरण के लिए- स्किन ग्राफ्ट।
- **ग्रहणशीलता (Compatibility):** यह दानकर्ता और प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणालियों के मध्य समानता के स्तर पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए- मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन (HLA), रक्त समूह का मिलान आदि।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** अंग प्रत्यारोपण को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इसे **"मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994"** के तहत विनियमित किया जाता है। इसमें **जीवित और ब्रेन-स्टेम डेड दानकर्ताओं** को अंग दान की अनुमति दी गई है।
    - 2011 में, इस अधिनियम में संशोधन करके मानव ऊतकों को भी दान किए जाने योग्य अंगों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम को **"मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA)[100], 2011"** कहा गया है।
- **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के लिए अंग और ऊतकों की खरीद एवं इसके वितरण की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित करना है।
    - इस योजना को वर्तमान में **2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए** बढ़ा दिया गया है।
    - यह **अंग और ऊतकों को दान करने और उसका प्रत्यारोपण करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री** तैयार करता **है** तथा इसका रखरखाव करता है।

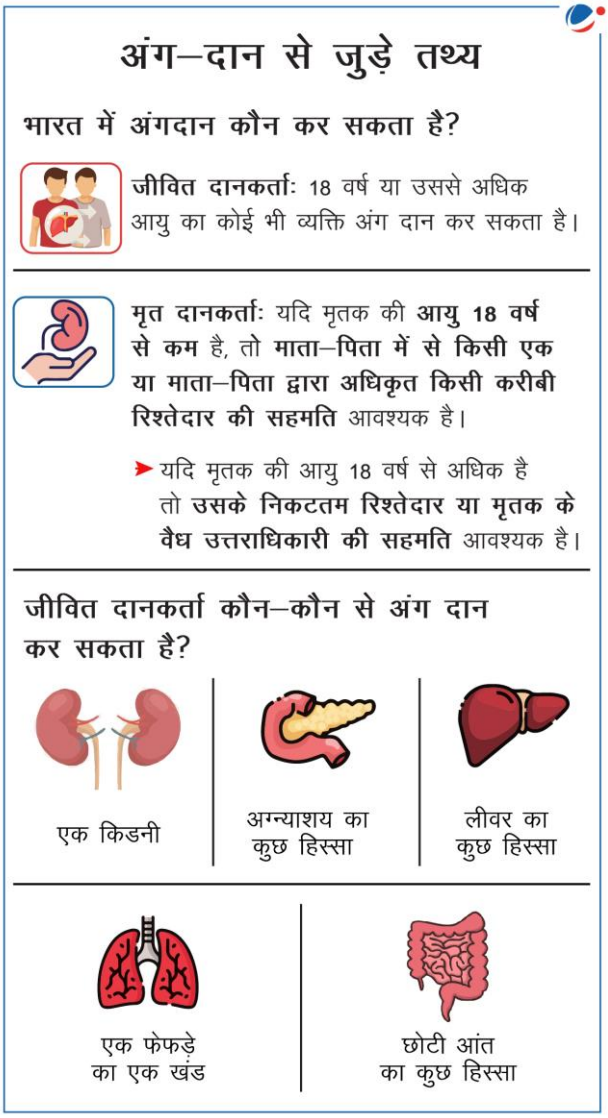

भारत में अंग प्रत्यारोपण में मौजूद चुनौतियां

- **अंग दान की प्रवृत्ति में कमी:** भारत में मृतक **अंग दान की दर प्रति दस लाख की जनसंख्या पर मात्र 0.52** है। यह स्पेन जैसे अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। **स्पेन में यह स्तर 49.61 प्रति दस लाख** है।
- **धीमी प्रगति:** स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, **दान दाताओं की संख्या (मृतकों सहित) 2014 में 6,916 से बढ़कर 2022 में लगभग 16,041 हो गई।**
- **आपूर्ति-मांग में असंतुलन:** भारत में **1.5-2 लाख जरूरतमंद लोगों में से केवल 8,000** लोगों का किडनी प्रत्यारोपण हो पाता है। इसी प्रकार **80,000 में से 1,800** लोगों का यकृत प्रत्यारोपण और **10,000 में से 200** लोगों का हृदय प्रत्यारोपण हो पाता है।
- **अंगों की तस्करी:** इसके तहत धोखाधड़ी, बलपूर्वक या अन्य अवैध तरीकों को अपनाकर लोगों से मानव अंगों को प्राप्त करके उसे ऊंचे दाम पर जरूरतमंद लोगों को बेचा जाता है।
- **पुरुष दानकर्ताओं की भागीदारी का अभाव:** अंगदान करने वाले 70-75 प्रतिशत दानकर्ता महिलाएं ही हैं। प्रायः पत्नियां, माताएं और बहनें अपने परिजनों के लिए सबसे अधिक अंगदान करती हैं।
- **ब्रेन स्टेम डेथ की घोषणा:** चूंकि ब्रेन डेड को केवल **THOTA, 1994** में ही अंग दान के संबंध में परिभाषित किया गया है। इसका **भारतीय दंड संहिता; जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** आदि में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
    - इसलिए ऐसे मामलों में **मुकदमेबाजी के डर** और **नैतिक चिंताओं** के कारण डॉक्टर अंगदान के लिए प्रमाण-पत्र देने से पीछे हट जाते हैं।

[100] Transplantation of Human Organs & Tissues Act

- **जागरूकता की कमी: जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण** लोग अंगदान के लिए सहमति प्रदान करने/ अपने प्रियजनों के अंगों को दान करने के लिए सहमत होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं।

आगे की राह

- **ऑप्ट-आउट (Opt-Out) मॉडल को अपनाना: इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर** की तरह **अंग दान प्रणाली के लिए ऑप्ट-आउट मॉडल** को अपनाया जा सकता है।
  - इस मॉडल के तहत, किसी रोगी की मृत्यु होने पर **अंगदान के लिए उसकी सहमति स्वतः ही मान ली** जाती है। तथा व्यक्ति को अपनी सहमति वापस लेने के लिए सुपुर्द सुचना देनी पड़ती है।
- **पुलिसकर्मियों और फोरेंसिक विशेषज्ञों को संवेदनशील बनाना:** सभी औषधीय-कानूनी मामलों को सुचारू बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए।
- **अन्य राज्यों में केरल मॉडल को अपनाना:** केरल देश में ब्रेन-डेथ प्रमाणन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नैदानिकी प्रोटोकॉल तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- **अंगों के आवंटन में पारदर्शिता लाना:** पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अंग प्रत्यारोपण पर **डिजिटल रजिस्ट्री** तैयार करनी चाहिए।
- **सुव्यवस्थित परिवहन प्रक्रिया:** उदाहरण के लिए, हवाई मार्ग से अंगों का परिवहन करना। इसके लिए मानव अंगों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली फ्लाइट्स के लिए **फ़्लाइट नोट्स** का सतत उपयोग करना चाहिए। साथ ही हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के तहत मानव अंगों का परिवहन करने वाले विमान को प्राथमिकता के आधार पर टेक-ऑफ और लैंडिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

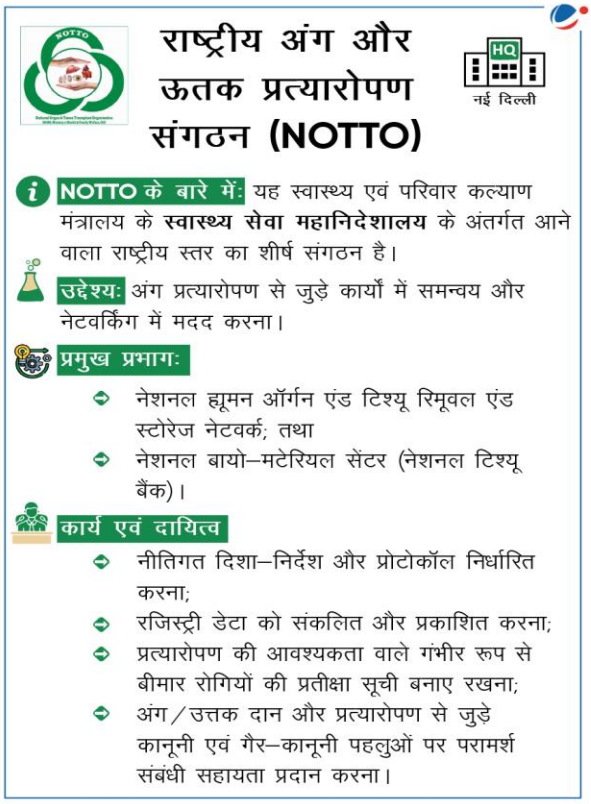

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.4.1. विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (Decentralised Autonomous Organisations: DAO)

- DAO एक प्रकार का संगठन या निकाय है। यह **कंप्यूटर प्रोग्राम्स** के रूप में एन्कोड किए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स** के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, **तय नियमों को स्वतः लागू** करते हैं। अतः DAO के संदर्भ में, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स संगठन के नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं।
  - DAO को **सेल्फ-गवर्निंग और सेल्फ-सस्टेनिंग सिस्टम** के रूप कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह **ब्लॉकचेन तकनीक** द्वारा संचालित होता है।
  - ब्लॉकचेन एक साझा या डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर (डिजिटल बहीखाता) है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह किसी **बिजनेस नेटवर्क में लेन-देन को रिकॉर्ड करने और एसेट्स को ट्रैक करने की प्रक्रिया** को आसान बनाता है।
- **DAO की मुख्य विशेषताएं:**
  - **विकेंद्रीकृत:** इसमें **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** से निर्णय लिए जाते हैं। DAO के प्रतिभागियों को **टोकन होल्डर्स** कहा जाता है और **निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी** होती है। इससे DAO संबंधी निर्णय में प्रतिभागियों की न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित होती है।
  - **पारदर्शी:** स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता है। इससे DAO के **प्रतिभागियों के बीच विश्वास मजबूत** होता है।
  - **समावेशी:** इससे इंटरनेट कनेक्शन के साथ विश्व में कोई भी DAO में शामिल हो सकता है और योगदान कर सकता है।
- **DAO के मुख्य उपयोग:**
  - **वित्तीय क्षेत्रक में:** MakerDAO जैसे प्लेटफॉर्म्स ने **ऋण देने और ऋण लेने की सेवाएं** शुरू की हैं। यह यूज़र्स को **बैंकों पर निर्भर हुए बिना वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जोड़ता है।**
  - **डिजिटल आर्ट में:** आर्टिस्ट **नॉन-फंजीबल टोकंस (NFTs)** का प्रबंधन कर सकते हैं।
    - डिजिटल आर्ट ऐसी **एसेट्स** हैं, जिन्हें **ब्लॉकचेन** के माध्यम से **टोकनाइज़** किया गया है।
  - **अन्य उपयोग:** यह **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन** में सहायक है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता लाता है और उनकी ट्रेसेब्लिटी को आसान बनाता है।
- **DAO से जुड़ी चुनौतियां:**
  - यह साइबर हमलों के प्रति सुभेद्य हो सकता है,

- जवाबदेही का अभाव है,
- कानूनी विकल्प और दायित्व के स्तर पर विवाद समाधान-तंत्र स्पष्ट नहीं है,
- इसके विनियमन पर भी स्पष्ट स्थिति का अभाव है।

7.4.2. GPAI शिखर सम्मेलन में "नई दिल्ली घोषणा-पत्र" अपनाया (GPAI Summit Adopts New Delhi Declaration)

- **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)** शिखर सम्मेलन में "नई दिल्ली घोषणा-पत्र" अपनाया गया।
- GPAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली के विकास और उपयोग से उत्पन्न होने वाले **जोखिमों को कम करने के लिए सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा-पत्र** को अपनाया है। इन जोखिमों में **बेरोजगारी, पारदर्शिता की कमी** इत्यादि शामिल हैं।
  - इससे पहले, **यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 'यूनाइटेड किंगडम AI सेफ्टी समिट' में ब्लेचली घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्लेचली घोषणा-पत्र में **AI के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए प्रयासों का समर्थन** किया गया है।
- **नई दिल्ली घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - इसमें **"कृषि क्षेत्रक में AI नवाचार"** को एक नए **प्राथमिकता प्राप्त विषय** के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले GPAI के विषयों (थीम) में **स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु कार्रवाई और एक आघात प्रतिरोधक समाज का निर्माण** जैसे विषयों को शामिल किया गया था।
  - यह घोषणा-पत्र **AI के क्षेत्र में सहयोग और समावेशन तथा AI पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने** पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - घोषणा-पत्र के अनुसार "**AI के उपयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क**" निम्नलिखित पर केंद्रित होना चाहिए:
    - लोकतांत्रिक मूल्य और मानवाधिकार,
    - व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण,
    - AI के जिम्मेदारीपूर्ण, सतत और मानव-केंद्रित उपयोग को बढ़ावा इत्यादि।
  - **AI नवाचार** के लिए आवश्यक अति-महत्वपूर्ण संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। इन संसाधनों में **कंप्यूटिंग** और उच्च गुणवत्ता वाले **विविध डेटासेट** भी शामिल हैं।
  - **AI के क्षेत्र में समावेशन को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए। इससे **GPAI के दायरे से बाहर के देश, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देश भी AI से जुड़े लाभ** प्राप्त कर सकेंगे।
- **GPAI के बारे में:**
  - इसकी स्थापना **जून 2020** में की गई थी। उस समय **भारत सहित 15 देश** इसके सदस्य थे।
  - वर्तमान में यह **29 सदस्यों का गठबंधन** है।
  - GPAI, **वैश्विक विशेषज्ञों की एक बहु-हितधारक पहल** है। यह AI के सिद्धांत और व्यवहार में अंतराल को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है।
  - भारत **2024 के लिए GPAI का लीड चेयर** है। इस रूप में उसने GPAI के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है।

7.4.3. डार्क फाइबर (Dark Fibre)

- **प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT)**[101] ने डार्क-फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जुर्माना लगाने के सेबी/ SEBI के आदेश को रद्द कर दिया है।
- **डार्क फाइबर के बारे में:**
  - **डार्क फाइबर को अनलिट फाइबर** भी कहा जाता है। यह ऐसा **ऑप्टिकल फाइबर** है, जिसे **बिछाया** तो गया है परंतु **अभी तक उपयोग नहीं** किया गया है।
    - यह किसी भी **सक्रिय उपकरण से नहीं जुड़ा** होता है या इससे न तो कोई डेटा संचारित किया जा रहा होता है तथा न ही कोई सेवा उपलब्ध करवाई जा रही होती है।
  - इन्हें डार्क नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इन केबल्स के माध्यम से अभी तक कोई भी **प्रकाश पुंज** नहीं भेजे गए हैं।
  - इनका उपयोग किए जाने के बाद भी, इन्हें डार्क फाइबर ही कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य नेटवर्क केबल्स से स्वतंत्र होते हैं।
  - **लाभ:** कम लेटेंसी, उच्च सुरक्षा आदि।

7.4.4. एनवायरनमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (Environmental Control and Life Support System: ECLSS)

- इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि **इसरो** गगनयान मिशन के लिए देश में ही **ECLSS** विकसित करेगा।
- ECLSS चालक दल से युक्त **अंतरिक्ष यान की एक उप-प्रणाली** है। यह **अंतरिक्ष में जीवन को संभव बनाने के लिए सभी आवश्यक स्थितियां प्रदान** करती है।
  - ECLSS के कार्यों में मुख्य रूप से यान के भीतर **वातावरण प्रबंधन, जल प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन** शामिल हैं।
- **ECLSS में तीन प्रमुख घटक होते हैं:**
  - **वाटर रिकवरी सिस्टम:** यह **अपशिष्ट जल के उपचार के माध्यम से और केबिन ह्यूमिडिटी कंडेन्सेट** से जल प्राप्त कर स्वच्छ जल प्रदान करता है। साथ ही, यह **यान से बाहर की**

[101] Securities Appellate Tribunal

गतिविधियों के लिए सदस्यों हेतु निर्मित सूट के अंदर मौजूद हाइड्रेशन सिस्टम से भी जल को पुनः प्राप्त करता है।
    - **एयर रिवाइटलाइजेशन सिस्टम:** यह केबिन में प्रवाहित होने वाली **वायु को स्वच्छ बनाने** का काम करता है।
    - **ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम:** इसमें **ऑक्सीजन जनरेशन असेंबली और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन असेंबली** शामिल हैं।
- **गगनयान मिशन:** इसके तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में **मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन** किया जाएगा।
    - इस मिशन के तहत **3 सदस्यों के चालक दल को 400 कि.मी. की ऊंचाई** पर स्थित कक्षा में भेजा जाएगा। साथ ही, उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी लाया जाएगा। इस मिशन की **अवधि 3 दिन** है।
    - गगनयान मिशन को **LVM-3 (भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान- Mk III) से प्रक्षेपित** किया जाएगा। इस यान में **ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण वाले इंजन** होंगे।

7.4.5. चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल (Chandrayaan-3 Propulsion Module)

- सरो चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को **चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक** वापस लाया है।
    - यह सफलता भविष्य में **मानवयुक्त मिशन वापस लाने के इसरो के लक्ष्य** के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह चन्द्रमा की कक्षा से **किसी ऑब्जेक्ट को वापस लाने का पहला मामला** है। साथ ही, इसरो ने पहली बार **किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से फ्लाईबाई का प्रदर्शन** किया है।
    - यह किसी **ग्रह या खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर पुनर्निर्देशित करने और गति देने** की एक तकनीक है।
- **मॉड्यूल पर मौजूद पेलोड SHAPE** पृथ्वी की कक्षा से **पृथ्वी के वायुमंडल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करना** जारी रखेगा।

7.4.6. सेलम कॉन्टैक्ट-बाइनरी उपग्रह (Selam Contact-Binary Satellite)

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने **क्षुद्रग्रह डिंकिनेश (Dinkinesh) के उपग्रह का नाम 'सेलम (Selam)'** रखा है, जिसका अर्थ है **शांति।**
    - 'सेलम' की खोज नासा के **लुसी मिशन** ने की थी। यह अब तक खोजा गया **पहला "कॉन्टैक्ट-बाइनरी उपग्रह"** है।
        - कॉन्टैक्ट बाइनरी सिस्टम में **दो खगोलीय पिंड इतने करीब होते हैं कि उनकी सतहें एक-दूसरे को स्पर्श** करती हैं।
- लुसी मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था। यह **बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन** है।
    - ट्रोजन **लघु पिंड हैं, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं।** ये ट्रोजन बृहस्पति की कक्षा में **दो असमान समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।** इसमें एक समूह बृहस्पति से आगे तथा दूसरा बृहस्पति के पीछे होता है।

7.4.7. सब-नेपच्यून (Sub-Neptunes)

- **6 सब-नेपच्यून ग्रहों** की खोज की गई है। उन्हें **ऑर्बिटल रेजोनेंस (Orbital Resonance)** नामक एक दुर्लभ स्थिति में पाया गया है।
    - ऑर्बिटल रेजोनेंस तब घटित होता है, जब परिक्रमा करने वाले **पिंडों की कक्षीय अवधि एक निश्चित अनुपात (जैसे 2:3)** में पूरी होती है। उदाहरण के लिए एक ग्रह जब तक अपने तारे की 2 बार परिक्रमा करता है तब तक दूसरा ग्रह उसी तारे की 3 बार परिक्रमा कर लेता है। इससे एक **सतत व निश्चित पैटर्न** बनता है।
- **सब-नेपच्यून ग्रहों के बारे में**
    - पृथ्वी और नेपच्यून (वरुण) ग्रह की त्रिज्याओं के बीच की त्रिज्या वाले ग्रहों को **'सब-नेपच्यून'** ग्रह कहा जाता है।
    - ये ग्रह सूर्य जैसे सभी तारों में से आधे से अधिक के आसपास क्लोज-इन कक्षाओं में पाए जाते हैं।
    - **ये शैलें, जल और गैसों से मिलकर बने होते हैं।** इसके कारण ही इन **ग्रहों के द्रव्यमान और घनत्व** का निर्माण होता है।

7.4.8. धूमकेतु P12/पोंस-ब्रूक्स (Comet P12/PONS-Brooks)

- खगोलविदों ने **हिमालय चंद्र टेलीस्कोप** का उपयोग करके **लद्दाख के हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला से रहस्यमयी धूमकेतु P12/पोंस-ब्रूक्स की तस्वीर** ली है।
- **धूमकेतु P12/पोंस-ब्रूक्स के बारे में**

- यह एक खगोलीय पिंड है। इसे **'डेविल कॉमेट'** का उपनाम दिया गया है। इसकी विशिष्ट संरचना के कारण इसकी **'मिलेनियम फाल्कन'** से तुलना की गई है।
- इसे पहली बार **1812** में खोजा गया था। यह धूमकेतु **लगभग 71 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा** पूरी करता है।

- **हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के बारे में**
  - यह **2-मीटर की लम्बाई वाला ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप** है।
  - यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु** इसका संचालन करता है।

7.4.9. WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम (WHO Global Clinical Trials Forum)

- हाल ही में, **WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम** की पहली बैठक आयोजित हुई।
  - इस बैठक में **सस्टेनेबल क्लिनिकल रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर** तैयार करने के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया।
- **फोरम के मुख्य उद्देश्य:**
  - **क्लिनिकल रिसर्च क्षमताओं** को मजबूत करने पर एक **संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना।**
  - क्लिनिकल रिसर्च क्षमताओं के संबंध में **अपडेटेड जानकारी प्रदान करना।**
- **क्लिनिकल ट्रायल के संपूर्ण इकोसिस्टम्स को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय:**
  - **समन्वय में सुधार** करना; **मंजूरी प्रक्रिया**, नैतिक समीक्षा एवं विनियामकीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना।
  - **बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के मामले में क्लिनिकल ट्रायल के समक्ष आने वाली बाधाओं का समाधान करना।**
  - क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा करने में **डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकियों** का इस्तेमाल करना।

7.4.10. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (Codex Alimentarius Commission: CAC)

- CAC ने **मिलेट्स पर वैश्विक मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी** दी है। इन मानकों में **रागी (Finger Millet), सांवा (Barnyard Millet), कोदो मिलेट, चीना (Proso millet) और कुटकी (Little Millet)** के लिए मानकों को **समूह मानक** के रूप में शामिल किया गया है।
  - ये **समूह मानक** खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने निर्धारित किए हैं। ये मानक **15 प्रकार के मिलेट्स के लिए नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा जैसे 8 गुणवत्ता आधारित मापदंड निर्धारित** करते हैं।
- मानक निर्धारण संबंधी यह पहल **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष** के आयोजन के अनुरूप है। भारत ने **मिलेट्स के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने** के लिए भी वैश्विक मानक संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
  - मिलेट्स **छोटी व गोल बीज वाली वार्षिक रूप से उगाई जाने वाली घासों** के सामूहिक समूह हैं। इन्हें मुख्यतः **समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि** पर उपजाया जाता है।
  - इन्हें **पोषक अनाज** के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये **मानव शरीर की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक अधिकतर पोषक तत्व** प्रदान करते हैं।
- **कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) के बारे में:**
  - इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह एक **अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारक निकाय** है। इसकी स्थापना **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** ने संयुक्त रूप से की है।
  - इसका **मुख्यालय रोम (इटली)** में है। **भारत सहित इसके 189** सदस्य हैं।
  - इसका उद्देश्य **उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा** करना और **खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित** करना है।
  - **कोडेक्स एलिमेंटेरियस** CAC द्वारा अपनाए गए **मानकों, दिशा-निर्देशों और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस** का एक संग्रह है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस को **"फूड कोड"** भी कहा जाता है।
  - कोडेक्स मानक **स्वैच्छिक** हैं।
  - WTO का **सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपायों (SPS) के उपयोग पर समझौता** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व व्यापार विवाद निपटान के लिए **कोडेक्स मानकों, दिशा-निर्देशों एवं सिफारिशों को मान्यता** देता है।

7.4.11. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (Biotechnology Research and Innovation Council: BRIC)

- हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने **BRIC सोसायटी की सबसे पहली बैठक** को संबोधित किया।

- **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** के 14 स्वायत्त संस्थानों को मिलाकर **BRIC** नमक एक **शीर्ष व स्वायत्त सोसायटी** का गठन किया गया है।
- इसका मुख्य लक्ष्य केंद्रीकृत एवं एकीकृत गवर्नेंस के जरिए **देश भर में होने वाले बायोटेक अनुसंधान के प्रभाव** को और बेहतर करना है।

7.4.12. संयुक्त राज्य अमेरिका ने CRISPR आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी (U.S. Approves First Crispr Based Gene Therapies)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यानी US-FDA) ने सिकल सेल डिजीज (SCD) के मरीजों के इलाज के लिए CRISPR आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी।
- **कैसगेवी** और **लिफजेनिया** SCD के इलाज के लिए **कोशिका-आधारित पहली जीन थेरेपी हैं।** इसे **12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के SCD रोगियों के इलाज** के लिए मंजूरी दी गई है।
    - SCD रक्त संबंधी एक आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का शरीर बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। साथ ही, कई मामलों में मरीज की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है।
    - गौरतलब है कि **SCD और बीटा थैलेसीमिया** रोगों के इलाज के लिए **यूनाइटेड किंगडम** ने भी **कैसगेवी थेरेपी** को मंजूरी दी हुई है।
        - **थैलेसीमिया** रक्त से संबंधित एक आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी में शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है।
    - **कैसगेवी थेरेपी** में **"क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिन्ड्रोमिक रिपीट्स एसोसिएटेड प्रोटीन 9 (यानी CRISPR-Cas9)"** तकनीक का उपयोग किया जाता है। CRISPR-Cas9 एक प्रकार की जीनोम एडिटिंग तकनीक है।
- **CRISPR-Cas9** तकनीक का उपयोग **जीन के कार्यों में बदलाव करने** के लिए किया जाता है। इस तकनीक की मदद से आनुवंशिक कोड में बदलाव किया जाता है या जीनोम के DNA में सटीक स्थान पर बदलाव किया जाता है।
    - गौरतलब है कि इमैनुएल शॉपेंटिये और जेनिफर ए. डोडना को **CRISPR-cas9 तकनीक** की खोज के लिए **2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार** दिया गया था।
- **CRISPR-cas9 तकनीक कैसे काम करती है?**
    - यह **DNA स्ट्रैंड्स को काटने और पेस्ट करने की एक तकनीक** है। सबसे पहले, उस आनुवंशिक कोड की पहचान की जाती है जिसे संशोधित या बदलना होता है।
    - **Cas9 प्रोटीन आणविक कैंची के युग्म की तरह कार्य करता** है। इनका उपयोग DNA स्ट्रैंड से किसी हिस्से को काटने के लिए किया जाता है।
    - **स्ट्रैंड जब टूट जाते हैं, तब उनमें स्वयं से मरम्मत करने के गुण** भी मौजूद होते हैं। इस तरह से क्षतिग्रस्त DNA स्ट्रैंड को हटाया जा सकता है। इससे मानव शरीर को फिर से स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है।
- **CRISPR तकनीक के उपयोग:**
    - मानव भ्रूण के जीन में बदलाव किया जा सकता है;
    - **फसलों के आनुवंशिक कोड में बदलाव** करके उन्हें सहिष्णु बनाया जा सकता है;
    - कैंसर के इलाज के लिए नई चिकित्सा विधियों का विकास किया जा सकता है, इत्यादि।

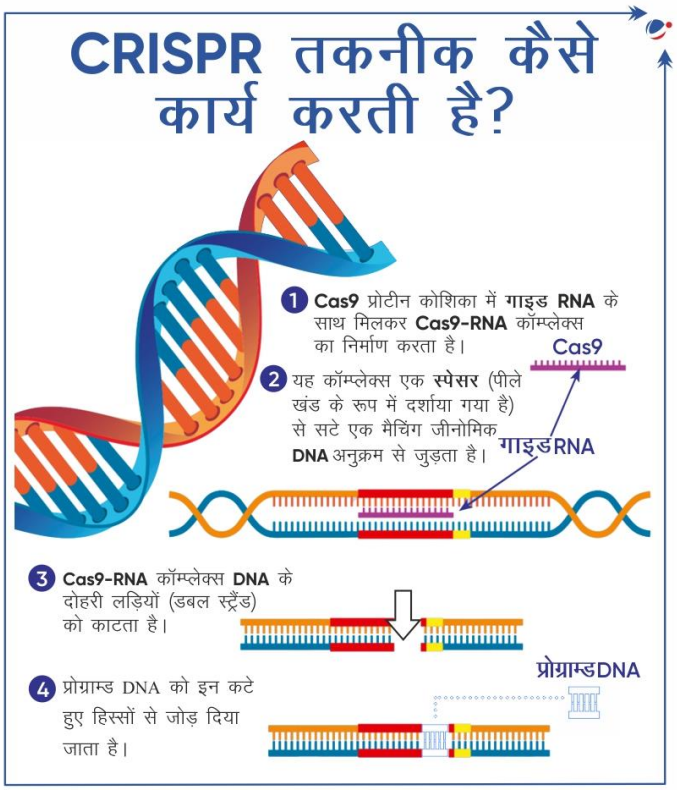

7.4.13. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir: AAM)

- केंद्र सरकार ने **"आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (AB-HWCs)"** का नाम बदलकर **"आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)"** करने का निर्णय लिया है। इसकी टैगलाइन होगी- ***"आरोग्यं परमं धनम्"***।

- AB-HWCs को **2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम** के तहत शुरू किया गया था। **देशभर में ऐसे 1.6 लाख से अधिक केंद्र** हैं।
- इनकी स्थापना **विविध प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं** प्रदान करने के लिए की गई है। इनमें **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल** हैं।
- ये **गैर-संचारी रोग, पैलिएटिव और सुधारात्मक देखभाल; ओरल व ENT देखभाल; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तथा आपात की स्थिति एवं ट्रॉमा के केस में प्राथमिक देखभाल** प्रदान करते हैं।
- ये केंद्र आवश्यक दवाएं एवं जांच संबंधी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं।

7.4.14. आरोग्य मैत्री ऐड क्यूब (Aarogya Maitri Aid Cube)

- विश्व के पहले **पोर्टेबल अस्पताल 'आरोग्य मैत्री ऐड क्यूब' का अनावरण गुरुग्राम (हरियाणा)** में किया गया।
- यह एक मॉड्यूलर **ट्रामा प्रबंधन और चिकित्सकीय सहायता प्रणाली** है। इसे शांति या युद्ध के दौरान **बड़ी संख्या में घायलों का इलाज करने हेतु तेजी से उपयोग** में लाया जा सकता है।
  - यह एक दूसरे से अलग किए जा सकने वाले **72 मिनी-क्यूब्स** से बना है। इनमें से प्रत्येक क्यूब **आपातकालीन कार्रवाई और मानवीय सहायता संबंधी प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन** की तरह काम करता है।
  - ये क्यूब्स **हल्के और पोर्टेबल** हैं। इन्हें **हवाई जहाज और स्थलीय परिवहन** द्वारा कहीं भी तेजी से भेज कर उपयोग में लाया जा सकता है।
  - इसमें **एक साथ कम-से-कम 200 घायलों का उपचार** किया जा सकता है।
  - इसे प्रोजेक्ट **'भीष्म/ BHISHMA (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री)'** के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है।

7.4.15. एक्टोसाइट (AKTOCYTE)

- **AKTOCYTE (न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट) ने कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने** में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं।
  - **न्यूट्रास्यूटिकल** ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो बीमारी की रोकथाम और उपचार सहित चिकित्सा या स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं।
- एक्टोसाइट **रेडियोथेरेपी के साइड-इफेक्ट्स** को कम करती है।
  - रेडियोथेरेपी कैंसर के **उपचार का एक तरीका** है। इसके अंतर्गत **कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और ट्यूमर का आकार छोटा करने के लिए रेडिएशन की उच्च मात्रा** का उपयोग किया जाता है।
- एक्टोसाइट को **परमाणु ऊर्जा विभाग** ने निजी फार्मा कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया है।
- यह टैबलेट **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अनुमोदित** है।

7.4.16. पॉम्पे रोग (Pompe Disease)

- हाल ही में, भारत में पॉम्पे रोग से पीड़ित **पहले मरीज** की मृत्यु हो गई है।
- **पॉम्पे रोग के बारे में:**
  - यह एक दुर्लभ **वंशानुगत** बीमारी है। यह बीमारी लगभग **दस लाख बच्चों में से किसी एक** को होती है।
  - यह बीमारी **एंजाइम एसिड अल्फा-ग्लूकोसिडेस (GAA) की कमी** के कारण होती है। यह एंजाइम हमारे शरीर में **कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ता** है।
  - इस एंजाइम की कमी के कारण शरीर की कोशिकाओं में, विशेषकर **मांसपेशियों में ग्लाइकोजन** एकत्रित हो जाता है।
  - इसे **लाइसोसोमल स्टोरेज डिज़ीज़** के नाम से भी जाना जाता है।
- **लक्षण:** मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं आदि।
- **उपचार:** रोग के दौरान प्रकट होने वाले **अधिकतर लक्षणों को प्रबंधित करके** और रोगी के जीवन में खुशहाल माहौल बनाकर इसका उपचार किया जाता है।

7.4.17. ग्रीन लीफ वोलेटाइल्स (Green Leaf Volatiles: GLVS)

- पहली बार, वैज्ञानिक क्षतिग्रस्त पादपों द्वारा छोड़े गए **GLVs** नामक यौगिकों को दर्ज करने में सक्षम हुए हैं। पादप GLVs नामक यौगिकों को मुक्त कर अन्य पादपों को सूचना देते हैं कि खतरा निकट है।
  - यह अन्य पादपों को **कीट के हमले से बचाव के लिए स्वयं को कम स्वादिष्ट या यहां तक कि अपचनीय बनाने** में भी सक्षम बनाता है।
- GLVs **अल्कोहल, एसीटेट और एल्डिहाइड की एक लघु श्रृंखला (छह कार्बन परमाणुओं का)** का समूह है। इन्हें **फैटी एसिड** से प्राप्त किया जाता है।
  - GLVs **हेर्बीवोर-इंड्यूस्ड प्लांट वोलेटाइल्स (HIPVs)** के सामान्य घटक हैं।
  - GLVs **पादपों की सुरक्षा** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7.4.18. JT-60SA: प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर (JT-60SA: Experimental Nuclear Fusion Reactor)

- दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर JT-60SA का जापान में उद्घाटन किया गया।

- JT-60SA **यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल** है। JT-60SA का उद्देश्य ITER अनुसंधान में सहयोग करते हुए नाभिकीय संलयन ऊर्जा स्रोत के विकास में योगदान देना है।
- **नाभिकीय संलयन** एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें **दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण** करते हैं। इस प्रक्रिया में **अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा** मुक्त होती है।
    - **नाभिकीय विखंडन** में, एक भारी परमाणु ऊर्जा मुक्त करते हुए दो हल्के तत्वों में विभाजित हो जाता है। **सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन** का उपयोग किया जाता है।
- **नाभिकीय संलयन के लाभ:**
    - प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है,
    - ईंधन बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है,
    - कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है,
    - नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है आदि।

7.4.19. एन्थ्रोबोट्स (Anthrobots)

- वैज्ञानिकों ने एन्थ्रोबोट्स विकसित किए हैं।
- **एन्थ्रोबोट्स के बारे में:**
    - ये **मानव कोशिकाओं से बने छोटे रोबोट** हैं। ये **क्षतिग्रस्त तंत्रिका ऊतक की मरम्मत** करने में सक्षम हैं।
    - इन्हें **आनुवंशिक संशोधनों के बिना वयस्क मानव कोशिकाओं** से बनाया जा सकता है।
    - इन्हें आपस में जोड़कर **सुपरबॉट** बनाया जा सकता है।
    - एन्थ्रोबोट्स का विकास **पुनर्योजी चिकित्सा (Regenerative medicine)** में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
        - **पुनर्योजी चिकित्सा** मानव शरीर की सामान्य गतिविधि को पुनर्बहाल करने या स्थापित करने के लिए मानव कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को बदलने या पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है।
    - एन्थ्रोबोट्स **ज़ेनोबोट्स** से भिन्न होते हैं। **ज़ेनोबोट्स मेंढक की भ्रूण स्टेम कोशिकाओं** से प्राप्त होते हैं।

7.4.20. 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' योजना (Hydrogen for Heritage Scheme)

- भारत ने **'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज'** योजना के कार्यान्वयन के लिए **हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित** करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- **योजना के बारे में:**
    - इसकी **घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24** में की गई थी।
    - इसके तहत भारतीय रेलवे (IR) ने **35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित** किया है।
    - इसके अलावा, भारतीय रेलवे मौजूदा **डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का रेट्रो फिटमेंट** करेगी।
- हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली का उत्पादन करने के लिए **हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग** करते हैं।
- **लाभ:** इससे **हरित परिवहन प्रौद्योगिकी** को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद भी मिलेगी।

7.4.21. कृट्रिम (Krutrim)

- हाल ही में, **ओला ने कृट्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल** लॉन्च किया है। यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित एक **लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है।**
    - **कृट्रिम 22 भारतीय भाषाओं को समझ** सकता है और लगभग **10 भाषाओं में कंटेंट तैयार** कर सकता है।

- **LLM के बारे में:** ये **डीप लर्निंग एल्गोरिदम** हैं। ये बहुत बड़े डेटासेट्स का उपयोग करके **कंटेंट की पहचान** कर सकते हैं, उनका **सारांश बना** सकते हैं, **अनुवाद** कर सकते हैं, **भविष्यवाणी** कर सकते हैं और **कंटेंट बना** सकते हैं।
    - इन्हें **न्यूरल नेटवर्क्स (NNs)** भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करने वाले कंप्यूटिंग सिस्टम हैं।
    - **कुछ लोकप्रिय LLM हैं-** Open AI का ChatGPT, गूगल का जेमिनी आदि।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

A.I.T.S

GS PRELIMS TEST SERIES 2024

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम - 2024

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट

5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट

10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2024: 28 JANUARY
हिन्दी माध्यम 2024: 28 जनवरी

ENGLISH MEDIUM 2025: 21 JANUARY
हिन्दी माध्यम 2025: 4 फरवरी

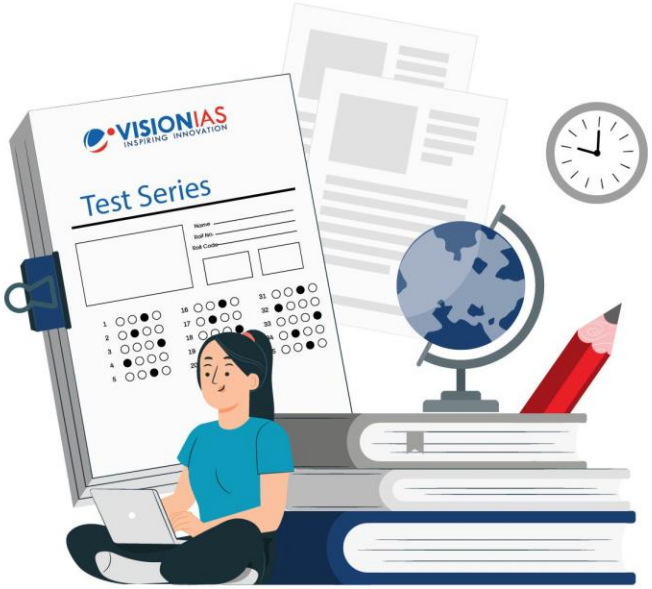

8. संस्कृति (Culture)

8.1. गरबा नृत्य (Garba)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनेस्को (UNESCO)[102] ने गुजरात के 'गरबा नृत्य' को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH)[103] की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गरबा लोकनृत्य को **'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय, 2003'** के प्रावधानों के तहत ICH सूची में शामिल किया गया है। ICH के संरक्षण के लिए गठित अंतर-सरकारी समिति (IGC)[104] की कसाने (बोत्सवाना) में आयोजित **18वीं बैठक** में गरबा को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- गरबा ICH सूची में शामिल होने वाली भारत की **15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** है।

गरबा नृत्य के बारे में

- यह एक **अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य** है। इसका आयोजन हिंदू त्योहार **नवरात्रि** के दौरान किया जाता है। गौरतलब है कि **नवरात्रि** उत्सव के दौरान **'शक्ति' की उपासना** की जाती है।
- **"गरबा"** नृत्य का नाम संस्कृत शब्द **"गर्भ"** से लिया गया है।
- **गरबा नृत्य की प्रमुख विशेषताएं:**
  - नवरात्रि के अवसर पर **मिट्टी के घड़े** में कई छिद्र किए जाते हैं। इसके बाद एक दीप प्रज्वलित करके इसके अंदर रखा जाता है। इस दीपक को ही **गर्भ-दीप** कहा जाता है, जिसके आस-पास लोग गरबा करते हैं। यह नृत्य **देवी अंबे मां** के चित्र के आस-पास भी किया जाता है।
  - इस दौरान नर्तक एक स्वर में गीत गाते हुए और ताली बजाते हुए पैरों की सहज गति से थिरकते हुए **वामावर्त दिशा (एंटी-क्लॉकवाइज)** में घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं।
  - इसमें **पारंपरिक ढोल/ ड्रम** तथा अन्य संगीत वाद्ययंत्र बजाए जाते हैं।
  - **धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव** के साथ-साथ यह नृत्य **नारीत्व के सम्मान का भी प्रतीक** है।

[102] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन

[103] Intangible Cultural Heritage

[104] Intergovernmental Committee

यूनेस्को के 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय, 2003' के बारे में

- यह अभिसमय (कन्वेंशन) यूनेस्को की **2003** में **पेरिस** में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। इस अभिसमय का उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना है।
- ICH के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अधीन **अंतर-सरकारी समिति (IGC)** का गठन किया गया है। यह समिति देशों द्वारा ICH **सूची में अपनी किसी अमूर्त विरासत को शामिल करने के लिए सौंपे गए प्रस्तावों/ अनुरोधों की जांच करती** है।
  - **IGC** में **24 सदस्य** होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कन्वेंशन की महासभा द्वारा किया जाता है। सदस्यों के चुनाव में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है और इन्हें बारी-बारी से (रोटेशन) चुना जाता है।
  - **भारत** को वर्ष 2022 में **IGC** में **4 वर्षों के कार्यकाल** के लिए चुना गया था।
  - इससे पहले, भारत को दो और कार्यकालों के लिए चुना गया था:
    - 2006 से 2010 तक के लिए, और
    - 2014 से 2018 तक के लिए।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में:**
  - ICH अभिसमय के **अनुच्छेद 2** के अनुसार, "अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ऐसी परंपराएं, प्रस्तुतियां, अभिव्यक्तियां, ज्ञान, कौशल के साथ-साथ वाद्ययंत्र, वस्तुएं, कलाकृतियां तथा इनसे संबंधित सांस्कृतिक स्थल शामिल होते हैं, जिन्हें कोई **समुदाय** या **समूह** तथा कुछ मामलों में **व्यक्ति** अपनी **सांस्कृतिक धरोहर** के रूप में संरक्षित करते हैं।"
  - **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शित/ व्यक्त होते हैं:**
    - मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां;
    - निष्पादन कला (परफॉर्मिंग आर्ट्स);
    - सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान व उत्सव आयोजन;
    - प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं परंपराएं;
    - पारंपरिक शिल्प कौशल (दस्तकारी)।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची	
कुटियाट्टम: संस्कृत रंगमंच	लद्दाख का बौद्ध जप/ मंत्रोच्चार
वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा	संकीर्तन: मणिपुर में एक प्रकार का अनुष्ठान गायन जिसमें लोग ढोल बजाते हैं और नृत्य करते हैं,
रामलीला: रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन	पंजाब के जंडियाला गुरु में ठठेरों द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन
रम्माण: गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और आनुष्ठानिक रंगमंच	नवरोज़
छऊ नृत्य	योग
कालबेलिया: राजस्थान का लोक गीत और नृत्य	कुंभ मेला
मुडियेट्टू: केरल का आनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक	कोलकाता में दुर्गा पूजा

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत के प्रयास

- **संगीत नाटक अकादमी:** यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह अकादमी **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए नोडल कार्यालय** के रूप में कार्य करती है। साथ ही, यह किसी भारतीय विरासत को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के लिए नामांकित करने से संबंधित डाक्यूमेंट्स तैयार करती है।

- **राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची**: यह भारत की अमूर्त विरासतों में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है।
- **'भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए योजना'**, वैश्विक सहभागिता योजनाएं चलाई जा रही हैं।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. बाली यात्रा (Bali Yatra)

- **कार्तिक पूर्णिमा** के अवसर पर **एशिया के सबसे बड़े मुक्ताकाश वार्षिक व्यापार मेले 'बाली यात्रा'** की शुरुआत **ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर** हुई।
  - यह मेला वास्तव में **प्राचीन कलिंग साम्राज्य से शुरू होने वाली साहसिक समुद्री यात्राओं के गौरव को याद करने का अवसर** होता है। इस मेले के अवसर पर लोग केले के थम (तना) और **सोला से बनी छोटी नावें** नजदीक के तालाबों और नदियों में तैराते हैं।
- **बाली-यात्रा मेले के बारे में:**
  - यह मेला **बाली (इंडोनेशिया) के साथ ओडिशा के ऐतिहासिक संबंधों** और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए की गई समुद्रपारीय यात्राओं की **समृद्ध समुद्री विरासत** का प्रतीक है।
    - दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया के बाली में मनाया जाने वाला त्योहार **'मसकपन के तुकड़'** और थाईलैंड में मनाया जाने वाला त्योहार **'लोइक्राथोंग"** भी ओडिशा में बाली-यात्रा मेले के समान ही हैं। इनमें भी खिलौने के आकार वाली नौकाओं को लोगों द्वारा तालाबों और नदियों में तैराया जाता है।
  - यह **'तपोई'** नामक कथा से भी जुड़ी हुई है। इसमें **नाविक भ्राता के वापस लौटने का इंतजार कर रही एक युवती की पारंपरिक स्मृति को भी** को याद किया जाता है।
  - एक मान्यता यह भी है कि **वैष्णव संत श्री चैतन्य** इसी शुभ दिन पर **बाली से होते हुए** पुरी जाने के लिए **कटक** तट पर **उतरे थे।**
  - **'भालुकुनी ओशा' या 'खुदुरुकुनी ओशा'** और **'बड़ा ओशा'** इस मेले से जुड़ी कुछ खास रिवाजें हैं।
- **समुद्री विरासत के रूप में ओडिशा**
  - प्राचीन काल में ओडिशा को **कलिंग** के नाम से जाना जाता था। यह राज्य **भारत के इतिहास में समुद्री विरासत** की **एक गौरवशाली परम्परा** के लिए जाना जाता है।
  - प्राचीन काल में यहां के साहसी नाविकों का **रोमन साम्राज्य, अफ्रीका, फारस तट, अरब देशों, चीन, जापान, सियाम, चंपा, बर्मा, सीलोन** और अन्य समुद्रपारीय क्षेत्रों के साथ समुद्री संपर्क था।
  - गौरतलब है कि **कालिदास** ने **"रघुवंश" नामक महाकाव्य में कलिंग के शासकों को "समुद्र का देवता"** कहा है।

कलिंग कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह

बंदरगाह	विवरण
पालुर	• दूसरी शताब्दी के मध्य में **यूनानी लेखक टॉलेमी** ने इसका उल्लेख किया था।
ताम्रलिप्ति	• **टॉलेमी** ने इसे टैमेलाइटिस कहा है। • इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में **फाह्यान** और 7वीं शताब्दी में **ह्वेन–त्सांग** ने भी किया था।
पिथुंडा	• **जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र** में इसका उल्लेख किया गया है। • **खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख** में इसका उल्लेख किया गया है। यह कलिंग का एक महानगर था।

8.2.2. भौगोलिक संकेत (GI) टैग {Geographical Indication (GI) Tag}

- हाल ही में, **मेघालय के चार उत्पादों को GI टैग** मिला है।
  - **लाकाडोंग हल्दी:** यह **करक्यूमिन की उच्च मात्रा** के लिए प्रसिद्ध है।
    - **करक्यूमिन** हल्दी में पाया जाने वाला एक तत्व होता है। इसके कारण ही हल्दी **पीले** रंग की होती है।
  - **गारो दकमंदा:** यह **गारो जनजाति** द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है।
  - **लारनाई मिट्टी के बर्तन:** ये बर्तन **जैंतिया हिल्स जिले में काली मिट्टी** से बनाए जाते है।
  - **गारो चुबिची:** यह **गारो** जनजाति का **पारंपरिक मादक पेय** है। इसे **चावल** से बनाया जाता है।
- **GI टैग के बारे में:**
  - इसे **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** प्रदान करता है।
  - यह **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** द्वारा प्रशासित है।
  - GI टैग **10 वर्ष के लिए वैध** होता है।

8.2.3. बुकर पुरस्कार (Booker Prize)

- **आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके 5वें उपन्यास "प्रॉफेट सॉन्ग'** के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है।
- **बुकर पुरस्कार के बारे में:**
  - **बुकर पुरस्कार 1969 में स्थापित** किया गया था। यह पुरस्कार **किसी भी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित साहित्यिक रचना** के लिए दिया जाता है।
  - इसका उद्देश्य समकालीन **उपन्यास का अध्ययन करना और उस पर परिचर्चा को प्रोत्साहित** करना है।
  - **बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के लेखक/ लेखिका हैं: वी.एस. नायपॉल (1971), सलमान रुश्दी (1981), अरुंधति रॉय (1997), किरण देसाई (2006) तथा अरविंद अडिगा (2008)।**
- **नोट:** बुकर पुरस्कार केवल **अंग्रेजी** में लिखे गए उपन्यासों को दिया जाता है, जबकि **अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तकों** के लिए दिया जाता है।

8.2.4. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 (Khelo India Para Games 2023)

- प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स (KIPG) 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में दिल्ली में किया गया।
- इसके तहत **7 खेल प्रतिस्पर्धाओं** का आयोजन किया गया। इन प्रतिस्पर्धाओं में शामिल थीं- पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावरलिफ्टिंग, CP फुटबॉल और पैरा शूटिंग।
- इन खेलों का शुभंकर **'उज्ज्वला'** (गौरैया) थी।
- KIPG 2023 पदक तालिका में शीर्ष स्थान **हरियाणा ने प्राप्त किया**। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान था।
- KIPG **भारत सरकार की "खेलो इंडिया पहल"** के तहत नई खेल प्रतिस्पर्धा है। इस पहल में **खेलो इंडिया यूथ गेम्स**, **खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स** और **खेलो इंडिया विंटर गेम्स** भी शामिल हैं।
- **खेलो इंडिया गेम्स के बारे में:**
  - इनका आयोजन **खेलो इंडिया** नामक एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** के तहत किया जाता है।
  - खेलो इंडिया यानी **'लेट्स प्ले इंडिया'** की शुरुआत भारत सरकार ने 2017 में की थी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बच्चों को शामिल करके भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है।
  - **2018** से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।
    - इनमें **5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स** शामिल हैं।

8.2.5. इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2023 (Indira Gandhi Peace Prize, 2023)

- 2023 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से **डैनियल बैरेनबोइम और अली अबु अव्वाद** को दिया गया है।
  - ये दोनों **इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजरायल और अरब जगत के युवाओं एवं आम लोगों को एक साथ लाने** का प्रयास करते रहे हैं।
- **इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में:**
  - यह **1986 से हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा** दिया जाता रहा है।
  - पुरस्कार के तौर पर एक **प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए** दिए जाते हैं।

8.2.6. साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2023 (Sahitya Akademi Awards 2023)

- **साहित्य अकादमी** ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार **24 भाषाओं के साहित्यकारों** को दिए जाएंगे।
  - उपर्युक्त 24 भाषाओं में **संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं।** शेष दो भाषाएं हैं: **अंग्रेजी और राजस्थानी।**
- **साहित्य अकादमी के बारे में:**
  - यह केंद्रीय **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन एक **स्वायत्त संस्था** है।
  - इसकी स्थापना **1954** में की गई थी।
  - यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक **सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।**
  - **साहित्य अकादमी** द्वारा दिए जाने वाले अन्य पुरस्कार हैं: **बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार** इत्यादि।

8.2.7. यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, 2023 (Unesco's 2023 Prix Versailles)

- **बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे** को यूनेस्को ने 2023 का **प्रिक्स वर्साय पुरस्कार** प्रदान किया है। इसे **'दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों'** में शामिल किया गया है।
- यूनेस्को **2015 से प्रतिवर्ष** यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके तहत विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थापत्य को पुरस्कार दिया जाता है।
    - पुरस्कार की **आधिकारिक सूची में शामिल स्थापत्य** इंटेलीजेंट सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। साथ ही, ये स्थापत्य परियोजनाएं **पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों** को भी ध्यान में रखती हैं।
    - पुरस्कार प्राप्त स्थापत्य **लिविंग परिवेश (Living environment) को खूबसूरत और बेहतर बनाने** की प्राथमिक भूमिका का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं।

8.2.8. अर्बिसाइड (Urbicide)

- इजरायल द्वारा गाजा के **अस्पतालों, बेकरियों और स्कूलों पर** हमले को कई कार्यकर्ताओं ने **अर्बिसाइड** कहा है।
- **अर्बिसाइड** लैटिन भाषा के **'सिटी किलिंग'** का पर्यायवाची है।
    - सिटी किलिंग का अर्थ है- **किसी शहर में बनी अवसंरचना पर एक निश्चित पैटर्न पर और सोच-विचार कर हिंसक हमलों को अंजाम देना।**
    - विद्वानों ने **यूगोस्लाविया युद्धों (1991-2001)** के दौरान **बाल्कन कस्बों के व्यापक विनाश का वर्णन** करने के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल किया था।
    - यह अवधारणा **केवल शहरों को भौतिक रूप से नष्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार शहर की संरचना में निहित स्मृतियों, पहचानों और संस्कृतियों** को खत्म करने तक है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. श्रम नैतिकता और लंबे कार्य घंटे (Labour Ethics and Long Work Hours)

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि काम से संबंधित विभिन्न जोखिमों में, लंबे समय तक काम करना कर्मचारियों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इस रिपोर्ट ने श्रम नैतिकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है।

"किसी व्यक्ति के पास बहुत धन होने से वह संपन्न नहीं हो जाता है बल्कि संपन्न वो होता है जिसके पास सर्वसुलभ प्राकृतिक और मानव जनित सुख का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय होता है।"
— **फ्रेंको बिफो बेरार्डी**

श्रम नैतिकता

- **श्रम नैतिकता में श्रम के साथ किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित विचार** शामिल होते हैं। इसमें इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
    - इसका निहितार्थ यह है कि **नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल** प्रदान करना **नैतिक रूप से** आवश्यक है।
- **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा**[105] में यह कहा गया है कि लोगों को **आराम करने और अवकाश का अधिकार है।** इसमें **काम के घंटों की उचित सीमाएं और वेतन के साथ आवधिक छुट्टियां** भी शामिल हैं।

हितधारक	हित
कर्मचारी	• **लाभकारी रोजगार,** अच्छी कार्य दशाएं और **कार्य-जीवन संतुलन।**
नियोक्ता/ उद्योगपति	• **संगठनात्मक दक्षता**, लाभ और सतत मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।
प्रबंधन	• विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रकों में लंबे समय तक काम करने को **पेशेवर जिम्मेदारी** के रूप में देखा जाता है।
निवेशक	• कम समयावधि में अपने निवेश पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना। • **नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसायों** में निवेश करना।
श्रम संगठन	• श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और उचित कार्य घंटों के साथ-साथ उनके **बेहतर अधिकारों** के लिए बातचीत करना।
श्रम नियामक निकाय	• **श्रम कानूनों,** नियमों, विनियमों और मानकों **को लागू करना** तथा श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना।
सरकार	• सर्वांगीण मानव पूंजी विकास के साथ-साथ **आर्थिक विकास** को बढ़ावा देना।

ओवरटाइम और लंबे कार्य घंटों के विरूद्ध नैतिक चिंताएं:

- **गैर-दुर्भावनापूर्णता के नैतिक सिद्धांत**[106] **का उल्लंघन**: इस सिद्धांत के अनुसार इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दूसरों को नुकसान न पहुंचे।
    - लंबे समय तक काम करने से थकावट होती है जिसके परिणामस्वरूप **चिकित्सीय लापरवाही और चेरनोबिल, अंतरिक्ष शटल चैलेंजर दुर्घटना जैसी आपदाएं घटित** हो सकती हैं।
- **स्वास्थ्य से ऊपर धन को वरीयता देना**: अतिरिक्त ओवरटाइम आय का चयन करना कर्मचारी के **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य** से समझौता करता है। जैसे निवेश बैंकिंग में जॉब बर्नआउट (काम से जुड़ा एक प्रकार का तनाव)।
- **सिद्धांतों के ऊपर लाभ को वरीयता देना:** लंबे कार्य घंटों का आदेश देना **टिकाऊ कार्य संस्कृति** के विरुद्ध है। टिकाऊ कार्य संस्कृति के अंतर्गत **व्यवसाय श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत** रहते हैं।

लंबे कार्य घंटों के लिए नैतिक तर्क

- **महामारी, युद्ध** जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान **आवश्यक सेवाओं को जारी** रखने के लिए **लंबे कार्य घंटों को नैतिक** (स्थितिजन्य नैतिकता) ठहराया जा सकता है।
- अक्सर कर्मचारियों की कमी और **कुशल श्रमिकों की कमी के परिणामस्वरूप लंबे कार्य घंटे** देखने को मिलते हैं (स्थितिजन्य नैतिकता)।
- उद्योगों और देशों की कार्य उत्पादकता, दक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए लंबे कार्य घंटे को **नैतिक** ठहराया जा सकता है (उपयोगितावादी नीतिशास्त्र)।

[105] Universal Declaration of Human Rights

[106] Ethical principle of nonmaleficence

- **पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों का क्षरण:** व्यक्तिगत संबंधों और व्यापक सामुदायिक संबंधों के लिए समय न होने के कारण इन मूल्यों का क्षरण होता है।
- **समाजवादी और लैंगिक नैतिकता के विरुद्ध:** लंबे कार्य घंटों के कारण कुछ सीमित श्रम बल वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसके परिणामस्वरूप **रोजगार का असमान वितरण** होता है।
    - यह **उन महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसरों को सीमित** करता है जो जिम्मेदारी के दोहरे बोझ के कारण कम घंटे की शिफ्ट में काम करना पसंद करती हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO की वैश्विक रणनीति 2023

मार्गदर्शक सिद्धांत:

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक:** सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिवेश के अधिकार को बढ़ावा देना, सम्मान देना और उसे साकार करना तथा जोखिम रोकथाम की संस्कृति का निर्माण करना।
- **सामाजिक संवाद और भागीदारी:** सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिवेश के अधिकार के लिए एक समर्थक के रूप में सामूहिकता के अधिकार को मान्यता देना।
- **मानव-केंद्रित, समावेशी और जेंडर-ट्रांसफॉर्मेटिव एप्रोच:** व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OSH) नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग, विकलांगता और आयु के आधार पर असमानताओं को कम करना।
- संपूर्ण **जीवन चक्र के दौरान OSH जोखिमों की रोकथाम पर ध्यान देना।**

आगे की राह

- **सरकार: काम के घंटों को विनियमित** करने वाले श्रम कानूनों को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए- फ़ैक्टरी अधिनियम, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961
    - **उन क्षेत्रकों के लिए कानूनी ढांचा निर्मित करना चाहिए जहां काम के घंटे सीमित करने के लिए कानून मौजूद नहीं हैं।**
- **व्यवसाय:** बेहतर कार्य संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए **कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश करना चाहिए,** जैसे स्वास्थ्य देखभाल बीमा, सवैतनिक अवकाश, मातृत्व/ पितृत्व अवकाश आदि।
- **कर्मचारी:** पेशेवर और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के लिए **समय का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए।**

> "मनःशान्ति तभी संभव है जब हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ द्वंद्व न हो। हम अपने अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश में आंतरिक विरोध को नजरअंदाज करने के साधन के रूप में अत्यधिक काम करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं।"
>
>
>
> — जोसेफ पीपर

- **कौशल उन्नयन:** कुशल कार्यबल की कमी को दूर करने के साथ-साथ श्रम के बेहतर विभाजन को बढ़ावा देना चाहिए।
- **टिकाऊ कार्य संस्कृति के लिए** एक नैतिक ढांचे के निर्माण हेतु सरकार, व्यवसाय, श्रमिक संघों आदि जैसे कई हितधारकों के मध्य **सहयोग स्थापित किया जाना** चाहिए।

निष्कर्ष

एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए यह सुनिश्चित करना एक नैतिक अनिवार्यता है कि नौकरियां सुरक्षित हों, उचित मुआवजा दिया जाए, लाभकारी कार्य जीवन हो और साथ ही, जीवन में आराम, स्वास्थ्य, परिवार, अवकाश और अपने व्यक्तिगत मूल्यों की प्राप्ति के लिए भी समय हो।

70 घंटे काम करने को लेकर चर्चा

हाल ही में, एक आई.टी. फर्म के संस्थापक ने युवा भारतीयों के लिए कार्य नैतिकता के रूप में सप्ताह में 70 घंटे कार्य करने का सुझाव दिया है।

कार्य-सप्ताह का इतिहास

- **1817**: **रॉबर्ट ओवेन** ने **"8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे नींद"** का नारा दिया।
- **1926**: **हेनरी फोर्ड** ने **40 घंटे के कार्य सप्ताह** को लोकप्रिय बनाया।

भारत में 70 घंटे का कार्य सप्ताह क्यों आवश्यक है?

- **अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ प्राप्त करने हेतु।**
- **राष्ट्र-निर्माण के लिए:** जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी के नागरिकों ने अपने राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए लंबे समय तक काम किया।
- यह विशेष रूप से करियर की शुरुआत में **नए कौशल प्राप्त करने और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।**
- यह विशेष रूप से युवा पेशेवरों के बीच **कड़े परिश्रम का मूल्य स्थापित करता है।**

कम समयावधि का काम कितना उत्पादक हो सकता है?

- **बेहतर कार्य-जीवन संतुलन:** कर्मचारियों को काम से तनावमुक्त होने के लिए अधिक समय मिलता है।
- **घंटों की मात्रा से अधिक गुणवत्ता वाले घंटों पर ध्यान देना:** उत्पादकता और काम के घंटों के बीच **उलटे यू-आकार का संबंध है।**
- **कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश और कौशल पर ध्यान देना।**

अपनी नैतिक अभिवृत्ति यानी अपने एप्टीट्यूड का परीक्षण कीजिए

आप एक फिनटेक स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) है। हाल ही में, आपके उद्योग में पूंजी की कमी हो गई है जिससे आपके संगठन की अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की क्षमता सीमित हो गई है। हालांकि, संगठनात्मक कार्यभार का विस्तार जारी है और मौजूदा कार्यबल पहले से ही दबाव में है। वो सप्ताह में 6 दिन 10 से 11 घंटे काम करते हैं।

आप इस बात को उच्च प्रबंधन को समझाते है, हालांकि, वे कंपनी में अधिक नियुक्तियां करने में असमर्थता जताते हैं और आपको अतिरिक्त काम का बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर डालने को कहते हैं।

उपर्युक्त प्रकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- आपके समक्ष क्या-क्या नैतिक दुविधाएं हैं और इससे जुड़े हितधारक कौन हैं?
- आपके समक्ष आने वाले संभावित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए।
- आपके द्वारा की जाने वाली आदर्श कार्रवाई क्या होगी?

9.2. नज यानी सौम्य प्रोत्साहन की नैतिकता (Ethics of Nudge)

परिचय

हाल ही में, हरियाणा सरकार ने **प्राण वायु देवता पेंशन योजना** शुरू की है। यह हरियाणा निवासियों की संपत्ति पर स्थित **75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृक्षों** के लिए पेंशन की पेशकश करती है। इस योजना का उद्देश्य यहां के निवासियों को प्राचीन वृक्षों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है।

शब्दावली को जानें

स्लज (**Sludge**) नामक शब्दावली का प्रयोग उन बाधाओं, जटिलताओं या जानबूझकर पैदा की गई कठिनाइयों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति को कुछ कार्यों को पूरा करना या किसी विकल्प का चयन करना कठिन बना देती है। इसका विलोम शब्द **"नज"** (**Nudge**) है।

- इसे एक ऐसी **कंपनी** के रूप में सोचिए जो किसी उत्पाद/ वस्तु से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए **आपको घंटों फोन पर इंतजार कराती** है।

सौम्य प्रोत्साहन या नज (Nudge) क्या है?

- नज एक प्रकार का हस्तक्षेप है जो **लोगो को धीरे-धीरे और विनम्रतापूर्वक वांछित कार्रवाई की ओर प्रोत्साहित करता है।** इसके जरिए **किसी भी विकल्प को प्रतिबंधित किए बिना या उनके आर्थिक प्रोत्साहनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना लोगों के व्यवहार में परिवर्तन** लाया जाता है।
- नज या सौम्य प्रोत्साहन **बिहेवियरल साइंसेज** में निहित है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति हमेशा तर्कसंगत निर्णय नहीं ले सकता है।
    - इसके बजाय, लोगों की पसंद **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, अनुमानों और भावनाओं** से प्रभावित होती है। **नज** इस समझ का लाभ उठाकर लोगों को उनकी पसंद को सीमित किए बिना बेहतर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के जरिए अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का प्रयास करना।

नज (Nudges) के प्रकार और उदाहरण

नज (Nudges) वाली गतिविधियां

- **रचनात्मक तुलना**– घरेलू ऊर्जा रिपोर्ट, जो आपको यह आगाह करे कि आप अपने पड़ोसियों की तुलना में कितनी ऊर्जा की खपत करते हैं।
- **याद दिलाना**– नागरिकों से मतदान करने के लिए कहना और यह बताना कि वे अपने मतदान केंद्र पर कब, कहाँ और कैसे पहुंचेंगे।
- **डिफ़ॉल्ट विकल्प**– कंपनी की सेवानिवृत्ति योजना में अपने आप शामिल हो जाना और इसके लिए वेतन से अंशदान हेतु कटौती करवाना।
- **सतर्क करना**– समुद्र तट पर उच्च ज्वार आने के बारे में लोगों को सतर्क करना या चेतावनी जारी करना।
- **दृश्य संकेत**– कैफेटेरिया में स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की सूची को उचित यानी दिखने वाली जगहों पर दर्शाना।

जो गतिविधियां 'नज (Nudges)' नहीं हैं

- **कर**– घरेलू ऊर्जा की अधिक खपत पर कर या जुर्माना लगाना।
- **अनिवार्य करना**– मतदान को अनिवार्य बनाना।
- **अभियान चलाना**– सेवानिवृत्ति बचत योजना में शामिल करने हेतु कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना।
- **प्रतिबंध**– उच्च ज्वार के दौरान समुद्र तट पर जाने पर रोक लगाना।
- **घटिया सामग्रियों का उपयोग**– फास्ट फूड व्यंजन तैयार करने में निम्न गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करना।

नज का महत्त्व

- **कानून-व्यवस्था को बढ़ावा देना:** सरकारी एजेंसियों के भीतर "नज यूनिट्स" ने सिद्ध किया है कि साधारण से सौम्य प्रोत्साहन से भी कानून के उल्लंघन को कम कराया जा सकता है।
- **अधिक प्रभावी:** इसे जब सोच-समझकर लागू किया जाता है, तो केवल जनादेश, वित्तीय प्रोत्साहन या जागरूकता अभियानों की तुलना में ये (नज) अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
- **चयन की स्वतंत्रता:** प्रतिबंध या नियम लागू करने वाले पारंपरिक हस्तक्षेपों के विपरीत, सौम्य प्रोत्साहन व्यक्तियों की चयन की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं।
- **लागत-प्रभावी:** अधिक पारंपरिक दृष्टिकोणों की तुलना में सौम्य प्रोत्साहन को लागू करना अपेक्षाकृत सरल और कम लागत वाला हस्तक्षेप हो सकता है।
- **साक्ष्य-आधारित:** अनुभवजन्य अनुसंधान और साक्ष्य के बाद ही अक्सर सौम्य प्रोत्साहन के निर्णय लिए जाते हैं, जिससे उन्हें काफी विश्वसनीयता तथा वैधता प्राप्त होती है।
- **विविधता:** सौम्य प्रोत्साहन योजनाओं को विभिन्न प्राथमिकताओं, मूल्यों और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह हस्तक्षेपों को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाता है।

सौम्य प्रोत्साहन/ नज के साथ जुड़ी प्रमुख नैतिक चिंताएं

सौम्य प्रोत्साहन से जुड़ी प्रमुख नैतिक चिंताओं को अक्सर **'नज करने वाले (Nudger) का लक्ष्य', 'नज से प्रभावित व्यक्ति (Nudged) की स्वायत्तता' और 'नज के प्रभाव'** के संबंध में देखा जाता है।

- **नज करने वाले का लक्ष्य:** नज का उपयोग कई **अलग-अलग कर्ताओं,** जैसे- व्यक्तियों, सरकारों, सुपरमार्केट या अन्य निगमों द्वारा किया जा सकता है। नज का संभावित प्रभाव उकसाने वालों के इरादों और नज से किसे लाभ पहुंचता है, इसपर निर्भर करता है।
- **नज से प्रभावित व्यक्ति की स्वायत्तता:** स्वायत्तता से संबंधित नैतिक चिंताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैं:
  - **व्यवहारिक उपयोग:** सौम्य प्रोत्साहन मानवीय कमियों, विशेष रूप से अनिश्चितता, निष्क्रियता और अधीरता के साथ काम करते हैं; इस प्रकार, सौम्य प्रोत्साहन से लोगों की **अतार्किकता का लाभ** उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए- बचत योजनाओं में स्वत: नामांकन किसी व्यक्ति की निष्क्रियता का लाभ उठाता है।
  - **पारदर्शिता का अभाव:** अवचेतन स्तर पर संचालित होने वाले सौम्य प्रोत्साहन के साथ **हेरफेर और पारदर्शिता की कमी** की चिंताएं उठाई जाती हैं।
- **नज के प्रभाव:** नज के प्रभाव के दो पहलू हो सकते है: नज की प्रभावशीलता (प्रभाव की ताकत) और अनपेक्षित प्रभाव।
  - **प्रभावशीलता:** नज विचारों को उत्तेजित नहीं करता है, इसलिए इसमें ज्ञान, मतभेद उत्पन्न करने की, या **दीर्घावधि में लोगों के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने के लिए आवश्यक मूल्यांकन करने की संभावना कम है।**
  - **अनपेक्षित प्रभाव:** कुछ मामलों में, एक सौम्य प्रोत्साहन **प्रतिक्रिया** (चयन प्रतिबंध की धारणा के कारण नकारात्मक प्रतिक्रिया) या **बूमरैंग प्रभाव** (इच्छित परिणाम के अनुवर्ती से उलट) उत्पन्न कर सकता है।

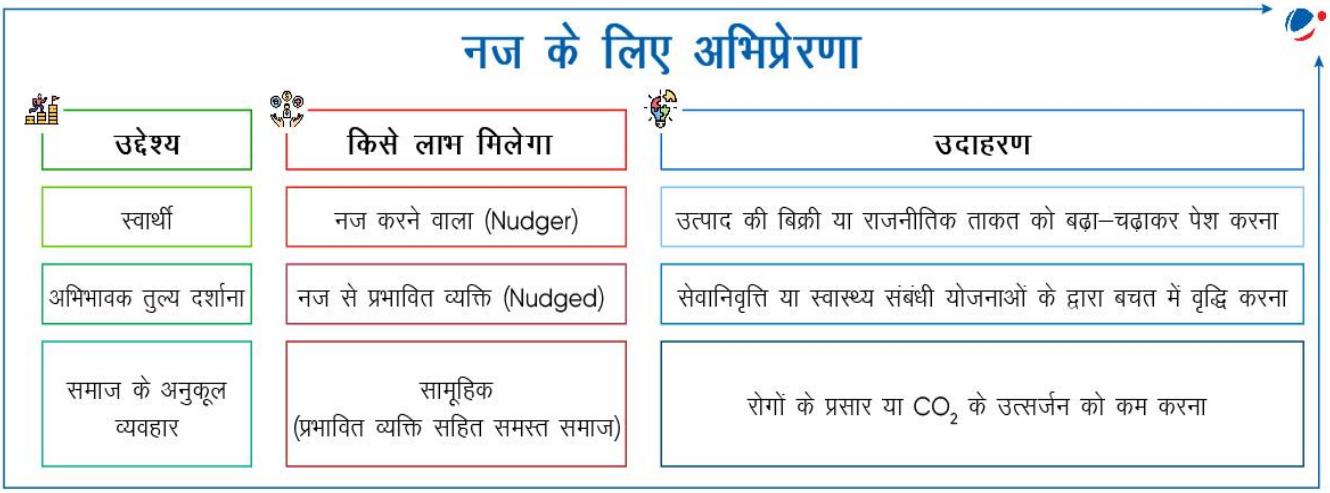

नैतिक सौम्य प्रोत्साहन की प्रकृति क्या होनी चाहिए?

- **पारदर्शिता:** सौम्य प्रोत्साहन पारदर्शी होने चाहिए, गुप्त या छुपे हुए नहीं और उन लोगों के हित में होने चाहिए जिन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, ये उनके मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए।
- **स्वायत्तता:** प्राथमिकताओं का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही, सौम्य प्रोत्साहन अभियान के लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रोत्साहक को प्राथमिकताओं पर विचार करना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- आर्थिक रूप से वंचित समूहों को बचत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों की आवश्यकता है, जैसे कि अनावश्यक बैंक शुल्क या उच्च-ब्याज ऋण से बचने में मदद करना।

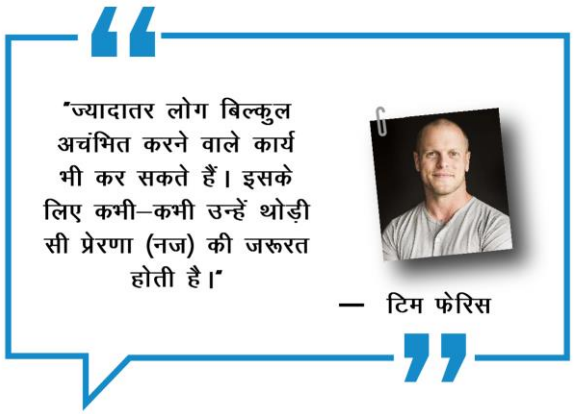

- **परोपकारी:** व्यक्तियों और समाज पर इसका प्रभाव सकारात्मक होना चाहिए। साथ ही, बेहतर निर्णय लेने को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य होना चाहिए।
    - सौम्य प्रोत्साहन के तहत व्यक्तियों की कमजोरियों, जैसे- संज्ञानात्मक सीमाएं, भावनात्मक स्थिति या सामाजिक आर्थिक कारकों का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- **संवेदनशीलता और सहमति:** सौम्य प्रोत्साहन को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए और इसके तहत किसी आबादी में निहित मूल्यों, मानदंडों और विश्वासों की विविधता पर विचार करना चाहिए।
    - व्यक्तियों के पास **सौम्य प्रोत्साहन को त्यागने का विकल्प** होना चाहिए।

निष्कर्ष

सौम्य प्रोत्साहन की नैतिकता व्यापक कल्याण के लिए व्यवहार को प्रभावित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच एक नाजुक संतुलन की मांग करती है। प्रभावी और नैतिक सौम्य प्रोत्साहन में पारदर्शिता, परोपकार और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही शोषण से बचाव और गोपनीयता की रक्षा की जानी चाहिए।

अपनी नैतिक अभिवृत्ति यानी अपने एप्टीट्यूड का परीक्षण कीजिए

नई दिल्ली का एक स्कूल छात्रों में शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू करता है। इस तरह का प्रोत्साहन कार्यक्रम मासिक आधार पर आयोजित होने वाले सभी विषयों के विशेष रूप से डिजाइन किए गए परीक्षणों में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करता है। कुछ छात्र जो कुछ विषयों में बहुत अच्छे हैं, उन्हें यह निराशाजनक लगता है क्योंकि वे समग्र विषयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पढ़ाई में उनकी रुचि समाप्त हो गई।

उपर्युक्त प्रकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- ऐसे प्रोत्साहन तंत्रों से जुड़ी नैतिक चिंताएं क्या हैं?
- कौन से कारक यह निर्धारित करते हैं कि व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया कार्यक्रम इच्छित परिणाम उत्पन्न करता है?
- स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इससे अधिक प्रभावी हस्तक्षेप क्या हो सकता है?

9.3. व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व (Individual Social Responsibility: ISR)

परिचय

एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार, 119 भारतीय बिजनेस टायकून्स ने वित्त वर्ष 2023 में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का दान दिया। इन्होंने सम्मिलित रूप से परोपकारी गतिविधियों के लिए 8,445 करोड़ रुपये का योगदान दिया। यह समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व (ISR) क्या है?

- **सामाजिक उत्तरदायित्व** एक नैतिक ढांचा है जहां संगठन और व्यक्ति व्यापक कल्याण के लिए कार्य करने तथा समाज व पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से बचने का प्रयास करते हैं।
- **ट्रिपल बॉटम लाइन:** सामाजिक उत्तरदायित्व के इस सिद्धांत में **"लोग, पृथ्वी और लाभ (People, Planet, and Profit)"** को शामिल किया जाता है। यह माना जाता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को क्षति पहुंचाने या लोगों के शोषण की आवश्यकता नहीं होती है।
- **ISR** उन नैतिक दायित्वों और कार्यों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति अपने समुदाय तथा समग्र समाज के प्रति रखते हैं।
    - ISR में व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि उसके व्यक्तिगत कार्य समुदाय को कैसे प्रभावित करते हैं।

ISR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से किस प्रकार भिन्न है?

अंतर की प्रकृति	व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व (ISR)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
पैमाना व विस्तार	व्यक्तिगत निर्णय और स्वैच्छिक योगदान, जैसे- परोपकारी योगदान।	कॉर्पोरेट संस्थाएं, व्यवसाय और बड़ी कंपनियां, जैसे- बिसलेरी द्वारा आयोजित बॉटल्स फॉर चेंज अभियान।
योगदान की प्रकृति	अक्सर **छोटे और अधिक व्यक्तिगत,** जैसे- स्वयं सेवा, धर्मार्थ दान, सामाजिक न्याय का समर्थन करना आदि।	आमतौर पर, **व्यापक स्तर का होता है।** इसमें परोपकार, पर्यावरणीय स्थिरता कार्यक्रम, नैतिक व्यवसाय प्रथाएं, सामुदायिक विकास आदि आते हैं।
प्रेरक	यह आमतौर पर, **स्वैच्छिक और व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिक दायित्व की भावना** से प्रेरित होता है।	यह अक्सर **कानूनी आवश्यकताओं** के साथ-साथ **नैतिक विचारों और जनसंपर्क** से भी प्रेरित होता है।
सार्वजनिक ज्ञान	हमेशा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया जाता है। **अक्सर यह एक निजी और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता** होती है।	कंपनियां अक्सर विभिन्न **मीडिया और वार्षिक रिपोर्टों** के माध्यम से अपनी CSR पहल के बारे में बताती हैं।

भारत में ISR की आवश्यकता

- **सार्वजनिक क्षेत्रक की प्रधानता:** भारत में सामाजिक क्षेत्रक के खर्च का अधिकतर भार सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा उठाया जा रहा है, जो कुल खर्च का 95% है।
- **सतत विकास में वित्त-पोषण अंतराल:** भारत 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल वार्षिक वित्त पोषण के नीति आयोग के अनुमान (GDP का 13%) से काफी पीछे है।
- **संसाधन पुनर्वितरण:** मजबूत आर्थिक संवृद्धि के बावजूद, भारत में बहुआयामी असमानताएं बनी हुई हैं। ऐसे में, संसाधन पुनर्वितरण के लिए काफी मात्रा में निवेश और प्रयासों की आवश्यकता है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** ISR संबंधी व्यवहार, जैसे- संधारणीय जीवन स्तर, अपशिष्ट में कमी और संरक्षण के प्रयास, पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
- **तकनीकी विकास:** प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने, डिजिटल विभाजन को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ISR का उपयोग किया जा सकता है।

ISR में संलग्न होने से संबंधित नैतिक विचार

- **चयन की स्वतंत्रता:** ISR गतिविधियों को लाभार्थियों की पसंद की स्वायत्तता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** ISR गतिविधियों में सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहिए और सम्मानजनक जुड़ाव के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **सामाजिक हित बनाम व्यक्तिगत हित:** व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पसंद और मूल्यों द्वारा निर्देशित होते हैं, जो हमेशा लोगों के प्रत्येक समूह के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं।
    - व्यक्तियों को अपनी ISR गतिविधियों में उस समूह की संरचना और रुचियों को समझना चाहिए जिनके लिए वह गतिविधि डिजाइन की गई है।
- **परिणाम-उन्मुख:** व्यक्तियों को सकारात्मक परिणामों को अधिकतम करने के लिए अपने योगदान के प्रभाव का आकलन करने, अपने दृष्टिकोण को अपनाने और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए।
- **सशक्तीकरण:** नैतिक ISR में समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना और निर्भरता के चक्र को बनाए रखने के बजाय संधारणीय समाधानों को बढ़ावा देना शामिल है।

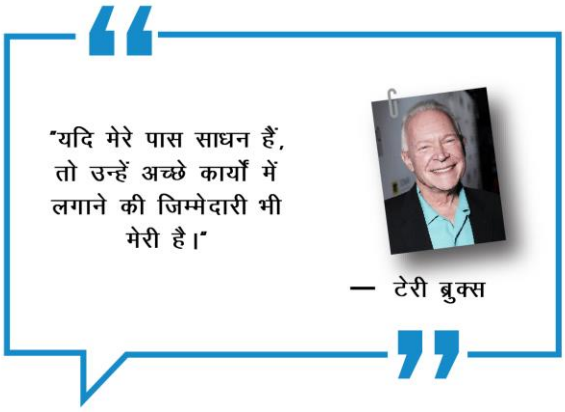

निष्कर्ष

ISR समुदायों और समाज में बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। नैतिक ISR को अपनाने का अर्थ है समाज, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के कल्याण में योगदान देने वाले विकल्पों को चुनने के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता।

अपनी नैतिक अभिवृत्ति यानी अपने एप्टीट्यूड का परीक्षण कीजिए

प्रेरणा एक उद्यमी है जो एक स्थानीय NGO का समर्थन करती है। यह NGO वंचित बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। वंचित समुदाय की उत्तरजीविता और विकास के लिए NGO की मदद महत्वपूर्ण है। हालांकि, NGO पर कुप्रबंधन और फंड के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। समाचार लेखों और रिपोर्टों से पता चलता है कि दान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि एक उल्लेखनीय राशि प्रशासनिक खर्चों और भव्य आयोजनों पर खर्च की जा रही है।

उपर्युक्त प्रकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- प्रेरणा द्वारा किन नैतिक दुविधाओं का सामना किया जा रहा है?
- ऐसी स्थिति में प्रेरणा क्या कार्रवाई कर सकती है?

9.4. ऑनलाइन गेमिंग में नैतिकता (Ethics of Online Gaming)

परिचय

हाल ही में, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने भारतीय गेमिंग कन्वेंशन (IGC) में एक **स्वैच्छिक 'ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के लिए आचार संहिता[107]'** पर हस्ताक्षर किए। इस कन्वेंशन को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा आयोजित किया गया था।

ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों (OGI) के लिए आचार संहिता के बारे में

- इस दस्तावेज पर **फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और ऑल-इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF)** ने हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि भारत के गेमिंग उद्योग में इनकी हिस्सेदारी काफी अधिक है।
    - इस संहिता का पालन **स्वैच्छिक** है और यह हस्ताक्षरकर्ताओं पर लागू मौजूदा कानूनों को ओवरराइड या प्रतिस्थापित नहीं करता है।
- **उद्देश्य:**
    - **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना** और उन्हें ऑनलाइन गेम के बारे में तथ्यों के आधार पर विकल्प चुनने में सक्षम बनाना।

[107] Code of Ethics for Online Gaming Intermediarie

- **भारत में ऑनलाइन गेम के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना** और जिम्मेदार गेमिंग की संस्कृति को विकसित करना।
- **उद्योग मानकों को ऊंचा उठाना** और हस्ताक्षरकर्ताओं की व्यावसायिक प्रथाओं में एकरूपता लाना।

ऑनलाइन गेमिंग

- **ऑनलाइन गेम इंटरनेट पर** खेले जाते हैं और कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए जाते हैं।
- **ऑनलाइन गेम्स के प्रकार:**
  - **कौशल आधारित गेम:** ऐसे गेम जिनमें परिणाम खिलाड़ी की विशेषज्ञता, अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है न कि केवल संयोग पर।
  - **संयोग आधारित गेम:** ऐसे खेल जिनमें परिणाम **यादृच्छिक घटनाओं** से तय होते हैं और जिन्हें सट्टेबाजी, जुआ तथा घुड़दौड़ के समान माना जाता है।
- **ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी (OGI)** ऐसे मध्यस्थ होते हैं, जो अपने कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।

डेटा बैंक

- 2022 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का मूल्य **2.8 बिलियन डॉलर** था और 28–30 प्रतिशत की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ते हुए इसके 2025 तक 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- 2025 तक ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या **500 मिलियन** तक पहुंचने की संभावना है।
- भारत में **3 गेमिंग यूनिकॉर्न हैं**– गेम 24x7, ड्रीम11 और मोबाइल प्रीमियर लीग।

नोट: *ऑनलाइन गेमिंग और इसके विनियमन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS मासिक समसामयिकी के अप्रैल, 2023 संस्करण में आर्टिकल 1.7 देखें।*

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विभिन्न हितधारक और उनसे जुड़ी नैतिक चिंताएं

हितधारक	हित	नैतिक चिंताएं
गेम डेवलपर्स	• लाभप्रदता • बढ़ता उपयोगकर्ता आधार • लोकप्रियता में वृद्धि • ब्रांड प्रतिष्ठा का निर्माण	• शोषणकारी मुद्रीकरण प्रथाएं • सेवा की अनुचित शर्तें • विविध जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का अभाव • रूढ़िवादिता का कायम रहना • आयु के अनुरूप सामग्री न होना
गेम खेलने वाले	• मनोरंजन • निष्पक्ष गेमिंग • डेटा गोपनीयता और सुरक्षा • सकारात्मक गेमिंग वातावरण	• गेमिंग की लत • खिलाड़ियों के लिए विभेदित व्यवहार • मूल्यों का ह्रास, विषाक्तता और उत्पीड़न • गोपनीयता की समस्या • अनुचित खेल और धोखाधड़ी
विनियामक निकाय	• उपभोक्ता संरक्षण • नैतिक गेमिंग वातावरण को बढ़ावा देना • निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना	• जुए से संबंधित मुद्दे • अवैध गतिविधियां और उनकी फंडिंग
विज्ञापनदाता/ प्रायोजक	• राजस्व को अधिकतम करना • ब्रांड दृश्यता बढ़ाना • निष्पक्ष विज्ञापन मानकों को बढ़ावा देना	• भ्रामक विज्ञापन • सरोगेट विज्ञापन • अनुचित व्यापार प्रथाएं
कंटेंट निर्माता/ स्ट्रीमर	• मुद्रीकरण • प्रायोजक • इन्फ्लुएंस प्राप्त करना	• बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएं • पारदर्शिता से जुड़ी चिंताएं • विषाक्तता, उद्दंडता और उत्पीड़न

इन चिंताओं को दूर करने के लिए संहिता में उल्लिखित प्रमुख सिद्धांत

- **जिम्मेदार गेमिंग:** ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ (OGI) अपने उपयोगकर्ताओं को जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं का पालन करने और खेलते समय आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देंगे।

- OGI उपयोगकर्ताओं को अपने लिए **समय या खर्च की सीमा निर्धारित करने का विकल्प** प्रदान करेगा।

- **नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपाय (आयु सीमा):** OGI द्वारा नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। उदाहरण के लिए- **'केवल 18/18+' का चेतावनी संकेतक प्रदर्शित करना।**
- **निष्पक्ष गेमिंग:** OGI अपनी वेबसाइट/ प्लेटफॉर्म पर नियम और शर्तें, निजता बनाए रखने की नीति, ऑनलाइन गेम में सामग्री की प्रकृति आदि प्रकाशित करेगा।
  - **धोखाधड़ी-रोधी उपाय** यह सुनिश्चित करेंगे कि गेम या प्रतियोगिता केवल वास्तविक व्यक्तियों के बीच और बॉट्स जैसे स्वचालित सिस्टम के विरुद्ध ही खेले जाएं।
- **वित्तीय सुरक्षा उपाय:** OGI उन सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगा, जो **मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म के उपयोग** का पता लगाएं एवं उनकी रोकथाम करें।
- **सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय गेमिंग:** OGI **साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा नियमों का पालन करके** सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय गेमिंग सुनिश्चित करेगा।
- **उत्तरदायित्व युक्त विज्ञापन:** हस्ताक्षरकर्ता विज्ञापन अभियानों को जिम्मेदारी के साथ चलाने का प्रयास करेंगे, जो मौजूदा कानूनों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

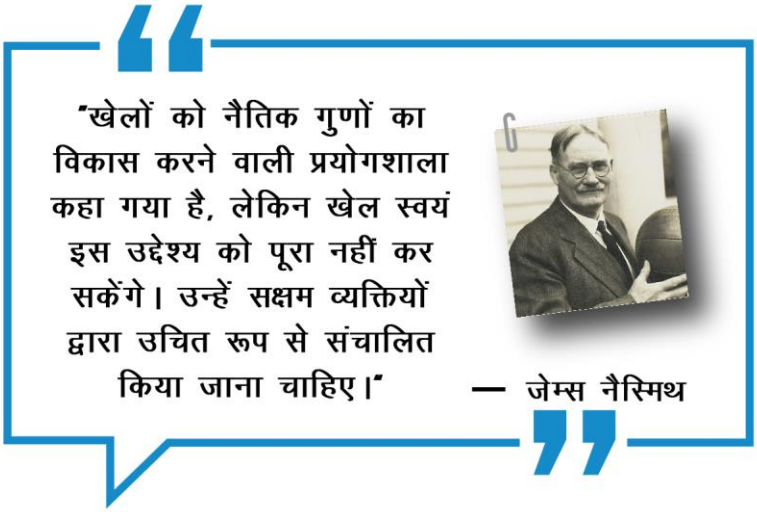

एक नैतिक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक के लिए आगे की राह

- **उपभोक्ता संरक्षण:** इन-गेम खरीदारी में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए मानक उपभोक्ता संरक्षण उपायों को लागू करना चाहिए।
  - 'स्वीकार्य गुणवत्ता का परीक्षण' एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाया जा सकता है। यह परीक्षण उपयोगिता और मूल्य के औचित्य को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- **नवोन्मेषी प्रणाली:** गेमिंग कंपनियां टीम वर्क, सकारात्मकता और रणनीति के लिए खिलाड़ियों को एक-दूसरे की प्रशंसा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रणालियाँ पेश कर सकती हैं। उदाहरण के लिए- Riot गेम्स द्वारा शुरू किया गया लीग ऑफ लीजेंड्स का "ऑनर" सिस्टम।
- **समग्रता:** गेम डेवलपर्स को ऐसे समावेशी नैरेटिव और कैरेक्टर बनाने का प्रयास करना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों के अनुरूप हों, चाहे उनका जेंडर, उनकी नृजातीयता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
- **नीतिगत उपाय:** नाबालिगों के बीच लत और शोषण को रोकने के लिए, कंपनियों को आयु सत्यापन, साइबर-सुरक्षा उपायों और जिम्मेदार गेमिंग टूल पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके लिए ऐसी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो इन उपायों को अनिवार्य बनाएं।
- **जवाबदेह विज्ञापन और मार्केटिंग को बढ़ावा देना:** लूट बॉक्स मैकेनिक्स और इन-ऐप खरीदारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा शोषक मार्केटिंग प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों की आवश्यकता है।
- **विकास एवं नवप्रवर्तन को संतुलित करना:** गेमिंग प्रौद्योगिकी की विकासशील प्रकृति और उभरती खेल शैलियों के अनुकूल नियामक ढांचे पर्याप्त रूप से लचीले होने चाहिए।
- **मजबूत डेटा सुरक्षा:** गेमर्स के एकत्रित और संग्रहीत डेटा का उपयोग नैतिकता तथा जिम्मेदारी के साथ करने के लिए कड़े डेटा गोपनीयता नियमों को लागू करना आवश्यक है।

अपनी नैतिक अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड की जांच कीजिए

इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने 2017 में बहुप्रतीक्षित मल्टीप्लेयर गेम "स्टार वार्स: बैटलफ्रंट II" जारी किया। गेम में खिलाड़ियों को वास्तविक मुद्रा से लूट बक्से (Loot boxes) खरीदने की अनुमति दी गई, जिसमें ऐसी वस्तुएं शामिल थीं जो गेमप्ले को काफी अधिक प्रभावित कर सकती थीं। गेम में आगे बढ़ने की प्रणाली लूट बक्सों से जुड़ी हुई थी, जिससे खिलाड़ी के समग्र अनुभव पर असर पड़ा। इसके अलावा, इन लूट बक्सों को यादृच्छिक वितरित किया गया था और खिलाड़ियों द्वारा वांछित वस्तुएं प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं थी। इससे गेमिंग अनुभव प्रभावित हुआ।

उपर्युक्त प्रकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- उपर्युक्त प्रकरण में कौन-सी नैतिक चिंताएं स्पष्ट हैं?
- ऐसे गेम के नैतिक संरचना के तत्वों की पहचान कीजिए जो उपयोगकर्ता के समग्र अनुभव को बढ़ाते हैं।
- यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ऑनलाइन गेम उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करें?

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग MSME प्रोडेक्टिविटी (RAMP) {Raising And Accelerating MSME Productivity (RAMP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने **RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएं** शुरू की हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

इन तीन उप-योजनाएं में निम्नलिखित शामिल हैं:

उप-योजनाएं	MSME ग्रीन इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम (MSE GIFT Scheme)[108]	चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और निवेश के लिए MSE योजना (MSE SPICE Scheme)[109]	विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना (MSE ODR Scheme)[110]
विवरण	इसका उद्देश्य **MSMEs** को ब्याज में छूट देना और ऋण गारंटी देकर हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है।	इसके तहत ऋण सब्सिडी के जरिए **चक्रीय अर्थव्यवस्था** से जुड़ी परियोजनाओं का **समर्थन** किया जाएगा। इसके अलावा, यह योजना MSME क्षेत्रक के **वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन** के सपने को साकार करने में मदद करेगी।	इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए **विलंबित भुगतान जैसी समस्या के समाधान हेतु आधुनिक आई.टी. उपकरणों व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** का उपयोग किया जाएगा और कानूनी समर्थन दिया जाएगा।

RAMP (यानी MSME की उत्पादकता बढ़ाना तथा उन्हें और तीव्र करना) के बारे में

योजना का उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **बाज़ार और ऋण तक पहुंच** में सुधार करना,
• केंद्र और राज्य स्तरीय **संस्थानों** एवं गवर्नेंस को मजबूत करना,
• MSMEs को लेकर केंद्र-राज्य के बीच लिंकेज और भागीदारी में सुधार करना,
• **देर से होने वाले यानी विलंबित भुगतान** संबंधी समस्याओं का समाधान करना, और
• **MSMEs की गतिविधियों में ग्रीनिंग पर बल देना।**
	• **मंत्रालय**: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
	• **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना
	• **शुरूआत**: वर्ष 2022 में शुरू
	• **योजना की अवधि**: 2021-22 से 2025-26 तक
	• **वित्त-पोषण:** योजना का कुल परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपये है। इसमें **विश्व बैंक** से ऋण के रूप में 3,750 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और शेष भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया जाना है।
	• **पात्रता:**
	  ○ इसका लाभ उठाने वाले MSMEs को **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED)[111] अधिनियम, 2006** के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
	  ○ MSMEs के पास एक वैध **उद्योग आधार नंबर** होना चाहिए।
	• **लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य **5.55 लाख MSMEs** के प्रदर्शन में सुधार करना है।

[108] MSME Green Investment and Financing for Transformation Scheme

[109] MSE Scheme for Promotion and Investment in Circular Economy

[110] MSE Scheme on Online Dispute Resolution for Delayed Payments

[111] Micro, Small, and Medium Enterprises Development

	• **प्रमुख दृष्टिकोण:** ○ यह योजना मुख्य चुनौती वाले क्षेत्रों में MSMEs को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामकीय, वित्तीय और कार्यान्वयन संबंधी सुधारों के साथ-साथ फर्म-स्तरीय सुधारों को लागू करेगी। ○ RAMP कार्यक्रम के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में कार्यान्वयन क्षमता और उद्यम कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। • **अपेक्षित लाभ:** ○ सामान्य चुनौतियों के साथ-साथ कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहे MSMEs की समस्याओं का समाधान करना। ○ क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, गुणवत्ता बढ़ाने आदि के लिए सहयोग करना। ○ **रोज़गार सृजन** करना, बाज़ार को बढ़ावा देना, वित्त की सुविधा प्रदान करना और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करना। ○ RAMP के तहत कवर की गई योजनाओं के उच्च प्रभाव के परिणामस्वरूप **बड़े औपचारीकरण की शुरूआत** की गई है। ○ नवाचार को बढ़ावा मिलने से इस योजना को **आत्मनिर्भर भारत मिशन** का पूरक भी कहा जा रहा है।

MSMEs के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #72: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार

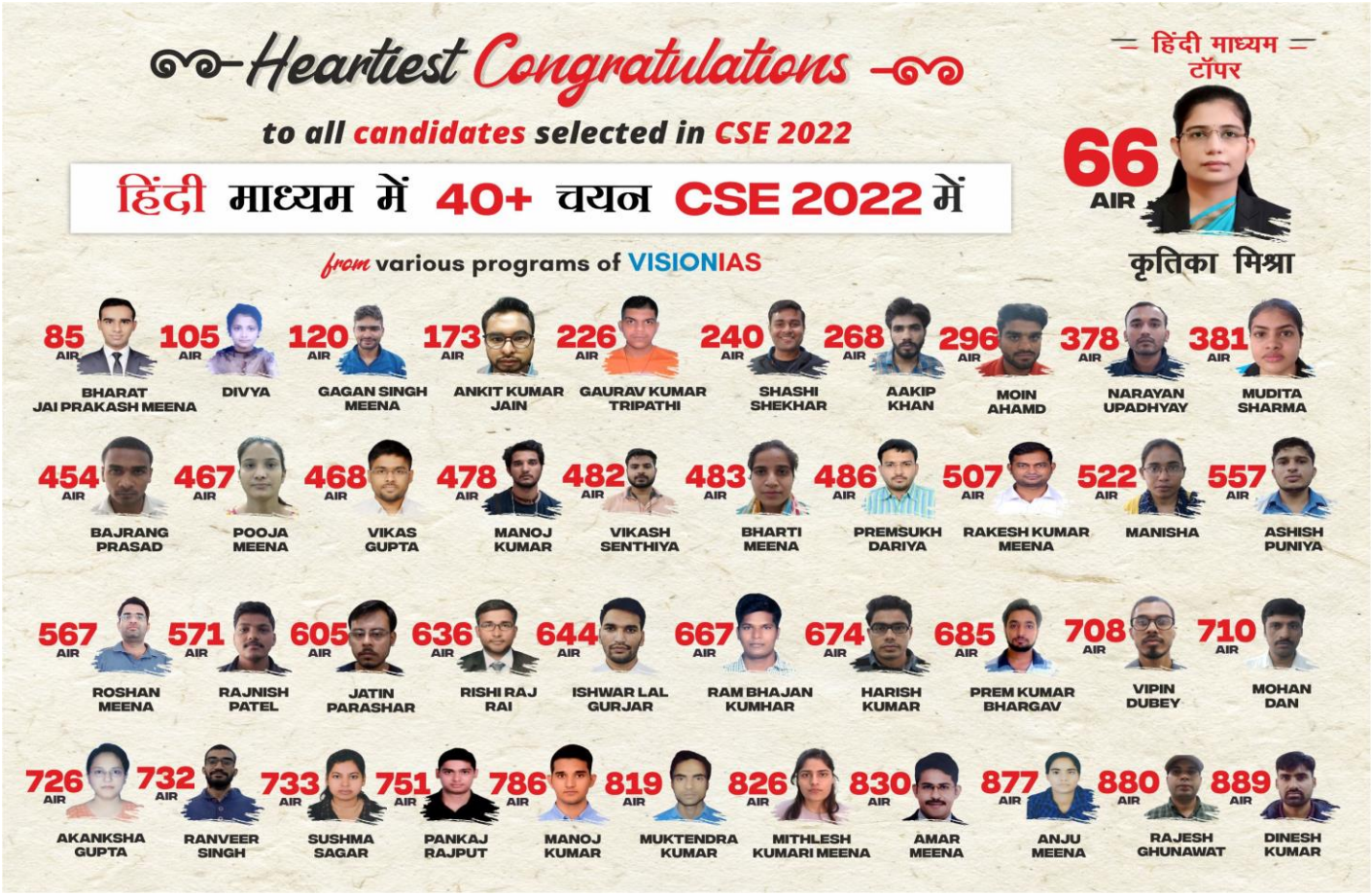

11. परिशिष्ट (Appendix)

11.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {Pradhan Mantri AWAS Yojana (PMAY-URBAN)}

परिशिष्टः प्रधान मंत्री आवास योजना– शहरी (PMAY-Urban)

मंत्रालय

- यह योजना **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** (MoHUA) के तहत **2015** में शुरू की गई थी।

उद्देश्य

- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में **सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों** को सभी मौसम के लिए **अनुकूल पक्के मकान** उपलब्ध कराना।
  - इस योजना के तहत एक परिवार की परिभाषा में **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे** शामिल हैं।

लाभार्थी

- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)**: EWS के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये या इससे कम है।
- **निम्न आय वर्ग (LIG)**: LIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3–6 लाख रुपये के बीच है।
- **मध्यम आय समूह (MIG)**: MIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6–18 लाख रुपये के बीच है
- EWS श्रेणी के लाभार्थी मिशन के सभी **चारों वर्टिकल्स** के लिए पात्र होंगे। जबकि LIG/ MIG **श्रेणी के लाभार्थी** मिशन के केवल **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम** (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।

चार वर्टिकल्स

- **इन–सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)**: निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके पात्र झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए **सभी घरों हेतु प्रति घर 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है।**
- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)**: इसके तहत **प्रति घर 2.67 लाख रुपये** तक का लाभ मिलता है। यह लाभ निम्नलिखित ब्याज सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त होता है–
  - **6 लाख** रुपये पर **6.5%** ब्याज सब्सिडी;
  - **9 लाख** रुपये पर **4%** ब्याज सब्सिडी; तथा
  - **12 लाख** रुपये पर **3%** ब्याज सब्सिडी।
- **साझेदारी में किफायती आवास (AHP)**: भारत सरकार द्वारा उन परियोजनाओं में **प्रत्येक EWS घर के लिए 1.5 लाख रुपये** की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें कम–से–कम 35 प्रतिशत घर EWS श्रेणी के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा, ऐसी एकल परियोजना में भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कम–से–कम **250 घर EWS श्रेणी के लिए** निर्धारित हैं।
- **लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/ मरम्मतः** नया घर बनाने या स्वयं ही मौजूदा घर का विस्तार/ मरम्मत करने के लिए **प्रति EWS घर के लिए 1.5 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान** की जाती है।

प्रकार

- केवल **CLSS घटक ही केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है, शेष घटक **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) हैं।**

विशेषताएं

- **PMAY-U** के तहत बनाए जाने वाले सभी घरों में शौचालय, जल आपूर्ति, विद्युत और रसोई जैसी **बुनियादी सुविधाएं** होती हैं।
- PMAY(U) में भौगोलिक परिस्थितियों, स्थलाकृति, आर्थिक परिस्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- ये आवास लाभार्थियों में सुरक्षा की भावना और स्वामित्व के गौरव का समावेश करते हैं। साथ ही, उनका **गरिमापूर्ण जीवन** सुनिश्चित करते हैं।
- आवास का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाता है। केवल उन मामलों में **जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, घर पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है।**
- प्रत्येक घटक के तहत **बनाए गए** मकानों को **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** संहिता के मकानों से संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

PMAY (U) के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)**: निर्माण चरण पूरा होने और जियो–टैग हो जाने के बाद किस्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती हैं।
- **CLSS आवास पोर्टल (CLAP)**: यह एक वेब–आधारित निगरानी प्रणाली है। यह एक साझा मंच है। इसके तहत सभी हितधारक अर्थात् MoHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, ऋण देने वाले अग्रणी संस्थान, लाभार्थी और नागरिक रियल टाइम में आपस में जुड़े होते हैं।
- **क्षमता निर्माण**: योजना के तहत आवंटन का कुल 5% क्षमता निर्माण, सूचना शिक्षा और संचार (IEC) तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों (A&OE) के लिए निर्धारित किया गया है।
- **किफायती किराया आवास परिसर** (ARHCs): MoHUA ने शहरी प्रवासियों/ गरीबों के लिए PMAY-U के तहत एक उप–योजना ARHC भी शुरू की है।
- ARHC का उद्देश्य शहरी प्रवासियों/ गरीबों को उनके कार्यस्थल के निकट सम्मानजनक किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराना है।
- **लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs)**: इन्हें **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज–इंडिया (GHTC–इंडिया)** के तहत विकसित किया जाएगा। LHPs **क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अलग–अलग पहलुओं के लिए लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगे।**

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

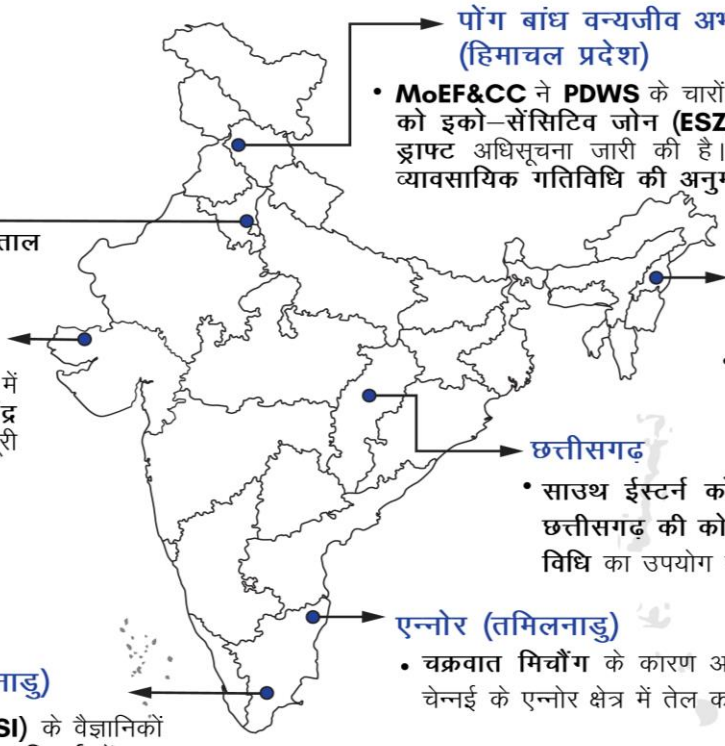

पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य (PDWS) (हिमाचल प्रदेश)

- **MoEF&CC** ने **PDWS** के चारों ओर **एक किलोमीटर के क्षेत्र को इको–सेंसिटिव जोन (ESZ)** घोषित करने हेतु संबंधित एक **ड्राफ्ट** अधिसूचना जारी की है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की **व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

गुरुग्राम (हरियाणा)

- विश्व के पहले **पोर्टेबल अस्पताल 'आरोग्य मैत्री ऐड क्यूब'** का अनावरण किया गया।

बन्नी घास भूमि (गुजरात)

- केंद्र सरकार ने बन्नी घास भूमि में **चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र** स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

किसामा हेरिटेज विलेज (नागालैंड)

- **हॉर्नबिल महोत्सव** का 24वां संस्करण आयोजित हुआ।

छत्तीसगढ़

- **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में मियावाकी विधि** का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी।

एन्नोर (तमिलनाडु)

- **चक्रवात मिचौंग** के कारण आई बाढ़ के बाद चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ।

कलकड़ मुंडनथुराई (तमिलनाडु)

- **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI)** के वैज्ञानिकों ने **कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व** में एक नई पादप प्रजाति **इम्पेशंस करुप्पुसामी** की खोज की है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

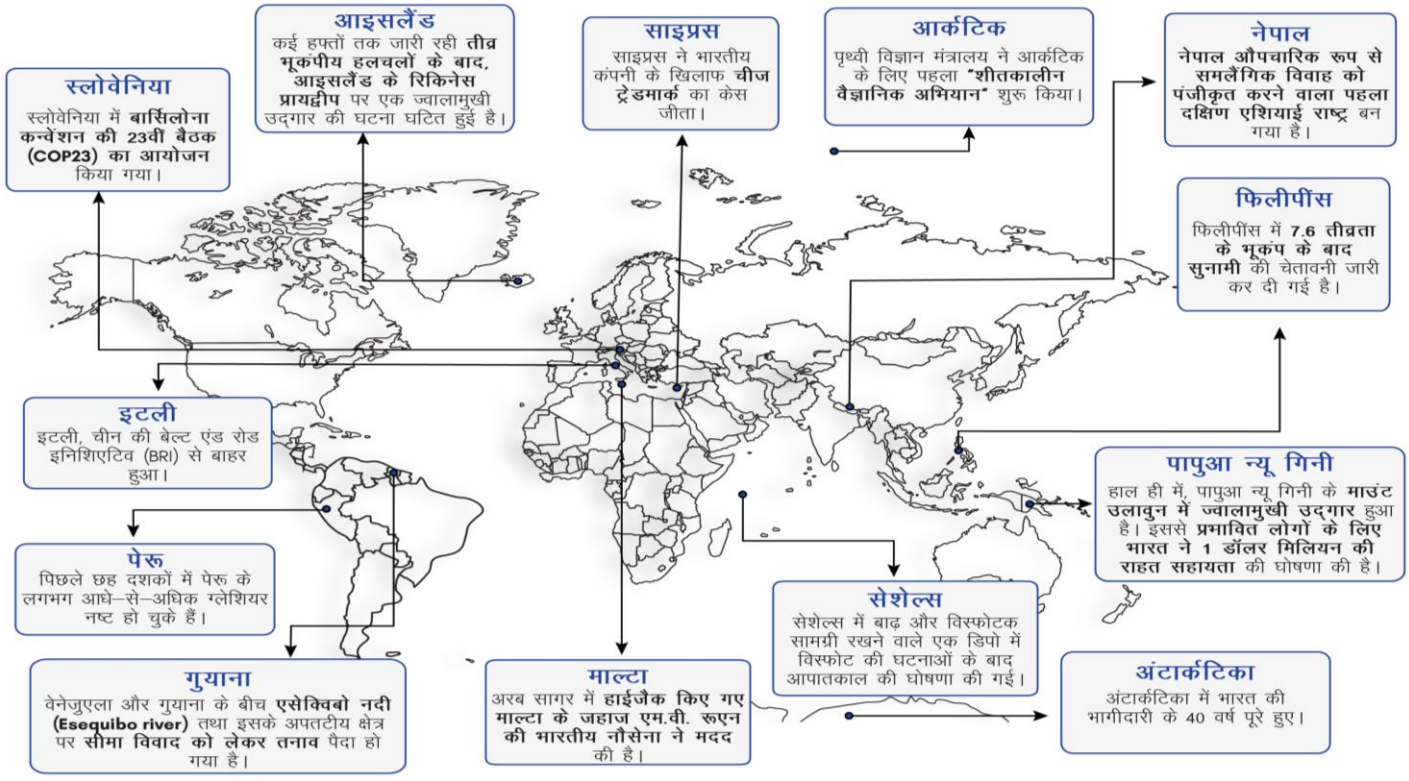

आइसलैंड

कई हफ्तों तक जारी रही **तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद, आइसलैंड के रिकिनेस प्रायद्वीप** पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई है।

साइप्रस

साइप्रस ने भारतीय कंपनी के खिलाफ **चीज ट्रेडमार्क** का केस जीता।

आर्कटिक

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला **"शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान"** शुरू किया।

नेपाल

नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है।

स्लोवेनिया

स्लोवेनिया में **बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक (COP23) का आयोजन** किया गया।

फिलीपींस

फिलीपींस में **7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी** की चेतावनी जारी कर दी गई है।

इटली

इटली, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से बाहर हुआ।

पापुआ न्यू गिनी

हाल ही में, पापुआ न्यू गिनी के **माउंट उलावुन में ज्वालामुखी उद्गार** हुआ है। इससे **प्रभावित लोगों के लिए भारत ने 1 डॉलर मिलियन की राहत सहायता** की घोषणा की है।

पेरू

पिछले छह दशकों में पेरू के लगभग आधे–से–अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं।

सेशेल्स

सेशेल्स में बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट की घटनाओं के बाद आपातकाल की घोषणा की गई।

गुयाना

वेनेजुएला और गुयाना के बीच **एसेक्विबो नदी (Esequibo river)** तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर **सीमा विवाद को लेकर तनाव** पैदा हो गया है।

माल्टा

अरब सागर में **हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज एम.वी. रूएन की भारतीय नौसेना ने मदद** की है।

अंटार्कटिका

अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के 40 वर्ष पूरे हुए।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

व्यक्तित्व	के बारे में	व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 पा तोगन नेंगमिंजा संगमा	• **पा तोगन नेंगमिंजा संगमा** को उनकी **पुण्यतिथि** पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। • वे **गारो हिल्स (मेघालय) के गारो आदिवासी नेता** थे। • **योगदान:** ▸ **प्रथम आंग्ल–बर्मा युद्ध (1824–1826)** के बाद अंग्रेजों ने **ब्रह्मपुत्र घाटी पर कब्जा करने का निर्णय** लिया था। ▪ 1872 में अंग्रेजों ने **संपूर्ण गारो हिल्स पर कब्जा करने के लिए आक्रामक** कदम उठाये थे। • इसके खिलाफ संगमा ने **अपने समुदाय के लोगों को पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों से संगठित** किया था। • **1872** में, उन्होंने **रोंगरेनगिरी** में ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया था और ब्रिटिश सेना के सामने झुकने से इनकार कर दिया था।	**साहस और समावेशी नेतृत्व** • रोंगरेनगिरी पर हमले के दौरान ब्रिटिश सेना और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध का प्रदर्शन किया था।
 सखाराम गणेश देउस्कर (1869–1912)	• हाल ही में सखाराम गणेश देउस्कर की **जयंती** मनाई गई है। • **योगदान:** ▸ वे एक **क्रांतिकारी पत्रकार और श्री अरबिंदो** के करीबी सहयोगी थे। ▸ वे **भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख प्रणेताओं** में से एक थे। ▪ उन्होंने **महाराष्ट्र और बंगाल के पुनर्जागरण के बीच एक सेतु** की भूमिका निभाई थी। ▸ उन्होंने **बंगाली भाषा में 'देशेर कथा'** नामक पुस्तक की रचना की थी। ▪ इस पुस्तक में **औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन और शोषण** के बारे में बताया गया है। ▪ इस पुस्तक का **'देश की बात' नाम से हिंदी में अनुवाद** किया गया है।	**बौद्धिक जिज्ञासा और नवीनता** • उन्होंने सामाजिक–राजनीतिक गतिशीलता के ज्ञान और समझ के लिए कार्य किया था। • पत्रकारिता के माध्यम से विविध सांस्कृतिक आंदोलनों को जोड़ने और नए विचारों को पेश करने में उनका योगदान था।
 भाई परमानन्द (1876–1947)	• वे **स्वतंत्रता सेनानी, आर्य समाज के सदस्य व हिंदू महासभा के नेता** थे। • **योगदान:** ▸ वे **1905** में दक्षिण अफ्रीका गए थे और **महात्मा गांधी से भेंट** की थी। ▸ उन्होंने 1911 में **लाला हरदयाल से भेंट** की थी और हरदयाल को आर्यों की प्राचीन संस्कृति के प्रचार–प्रसार हेतु अमेरिका जाने के लिए राजी किया था। ▸ वे **गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य** थे। ▸ उन्हें **लाहौर षड्यंत्र केस** में गिरफ्तार किया गया था। ▪ **1915** में उन्हें **फांसी की सजा** सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ▸ **पुस्तक: तारीख–ए–हिंद (उर्दू में)।**	**लचीलापन और सांस्कृतिक संरक्षण** • कारावास और निर्वासन का सामना करने के बावजूद वे स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। • भारतीय संस्कृति और विरासत को बनाए रखने तथा उन्हें बढ़ावा देने में उनका समर्पण अद्वितीय था।

 तारकनाथ दास (1884–1958)	• वे **वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले भारतीय क्रांतिकारी** थे। • **मुख्य योगदान:** ▸ वे **अनुशीलन समिति के सदस्य** थे। ▸ उन्होंने **संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारतीय छात्रों और मजदूरों के संगठन** गठित किए थे। ▸ भारत की आजादी के लिए संसाधन जुटाने के अपने प्रयासों में उन्होंने चार महाद्वीपों की यात्रा की थी। ▸ वे **गदर पार्टी के लाला हरदयाल** से भी जुड़े हुए थे। ▸ उन्होंने **"द फ्री हिंदुस्तान"** अखबार प्रकाशित करना शुरू (1908) किया था। ▸ **रचनाएं: इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स** आदि।	**वैश्विक परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रवाद** • उनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जोड़ने की अनूठी क्षमता थी। • भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनमें अटूट प्रतिबद्धता थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके उद्देश्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था।
 रुक्मिणी लक्ष्मीपति (1892–1951)	• वे **आंध्र प्रदेश** के पश्चिम गोदावरी जिले की **स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक** थीं। • वे **महात्मा गांधी, सी. राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू** से प्रभावित थीं। • **योगदान:** ▸ उन्होंने **मद्रास प्रेसीडेंसी के वेदारण्यम में सविनय अवज्ञा यानी नमक सत्याग्रह (1930)** में हिस्सा लिया था। ▪ वे **पहली महिला थीं, जिन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान कैद** किया गया था। ▸ उन्हें **मद्रास विधान परिषद** के लिए चुना गया था। बाद में **विधान सभा की सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी थीं।** ▸ 1946 में, मद्रास प्रेसीडेंसी कैबिनेट में **स्वास्थ्य मंत्री** के रूप में कार्य किया था और **राज्य की पहली महिला मंत्री बनी थीं।**	**धैर्यवान व्यक्तित्व और समाज सुधारक** • स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चुनौतियों का सामना करने में उन्होंने अद्भुत दृढ़ता का प्रदर्शन किया था। • सामाजिक परिवर्तन और सशक्तीकरण, विशेषकर महिलाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण थी।
 बाबा राघव दास (1896–1958)	• हाल ही में, बाबा राघव दास की जयंती मनाई गई। वे **'पूर्वांचल गांधी'** के नाम से भी प्रसिद्ध थे। • उनका जन्म **महाराष्ट्र के पुणे शहर** में हुआ था। उनके गुरु का नाम 'योगीराज अनंत महाप्रभु' था। • **1921 में गांधीजी ने अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान उन्हें 'बाबा'** कहकर संबोधित किया था। • **योगदान:** ▸ वे **1930 की दांडी यात्रा** के दौरान **गांधीजी के साथ** थे। ▸ उन्होंने **विनोबा भावे के भूदान आंदोलन (1951)** में भाग लिया था। ▸ उन्होंने **उत्तर प्रदेश के देवरिया में कुष्ठ रोग आश्रम और डिग्री कॉलेज** खोले थे। ▸ वे 1948 में **विधान सभा के सदस्य** रहे थे।	**परोपकारिता और आध्यात्मिक ज्ञान** • जरूरतमंदों और हाशिये पर मौजूद लोगों के लिए उन्होंने निःस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन किया, जैसे– कुष्ठ आश्रम की स्थापना। • उन्होंने अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ एकीकृत किया।

 श्री रामास्वामी वेंकटरमण (1910–2009)	• भारत के **8वें राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन की जयंती** मनाई गई। • उनका जन्म **तमिलनाडु के राजामदम** में हुआ था। • **योगदानः** ▸ उन्होंने **1942 के भारत छोड़ो आंदोलन** में सक्रिय भागीदारी की थी। उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें **दो साल के लिए हिरासत में** लिया गया था। ▸ **1944** में उन्होंने **श्रमिकों के कल्याण के लिए कई श्रमिक संघों की स्थापना की थी।** ▸ **वे** संविधान सभा के सदस्य थे। ▸ वे **1952 में गठित प्रथम संसद के लिए चुने** गए थे। ▸ वे भारत के **उपराष्ट्रपति** भी रहे थे।	**ईमानदारी और करुणा** • उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नैतिक सिद्धांतों का पालन किया। • वे श्रमिक संघों की स्थापना करने और श्रमिकों के कल्याण की वकालत करने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं।
 बीना दास (24 अगस्त 1911–26 दिसम्बर 1986)	• बीना दास **पश्चिम बंगाल की एक महान क्रांतिकारी** थीं। उनका परिवार **ब्रह्म समाज** से जुड़ा हुआ था और **स्वतंत्रता संग्राम में शामिल** हुआ था। ▸ **सुभाष चंद्र बोस** को भी बीना दास के **पिता से प्रेरणा** मिली थी। • **योगदानः** ▸ अंग्रेजों के खिलाफ विरोध जताने के लिए **1932** में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में **बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन** की हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि, इस प्रयास में वह असफल रहीं और उन्हें 9 साल के कारावास की सजा हुई। ▸ बाद में, वह **कांग्रेस में शामिल** हो गईं। **उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में भाग** लिया था। वे **बंगाल प्रांतीय विधान सभा (1946 से 1947) और पश्चिम बंगाल विधान सभा (1947 से 1951)** की सदस्य भी रही थीं। • **सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित** किया गया था। • **बांग्ला भाषा में लिखी उनकी आत्मकथा को धीरा धर ने अंग्रेजी में अनुवाद** किया था।	**क्रांतिकारी भावना और सहानुभूति** • उनका व्यक्तित्व औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के उनके साहसिक कार्यों में परिलक्षित होता है। • उनके सामाजिक कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य उनके साथी भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना था।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगः जिज्ञासा से वास्तविकता तक	तकनीकी उदय के बीच, भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग नवाचार और उन्नति के प्रतीक के रूप में उभरा है। यह स्थिति वैश्विक स्पेसटेक क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह डॉक्यूमेंट इस उभरते क्षेत्र के विकास पथ, नवाचारों और राष्ट्रीय विकास एवं उससे परे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पड़ताल करता है।	
भारत में डिजिटल समावेशनः एक कनेक्टेड और सशक्त राष्ट्र का निर्माण	डिजिटल युग को अपनाते हुए, भारत समावेशी विकास और समान पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए तैयार है। यह डॉक्यूमेंट भारत में डिजिटल समावेशन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण प्रदान करता है। इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के बहुआयामी प्रयासों पर नज़र डालते हुए डिजिटल समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक सिफारिशों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।	
भारत में निवेश का परिदृश्य	तेजी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया के बीच, भारत विविध और नवीन निवेश विकल्पों की पेशकश करते हुए कई अवसर प्रदान कर रहा है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था पर निवेश के गहरे प्रभाव की पड़ताल करते हुए, यह डॉक्यूमेंट निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए रणनीतिक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह मौजूदा चुनौतियों को स्वीकार करता है, और वैश्विक निवेश के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तावित करता है।	
भारत में सामाजिक पहचान एवं संरचनात्मक बदलाव	भारत के जटिल सामाजिक ताने–बाने में, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ सामाजिक पहचानों का परस्पर संबंध समावेशी विकास के लिए विशिष्ट चुनौतियाँ और अवसर पैदा करता है। यह डॉक्यूमेंट सामाजिक पहचान और संरचनात्मक परिवर्तन के बीच संबंधों की पड़ताल करता है और यह आकलन करता है कि नीतियां इस गठजोड़ को कैसे प्रभावित करती हैं। यह न्यायसंगत और स्थायी प्रगति के लक्ष्य के साथ सभी सामाजिक समूहों के सशक्तीकरण के साथ भारत के संरचनात्मक विकास को संरेखित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव देता है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

http://bit.ly/3ueP7T7

VisionIASHindi

/VisionIAS_UPSC

vision_jas_hindi

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

Congratulations

to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

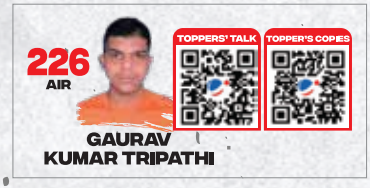

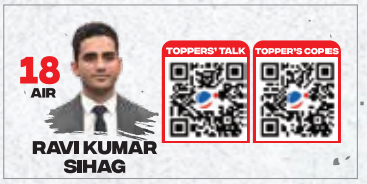

CSAT MATH 7 YEARS PYQ

सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें

GS 7 YEARS PYQ

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
DELHI

Mukherjee Nagar Centre
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर